खण्ड-437, अंक-8
मंगलवार, 11 वैशाख, शक संवत् 1923
(1 मई, 2001 ई0)

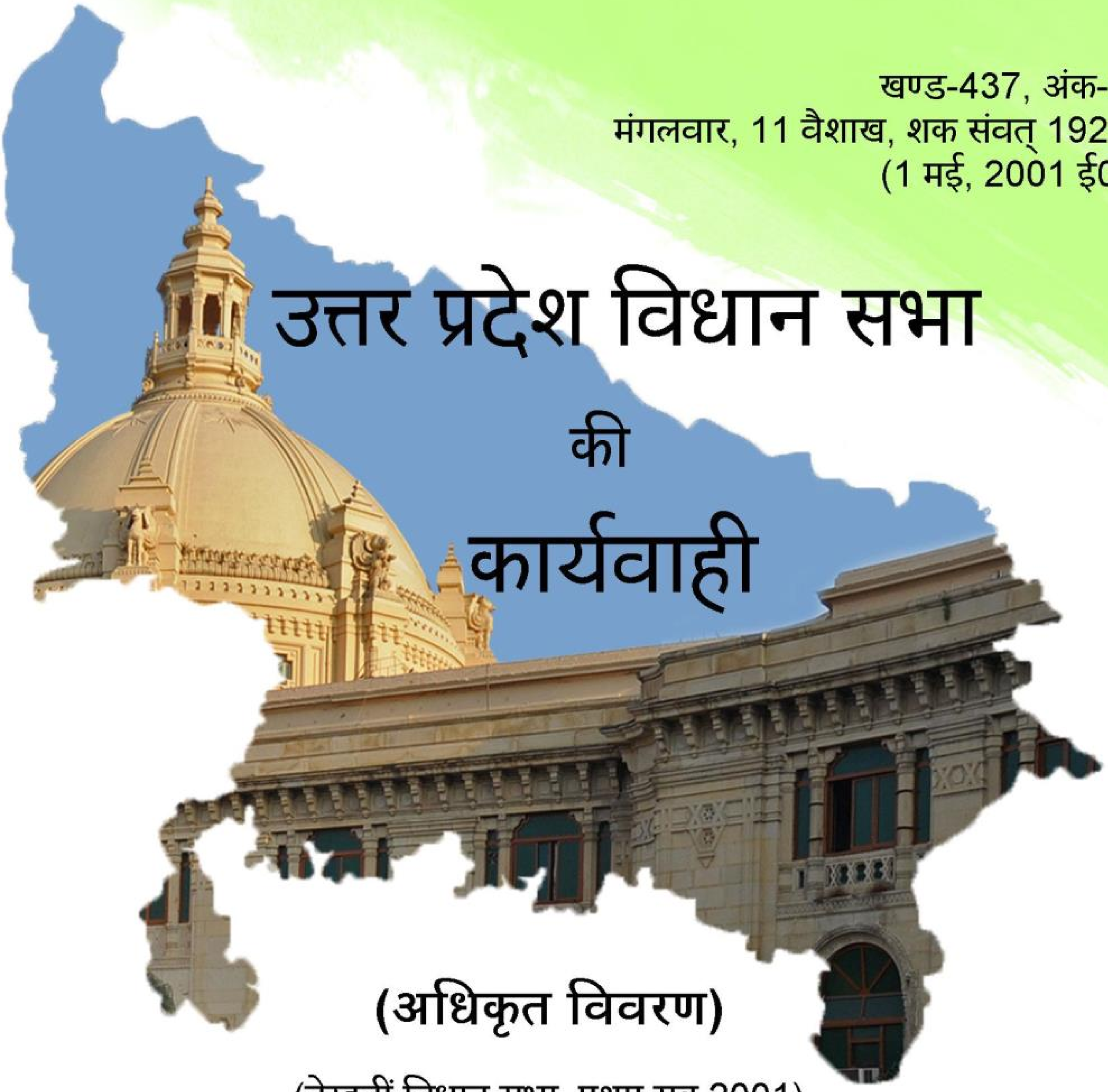

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 437 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1–92
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	93
जनपद उन्नाव के सभी प्रमुख स्थानों पर गेहूं क्रय केन्द्र खोले जाने तथा भुगतान में विलम्ब करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्रान्तर्गत अग्निकाण्ड से प्रभावित गांववासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट के निवारण हेतु हैण्डपम्पों के रिबोर कराने एवं नये हैण्ड पम्प लगवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	94
गोरखपुर कमिश्नरी में गैर अनुसूचित जाति के लोगों को फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने पर रोक लगाने एवं धोखे से जारी कराये गये प्रमाण-पत्रों को निरस्त करके वास्तविक अनुसूचित जाति के वर्ग को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद हाथरस के सादाबाद विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	95–96
जिला योजना की स्वीकृतियां अभी तक जारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	96–99
उ० प्र० तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2000-2001) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	99
तृतीय सत्र 1998 दि० 14 जुलाई को श्री राम औतार शाक्य के अतारांकित प्रश्न संख्या–39 के उत्तर के संबंध में निदेश सं० 166 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना	99–101
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एंवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	101–117
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	117–118
प्रदेश में अलाभकारी काश्तकारी जोतों पर नियंत्रण लगाये जाने विषयक डा० सरजीत सिंह डंग के संकल्प का स्थगन	118
प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाने तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किये जाने'' विषयक नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव का स्थगन	118
सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित किये जाने का अनुरोध (स्वीकृत)	119

विषय	पृष्ठ-संख्या
"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मण्डराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन एवं प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगाने विषयक" नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व अन्य सदस्यगण का प्रस्ताव (वापस लिया गया)	119–129
"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में काश्तकारों की अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाये जाने" विषयक डा० सरजीत सिंह डंग का संकल्प (वापस लिया गया)	129–136
"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाने तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किये जाने" विषयक नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी का प्रस्ताव (वापस लिया गया)	137–146
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	146–147
प्रदेश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	147–149
प्रदेश में नदियों पर बने बहुत पुराने एवं छोटे पुलों पर लगने वाले पथकर की अब तक की वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	149–151
लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण फर्जी तरीके से किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य	151
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के दस हजार पदों को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	151
प्रदेश में संचालित बसों, टैम्पों आदि से वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे कुप्रभावों के संबंध में श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	151
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	152–153
नत्थियां	154–157

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 1 मई, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम,श्री	बस्ती
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आर० के० सिंह पटेल,श्री	बांदा
उमाकान्त यादव,श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी,श्रीमती	मैनपुरी
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
काशीनाथ, श्री	सुल्तानपुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात
चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
छोटे लाल वर्मा, डा०	महोबा
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नन्दराम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बाबू राम, श्री	जालौन
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बी० आर० वर्मा, श्री	जौनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
मोती लाल, श्री	खीरी
योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री	देवरिया
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र प्रताप चौधरी,श्री	सिद्धार्थनगर
राघव, श्री	सहारनपुर
राजनाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राधेश्याम, श्री	फतेहपुर
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विजय प्रकाश,श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह,श्री	गोण्डा
विभूति प्रसाद निषाद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
वेद प्रकाश सिंह एम०एस०, डा०	बिजनौर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
श्रीराम पाल,श्री	जालौन
सतीश जतारिया, श्री	झांसी
सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
सत्य प्रकाश सोनकर,श्री	वाराणसी
सन्त, श्री	गोरखपुर
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुशीला अग्रवाल,श्रीमंती	मुजफ्फरनगर
सौलत अली एडवोकेट, श्री	मुरादाबाद
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 1 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के ऋण माफी का प्रकरण

**1—श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का दस हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार के सीमित संसाधन एवं वर्तमान विषम वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्भव नहीं है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, गरीबी रेखा से नीचे के लोग जिनके पास रोजी-रोजगार का कोई साधन नहीं है लेकिन उन्होंने 2000-5000 रुपये कर्ज आज से 2-4, 5-7 साल पहले लिया और ब्याज भरते-भरते आज वह धनराशि 10 हजार रुपये से ज्यादा हो गई है । गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों जिनके पास इस कर्ज को अदा करने के लिए कोई साधन नहीं है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे लोगों के कर्ज को माफ करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न था । इसका उत्तर तो आ गया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

इस प्रकार से कर्ज माफ करने की हमारी अभी कोई योजना नहीं है ।

श्री राम ललित चौधरी–

गरीब आदमी कर्ज नहीं चुका पाता है तो सरकार उनको जेल में डालेगी उनके बच्चे भूखों मरेंगे। ऐसे में मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ऐसे लोगों के कर्जों को माफ कर दिया जाय जिनके पास कोई जरिया नहीं है कर्ज अदा करने का । क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

अभी इस पर विचार करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, यह सरकार गरीब विरोधी है । गरीब की हितैषी नहीं है । इसलिये हम और हमारे दल के सदस्य सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री राम ललित चौधरी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कर्जे जो हैं यह ज्यादातर आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत लोगों ने लिया है। यह कर्जा लेने में दो तिहाई पैसा दलाल और बैंक के लोग खा गये। लाभार्थियों को मात्र 20–25 प्रतिशत ही मिला और उससे अंगूठा लगवा लिया गया। आये दिन इन लोगों को कर्ज वसूली के सिलसिले में बन्द किया जाता है। अगर आप आंकड़े दिखवा ले, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि इस कर्ज पर पुनर्विचार कर लें और इस कर्ज को माफ कर दें। सरकार यह कर्ज वसूल नहीं कर पा रही है। इसी के साथ किसानों का भी सवाल है। हालांकि इसमें निहित नहीं है। राजस्व मंत्री जी जवाब देना चाहें। किसानों के ऊपर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, क्या सरकार उसको भी माफ करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

हमारी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जो लोग दैवी आपदा से पीड़ित रहे, ओला पाला पड़ा तो उन्हें सहायता देने के लिए लोन दिया गया जो कि 10 हजार रुपये तक का था। वह दैवी आपदा से पीड़ित लोग आज तक उस कर्ज को अदा नहीं कर पा रहे हैं। वसूली अभियान तेज होने के कारण अनेकों लोग जेल में बन्द होते हैं। क्या ऐसे लोगों को जिनको दैवी आपदा में सहायता दी थी उनका कर्ज माफ करेंगे। दूसरी बात कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों को जिनको 10 हजार रुपये का कर्जा दिया गया था, वह भी सरकार वसूल नहीं कर पा रही है क्योंकि इन लोगों के पास इस कर्ज को अदा करने के लिए कोई साधन नहीं है, क्या इसे भी माफ करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न का उत्तर आ गया, इन्दिरा आवास योजना के बारे में उत्तर देना चाहें ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

इन्दिरा आवास के बारे में यह प्रश्न हमारे सामने नहीं था अलग से पूछना चाहेंगे तो बता देंगे। दूसरी बात दैवी आपदा के बारे में कही। दैवी आपदा में जो मदद दी जाती है वह सब भारत सरकार की गाइड लाइन के अन्दर दी जाती है। वह अनुदान के रूप में दी जाती है कर्जे के रूप में नहीं दी जाती है, इसमें वसूली नहीं की जाती है।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे आज प्रदेश में करोड़ों लोग जीवन यापन कर रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न है क्या सरकार के पास उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोई ठोस योजना है अगर है तो वह कितनी अवधि में पूरी होगी। प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

संख्या का तो व्यापक प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए प्रदेश और केन्द्र सरकार सरकार की अनेक योजनायें हैं आज उत्तर प्रदेश में दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल दिया जा रहा है कुछ लोगों को तो मुफ्त भी दिया जा रहा है। जो संख्या वाली बात पूछी है वह हमारे सामने नहीं है।

प्रदेश में नगरीय क्षेत्र के विकास हेतु ''बाल्मीकि मलिन बस्ती सुधार योजना''

**2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों के सुधार एवं विकास कार्य हेतु कोई ''बाल्मीकि मलिन बस्ती सुधार योजना'' लागू करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा कब से लागू होगी ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की 21% धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए निर्धारित है। उक्त निर्धारित धनराशि का समुचित उपयोग न हो पाने के कारण ऐसे विभागों को रुपये 119 करोड़ की धनराशि मात्राकृत करके प्रदेश के शहरी क्षेत्र की 119 मलिन बस्तियों के सुधार हेतु योजना तैयार की गयी है। इसके लिये योजना विभाग द्वारा परिव्यय आवंटित कर दिया गया है तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को बजट व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया है। व्यवस्था होते ही उक्त योजना ''महर्षि बाल्मीकि मलिन बस्ती सुधार योजना'' के नाम से लागू की जायेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो योजनायें लागू की जाने वाली हैं इसके चयन का आधार क्या होगा ? क्या इसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी राय ली जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कराये जायेंगे ?

श्री सतीश महाना–

चयन का आधार है 100 प्रतिशत ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति के बन्धु रहते हैं। हमारी प्राथमिकता इसमें होगी इसमें भी जो सबसे बड़ी आबादी के क्षेत्र होंगे वह पहले लेंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम श्रम विकास, सूडा आदि के माध्यम से कार्य कर रहे हैं उसमें छोटे-छोटे कम्युनिटी सेन्टर, विद्यालय, छोटे-छोटे रोजगारों के लिए सुविधा उपलब्ध करायेंगे, सामूहिक रूप से सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होंगे।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को बजट व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया है योजना तय हो गई है मलिन क्षेत्रों को देय परिव्यय आवंटित कर दिया गया है। तो दो बातें मैं जानना चाहता हूं। एक तो यह है कि क्या बजट में आज की तारीख में इसकी व्यवस्था हो गयी है, कितना बजट प्रस्तुत हुआ है ? और इस योजना का नोडल विभाग कौन होगा ? समाज कल्याण विभाग या नगर विकास विभाग कौन इसका नोडल विभाग होगा ? दूसरा यह है कि बस्तियों को निर्धारित करने का मानक क्या है ? जो पूर्व में बस्तियां चयन हुई हैं क्या वही होंगी या नयी बस्तियों को भी चयनित किया जायेगा ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह तो मेरे उत्तर से ही स्पष्ट है कि जो नोडल विभाग होगा वह शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत जो सूडा है वह नोडल विभाग होगा। जो एक्जीस्टिंग बस्तियां हैं उन्हीं में कार्य करायेंगे ? इसमें हम जो सबसे बड़ी बस्तियां होंगी उसे लेंगे। जहां तक वित्त का मामला है तो इसके लिए योजना विभाग द्वारा परिव्यय आवंटित कर दिया गया है तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से

वित्त विभाग को बजट व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया है । राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की 21 प्रतिशत धनराशि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए निर्धारित है । इसका समुचित उपयोग न होने के कारण ही 119 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश के शहरी क्षेत्र की 119 मलिन बस्तियों के सुधार हेतु यह योजना तैयार की गयी है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि क्या बजट प्रस्तुत हो चुका है और यह योजना पुरानी है तो क्या इसका बजट में प्राविधान कर दिया गया है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग का बजट आयेगा तो उसमें कर देंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, 119 जो मलिन बस्तियों का चयन किया गया है इसमें क्या कुछ खास-खास नगरपालिकायें हैं जहां चयन किया गया है । तो कौन-कौन सी नगरपालिकायें लेंगे और उनके चयन का आधार क्या है ? दूसरा यह है कि क्या जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में पड़ने वाली नगरीय मलिन बस्तियों के चयन के बारे में सुझाव प्राप्त किये जायेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, पहली इस योजना को प्रारम्भ हम कर रहे हैं । यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है । मेरा निवेदन है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक बस्ती और इसमें सबसे बड़ी बस्ती का आधार देखते हैं तो इसमें एक करोड़ रुपये की अनुमानित राशि आती है । नगरपालिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा है । 119 चयन की गयी हैं । जो सबसे बड़ी बस्ती है उसका आधार जानकर चयन करेंगे । जहां तक जनप्रतिनिधियों के सुझाव और सलाह लेने की बात है तो जिस समय बस्तियों का चयन करेंगे तो उनको सुझाव को भी हम ले लेंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जिले 70 हैं और मलिन बस्तियां हैं 119 अगर हर जिले में से एक है तो यह 119 क्यों है ? उसका कोई और आधार होगा ?

श्री अध्यक्ष–

एक जिले में टाउन एरिया भी हो सकते हैं । एक जिले में दो नगरपालिकायें भी हो सकती हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एक जिले में एक ही लिया जायेगा । अब जिले के हिसाब से 70 तो ऐसे ही चयनित हो गयी हैं और जो अवशेष बची उनमें चयन होगा ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है । हमने एक जिले में एक ही लिया है उत्तर में पूरी बात नहीं बता सका इसके लिए क्षमा चाहता हूं । अब जो बड़े नगर निगम हैं उनमें जिस प्रकार जो प्रस्तावित होगा उसको ले लेंगे । कुल 119 होते हैं ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, मलिन बस्तियों के सुधार हेतु धन दिया गया, लेकिन वास्तव में वह धन उच्च वर्ग की बस्तियों में सुधार हेतु खर्च किया क्या इस संबंध में कुछ शिकायत प्राप्त हुई है क्या अब तक उस पर कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर,जो निर्धारित गाइड लाइन है उसी के अनुसार कार्य की बात है । कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । यदि माननीय सदस्य की जानकारी में कोई है तो मुझे दे देंगे मैं उसे दिखवा लूंगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जो 119 मलिन बस्तियां चयनित हो चुकी हैं वह जिस माननीय सदस्यों के क्षेत्र में आती हैं क्या उन माननीय सदस्यों को सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे जिससे वह अपने-अपने क्षेत्र में काम को देख सकें ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जो भी बस्तियां हैं जिस माननीय सदस्य के क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं उनको सूचना दे दी जायेगी और उनके कुछ सुझाव होंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में ''सर्व शिक्षा अभियान'' योजना लागू किये जाने की नीति एवं प्रारूप

*1–श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया **बतायेंगे** कि क्या प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा स्तर तक ''सर्व शिक्षा अभियान'' योजना लागू की जा रही है ? यदि हां, तो उसकी नीति तथा प्रारूप क्या है ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जी हां । प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धानित ''सर्व शिक्षा अभियान'' योजना लागू करने का निर्णय लिया गया हैं । इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1–8 की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्राप्त करने का उद्देश्य है । इस योजना की अवधि वर्ष 2001 से 2010 तक है । इसके अन्तर्गत वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन, वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक तथा वर्ष 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण करने एवं वर्ष 2010 तक बच्चों का शत-प्रतिशत ठहराव प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रदेश के सभी 70 जनपदों में वर्ष 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किये जाने की योजना है ।

प्रदेश में गत वर्ष की जिला योजना में स्वीकृत सड़कों का प्रस्ताव

*2–श्री राम जग (अनुपस्थित)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में वर्ष 2000-2001 की जिला योजना में निर्माण हेतु स्वीकृत सड़कों के प्रस्ताव निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, प्रश्न सं०–2 में रुचि है ।

श्री अध्यक्ष–

यह बाद में ले लेंगे ।

प्रदेश में गत वर्ष जिला योजना में स्वीकृत नई परियोजनाओं का प्रस्ताव

*3-श्री लालजी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नई परियोजनाओं का निर्माण प्रदेश के समस्त जनपदों में रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि नयी योजनाओं में निर्माण रोका नहीं गया है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिला योजना पर वर्ष 2000-2001 में कुल कितना धन आवंटित किया गया है ।

श्री राम प्रसाद कमल-

मान्यवर, 7 करोड़ रुपये जो प्रधान मंत्री योजना के संदर्भ में आया था वह रुपया यहां पर योजना के अन्तर्गत खर्च किया जायेगा एक-एक हजार प्रत्येक ग्राम को टोकन मनी के रूप में दिया गया है ताकि कार्य सुचारु रूप से चल सके । सारी जिला योजना के काम जो जिस वर्ष के हैं ठीक प्रकार से हो रहे हैं ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक-एक हजार रुपये टोकन मनी के रूप में दिया गया है तो उसमें कितनी सड़क बनेगी ? जो 500 से 1000 की आबादी के गांवों को जोड़ते हैं उसमें आपने एक हजार रुपये टोकन मनी देकर यह कहा है कि प्रस्ताव नाबार्ड के फेज-7 में प्रस्तावित किया जायेगा । अभी फेज-6 के कार्य स्वीकृत नहीं हो पाये हैं और जो एक हजार की ऊपर की आबादी के गांव हैं उनके सारे निर्माण कार्य रोक दिये गये हैं और इनकी सारी स्वीकृतियां निरस्त कर दी गयी हैं । तो कुल कितने की जिला योजना में स्वीकृति हुई थी जिसके अगेन्स्ट 7 करोड़ रुपया दिया है उसमें कितनी नई सड़कें बनेंगी ?

श्री राम प्रसाद कमल-

मान्यवर, यह बात सही है जो योजना बनी है 7 करोड़ रुपये दिये गये हैं, एक हजार करोड़ रुपये प्रति जनपद दिया गया है यह नाबार्ड से पोषित की जायेगी । यदि कोई विलम्ब की बात होगी तो मैं वित्त विभाग को लिख रहा हूं उन्होंने कहा कि जब तक नाबार्ड से धन नहीं आता है तो वित्त विभाग से धन लेकर उसको करायेंगे लेकिन कोई योजना ऐसी नहीं है जो योजना 2000-2001 की हो और वह योजना पूरी न हो ।

श्री लालजी वर्मा-

क्या जो सारी स्वीकृतियां दी थीं वह 500 से 1000 की ली गयी हैं या उससे ऊपर की ली गयी हैं ?

श्री राम प्रसाद कमल-

मान्यवर, 500 से लेकर 1000 तक की ली गयी हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, 31 मार्च, 2001 पिछले साल के जिला प्लान का अभी तक किसी जनपद में पैसा नहीं पहुंचा है । सारे काम निरस्त कर दिये गये हैं जिला प्लान का आपका कथन है कि हमने 7 करोड़

रुपये दिये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले से जिला प्लान में किन सड़कों के निर्माण के लिए कितने धन की मांग की गयी थी और आपने उसमें से कितना धन दिया है 31 मार्च, 2001 तक कितना काम पूरा करा दिया ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है । प्रदेश में धनाभाव की भी स्थिति है यह सब जानते हैं लेकिन पूरे सदन को मैं आकृष्ट कर रहा हूं कि 2000-2001 की जिला योजना के अन्तर्गत जितनी भी सड़कें चयनित हैं वह शत-प्रतिशत शीघ्र ही निर्मित की जायेंगी उनके लिए धन की व्यवस्था हम कर रहे हैं बजट के दूसरे मदों से लेंगे । प्रधान मंत्री ग्राम योजना के अन्तर्गत लेंगे और नाबार्ड को हम भेजे हुए हैं उनसे भी धन लेंगे धन की व्यवस्था शासन करेगा इतना सुनिश्चित तौर पर हम आश्वस्त कर रहे हैं । प्रत्येक चयनित जिला योजना की प्रत्येक सड़क इस वर्ष पूरी कर दी जायेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब विगत वर्षों में जिला योजना एक हजार या एक हजार से ऊपर की आबादी के लिए प्लान बनाया जा रहा था तब सदन के अन्दर उत्तर दिया गया कि 500 से 1000 की जिला योजना की सड़क स्वीकृत कर ली गयी है, तो यह कहां तक उचित है ? दूसरा प्रश्न यह है कि किन-किन जनपदों की जिला योजना की सड़कें स्वीकृत की गयी हैं,क्या वह सदन को बताने की कृपा करेंगे, उन जनपदों के नाम बतायेंगे ?

श्री राम प्रसाद कमल--

मान्यवर, यह जो प्रश्न आपने किया है एक हजार की आबादी के ऊपर के गांव नहीं लिये गये हैं और एक हजार से पांच सौ की आबादी के गांव लिये गये हैं यह कहां तक उचित है । तो मान्यवर, हम 1000 से ऊपर के गांवों को प्रधान मंत्री ग्राम योजना के अन्तर्गत ले रहे हैं और 1000 से 500 की स्वीकृतियां हो गयी हैं, जिला योजना से उनको भी ले रहे हैं । कोई ऐसी बात नहीं है कि 1000 से ऊपर के गांव को छोड़ दिया गया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मेरा कहना है कि विगत वर्ष तक जिला योजना 1000 या 1000 के ऊपर के सम्पर्क मार्ग की थी इसका मतलब यह निकलता है कि कोई भी सड़क पर स्वीकृति नहीं दी गयी है, क्योंकि जिला योजना के अन्तर्गत 1000 या उसके ऊपर के गांव लिये जा रहे थे जो इन्होंने कहा कि 2000-2001 में लेंगे तो इसको स्पष्ट करा दें ?

श्री राम प्रसाद कमल--

मान्यवर, 1000 के ऊपर की आबादी के गांव भी लिये जायेंगे । प्रधान मंत्री ग्राम योजना में उनको रखा जायेगा यह मैंने कहा था ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, किसी जनपद का नाम बता दें ।

श्री राम प्रसाद कमल--

मैं इसकी सूचना आपको दे दूंगा ।

डा० अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, जिले का सम्यक् विकास हो, इसके लिये जिला योजना का निर्माण जनपद के प्रतिनिधियों के द्वारा जिला स्तर पर किया जाता था, जिससे क्षेत्र में विकास का असंतुलन न हो । जिला योजना का वित्तीय वर्ष 2000-2001 समाप्त हो गया, इसकी स्वीकृतियां बजट की स्वीकृतियां के साथ की

गई थी, लेकिन इस पूरे वित्तीय वर्ष में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह धनराशि कहां व्यय हुई और उस धनराशि का व्यय उस वित्तीय वर्ष में क्यो नहीं किया गया । क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह सुनिश्चित करेंगे कि पारित जिला योजना के सभी प्रस्तावों को स्वीकृत मानते हुए, तत्काल निर्माण कार्य शुरू करा देंगे ?

श्री राम प्रसाद कमल–

जिला योजना में 500 से 1000 की आबादी वाले गांव लिये जायेंगे, 1000 से ऊपर वाले भी लिये जायेंगे, इसके लिए नाबार्ड से सहायता ली जायेगी ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रश्न ही समझ नहीं सके हैं, कैबिनेट मंत्री जी बैठे हैं, उन्हीं से उत्तर दिलवाइये ?

श्री राम प्रसाद कमल–

मान्यवर, मैंने यह कहा कि जिला योजना की जो सड़कें हैं, जिनकी आबादी 500 से 1000 तक है, वह सब सड़कें इस वित्तीय वर्ष में ली जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष 2000-2001 में जो सड़कें जिला योजना में स्वीकृत हुई थी, वह पूरी नहीं हुई हैं । क्या उनको इस वित्तीय वर्ष में सवीकृत मानकर कार्य को पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री राम प्रसाद कमल–

करा दिया जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जब मैं खड़ा हुआ था, तभी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि जितनी भी सड़कें 2000-2001 की जिला योजना की हैं, चाहे वह जिस जिले की हों, वह समस्त चयनित सड़कों का निर्माण पूरा कराने का मैं आश्वासन दे रहा हूं और इस बजट सत्र के बाद उन पर कार्य शुरू हो जायेगा । सड़कों की सूची विभाग में उपलब्ध है । यदि इसके बाद भी किसी माननीय सदस्य को कोई शंका हो तो निश्चित रूप से उसका निवारण कराया जायेगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मैं पिछले वर्ष स्वीकृत की गई जिला योजना की सड़कों की धनराशि के बारे में जानना चाह रहा हूं, कि उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने सब सड़कों को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, कार्यपालिका मनचाहे ढंग से बजट की स्वीकृतियां का अनादर कर दें, यह एक गम्भीर संकट उत्पन्न हुआ है । कार्यपालिका, मंत्रि-परिषद् द्वारा बजट की स्वीकृतियों का निरादर किया गया है, यह विधान सभा की अवमानना है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, बाजपेयी जी का प्रश्न है कि जो गत वर्ष की स्वीकृत सड़कें थी और उसके लिए जो धन आवंटन की बात थी उस धन का क्या हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, वित्तीय कठिनाई के कारण असुविधा होती है लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि वह सड़कें बनेंगी । मैं धन उपलब्ध करा रहा हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, विधान सभा में बैठने वाले लोग सब अपने क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं और वे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं । मान्यवर, 2000-2001 में स्वीकृतियां हो गयी, ऐसा माननीय मंत्री जी स्वीकार करते आ रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि इसके लिए धनराशि निर्गत कर दी गयी है । जनप्रतिनिधि भी यही बात अपने क्षेत्र की जनता से कह देते हैं कि सड़क हेतु धन स्वीकृत हो गया है । लेकिन मान्यवर, रिएप्रोप्रिएट करने का, जो स्वीकृतियां हुई थी क्या उनको स्थानान्तरित करने का अधिकार किसी को है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अधिकार नहीं है, लेकिन वित्तीय कठिनाई होती है । राजस्व की उपलब्धता के आधार पर वितरण भी होता है, यह सब जानते हैं लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है सड़क निर्माण का वह पूर्ण कराया जायेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लें जिससे यह सदन के सामने और प्रदेश की जनता के सामने आ जाय ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, इस संबंध में जो शासनादेश हुआ है, उसमें जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, जो एक हजार से कम आबादी के गांव हैं उन्हीं पर टोकन एक हजार रुपया दिया गया है लेकिन जो प्रस्ताव मांगा गया है वह एक हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों के लिए लेपन करने के लिए मांगा गया है । जो नाबार्ड में 1674 गांव थे जिनको नाबार्ड पैसा देने के लिए तैयार था । लेकिन जिन गांवों के लिए प्रस्ताव दिया गया है वह सभी एक हजार से ज्यादा आबादी के हैं । इस प्रकार इस शासनादेश के तहत पूरे प्रदेश में मात्र 14 गांव लेपित कराये जायेंगे, बाकी 1600 गांवों के लिए नाबार्ड से कोई पैसा मिलने वाला नहीं है । जो हम लोग आश्वासन दे रखे थे कि नाबार्ड से पैसा मिलने वाला है लेकिन इस शासनादेश के कारण प्रत्येक सदस्य की स्थिति अपने क्षेत्र में खराब हो रही है । मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है सभी जिलों से एक हजार से ज्यादा की आबादी वाले गांवों को लेपित करने के प्रस्ताव मांगे गये थे । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एक हजार की आबादी के गांव को लेपित करने के लिए प्रस्ताव हम लोग दिये हुए हैं क्या उस पर जिला योजना के अन्तर्गत धन आवंटित कर दिया गया है या भविष्य में लेपित कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने भविष्य के लिए, सब के लिए आश्वासन दे दिया है । धन कहां से उपलब्ध होगा, इसका भी उल्लेख कर दिया है ।

श्री उदय राज यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी सदन में सभी सम्मानित सदस्यों को जानकारी दी कि सन् 2000-2001 जिला योजना के अन्तर्गत जो सड़क स्वीकृत हुई हैं उन पर काम कराया जायेगा । इस संबंध में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं,, मैं लोक निर्माण विभाग की स्थायी समिति का सदस्य भी रहा हूं, माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, उसके माध्यम से मुझे

जानकारी है, माननीय मंत्री जी ने उस समय स्वीकार किया था कि जिला योजना समाप्त करके जिला योजना का सारा पैसा प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्थानान्तरित करने का आदेश जारी हो गया है। हम लोगों ने उस समय माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि हम सारे सदस्यों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दें कि जिला योजना जारी रखा जाये। जिला योजना जारी रहने से हम लोगों के जनपदों में जो छोटे-छोटे काम होते हैं उनको आसानी से करवा लेते हैं। मुझे जहां तक जानकारी है जिला योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में एक भी सड़क की स्वीकृति 2000-2001 के अन्तर्गत जारी नहीं हुई है, अगर जारी हुई हो तो उन्नाव जनपद के बारे में माननीय मंत्री जी जानकारी दे दें ?

दूसरा प्रश्न आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद के अन्तर्गत 500 से 1000 की आबादी के गांवों को जोड़ने की बात की जा रही है, पिछले बजट सत्र में भी माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि 2500 से अधिक आबादी के गांवों को हम जोड़ दिये हैं या आने वाले समय में जोड़ दिया जायेगा। क्या प्रदेश के समस्त 2500 आबादी वाले गांवों को जोड़ने का काम कर दिया है, या नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो उन्नाव जनपद में कितने गांव बाकी हैं जिनकी आबादी 2500 से अधिक और नहीं जोड़े गये हैं, उन्हें कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पहले प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि जिला योजना में सड़कों के चयन का काम वहीं को जिला योजना समिति ने किया है, जितनी भी सड़कें जिला योजना में चयनित हो करके जिस-जिस जिले से आयी हैं, चाहे उनकी आबादी एक हजार हो या एक हजार से नीचे हो, दो हजार हो इससे मतलब नहीं है। यदि सड़क चयनित है तो उसको पूर्ण कराया जायेगा और इस बजट सत्र के बाद ही धन आवंटित करके काम शुरू करेंगे।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने अपने जिले में जिन सड़कों का प्रस्ताव दिया है उस पर कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने तो अब हर जिले की प्रत्येक सड़क के बारे में आश्वासन दे दिया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं और आपने कृपापूर्वक मूल प्रश्नकर्ता को एक अतिरिक्त प्रश्न करने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो सड़क चयनित है पहले बजट और 2000-2001 में प्राविधान जिला योजना के अन्तर्गत किया गया था, विधायकों/जनप्रतिनिधियों से योजनाएं भी मांगी गयी थी जिसको विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया गया था। क्या उन योजनाओं को जो पहले जिलाधिकारियों द्वारा बजट के प्राविधान के अनुसार जो लक्ष्य था उसके सापेक्ष जो विधायकों ने प्रस्ताव शुरू में दिया था उनके आधार पर चयन करके उन सबका निर्माण कराया जायेगा या जो बाद में 500 या 1000 की आबादी के आधार पर चयनित किया गया है उसको कराने का काम करेंगे ? इस पर माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जिला योजना में जिला योजना समिति से जो सड़कें चयनित हो गयी हैं वह निश्चित रूप से पूरी होंगी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सरकार उदासीनता का रवैया अपना रही है सरकार के रवैये के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री लालजी वर्मा ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

एक सदस्य–

मान्यवर, गोरखपुर ज़िले से जिला योजना में प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, क्या गोरखपुर जिले को उसमें सम्मिलित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप माननीय मंत्री जी से अलग से अनुरोध कर लीजिए ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण सुविधा में क्रिमी लेयर की सीमा बढ़ाने सम्बन्धी प्रकरण

*1—श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए प्रदत्त 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा में क्रीमी लेयर के निर्धारण की आर्थिक सीमा को एक लाख रुपये से अधिक करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

जी नहीं ।

लोक सेवाओं और पदों पर उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्राविधानानुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है ।

2—उ० प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची "2" में क्रीमीलेयर का भी उल्लेख है । यह अनुसूची भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दि० 8 सितम्बर, 1993 के अनुसार बनाई गई है । चूंकि भारत सरकार में क्रीमीलेयर के लिए सकल वार्षिक आय की सीमा एक लाख या उससे अधिक नियत की गयी है, अतः प्रदेश में भी यही सकल आय की सीमा रखी गयी है ।

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद बाराबंकी के जैदपुर मार्ग पर विगत कई वर्षों में मरम्मत पर व्यय दिखाकर गबन करने की प्रचलित जांच

*3–श्री फरीद महफूज किदवई (अनुपस्थित)–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में बाराबंकी जैदपुर मार्ग पर अक्टूबर, 1996 से मार्च, 1997 तक 219626.90/- रुपया अप्रैल, 1997 से मार्च, 1998 तक 488005/- रुपया, अप्रैल, 1998 से मार्च, 1999 तक 1692695,27/- रुपया तथा अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 तक 1428292.00/- रुपया तथा अप्रैल, 2000 से अगस्त, 2000 तक 536101,00/- रुपया खर्च किया दर्शाया गया है जबकि यह मार्ग वर्ष 1996 से आज तक सदैव क्षतिग्रस्त बना हुआ है ? क्या उक्त सरकारी धन को मार्ग के मरम्मत पर खर्च दिखाकर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गबन कर लिया गया

है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

यह मार्ग क्षतिग्रस्त रहा था । जनवरी, 2001 से पैच मरम्मत का कार्य किया गया और वर्तमान में लगभग सम्पूर्ण मार्ग का नवीनीकरण कर दिया गया है ।

प्रकरण की जांच की जा रही है ।

प्राथमिक जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

मा० मंत्रियों को उपलब्ध कराये गये सरकारी वाहनों के पेट्रोल/मरम्मत का व्यय विवरण

*4—श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों को उपलब्ध कराये गये सरकारी वाहनों पर पेट्रोल उपयोग तथा मरम्मत हेतु धन व्यय की कोई सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 15 जनवरी, 99 से 15 दिसम्बर, 2000 तक प्रदेश के मंत्रियों के सरकारी वाहनों की मरम्मत एवं पेट्रोल में कितना-कितना धन व्यय किया गया है ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मा० मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के लिए स्थानीय यात्रा हेतु 125 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह की सीमा निर्धारित है । मरम्मत की कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

दि० 15-1-99 से 15-12-2000 तक पेट्रोल पर रु० 74,56,432.50 तथा मरम्मत पर रु० 2,09,46,515.38 का व्यय हुआ ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष–

यह सूचनात्मक प्रश्न है, सूचना आ गयी है इसमें अनुपूरक प्रश्न क्या होंगे ?

प्रदेश में पी० सी० एस० अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियां व पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरण

*5—श्री लालजी वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि पी०सी०एस० अधिकारियों की समय से वार्षिक प्रविष्टियां न दिये जाने और उनकी अद्यावधि प्रविष्टियां न होने के कारण उनकी पदोन्नति में बाधा उत्पन्न हो जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार समय से वार्षिक प्रविष्टियां न देने वाले अधिकारी को दण्डित किये जाने की कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार प्रविष्टियों के अभाव में पदोन्नति न पाने वाले पी०सी०एस० अधिकारियों की क्षतिपूर्ति की कोई व्यवस्था करेगी ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां । सामान्यतया श्रेष्ठता के आधार पर होने वाले चयनों में वार्षिक प्रविष्टियां पूर्ण न होने के कारण बाधा उत्पन्न होती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा किया जाना व्यवहारिक नहीं है ।

प्रविष्टियां पूर्ण होने के पश्चात् चयन समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने उत्तर में बताया है कि वार्षिक प्रविष्टियां समय से पूर्ण होने के कारण पदोन्नति पर प्रभाव पड़ता है । यदि हां, तो ऐसे अधिकारी जो समय से वार्षिक प्रविष्टियां पूर्ण नहीं करते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में उन अधिकारियों को दण्ड देने की व्यवस्था की जाएगी ? इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है "जी नहीं" मान्यवर, शासनादेश है कि समय से वार्षिक प्रविष्टियां दी जायें और इसका उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ? समय पर अधिकारी वार्षिक प्रविष्टियां नहीं देते हैं जिससे जूनियारिटी, सीनियारिटी पर असर पड़ता है, क्या समय से प्रविष्टियां न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, जो शासनादेश है उसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिसकी प्रविष्टि अंकित करनी है वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 45 दिन के अन्दर स्व-मूल्यांकन करके नोडल अधिकारी के पास जमा करना पड़ता है । यदि स्व-मूल्यांकन नहीं करता है तो उस परिस्थिति में किसी अधिकारी को दंडित करने का प्रश्न नहीं होता है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जब अधिकारी की गलती से वार्षिक प्रविष्टि नहीं हो रही है तो फिर कार्यवाही न करने का प्रश्न क्यो नहीं उठता है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष–

आपके उत्तर के अन्तिम भाग से स्पष्ट है कि प्रविष्टियां देर से आती हैं इसीलिये आपने कहा है कि कनिष्ठ की प्रोन्नति हो जाती है । इसका अर्थ यह है कि प्रविष्टि समय से हो और 45 दिन के अन्दर हो । कनिष्ठ की पदोन्नति होने से जो वरिष्ठ है और जिसकी समय से प्रविष्टि न होने के कारण पदोन्नति नहीं हो सकी वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है और इसका दायित्व जिसने समय से प्रविष्टि नहीं दी है उस पर आता है तो क्या ऐसे अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जिस कठिनाई की आप चर्चा कर रहे हैं शासन के ध्यान में यह बात आयी है और 5 फरवरी, 98 को एक शासनादेश जारी किया गया है जिसमें सभी विभागों में प्रविष्टि दिये जाने के लिये एक नोडल अधिकारी की व्यवस्था की गयी है । नोडल अधिकारी को 45 दिन में स्व-मूल्यांकन करके 300 शब्दों में प्रविष्टि देने की व्यवस्था की गयी है । यदि 3 माह में अधिकारी स्थानान्तरण हो जाता है तो 3 माह से अधिक समय पर स्व-मूल्यांकन करके उसे नोडल अधिकारी के पास जमा करेगा । नोडल अधिकारी को प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकर्ता का अधिकार भी दिया गया है । यदि कहीं पर शासनादेश का उल्लंघन होता पाया जायगा तो ऐसे अधिकारी को दण्डित करने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, प्रविष्टि समय पर प्रदान न किये जाने से 10-10 साल तक लोगों का प्रमोशन नहीं हो पाता है । तो प्रविष्टि न करने वाले अधिकारी को दण्डित न किये जाने का औचित्य क्यों नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, आपने भी स्पष्ट प्रश्न किया है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि चाहे नोडल अधिकारी हो या प्रविष्टि देने वाला अधिकारी हो, अगर समय से प्रविष्टि पूर्ण नहीं होती है उसके

खिलाफ कार्यवाही की जाय और जिसका प्रमोशन होना है उसकी पिछले वर्ष की प्रविष्टि को आधार मानते हुए, प्रविष्टि पूर्ण मानते हुए क्या उसको प्रोन्नत करने की कृपा करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसके लिये सरकार ने एक शासनादेश 22 मई, 2000 को जारी किया है जिसमें अपेक्षा की गयी है कि समय से प्रविष्टि दी जाय। संबंधित अधिकारियों को सचेत किया गया है कि वह समय पर अपने मंतव्य से अवगत करा दें, अगर वह यह कार्य नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जहां तक प्रोन्नति की बात है 10 वर्ष की प्रविष्टियों को उसमें देखा जाता है और डी० पी० सी० उसका मूल्यांकन प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए करती है। अगर प्रविष्टि नहीं है तो उतने अंश को शिथिल कर दिया जाता है।

*6—श्री हरदेव सिंह–

[दिनांक 30-4-2001 को ता० प्र० सं०–12 द्वारा उत्तरित]

जनपद फिरोजाबाद, आगरा के कतिपय क्षेत्रों में यमुना, उटंगन और चम्पा नदियों का जलस्तर नीचे होने, डार्क क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी जानकारी

*7—श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि यमुना-उटंगन और चम्पा नदियों के फिरोजाबाद, आगरा जिलों के क्षेत्र फिरोजाबाद, टूण्डला, वारापी, फतेहाबाद, मिनाहर, बाह जैतपुर एत्मादपुर में भूगर्भ जल स्तर 14 मीटर चुआन से नीचे उतर गया है ? क्या भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग ने इन क्षेत्रों को डार्क एरिया घोषित किया है ? यदि हां, तो जल स्तर में वृद्धि हेतु क्या सरकार यमुना नदी पर ग्राम फरोल नगरिया से नीचे बांध बनाकर लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शिव शंकर सिंह)–

जी हां।

जी हां।

यमुना नदी पर बांध बनाकर लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि वह डार्क एरिया है तथा जल स्तर चुआन से 14 मी० नीचे जा चुका है तथा 4 ब्लाक ऐसे हैं जहां पानी नहीं है श्रीमन्, यमुना नहर का पानी दयालबाग से आगे नहीं पहुंच पा रहा है। फिरोजाबाद, टूण्डला, वारापी, फतेहाबाद, मिनाहर, बाह जैतपुर, एत्मादपुर में भी पेयजल का संकट है। क्या जिस प्रकार यमुना लिफ्ट सिंचाई की योजना बनाकर इन इलाकों को लाभान्वित करने का काम किया गया उसी प्रकार यमुना नदी पर जहां इतनी भयानक समस्या है उस पर लिफ्ट सिंचाई योजना बनाकर तथा इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये सर्वेक्षण कराकर उस पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव शंकर सिंह–

यमुना नदी पर चूंकि राज्यों के आधार पर बंटवारा होता है तथा रिवर बोर्ड के द्वारा वहां 100 क्यूसेक पानी देने की व्यवस्था है तथा न्यायालय का आदेश है कि वहां पर किसी प्रकार का बांध नहीं बनाया जाए। अगर सिंचाई विभाग बांध बनाता है तो न्यायालय की अवमानना होती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, फरोल नगरिया आगरा से करीब 200 कि०मी० दूर है।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न विशेष समाधान को लेकर था। क्या यमुना पर बांध बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। मंत्री जी ने उल्लेख कर दिया कि यह सम्भव नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आगरा से 200 कि०मी० दूर उरंगल नदी वहां गिरती है। तीन नदियां और गिरती हैं। ओखला से फिरोजाबाद के बीच बांध बनाया जा सकता है। क्या इस संबंध में सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अन्तर्राज्यीय समस्या है दूसरे न्यायालय का आदेश है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

न्यायालय का इस तरह का कोई आदेश नहीं है। आगरा से ऊपर का आदेश है। आगरा में पानी पहुंच ही रहा है।

श्री शिव शंकर सिंह–

रिट याचिका संख्या 537/92 कमाण्डर सुरेश्वर दीन बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश में कहा गया है ओखला बैराज में 100 क्यूसेक जल प्रवाह किया जाना अपरिहार्य है तथा ओखला बैराज में किसी प्रकार से पानी लिफ्ट किये जाने से उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना हो सकती है। सिंचाई विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई योजना बनाना सम्भव नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आगरा में सिकन्दराबाद के पास बांध बनाया जा रहा है ओखला बैराज में बांध बनाया जा रहा है अगर इस प्रकार के आदेश थे तो सिंचाई विभाग ने क्यों काम किया। यह आदेश ऊपर के लिए है।

श्री अध्यक्ष–

मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में समान शिक्षा नीति

*8––डा० ज्ञानवती सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति के कारण प्रदेश में इंगलिश मीडियम स्कूलों में किसान, मजदूर गरीब आदि के बच्चों को शिक्षा शुल्क अधिक होने के कारण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिससे उनमें कुण्ठा की भावना उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में सबके लिए समान शिक्षा नीति हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां,तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

जी नहीं ।

प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों तथा अनुदानित विद्यालय संचालित हैं जिनमें शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाता है और बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं ही उठता ।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां के ग्राम पुरवायां के बाल विद्या मन्दिर में स्वतंत्रता दिवस पर झण्डा रोहण सम्बन्धी जानकारी

*9–श्री [illegible] कुमार मुन्ना (अनुपस्थित)–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम पुरवायां के अन्तर्गत संचालित बाल विद्या मन्दिर खेरवा, पुरवायां में इस वर्ष स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर एक मुस्लिम वर्ग द्वारा पाकिस्तानी झण्डा लगाया गया था ? क्या यह भी सही है कि इस षड्यंत्र में उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य भी लिप्त हैं ? यदि हां, तो क्या दोषी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराकर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*10–श्री यशपाल सिंह चौहान–

[3रे शुक्रवार में ता०प्र०सं०–10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*11–मेजर जगत पाल सिंह–

[2रे गुरुवार में ता०प्र०सं०–10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बाढ़ से बचाव हेतु छोटी नदियों को गहरा करने हेतु खुदाई

*12–श्री राम [illegible] (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ से बचाव हेतु छोटी-छोटी नदियों को गहरा करने हेतु उनकी खुदाई कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बाढ़ से बचाव हेतु छोटी-छोटी नदियों को गहरा करने हेतु उनकी खुदाई कराने की कोई समग्र योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त छोटी नदियों को गहरा एवं साफ किया जाना सम्भव नहीं है । यथा आवश्यकतानुसार छोटी नदियों की क्षमता पुनः स्थापना के कार्य कराये जाते हैं ।

प्रदेश के राष्ट्रीय/राज्य मार्गों पर पर्यावरण की दृष्टि से फलदार वृक्षों को लगाने की मांग

*13–श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग तथा जिला मार्गों पर लगे पुराने वृक्ष जो जर्जर अवस्था में हो चुके हैं, को कटवाकर उक्त सड़कों के दोनों तरफ पर्यावरण को देखते हुये नीम,

पीपल, बरगद, जामुन, देशी आम आदि पुराने प्रजाति के वृक्षों का वृक्षारोपण कराये जाने हेतु सरकार आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग तथा जिला मार्गों पर लगे पुराने/जर्जर वृक्षों (छायापंक्ति को छोड़कर) को प्रबन्ध योजना के अनुरूप कटवाकर पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी छायादार एवं फलदार वृक्षों जैसे नीम, पीपल, बरगद, जामुन, देशी आम आदि को रोपित किये जाने के निर्देश पूर्व से ही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग तथा जिला मार्गों पर लगे पुराने/जर्जर वृक्षों (छाया–पंक्ति को छोड़कर) को प्रबन्ध योजना के अनुरूप कटवाकर पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी छायादार एवं फलदार वृक्षों जैसे नीम, पीपल, बरगद, जामुन, देशी आम आदि को रोपित किये जाने के निर्देश पूर्व से ही है। तो इस निर्देश का पालन किया जा रहा है या केवल कागजों में है ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा से उतरौला, गोण्डा से बहराइच गोण्डा से फैजाबाद वाले मार्ग पर बहुत ही जर्जर वृक्ष लगे हैं तो क्या उनको कटवाकर छायादार एवं फलदार वृक्षों को लगाया जायगा ?

श्री राजधारी–

जैसा कि उत्तर में स्पष्ट है कि छाया पंक्ति को छोड़कर बाकी सभी जगह छायादार एवं फलदार वृक्षों को लगाने के निर्देश हैं और यदि किसी जगह के बारे हमें ही सूचना मिलती है तो हम कार्यवाही करेंगे इसके लिए वन विभाग को निर्देश हैं। इसके अलावा भी हम यूकेलिप्टस, शीशम आदि के पेड़ भी लगवा रहे हैं।

श्री राम विशुन आजाद–

जिन मार्गों का मैंने अभी उल्लेख किया है उन पर पुरानी इमारती के पेड़ हैं यदि उनको समय से कटवा दिया जाय तो वन विभाग को काफी फायदा होगा तत्पश्चात् फलदार वृक्ष लगवा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य द्वारा जो सुझाव दिया गया है उस पर ध्यान दिया जाय।

*14–श्री अब्दुल मन्नान–

[दिनांक 23-4-2001 को तारां० प्र० सं०–20 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में घोषित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में पूंजी निवेश का निर्धारित लक्ष्य

*15–श्री विश्वनाथ (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रदेश मे वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कुल कितना पूंजी निवेश हुआ है ? क्या वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए पूंजी निवेश का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में निवेश निम्नवत् हुआ है :–

आई० ई० एम एवं एल० ओ० आई० के अन्तर्गत 146.29 करोड़ रुपये

(दिसम्बर, 2000 तक)

लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत	245.90 करोड़ रुपये
कुल योग	392.19 करोड़ रुपये

जी हां ।

प्रदेश में औद्योगिक नीति 1998 के अन्तर्गत औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 10–12 प्रतिशत प्राप्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों के सेवानिवृत्त अध्यापकों के रिक्त स्थान पर नियुक्ति की मांग

*16—श्री नरेन्द्र सिंह यादव तथा श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के सेवानिवृत्त अध्यापकों के स्थान पर नये अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अध्यापकों के स्थान रिक्त रहने के कारण शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सेवानिवृत्त अध्यापकों के स्थान पर नये अध्यापकों की नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि सेवानिवृत्त अध्यापकों के स्थान पर नये अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है । मान्यवर, 30 जून, 2000 को कितने अध्यापक सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान पर कितनी सेवानियुक्ति की गई ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, वर्तमान समय में जो पद स्नातक के थे जिसमें से 2722 पद भरे जा चुके हैं 3162 हैं, महिला में 4194 पद थे जिसमें से 3494 भरे जा चुके हैं 720 पद रिक्त हैं । प्रवक्ता में 1259 पद थे जिसमें से 834 पद भरे जा चुके हैं 425 पद रिक्त हैं जिसमें 104 सीधी भर्ती से भरे जाने और 321 पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है ।

श्री लालजी वर्मा–

जो रिक्तियां हैं मान्यवर, उनको कब तक पूरा कर लेंगे ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, अतिशीघ्र ।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति/लागू करने की जानकारी

*17—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कोई स्पष्ट नीति तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार उसे सभी विभागों पर समान रूप से लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–1/3/96-का–4/2001, दिनांक 21 अप्रैल, 2001 के द्वारा स्थानान्तरण सत्र, 2001-2002 के लिये निर्गत स्थानान्तरण नीति के मुख्य प्राविधान निम्नवत हैं :—

(1) सामान्यतः कोई स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा, किन्तु प्रशासनिक दृष्टि से, प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे ।

(2) सरकारी सेवकों के व्यक्तिगत कारणों, यथा–चिकित्सा सुविधा/बच्चों की शिक्षा के आधार पर अथवा दूसरे सरकारी सेवक के सहमत होने पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा ।

(3) पति-पत्नी दोनों के ही सरकारी सेवा में होने पर उन्हें यथा सम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानन्तरण किया जा सकेगा ।

(4) दो वर्ष के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले समूह ''क'' एवं ''ख'' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए समीपवर्ती जनपद में तथा समूह ''ग'' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकेगा ।

(5) लखनऊ को छोड़कर अन्य जनपदों में समूह ''क'' एवं ''ख'' के ऐसे प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, जिन्होंने अपनी सेवाकाल में कुल 10 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं, को उक्त स्थानों से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

(6) समस्त श्रेणी के स्थानान्तरणों को 10 प्रतिशत की सीमा तक सीमित रखा जायेगा। अपरिहार्यता पाये जाने पर, समूह ''क'' एवं ''ख'' के लिए मा० मुख्य मंत्री जी एवं समूह ''ग'' एवं ''घ'' के लिए मा० विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(7) समूह ''ख'' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे ।

(8) किसी विभाग विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन दिनांक 15 मई, 2001 तक मा० विभागीय मंत्री जी के माध्यप से मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर, किया जा सकेगा ।

(9) जनहित में मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकते हैं ।

उक्त स्थानान्तरण नीति समस्त विभागों के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने उत्तर में कहा कि लखनऊ को छोड़कर अन्य जनपदों में समूह "क" एवं "ख" के ऐसे प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, जिन्होंने अपनी सेवाकाल में कुल 10 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं, को उक्त स्थानों से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा तो यह बात केवल लखनऊ के लिए ही है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह सीमा गवर्नमेन्ट नियमों पर लागू होती है ? शासन ने जो स्थानान्तरण नीति जारी की है वह हर साल जारी होती है लेकिन पिछले वर्षों में एक-एक व्यक्ति के तीन-तीन स्थानान्तरण किये गये, पहले मुख्यालय स्तर पर फिर शासन और फिर मण्डल स्तर पर । तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है कि एक व्यक्ति का एक ही स्तर पर स्थानान्तरण किया जाय ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, जो पहला प्रश्न श्री बाजपेयी ने किया है तो लखनऊ में समूह "क" और "ख' के बहुत अधिक पद हैं विभिन्न विभागों के पद है और शासन में भी बहुत पद हैं इस नाते संबंधित विभाग के लिए 10 वर्षों की अवधि है लेकिन वह जिला मुख्यालय से शासन में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो उसके ऊपर यह स्थानान्तरण में इस संबंध में समय सीमा की बाध्यता नहीं है । उसके ऊपर यह स्थानान्तरण समय सीमा की बाध्यता नहीं है । इस नीति के अन्तर्गत लखनऊ में किसी भी जगह स्थानान्तरण किया जा सकता है । यह नीति राज्याधीन सेवाओं के लिये है । निगमों के ऊपर इसका प्रभाव नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

पिछले वर्षों में यह देखने में आया है कि एक ही व्यक्ति को तीन-तीन जगह से स्थानान्तरित किया गया । शासन और मुख्यालय और मण्डलायुक्त से । इस बार इस तरह की विसंगति न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो स्थानान्तरण नीति है उसमें व्यवस्था है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, इस स्थानान्तरण नीति से यह अपेक्षा की गई है कि कम से कम स्थानान्तरण हो । 10 प्रतिशत कर्मियों के स्थानान्तरण तक सीमित करने का प्रयास किया जाय ।

प्रदेश के महाविद्यालयों में राज्य स्तरीय परीक्षा (सेट) आयोजित करने की जानकारी

*18—श्री छब्बू पटेल (अनुपस्थित)–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा (नेट) की भांति ही राज्य स्तरीय परीक्षा (सेट) आयोजित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षा जून/जुलाई, 2001 तक सम्पन्न करा ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा स्तर पर सस्ती शिक्षा की योजना की जानकारी

*19–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा के स्तर में सुधार, सर्वसुलभता तथा सस्ती शिक्षा की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । बेसिक शिक्षा के स्तर में सुधार तथा सर्वसुलभता तथा सस्ती शिक्षा हेतु सरकार सदैव प्रयासरत रही है एवं प्रदेश में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना मध्याह्न आहार योजना तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आदि इसी उद्देश्य से संचालित की गयी हैं । इसी क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु केन्द्र पुरोनिधानित "सर्व शिक्षा अभियान" योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है । इस योजना की अवधि वर्ष 2001 से 2010 है । इसके अन्तर्गत वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन, वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा–5 तक तथा वर्ष 2010 तक कक्षा–8 तक की शिक्षा पूर्ण करने एवं वर्ष 2010 तक बच्चों का शत-प्रतिशत ठहराव प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रदेश के सभी 70 जनपदों में चरणबद्ध तरीके से आच्छादित किया जायेगा तथा वर्ष 2001-2002 में सर्वप्रथम सर्व शिक्षा अभियान 17 जनपदों में लागू किये जाने की योजना है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरा जो मूल प्रश्न है इसमें बेसिक शिक्षा के स्तर में सुधार कैसे हो ? उत्तर प्रदेश के अन्दर बेसिक शिक्षा के अन्दर सुधार तब ही सम्भव हो सकेगा जब वहां पर अध्यापकों की नियुक्तियां कर दी जायेंगी । आज स्थिति यह है कि जनपदों के अन्दर अधिकांश विद्यालयों में 1/2 अध्यापक हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर शिक्षा के सुधार के लिए मानक के अनुरूप कितने अध्यापकों की आवश्यकता है और उनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी । जब तक शिक्षक नहीं होंगे शिक्षा के स्तर में सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है । प्राथमिक शिक्षा में बी० टी० सी० प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है । उत्तर प्रदेश में बी० टी० सी० के प्रशिक्षित शत प्रतिशत व्यक्तियों को सेवा में नियोजित किया जा चुका है फिर भी अध्यापकों की कमी को देखते हुए बी० एड० में 27 हजार लोगों को चयनित करके विशेष प्रशिक्षण बी० टी० सी० का देकर सेवा में लिया गया है । इस बी० टी० सी० के प्रशिक्षण को तेजी प्रदान करने के लिए 97-98 में जो बी० टी० सी० की परीक्षा हुई थी उसका परिणाम रुका हुआ था उसका परिणाम हमने घोषित कर दिया है । वर्ष दो हजार की परीक्षा हो गई है, चयन के उपरान्त उनकी ट्रेनिंग प्रारम्भ कर दी है । यह प्रक्रिया है कि जल्दी से प्रशिक्षण देकर अध्यापक उपलब्ध करा सकें । दूसरी बात यह है कि जो प्रदेश में मानक की बात कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए उसके लिए जनपदों में शिक्षा मित्र रखने की प्रक्रिया गतिमान है । इसमें 18 हजार में से 12 हजार लोगों का चयन हो चुका है और बाकी के चयन की प्रक्रिया चल रही है । 20 हजार शिक्षा मित्र, निदेशालय से और स्वीकृत करके उनके भी चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहे हैं ताकि हम अगले सत्र में अध्यापकों की संख्या, जो आवश्यक है वह पूरी कर सकें ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

कितने अध्यापकों की आवश्यकता है उसका उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूं कि अध्यापकों या शिक्षा मित्रों के माध्यम से कब तक नियुक्ति पूरी हो जाएगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

18000 शिक्षा मित्र जो परियोजना आच्छादित.....

श्री अध्यक्ष–

कुल कितने अध्यापकों की आवश्यकता है ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

39,000 अध्यापकों की आवश्यकता है । 18,000 परियोजना जनपदों में शिक्षा मित्र हैं शेष में रखने के आदेश पारित किये हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मंत्री जी ने कहा है कि बी० टी० सी० किये हुए 100 प्रतिशत लोगों को नौकरी दी जा चुकी है । मैं जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल प्रदेश से बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त, जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, क्या उनको भी नौकरी दी जायेगी, अध्यापक बनाया जाएगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

नियमानुसार उत्तर प्रदेश के विद्यालयों द्वारा उत्तर प्रदेश में ही प्रशिक्षित व्यक्ति को सेवा में लिया जाएगा ।

श्री लालजी वर्मा–

जिस समय बी० टी० सी० का प्रशिक्षण प्राप्त किया उस समय उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में था पूरा प्रदेश एक था, आपके यहां शिक्षकों की कमी है इसको देखते हुए क्योंकि प्रशिक्षित लोग नहीं हैं तो क्या उत्तरांचल से प्रशिक्षित लोगों को नौकरी में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, उत्तरांचल में बी० टी० सी० प्रशिक्षित लोगों को अध्यापक नियुक्त किया गया है वहां भी अध्यापकों की कमी है उनको तो वहीं रख लिया जाएगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष बी० टी० सी० का प्रशिक्षण लोगों को दिया जाता है क्या सरकार की अनट्रेंड अध्यापकों को हटाकर बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को रखने की योजना है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

अप्रशिक्षित अध्यापकों को सेवा में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मृतक आश्रितों को सेवा में लिया जाएगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मेरा सवाल है कि प्रत्येक वर्ष कितने बी० टी० सी० करते हैं ? सरकार की कितने वर्ष की योजना है कि सभी विद्यालयों में बी० टी० सी० ट्रेन्ड लोगों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाए ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 62 डाईट हैं उसमें प्रतिवर्ष 50 लोगों का चयन होता था 2000 में भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करके 100 की संख्या हो गई है । इसीलिए संख्या बढ़वाई है ।

डा० पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में अध्यापकों की कमी को देखते हुए जनपद में राजकीय दीक्षा विद्यालय स्थापित किये गये थे उनको परिवर्तित करके जिला

प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मान्यवर, मेरे जनपद में राजकीय दीक्षा विद्यालय है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि संत रविदास नगर जनपद भदोही के राजकीय दीक्षा विद्यालय जिला प्रशिक्षण केन्द्र डाइट के रूप में प्रशिक्षित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, वैसे तो यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन इनका प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और भारत सरकार को भेजा गया है जैसे ही आदेश प्राप्त होगा हम कार्य प्रारम्भ करा देंगे।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी अवगत कराया कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग दी गयी और जो कठिनाई देखने को मिल रही है उसके बारे में आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ट्रेनिंग के पश्चात् तमाम ऐसी जगहें है, चूंकि शिक्षा मित्रों को ज्वाइनिगं का अधिकार दिया गया है वह ग्राम प्रधान को दिया गया है, तमाम ऐसे ग्राम प्रधान है जो शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग कराने के पश्चात् उनको ज्वाइन कराने का काम नहीं कर रहे हैं तो वे किस तरह से शिक्षा मित्रों को ज्वाइन कराने का काम करेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, शिक्षा मित्रों के चयन की प्राक्रिया है और पंचायत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वही चयन कराते हैं और चयन कराने के पश्चात् जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है वह उसका अनुमोदन करती है। तो चयन उन्हीं का है, उन्हीं को प्रशिक्षण देना है तो न रखे जाने का कोई कारण नहीं है। ऐसी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वैसे तो सरकार ने 27 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है, जो बी० एड० बेरोजगार पड़े हुए हैं क्या उनको नियुक्त करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, सरकार युवकों के प्रति संवेदनशील है और उनको रोजगार देने का काम कर रही है। इसी संवेदनशीलता के कारण सरकार ने बी० एड० युवकों को बी० टी० सी० कराया है। यदि इनको रोजगार मिल जाय तो एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है। मेरा प्रश्न यह है कि पूरे प्रदेश के अन्दर बी० एड० रोजगारों का आन्दोलन चल रहा है। अगर सरकार बी० टी० सी० कराकर तीन महीने का प्रशिक्षण देकर बाकी को सेवा करने का अवसर दे दे तो इससे इनका आन्दोलन भी समाप्त हो जायेगा और एक बड़ी समस्या अध्यापकों की भी दूर हो जायेगी। तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की कोई कार्य योजना बना रहे हैं या नहीं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, वैसे तो अध्यापक पहले ही कम है, मेरे जिले में बहुत से विद्यालय हैं जहां अध्यापक नहीं हैं। अध्यापकगण वोटर लिस्ट ठीक करने के काम में लगते हैं, पल्स पोलियो के काम में लगते हैं। महीने में 3 दिन ब्लाकों में मीटिंग होती है। इस तरह से आधा समय अन्य कार्यों में चला जाता है। मेरा कहना है कि अध्यापकों से अन्य कार्य न लिया जाये।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, हमने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था कि अध्यापकों से शिक्षा से इतर कार्य न लिया जाये । एक बैठक आहूत हुई, शिक्षक संघ के नेताओं ने खुद वहां तीन काम मांगे, इलेक्शन ड्यूटी, जनगणना और पल्स पोलियो । उसी सहमति के आधार पर शासन से निर्णय हुआ है उस बैठक में निर्धारित कार्यों के अलावा कोई अन्य काम शिक्षकों से नहीं लिया जायेगा ।

प्रदेश में इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम में परिवर्तन के निर्णय की जानकारी

*20—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आगामी सत्र 2001-2002 से इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री चन्द्र किशोर–

जी हां ।

1–इण्टरमीडिएट की नवीन पाठ्यक्रमों में छः वर्गों एवं तीस विषयों को हटाया गया है जो निम्नवत् है :–

(क) हटाये गये वर्ग

1–वैज्ञानिक वर्ग (द्वितीय)

2–वाणिज्य वर्ग (द्वितीय)

3–रचनात्मक वर्ग

4–ललित कला वर्ग

5–उत्तर बेसिक वर्ग

6–प्राविधिक वर्ग

(ख) हटाये गये विषय

1–प्रारम्भिक हिन्दी/हाईस्कूल स्तर हिन्दी/कृषि हिन्दी/कृषि अंग्रेजी

2–वाणिज्य भूगोल

3–कुलाल विज्ञान

4–भू-विज्ञान

5–टंकण हिन्दी/अंग्रेजी

6–आशुलिपिक हिन्दी/अंग्रेजी

7–बहीखाता व्यापार पद्धति

8–उच्च आशुलिपिक तथा टंकण हिन्दी

9–उच्च आशुलिपिक तथा टंकण अंग्रेजी

10–औद्योगिक रसायन

11–मूर्ति कला

12–धातु शिल्प

13–कताई बुनाई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

14–व्यावसायिक कला

15–सामुदायिक रहन सहन तथा संबंधित विज्ञान

16–कृषि गोपालन

17–गृह शिल्प

18–वस्त्रोद्योग

19–उत्तर बेसिक वर्ग के 11 विषय

2—(क) इस प्रकार सम्प्रति पुनर्गठन के उपरान्त निम्न वर्गों की व्यवस्था है :–

1–मानविकी वर्ग

2–वैज्ञानिक वर्ग

3–वाणिज्य वर्ग

4–कृषि वर्ग

5–व्यावसायिक शिक्षा

(ख) छात्रों की न्यून/नगण्य संख्या पाठ्यक्रम के दोहराव व आप्रासंगिकता के आधार पर विषयों/वर्गों को हटाया गया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

जिन विषयों को मान्यवर हटाया गया उनका कारण बताया गया है। लेकिन जिन विषयों और वर्गों को रखा गया है उनके पीछे क्या औचित्य है ? क्या उनके चयन के पीछे शिक्षा विशेषज्ञों की राय ली गयी है ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, जिन विषयों को हटाया गया है उनमें ऐसे विषय थे चूंकि हमारे यहां व्यावसायिक शिक्षा लागू हुई थी और बाकी विषय दो विषय थे कुछ को एक किया है एक पेपर में किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा में हटाया गया है जैसे –वस्त्रोद्योग, चर्मकार, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि। इन्हें व्यावसायिक शिक्षा में लागू किया गया है और बहुत कम अभ्यर्थीगण थे इसलिए हटाया गया। मेन सब्जेक्ट–दो विषय थे, एक विषय किया गया है इतना परिवर्तन किया गया है।

श्री श्याम देवराय चौधरी–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से अलग है। तमाम विद्यालयों में टीचरों के स्थान खाली हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से अलग है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या–16 ले लें।*

नोट :–तारांकित प्र० सं०–20 के उपरान्त ता० प्र० सं०–16 लिये जाने के पश्चात् प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

* ता० प्र० सं०–16 का उत्तर क्रमानुसार लगा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अतारांकित प्रश्न

जनपद बलरामपुर के सरजू ड्रेनेज की सफाई

1—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर में सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 बलरामपुर के अन्तर्गत ड्रेन की सफाई व खुदाई के लिए सहायक अभियन्ता प्रथम सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 द्वारा कराये गये अनुबन्ध संख्या–29/ए०ई० 1/98-99 ए०ई० 1/07/98-99 तथा अनुबन्ध संख्या–03ए०ई० 1/98-99 व अनुबन्ध संख्या–27/ए०ई० 1/98-99 के माध्यम से कार्य मानक व गुणवत्ता के आधार पर न कराकर फर्जी भुगतान आहरित कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित अनुबन्ध के माध्यम से कराये गये कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार कराये गये सूचित किये गये हैं। किसी प्रकार का फर्जी भुगतान नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रमुख अभियन्ता एवं मण्डल संवर्ग के वरिष्ठ सहायकों के वेतनमान समाप्त कर शासनादेश के अनुसार कथित वरिष्ठता सूची का प्रकरण

2–श्री शिव सिंह चक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता संवर्ग एवं मण्डल संवर्ग के वरिष्ठ सहायकों के वेतनमान समान होने पर वर्ष 1998 के शासनादेश में उल्लिखित वरिष्ठता नीति के अनुसार कार्यालय अधीक्षकों की वरिष्ठता सूची उनकी विभाग में कुल सेवा को आधार मानकर बनायी गयी है ? यदि हां, तो सूची कब तक जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1998 में वरिष्ठता नीति विषयक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद बाराबंकी, तहसील सिरौली गौसपुर के माध्यमिक विद्यालय बदोसराय के प्रधानाचार्य द्वारा खाता एकल रखने के आरोप में निलम्बन का प्रकरण

3–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक विद्यालय बदोसराय, तहसील सिरौली गौसपुर, जिला बाराबंकी के प्रधानाचार्य श्री मुनेश्वर बक्श को विकास शुल्क के धन के गबन एवं अन्य अनियमितताओं के आरोप में दिनांक 23-10-99 को निलम्बित करके कोटवा धाम विद्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया था ? यदि हां, तो मात्र तीन दिन बाद ही उन्हें बहाल कर पुनः पूर्व विद्यालय में ही पूर्व पद पर तैनात करने के क्या कारण हैं ? क्या प्रश्नगत विकास शुल्क का धन उनसे वापस लिया गया ? क्या मंत्री जी उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

श्री मुनेश्वर बख्श, प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बदोसराय, जनपद बाराबंकी को मुख्यतया विद्यालय रखरखाव खाता को एकल संचालन करने के आरोप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 20-10-99 द्वारा निलम्बित किया गया था।

विद्यालय रख रखाव खाता को संयुक्त कराने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 26-10-99 द्वारा प्रधानाध्यापक को बहाल किया गया है ।

विकास शुल्क का धन पूर्व से ही खाते में जमा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त कबीर नगर के पम्प कैनाल के दुबौलिया माइनर पर पुलिया निर्माण की मांग

4–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ड्रेनेज खण्ड, सन्त कबीर नगर के मुखलिसपुर पम्प कैनाल के दुबौलिया माइनर पर पुलिया न होने के कारण वहां के निवासियों के आवागमन में काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम दुबौली के पास नहर पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

पुलिया बनवाने हेतु धन की मांग का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सन्त कबीरनगर को भेज दिया गया है । कार्य कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

लखनऊ सदर कैण्ट के संस्कृत पाठशाला कन्या इण्टर कालेज के प्राइमरी विभाग की शिक्षिकाओं को नियमित रूप से वेतन वितरण की व्यवस्था की मांग

5–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संस्कृत पाठशाला कन्या इण्टर कालेज, लखनऊ के प्राइमरी विभाग की शिक्षिकाओं को विगत जनवरी, 2000 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त शिक्षिकाओं को नियमित रूप से प्रतिमाह वेतन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

अद्यतन वेतन भुगतान के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली, थाना शिवगढ़ के ग्राम बेडारू से जाने वाली सड़क निर्माण की मांग

6–श्री हीरालाल गौतम–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले मंगलवार के अता० प्र० सं०–56 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या भवानीगढ़ चौराहा, थाना शिवगढ़, जिला रायबरेली से ग्राम बेडारू जिला रायबरेली तक जाने वाली सड़क का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

7–श्री राम कुमार एडवोकेट–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

8–श्री राम कुमार एडवोकेट–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद बलरामपुर के बेलवा ड्रेन की सफाई/खुदाई

9–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 बलरामपुर द्वारा बेलवा ड्रेन की सफाई व खुदाई के लिए कराये गये अनुबन्ध संख्या 26/(ए०ई०)/1/98-99 अनुबन्ध संख्या 17/ए०ई० 1/98-99 व अनुबन्ध संख्या 07/ए०ई० 98-99 तथा अनुबन्ध संख्या 01/ए०ई० 1/98-99 के माध्यम से कराये गये कार्य मानक व गुणवत्ता के आधार पर न कराकर फर्जी भुगतान आहरित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच टी०ए०सी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित अनुबन्ध के माध्यम से कराये गये कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार कराये गये सूचित किये गये हैं । किसी प्रकार का फर्जी भुगतान नहीं हुआ है ।

अनुबन्ध संख्या–17/ए०ई० 1/98-99 के कार्यों की जांच टी० ए० सी० द्वारा की गयी जिसमें दरेंसी सम्बन्धी कार्य में कमियां पायी गयीं जिसके लिए रु० 811/- की वसूली प्रस्तावित की गयी ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, बेलवा ड्रेन की मानक के अनुसार सफाई/खुदाई का कार्य

10–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 बलरामपुर द्वारा बेलवा ड्रेन की सफाई व खुदाई के लिए सहायक अभियन्ता प्रथम सरयू खण्ड–2 द्वारा कराये गये अनुबन्ध संख्या 05(ए०ई०)/1/98-99 के माध्यम से कार्य-मानक व गुणवत्ता के आधार पर न कराकर फर्जी भुगतान आहरित कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित अनुबन्ध के माध्यम से कराये गये कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार कराये गये सूचित किये गये हैं । किसी प्रकार का फर्जी भुगतान नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के तहसील मांट में अधिग्रहीत भूमि के धन की उपलब्धता के आधार पर प्रतिकर का भुगतान

11–श्री समरपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मुख्य अभियन्ता पश्चिम सिंचाई विभाग उ० प्र०, लखनऊ ने अपने अ०शा०पत्रांक–509/ मु०अ०(पश्चिम) दिनांक 9-6-99 द्वारा विशेष कार्याधिकारी विशेष सचिव, स्तर (सिंचाई–3) उ० प्र० शासन लखनऊ को अवगत कराया है कि धनाभाव के कारण कराहरी नाले (तहसील –मॉट–मथुरा) की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को नहीं दिया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार अब उक्त किसानों की ली गयी भूमि का मुआवजा तुरन्त दिलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

धन की उपलब्धता के आधार पर अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

12–श्री समर पाल सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम पंचायत खन्धेरिया में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य

13–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत खन्धेरिया में वन विभाग द्वारा कितने हेक्टेयर में पेड़ लगाये गये थे ? लगाये गये पेड़ों में से कितने पेड़ों की बिक्री की जा चुकी है ? कितने अवशेष हैं ? क्या इस जगल की लकड़ी व छोटे-छोटे पेड़ कटवाकर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बेचा जा रहा है ? क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की पूरी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

खन्धेरिया वन ब्लाक में वर्ष 1985 से 1989 तक वन विभाग द्वारा 45.50 है० क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है ।

लगाये गये किसी पेड़ की बिक्री नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, अलीगंज की विष्णुपुरी कालोनी में पुलिस कान्सटेबिलों को आवंटित आवास की जानकारी

14–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विष्णुपुरी कालोनी, अलीगंज, लखनऊ में कुल कितने आवास पुलिस कांस्टेबिलों को आवंटित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि कांस्टेबिलों को उक्त आवास आवंटित कर दिये जाने से सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवास नहीं मिल पा रहे

हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कांस्टेबिलों से उक्त आवास खाली कराकर सचिवालय कर्मियों को आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । कुल 9 आवास ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के वित्तीय एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों के चेक भुगतान न किये जाने की जांच सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

15—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक कोष्ठक के पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम०-2/36837 दिनांक 30-8-2000 के साथ जो वित्तीय एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा गोण्डा द्वारा सेवा निवृत्त शिक्षकों के चेक भुगतान न किये जाने के जांच कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भांति प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर अनिवार्य करने की मांग

16—श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भांति प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य करने पर सरकार कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं ।

मुख्य सचिव महोदय की ओर से समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को सम्बोधित एवं प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मण्डलायुक्तों/विभागाध्यक्षों एवं समस्त जिलाधिकारियों को पृष्ठांकित पत्र दिनांक 25-11-1998 के प्रस्तर–2 के बिन्दु–1 में यह निर्देश जारी किये गये हैं कि सभी विभागाध्यक्षों, चाहे वह किसी भी स्तर के हों, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिदिन कार्यालय समय से पहुंचे और अपने अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय में ठीक प्रातः 10.00 बजे सुनिश्चित करायें । इसके साथ ही बिन्दु–2 में यह व्यवस्था की गयी है कि उपस्थिति पंजिका में सभी कर्मचारियों के नाम व पदनाम अंकित किये जायेंगे तथा नामित अधिकारी द्वारा टिप्पणी अंकित की जायेगी तथा कार्यालय देर से आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । इसी प्रकार बिन्दु–3 में यह व्यवस्था की गयी है कि कार्यालय के समय के दौरान फील्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यालय से बाहर जाने व लौटने का विवरण मूवमेन्ट रजिस्टर में रखा जायेगा जो अनिवार्य रूप से कार्यालय से बाहर जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भरा जायेगा । स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यवस्था के रहते हुए किसी अन्य नीति को निर्धारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

जनपद सीतापुर के श्री द० रा० ह० आर्य कन्या इण्टर कालेज में इतिहास प्रवक्ता के रिक्त पद को भरे जाने की मांग

17—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री द०रा०ह० आर्य कन्या इण्टर कालेज, सीतापुर में इतिहास प्रवक्ता का पद वर्ष 1999 के जुलाई माह से रिक्त चल रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त पद भरने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक -क-1-196755, दिनांक 17 जुलाई, 2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा) के प्रवक्ता कुन्दन माडल इण्टर कालेज के मृतक आश्रित को नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

18–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आदित्य आर्य, पुत्र स्व० श्री अवनीश कुमार छाबड़ा, प्रवक्ता कुन्दन माडल इण्टर कालेज (अमरोहा) जनपद ज्योतिबाफूले नगर को मृतक आश्रित के रूप में योग्यतानुसार तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक -क-1-196763, दिनांक 17 जुलाई, 2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

लिपिक पद पर ज्योतिबाफुलेनगर में पूर्व से अधिसंख्य पदों पर चार लिपिक कार्यरत हैं जिनके समायोजन के उपरान्त ही श्री आदित्य आर्य को (तृतीय श्रेणी) लिपिक पद पर समायोजित किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा चयनित लो० नि० विभाग के सहायक अभियन्ता, स्व० श्री राजकुमार श्रीवास्तव के उत्तराधिकारी को उनके देयों का भुगतान कराने की मांग

19–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 165 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्व० श्री राजकुमार श्रीवास्तव के उत्तराधिकारी को उनके देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० श्री राज कुमार श्रीवास्तव ड्राफ्टमैन की ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा आदि देयों का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को नियमानुसार करने का आदेश दिनांक 29 मार्च, 2000 को शासन द्वारा जारी किया जा चुका है । किन्तु उत्तराधिकारी के संबंध में जांच की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका है ।

जनपद बलरामपुर के प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूल में मानक के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

20–श्री बिन्दु लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में कितने प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल हैं ? इन विद्यालयों में मानक के आधार पर कितने अध्यापकों की आवश्यकता है और कुल कितने अध्यापक तैनात हैं ? क्या उक्त विद्यालयों में मानक से कम अध्यापक तैनात हैं ? यदि हां, तो मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलरामपुर में 919 प्राथमिक विद्यालय एवं 111 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं । मानक के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में 2766 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 435 अध्यापकों की आवश्यकता है । सम्प्रति प्राथमिक विद्यालयों में 1314 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 299 अध्यापक कार्यरत हैं । अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अनुसार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है । इसके अतिरिक्त रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मित्रों की भी व्यवस्था की जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में सींचपाल को बहुउद्देशीय कर्मचारी बनाने से मनमाने ढंग से सिंचाई शुल्क की वसूली व जनपद बलरामपुर में उक्त की पड़ताल की जानकारी

21–श्री बिन्दु लाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सींचपाल को बहुउद्देशीय कर्मचारी बनाने के कारण सिंचाई व पड़ताल का कार्य प्रभावित हुआ है ? क्या कई स्थानों पर पड़ताल न होने के कारण मनमाने ढंग से सिंचाई शुल्क की वसूली की जा रही है ? क्या गैसड़ी जनपद बलरामपुर की नहरों से की गई सिंचाई की पड़ताल की गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो सिंचाई शुल्क किस आधार पर लगाया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुराना विधायक निवास–3, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों में शौचालय निर्माण की स्वीकृति

22–श्री कमलेश कुमार सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–129 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धन उपलब्ध होने के बाद भी शेष आवासों में शौचालय आदि का निर्माण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उक्त आवासों में शीघ्र शौचालय आदि के निर्माण हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

अवशेष समस्त आवासों में शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर की मठिया ब्रांच की सिल्ट सफाई की मांग

23–श्री दीपलाल भारती–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत मठिया ब्रांच की सिल्ट सफाई न होने से उसकी माइनरों में सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में उक्त ब्रांच की सिल्ट सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मठिया ब्रान्च एवं उनसे निकलने वाली माइनरों में पानी पहुंच रहा है । मठिया ब्रान्च में बर्म जाने के कारण यह नहर परिकल्पित क्षमता का 75 प्रतिशत ही चल पा रही है ।

ब्रान्च एवं मुख्य नहरों में सिल्ट सफाई का कार्य नहीं कराया जाता है, बढ़ी हुई बर्म एवं आन्तरिक सेक्शन का पुनर्स्थापना का कार्य कराया जाता है, जिसे धन की उपलब्धता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कराये जाने का प्रस्ताव है ।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार ।

जनपद बलरामपुर, क्षेत्र उतरौला के कतिपय विकास खण्डों में नाली निर्माण की प्रचलित टी० ए० सी० जांच

24–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संख्या–क–1 नं० 187440 दिनांक 29-8-2000 जो जनपद बलरामपुर की विधान सभा क्षेत्र 157 उतरौला के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज, उतरौला, गैडास बुजुर्ग में नलकूप विभाग द्वारा वर्ष 1998-99 में नाली निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराए जाने की जांच के विषय में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

टी० ए० सी० द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय में उपलब्ध मोबाइल फोन पर व्यय की जानकारी

25–श्री विजय पाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के विभिन्न कार्यालय में फोन के अतिरिक्त मोबाइल सुविधा भी प्राप्त है ? यदि हां, तो इन पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है ? क्या उक्त फोन एवं मोबाइल की सुविधा उक्त विश्वविद्यालय के कर्मियों को भी दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसे कितने फोन व मोबाइल शासन द्वारा प्रदान किये गये हैं तथा वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 तथा चालू वित्तीय वर्ष में उन पर अब तक कितना धन शासन द्वारा वहन किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । केवल कुलपति को ही मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध है ।

कुलपति को प्रदत्त मोबाईल फोन पर व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष 1998-99 रु० 28,115.75

वर्ष 1999-2000 रु० 33,719.00

जी नहीं ।

जनपद आगरा, शमसाबाद राजाखेड़ा मार्ग पर विभिन्न कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थाई समिति की बैठक में किये गये अनुरोध पर कार्य की जानकारी

26–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 मार्च, 2000 को लोक निर्माण विभाग की स्थाई समिति की बैठक में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा-शमसाबाद राजाखेड़ा मार्ग (उटंगन नदी के पुल तक) जिसकी लम्बाई 29 कि०मी० है के 15 मि० मी० तक 5.0 मी० चौड़ा तथा शेष मार्ग 3.1 मी० चौड़ा है ? उक्त शेष मार्ग को चौड़ा करने तथा 1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम सांकुरी कला, भरापुरा कल्यानपुर, कुतुकपुर (रोहई) थाप मेंहदवारी, लखुरानी 6 गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़े जाने तथा क्षेत्र के अन्तर्गत टूटी एवं गड्ढे युक्त जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

केवल आगरा से शमशाबाद राजाखेड़ा मार्ग जो राजस्थान को जाता है के 15 किमी० लम्बाई में चौड़ा करने पर विचार तथा चमरौली से मलियाना मार्ग पर ककुआ नाले पर पुल का निर्माण व धनौरा कला घाट रपटा/पुल के निर्माण का अनुरोध किया गया था ।

आगरा–शमशाबाद–राजाखेड़ा मार्ग के कि०मी० 13.2 से 30.2 तक उक्त मार्ग के दोनों ओर 84 से०मी० चौड़ाई में ईंट का खड़न्जा लगाने का कार्य किया जा चुका है । ग्राम कुतुबपुर (रोहई) लम्बाई 2.10 कि०मी० में लेपन कार्य पूर्ण किया जा चुका है । ग्राम–सांकुरीकला, भरापुरा, कल्याणपुर, धाम मेंहदवारी, लखुरानी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

टूटी एवं गड्ढेयुक्त जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है तथा यह निरन्तर प्रक्रिया है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आगरा के उटंगन व खारी नदी पर बांध बनाये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र

27–श्री विजय पाल सिंह–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-3-2000 को प्रश्नकर्ता का पत्र जो खारी नदी व उटंगन नदी पर बांध बनाये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी हां ।

जिलाधिकारी, आगरा ने उटंगन एवं खारी नदी पर बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता तृतीय मण्डल सिंचाई व अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा से सुझाव प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये हैं । दोनों अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के अनुसार उटंगन व खारी नदी पर बांधों का निर्माण औचित्यपूर्ण नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लोक निर्माण विभाग 39वां वृत्त में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति की जानकारी

28–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 39वां वृत्त लोक निर्माण में 1984 से कार्यरत कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेल्पर, बेल्दार इण्टरमीडियेट उत्तीर्ण हैं ? यदि हां, तो क्या यह कर्मचारी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के किसी पद पर पदोन्नति के पात्र हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

वर्तमान में 39वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक का कोई पद रिक्त न होने के कारण पदोन्नति किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक सुल्तानगंज के कतिपय गांवों में बहने वाले बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था

29–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम शिवपुरा रजवाना न० पैढ, रामनगर, देवीपुर ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी की तरफ से बहने वाले बरसाती पानी की अधिक मात्रा होने के कारण रकरी माइनर की साइफन से पानी निकलने में भारी कठिनाई होती है और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत क्षेत्र का बरसाती पानी रजवाना नाले के माध्यम से बेवर राजबाहे के मील 4-2-0 पर मानक के अनुसार बनी साइफन की सहायता से निर्धारित समय के अन्दर निकल जाता है और भूमि जल मग्न नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर के ग्राम जोगा में बम्बा की पुलिया से सुगमता पूर्वक पानी निकासी की व्यवस्था

30–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम जोगा ब्लाक बेवर जनपद–मैनपुरी के पास बम्बा की पुलिया बहुत छोटी बनी है जिससे पानी सुगमता से नहीं निकल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत पुलिया का निर्माण नहर निर्माण के समय ही नहर के डिस्चार्ज तथा तली की चौड़ाई के अनुसार हुआ था । वह निर्धारित मानकों के अनुसार सही है तथा पानी इस पुलिया से सुगमता पूर्वक निकल रहा है ।

आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर में नेकामऊ माइनर में पानी टेल तक पहुंचने की व्यवस्था

31–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक–बेबर में नेकामऊ माइनर जो कि निगोह राजबाह से निकलती है क्या उसमें टेल तक पानी आता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त माइनर में टेल तक पानी पहुंचवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नेकामऊ माइनर में वर्तमान रबी 1408 फ० में टेल तक पानी पहुंचा है ।

आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, विकास खण्ड श्रीदत्तगंज व गैडास बुजुर्ग में छात्रों को फर्जी राशन वितरण की जांच

32–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्री दत्तगंज व गैडास बुजुर्ग, उतरौला में प्राइमरी पाठशालाओं के छात्रों को दिये जाने वाले राशन के फर्जी वितरण की जांच कराये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या सी० एम०/वि०को०/एम–2/31554 गोण्डा दिनांक 22-2-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम शहाबुद्दीनपुर को मुख्य सड़क से जोड़ने का प्रकरण

33–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र दि० 19 जून, 1999 के अनुसार क्या 2500 की आबादी के सभी ग्रामों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 में मुख्य सड़क से जोड़े जाने का निदेश हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसके अनुसार जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम शहाबुद्दीनपुर को मुख्य सड़क से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासन के पत्र दि० 21 जून, 1999 द्वारा वर्ष 1999-2000 में केवल 2500 से अधिक आबादी के अधिकाधिक ग्रामों को मुख्य सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु पं० दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग (विशेष) योजनान्तर्गत प्रमुख अभियन्ता से प्रस्ताव मांगे गये थे ।

जी नहीं ।

शहाबुद्दीनपुर ग्राम की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार केवल 747 है ।

विधान भवन स्थित गेट नं० 9 के पास बन्द जगह पर रद्दी एकत्र करने की व्यवस्था

34–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधान भवन लखनऊ स्थित गेट नं० 9 साइकिल स्टैण्ड के निकट सचिवालय से निकला हुआ रद्दी कागज भारी मात्रा में इकट्ठा होता रहता है जिससे आग लगने की संभावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रद्दी को विधान भवन के बाहर कहीं अन्यत्र बन्द जगह पर इकट्ठा कराये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

विधान भवन के अन्दर गेट नं०–9 के पास बन्द जगह पर रद्दी एकत्र करने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल के क्षतिग्रस्त विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था

35–श्री राम विशुन आजाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत कितने जूनियर हाई स्कूल/प्राइमरी स्कूल इस समय भवनहीन एवं क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार भवनहीन एवं क्षतिग्रस्त विद्यालयों का भवन निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कोई जूनियर हाईस्कूल तथा प्राइमरी स्कूल भवनहीन नहीं हैं परन्तु 11 जूनियर हाईस्कूल तथा 4 प्राइमरी स्कूल क्षतिग्रस्त हैं ।

क्षतिग्रस्त विद्यालयों का भवन निर्माण यथासमय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । सम्प्रति 2000-2001 में रु० 3,41,000/- को धनराशि स्वीकृत की गयी है । शेष प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में आचार्य की नियुक्ति में प्रशिक्षित अभ्यर्थी को वरीयता का प्राविधान

36–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में आचार्य की नियुक्ति में क्या बी० एड० प्रशिक्षकों को वरीयता प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विद्यालयों में आचार्य (प्राचार्य) की नियुक्तियां समय-समय पर जारी अर्हता अध्यादेश में वर्णित अनिवार्य योग्यताओं के अतिरिक्त (बी० एड०) प्रशिक्षित अभ्यर्थी का वरीयता प्रदान का प्राविधान है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश के जनपदों में राजकीय दीक्षा विद्यालयों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकरण एवं सन्त रविदास नगर भदोही के उक्त विद्यालय को भी उच्चीकृत करने का प्रस्ताव

37–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपदों में राजकीय दीक्षा विद्यालयों को उच्चीकृत करके जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सन्त रविदास नगर भदोही के राजकीय दीक्षा विद्यालय को भी उच्चीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सम्प्रति 42 राजकीय दीक्षा विद्यालयों को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत किया गया है ।

राजकीय दीक्षा विद्यालय ज्ञानपुर भदोही (सन्त रविदास नगर) को उच्चीकृत करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के प्रत्येक जनपदों की भांति जनपद संत रविदास नगर भदोही में बेसिक शिक्षा परिषदों में वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव

38–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में बेसिक शिक्षा परिषदों में वित्त एवं लेखाधिकारी नियुक्ति करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद संत रविदास नगर भदोही में वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रस्ताव प्राप्त हो गया है ।

परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर पम्प नहर से बारीपुर शाखा की खुदाई व सिंचाई की व्यवस्था

39–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में ज्ञानपुर पम्प नहर से संबंधित बारीपुर शाखा की खुदाई हो रही है परन्तु बीच में अराजक तत्वों द्वारा नहर की खुदाई रोकने से सिंचाई बाधित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर को पूरा कराकर हजारों एकड़ जमीन को सींचने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में ज्ञानपुर पम्प नहर से सम्बन्धित बारीपुर शाखा पूरी लम्बाई में खुद चुकी है ।

जी नहीं ।

बारीपुर शाखा से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।

वर्तमान में सिंचाई कराई जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, आई० आर० इण्टर कालेज सण्डीला के प्रवक्ता श्री अनीस अन्सारी के सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनके देयकों के भुगतान का प्रकरण

40–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० आर० इन्टर कालेज, संडीला जनपद हरदोई के प्रवक्ता श्री अनीस अंन्सारी, जो दिनांक 30 जून, 1998 को सेवा निवृत्त हुये तथा जिनकी मृत्यु दिनांक 17 जुलाई, 1998 को हो गयी थी की पत्नी को पारिवारिक पेन्शन एवं अन्य देयों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के विद्यालयों में स्थापित इण्डिया मार्का II खराब हैण्ड पम्पों का विवरण

41–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में ऐसे कितने पूर्व माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें अभी तक इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में बहुत से ऐसे हैण्डपम्प हैं जो रिबोर न होने तथा अन्य तकनीकी खराबी के कारण बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और वे पुनः कब तक ठीक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । जनपद मैनपुरी में 19 परिषदीय पूर्व माध्यमिक एवं 29 प्राथमिक विद्यालयों में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन नहीं हुआ है ।

जी हां । 09 पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं 38 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के हैण्डपम्प खराब हैं ।

सूची संलग्न है । हैण्डपम्प ठीक कराने की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 154 पर)

जनपद मैनपुरी की सड़कों के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता लो० नि० आगरा द्वारा मुख्य अभियन्ता को प्रेषित पत्र की जानकारी

42–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, लो० नि० वि० आगरा द्वारा मैनपुरी की सड़कों की बाबत पत्र सं० 5631/251 सी०ए० मै०/99 दिनांक 22-8-99 द्वारा मुख्य अभियन्ता लो० नि० वि० आगरा को प्रेषित आर० आई० डी० एफ० पंचम योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव क्या शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

विवरण संलग्न है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 155 पर)

जनपद उन्नाव के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थानान्तरण नीति लागू करने की मांग

43—श्री उदय राज यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव के कार्यालय में 5 व 6 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कार्यालय सहायकों का स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उपरोक्त सहायकों का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं।

स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत कार्यरत अवधि 5 वर्ष से कम होने के कारण।

स्थानान्तरण नीति में निर्धारित 5 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, परगना मौरावां के लाला शिव दयाल कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय के श्री बरखण्डी के मृत्योपरान्त उनकी पत्नी को सेवा में लेने एवं समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

44—श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के पहले मंगलवार के अता० प्र० सं० 37 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गयी ? क्या मृतक की पत्नी द्वारा दि० 2-8-2000 को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय उन्नाव का कोई पत्र दिया गया है, जिसमें शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक आश्रित की विधवा के समस्त देयों के भुगतान के साथ मृतक आश्रित को सेवा में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कक्षा–5

जी हां।

जी हां। नियमानुसार देयों का भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां में महाविद्यालय खोले जाने का प्रकरण

45—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र जनपद हरदोई शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां महाविद्यालय खोले जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में ठाकुरजी दास महाविद्यालय हेरबल तथा मेहरबान सिंह महाविद्यालय डकौली संचालित हैं एवं सम्बद्धता हेतु पटेल श्री टीकाराम महाविद्यालय साई बगदाद, मल्लावां व पी० एल० वर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज डकौली का पैनल निरीक्षण हो चुका है ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र व विकास खण्ड मल्लावां के कतिपय गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रकरण

46–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम नेकपुर, मजरा पूरनमऊ की आबादी 350 से अधिक है व अन्य प्राथमिक विद्यालयों से लगभग 3 कि० मी० दूर है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासन की नीति के अन्तर्गत उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु न्यूनतम 300 की आबादी तथा अन्य विद्यालय से 1.5 कि०मी० की दूरी का मानक निर्धारित है । प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड मल्लावां के नेकपुर मजरा पूरनमऊ की आबादी 300 से कम है तथा अन्य विद्यालय की दूरी 1.5 कि०मी० से कम है । अतः निर्धारित मानक के अन्तर्गत न होने के कारण उक्त स्थान पर नवीन विद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं बनता है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में नहरों का पानी टेल तक पहुंचाने की योजनान्तर्गत जनपद भदोही के क्षेत्र ज्ञानपुर के कतिपय राजवाहा में नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की जानकारी

47–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नहरों में क्या टेल तक पानी पहुंचाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के गिर्दकोट राजवाहा, दीर्घ राजवाहा और इनारगांव राजवाहा की टेल तक पानी पहुंचाने हेतु सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत नहरों की सफाई कराकर नहरों के टेल तक पानी पहुंचाया जाता है ।

नहरों की सफाई कराकर फसल रबी 1408 में गिर्दकोट एवं दीर्घ राजवाहा के टेल तक पानी पहुंचाया गया है । इनारगांव राजवाहा के किमी० 4.800 से किमी० 6.000 तक गैप होने के कारण किमी० 4.800 तक ही पानी पहुंच रहा है, गैप पूर्ण होने के बाद ही टेल तक पानी पहुंच पायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद संत रविदास नगर के क्षेत्र ज्ञानपुर कतिपय ग्रामों में खराब पड़े नलकूपों को रीबोरिंग की कार्यवाही

48–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद–संत रविदास नगर विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत चन्दापुर और नागमलपुर कोलापुर नलकूप कई वर्षों से बन्द हैं ? क्या यह सही है कि इसके कारण कृषकों की सैकड़ों एकड़ जमीन असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो उन नलकूपों की रिबोरिंग कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय नलकूप संख्या–119 भदोही समूह ग्राम चन्दापुर दिनांक 1-4-97 में एवं ग्राम कोलापुर राजकीय नलकूप संख्या–22 भदोही समूह के माह 3/99 में असफल हो जाने के कारण सिंचाईरत नहीं है ।

41 भदोही समूह ग्राम नागमलपुर नलकूप चालू हालत में है कृषकों द्वारा कमाण्ड में सिंचाई की जा रही है ।

वर्ष 2000-2001 की जनपद योजना में 119 भदोही समूह चन्दापुर एवं 22 भदोही समूह कोलापुर की रीबोरिंग का प्राविधान किया गया था जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । नलकूपों की रीबोरिंग की कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में हाईस्कूल में प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित छात्रों को पुनः प्रयोगात्मक परीक्षा दिये जाने के आदेश अन्तर्गत इण्टरमीडिएट के छात्रों हेतु भी उक्त व्यवस्था की मांग

49–श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1999-2000 के अन्तर्गत हाईस्कूल में प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित छात्रों को पुनः प्रयोगात्मक परीक्षा लिये जाने के आदेश शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन्टरमीडियेट की प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित छात्रों को इसका लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी वर्ष 1999-2000 में इण्टरमीडियेट की प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित छात्रों को भी पुनः प्रयोगात्मक परीक्षा लिये जाने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो परीक्षा कब तक सम्पन्न करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

इस विषय में जो संदर्भ प्राप्त हुए थे उनके प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के राज्य जल प्रबन्ध योजना शारदा नहर के दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

50–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य जल प्रबन्ध योजना शारदा नहर हरदोई में विगत 10 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के चमरौली बिछिया मार्ग का अवशेष लेपन कार्य कराने की मांग

51–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में चमरौली बिछिया मार्ग का 2 कि०मी० अवशेष लेपन कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में उद्यमियों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु अधिग्रहीत भूमि के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी का प्राविधान अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमि०, उन्नाव हेतु उपरोक्त व्यवस्था की मांग

52–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा उद्यमियों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिये जिन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की जाती है उनके परिवार के किसी एक सदस्य को उस औद्योगिक इकाई में नौकरी देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमि० इण्डस्ट्रियल एरिया दही चौकी, उन्नाव के जिन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है उनके परिवार के किस-किस सदस्य को नौकरी दी गयी है ? शेष परिवारों के एक-एक सदस्य को कब तक नौकरी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु भूमि का आवंटन करते समय पट्टा विलेख निष्पादित कराते हैं, जिसमें से भूमि अर्जन से प्रभावित कृषक परिवारों के कम से कम एक सदस्य को योग्यतानुसार औद्योगिक इकाई में नौकरी देने में वरीयता दिये जाने का प्राविधान है ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि०, उन्नाव द्वारा ग्राम झिंझरी जिसकी भूमि औद्योगिक क्षेत्र दही चौकी, उन्नाव के निर्माण में अधिग्रहण की गयी थी, के काश्तकारों में से श्री राम औतार के पुत्र सोहन लाल को नौकरी दी गयी है ।

इकाई द्वारा स्थापित संयंत्र पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहा है । इकाई में कोई स्थान रिक्त नहीं है तथा निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद से उन्नाव होकर बिलग्राम राजमार्ग के विस्तारीकरण का प्रकरण

53–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद से उन्नाव होकर जाने वाला बिलग्राम राजमार्ग कम चौड़ा होने के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सड़क के विस्तारीकरण हेतु कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । दुर्घटनाओं की बात प्रकाश में नहीं आयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

आयुक्त एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड के बांदा मण्डल को आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग न करने के विरुद्ध कार्यवाही

54–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त एवं प्रशासक रामगंगा कमाण्ड उ० प्र० के अधीन बांदा मण्डल में वर्ष 1999-2000 के अधीन अधिष्ठान मद से संबंधित सम्पूर्ण बजट वर्ष 1999-2000 का उपयोग किया गया है ? क्या यह सही है कि आवंटित बजट के उपयोग न करने के उपरान्त लगभग 10 लाख रुपये को सरेन्डर (समर्पित) किया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या बजट के समर्पण में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी हां ।

श्री हर प्रसाद प्रभारी उप निदेशक, बांदा द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न किये जाने के कारण उक्त धनराशि का समय से न उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में दोषी पाया गया एवं इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ऐचमऊ पुल से कटिया भिखारीपुर पुल तक नहर पटरी पर डामरीकरण निर्माण कराने की मांग

55–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इनके पत्र संख्या–2675. दिनांक 11-5-2000 द्वारा 91–मल्लावां नि० क्षेत्र (जनपद हरदोई) के अन्तर्गत ऐचमऊ पुल से कटिया भिखारीपुर पुल तक नहर पटरी पर डामरीकृत रोड निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव लो० नि० वि० उ० प्र० लखनऊ को निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे ।

नहर पटरियों को पक्का कराये जाने की योजना वित्तीय वर्ष 2000-2001 से समाप्त कर दी गयी है । अतएव नये कार्यों की स्वीकृति सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम पंचायत तेरवा कुल्ली में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य

56–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तेरवा कुल्ली में वन विभाग द्वारा कितने हेक्टेयर में पेड़ लगाये गये थे ? लगाये गये पेड़ों में से कितने पेड़ों की बिक्री की जा चुकी है और कितने शेष हैं ? क्या इस पुराने जंगल में छोटे-मोटे पेड़ों को काट कर उनकी लकड़ी बेची जा रही है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

ग्राम पंचायत तेरवा कुल्ली वन ब्लाक में वर्ष 1983 से 1997 तक वन विभाग द्वारा 209.00 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है।

लगाये गये किसी पेड़ की बिक्री नहीं की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के कतिपय ग्रामों मे वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य

57–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अजमतपुर तथा ग्राम चौतलियापुर में वन विभाग द्वारा कितने हेक्टेयर में पेड़ लगाये गये थे? लगाये गये पेड़ों में से कितने पेड़ों की बिक्री की जा चुकी है और कितने अवशेष हैं ? क्या यह सही है कि पेड़ों की लकड़ी प्रतिदिन काट-काट कर बेची जा रही है ? क्या सरकार प्रकरण की पूरी जांच कराकर बिक्री करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अजमतपुर में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया है। चौतलियापुर वन ब्लाक में वर्ष 1986 से 1999 तक 65.0 हे० में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है।

लगाये गये किसी पेड़ की बिक्री नहीं की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के महानगर कानपुर की भांति दैनिक समाचार पत्रों का विक्रय मूल्य निर्धारित करने की मांग

58–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगर कानपुर में दैनिक समाचार पत्रों का विक्रय मूल्य शेष अन्य जनपदों की तुलना में कम है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी प्रदेश के समस्त पाठकों को समान दर पर दैनिक समाचार पत्रों को उपलब्ध करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, परन्तु केवल कतिपय समाचार पत्रों का विक्रय मूल्य शेष अन्य जनपदों की तुलना में कम है।

दैनिक समाचार-पत्रों के विक्रय मूल्य का निर्धारण उनके निजी प्रबन्धन का मामला है।

जी नहीं।

दैनिक समाचार-पत्रों के विक्रय मूल्य पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

जनपद उन्नाव, क्षेत्र पुरवा के कतिपय रजवाहों का पानी टेल तक पहुंचाने व अवैध सींच वसूली का प्रकरण

59–श्री उदयराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, जनपद उन्नाव के भवानीगंज मौरावां रजवाह से निकलने वाली शाहपुर माइनर, खरदहा हिलौली माइनर, पारा माइनर, नरोधक मवई माइनरों में पिछले कई वर्षों से पानी टेल तक न पहुंचने के बाद भी किसानों से सींच की वसूली हेतु बिल भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त माइनरों के टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने तथा बिना सिंचाई के अवैध सींच वसूली करने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

यह तथ्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड सण्डीला के ग्राम नरायनपुर तक मास्टर प्लान में सम्मिलित क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग

60–श्री मुराद लारी तथा श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला अन्तर्गत लखनऊ हरदोई मार्ग से ग्राम नरायनपुर तक 2.6 कि०मी० सम्पर्क मार्ग पूर्व में एक ही कि०मी० तक खड़ंजा स्तर तथा 1.6 कि०मी० कंकरीट स्तर तक निर्मित हुआ था, जो अब पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है और उस सड़क पर आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को पेंटिंग स्तर तक कब तक बनवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्षतिग्रस्त है, किन्तु आवागमन बाधित नहीं है ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, म० क्षे०, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की सूचनानुसार प्रश्नगत मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मास्टर प्लान में सम्मिलित है । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग ग्राम विकास विभाग है ।

उपरोक्तानुसार ।

शासनादेश के अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली को शिक्षकों की सम्बद्धता समाप्त करने का आदेश

61–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश के अनुसार किसी भी शिक्षक से लिपिकीय कार्य न लिये जाने, अस्थाई सम्बद्धीकरण न किये जाने का प्राविधान है ? क्या मण्डलीय स० शि० निदेशक (बेसिक) षष्टम् मण्डल लखनऊ में पत्रांक सं० बेसिक–1/5406-22/99-2000 दि० 23-2-2000 को बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली को शिक्षकों की सम्बद्धता समाप्त करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद रायबरेली में प्राथमिक शिक्षक संघ को आवंटित कक्ष के प्रकरण की जांच

62–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद–रायबरेली प्राथमिक शिक्षक संघ को बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली द्वारा अपने कार्यालय भवन में एक कक्ष आवंटित किया गया है ? जिससे कर्मचारियों को बैठने में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार कार्यहित में उक्त आवंटन तत्काल निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां। जिलाधिकारी द्वारा आवंटन किया गया है।

प्रकरण की जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराकर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद रायबरेली के प्राथमिक शिक्षक संघ के कतिपय पदाधिकारियों की गोपनीय जांच के आदेश

63–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद–रायबरेली के कतिपय पदाधिकारियों की गोपनीय जांच करने का आदेश मा० राज्य मंत्री, संस्कृत एवं पूर्त धर्मस्व, उ० प्र० ने अपने पत्र सं० 398 वी० आई० पी०/99 दिनांक 25-4-2000 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली को दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ के पिकप द्वारा विगत वर्षों में जारी बाण्ड पर स्टाम्प शुल्क अदा करने की जानकारी

64–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ स्थित प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में 1107 बचत पत्रों के रूप में क्रमशः 150 करोड़ रुपये तथा 100 करोड़ रुपये के निर्गत किये गये बांड्स पर रु० 249.99 लाख स्टाम्प शुल्क कम जमा किया गया ? यदि हां, तो इस स्टाम्प शुल्क को वसूलने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

पिकप द्वारा वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में क्रमशः रु० 150.00 करोड़ एवं रु० 100.00 करोड़ के बाण्ड निर्गत किये थे, जिन पर स्टाम्प शुल्क अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व स्टैम्प कलेक्टर लखनऊ द्वारा बताई गई दर पर पिकप द्वारा अदा कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों से संचायिका स्कीम के रूप में जमा व वापस की गयी धनराशि की जानकारी

65–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों से अल्प बचत खाते में संचायिका स्कीम के रूप में फीस ली जाती है ? यदि हां, तो उस फीस से प्रदेश सरकार के खजाने में कितना धन उपलब्ध होता है ? क्या अल्प बचत की राशि छात्रों को वापस करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो किस प्रकार से ? इस संबंध में जौनपुर जनपद के माध्यमिक विद्यालयों से वर्ष 1997- 1998 तथा 1999 में कितना धन अल्प बचत खाते में प्राप्त हुआ तथा कितना वापस किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां, यह फीस नहीं है बल्कि छात्रों द्वारा बचत की दृष्टि से स्वेच्छा से जमा किया गया धन है ।

संचायिका में जमा धनराशि इस निमित्त डाकघर में खुले विद्यालयों के खाते में जमा किया जाता है । यह धन सरकार के खजाने में जमा नहीं किया जाता ।

जी हां ।

छात्र द्वारा आवेदन करने पर ।

धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	प्राप्त धन	छात्रों को वापस धन
1	2	3
1997	194301.00	160808.86
1998	193657.00	159305.17
1999	217611.00	246378.95

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी, विकास खण्ड हरख के कतिपय प्राइमरी विद्यालयों में विगत वर्ष में वितरित की गयी छात्रवृत्ति की जांच

66–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हरख के अन्तर्गत प्राइमरी विद्यालय पाराडीपू, रसूलपुर, नानमऊ तथा ताहीपुर में अनुसूचित जाति के छात्रों को वर्ष 1999 तथा 2000 में छात्रवृत्ति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये दोषियों को दण्डित करते हुए उक्त छात्रवृत्ति का वितरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । प्राइमरी विद्यालय पाराडीपू, रसूलपुर ताहीपुर में छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया है । प्राइमरी विद्यालय नानमऊ के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है । प्राइमरी विद्यालय नानमऊ के छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण में किये गये विलम्ब की जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ के कार्यालय सहायक अभियन्ता (द्वितीय) खण्ड–2 शारदा नहर के श्री हरी सिंह राना के मृत्योपरान्त उनके आश्रित को समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

67–श्री अफजाल अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री हरी सिंह राना, कार्यालय सहायक अभियन्ता (द्वितीय) खण्ड–2 शारदा नहर, लखनऊ की मृत्यु वर्ष 1994 में सेवाकाल में हुई थी ? क्या यह सही है कि उनके मृतक आश्रित को पेंशन, बीमा, ग्रेच्युटी का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त देयकों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मृतक की आश्रित पत्नी श्रीमती नीमा राना को राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के तहत देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना अवशेष है ।

मृतक की पत्नी श्रीमती राना द्वारा सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त कर दिनांक 24-8-98 को प्रस्तुत किया गया । सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी पेंशन/ग्रेच्युटी के स्वीकृति आदेश दिनांक 19-7-99 को तथा अनन्तिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी के पूर्व में स्वीकृति/भुगतान न होने का प्रमाण-पत्र दिनांक 23-12-99 को कोषाधिकारी, लखनऊ को निर्गत किया गया । जिसकी सूचना श्रीमती नीमा राना को भी दी गयी है ।

कोषाधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 19-3-2001 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर खण्ड–2, लखनऊ को अवगत कराया है कि प्रथम पेंशन प्राप्त करने हेतु नियमानुसार श्रीमती राना को कोषाधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा । श्रीमती राना अब तक कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है, जिसके कारण उक्त देयों का भुगतान उन्हें अब तक नहीं किया जा सका है । श्रीमती राना को अधिशासी अभियन्ता के पत्र दिनांक 21-4-2001 द्वारा पुनः कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है ।

श्रीमती नीमा राना के कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर कोषाधिकारी, लखनऊ द्वारा भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी, बेसिक शिक्षा परिषद् नगर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की अवैधानिक प्रोन्नति में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

68–श्री लाल मणि प्रसाद तथा श्री सरवर अली–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, नगर क्षेत्र–बाराबंकी में वर्ष 1995 व वर्ष 1998 में प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों से प्रधानाध्यापकों के पदों पर की गयी प्रोन्नतियां अवैधानिक होने के कारण अक्टूबर, 2000 में निरस्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या अवैधानिक प्रोन्नतियां करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

वरिष्ठता सूची तैयार करने वाले अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69–श्री लाल मणि प्रसाद तथा श्री सरवर अली–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवर/प्रवर वर्ग सहायक परीक्षा में पृथक-पृथक ली गयी धनराशि की वापसी की मांग

70–श्री राम सेवक सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1999 में अवर वर्ग/प्रवर वर्ग सहायक के पदों हेतु प्रति छात्र कितनी धनराशि शुल्क के रूप में ली गयी थी ? क्या पी० सी० एस०–2000 की परीक्षा के साथ ही 1999 अवर/प्रवर वर्ग सहायक परीक्षा का सम्मिलित रूप से आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो क्या एक ही परीक्षा के लिये छात्रों से दो-दो बार परीक्षा शुल्क लिया गया था ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी ऐसे परीक्षार्थियों जिन्होंने दो बार शुल्क दिया है उनकी अतिरिक्त धनराशि वापस लौटाने अथवा आगामी परीक्षा में शुल्क मुक्त करने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

उत्तर प्रदेश सचिवालय/लोक सेवा आयोग, प्रवर/अवर वर्ग सहायक परीक्षा, 1999 में सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से रुपये 120.00, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के विकलांग अभ्यर्थियों से रुपये 60.00 तथा सैन्य वियोजित अभ्यर्थियों से उस वर्ग हेतु अनुमन्य शुल्क लिया गया, जिस वर्ग के वे थे ।

सम्मिलित राज्य/अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2000 एवं प्रवर/अवर वर्ग सहायक परीक्षा, 1999 से सम्बन्धित प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन सम्मिलित रूप से किया गया था, किन्तु मुख्य परीक्षा का आयोजन पृथक-पृथक किया गया है ।

जी हां ।

उपर्युक्त दोनों परीक्षायें पृथक-पृथक हैं तथा उनके विज्ञापन भी पृथक-पृथक जारी किये गये थे, अतः पृथक-पृथक परीक्षा शुल्क लिया जाना उचित है ।

जी नहीं ।

उपर्युक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव; विकास खण्ड हसनगंज के अम्बेडकर ग्राम हिलालमऊ के बाया मूसेपुर का निर्माण कराने की मांग

71–श्री शिव चरण प्रजापति–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अम्बेडकर ग्राम–हिलालमऊ, वि० ख०–हसनगंज, जनपद–उन्नाव के लिये स्वीकृत सम्पर्क मार्ग बाया मूसेपुर का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के कतिपय ग्राम पंचायतों में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य

72—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटरी, महदेव ग्राम पंचायत मुडियाखेड़ा के ग्राम इन्दरपुर ग्राम पंचायत बढ़नवा तथा ग्राम पंचायत नूरपुर हथौरा में वन विभाग द्वारा कितने-कितने हेक्टेयर में पेड़ लगाये गये थे ?

लगाये गये पेड़ों में से कितने पेड़ों की बिक्री की जा चुकी है तथा कितने शेष हैं ? क्या इस जंगल के छोटे-मोटे पेड़ों को काट-काट कर बेचा जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध बिक्री करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कटरी महादेव तथा ग्राम पंचायत मुडिया खेड़ा के ग्राम इन्दरपुर में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण नहीं कराया गया है । ग्राम पंचायत बढ़नवा वन ब्लाक में 1988 से 1999 तक 76 हे० क्षेत्र एवं नूरपुर हथौरा वन ब्लाक में वर्ष 1984 से 1998 तक 80 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है ।

लगाये गये पेड़ों की बिक्री नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्प्रिंग फील्ड स्कूल मुरादाबाद की अध्यापिकाओं का प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद समाप्त करने सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशन की जानकारी

73—श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद को समाप्त करने के लिये सामाजिक समग्र विकास समरसता एक भावना तथा बंधुत्व भावना को बढ़ाने वाला कोई साहित्य वर्ष 1997 से अब तक सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं । वर्ष 1997 से अब तक (28-2-2001 तक) जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से सामाजिक समग्र विकास समरसता, एक्य भावना तथा बन्धुत्व भावना को बढ़ाने वाले किसी साहित्य का प्रकाशन अलग से नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर के कतिपय ग्रामों में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण का प्रस्ताव

74—श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला बेसिक शिक्षा समिति की वर्ष 1999-2000 की बैठक में जनपद मैनपुरी में ब्लाक–बेवर के ग्राम मेरापुर छदायी एवं ब्लाक–सुल्तानगंज के ग्राम–भोजपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है ? यदि हां, तो कब और उक्त विद्यालयों का कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जिला बेसिक शिक्षा समिति मैनपुरी की बैठक दिनांक 23-10-99 में उक्त जनपद में 05 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है । प्रस्तावित विद्यालयों के निर्माण का निर्णय यथा समय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आगरा के अम्बेडकर विश्वविद्यालय में डा० साकिर खान प्रवक्ता वानिकी की नियुक्ति निरस्त करने के प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय से प्रति स्थगन आदेश

75–श्री राज पाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के विश्वविद्यालयों में प्रवक्ता के पद की नियुक्ति के लिये तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में डा० साकिर खान जिनकी हाईस्कूल, बी०एस०सी व एम०एस०सी० में द्वितीय श्रेणी एवं इन्टरमीडिएट में तृतीय श्रेणी होने के उपरान्त भी इनकी नियुक्ति प्रवक्ता वानिकी के पद पर बिना चयन समिति के दिनांक 17-1-2000 को की गयी है ? यदि हां, तो नियुक्ति का आधार क्या है ? क्या उक्त अनियमित नियुक्ति को समाप्त करने हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

डा० साकिर खान की नियुक्ति दि० 17-01-2000 को प्रवक्ता वानिकी के पद पर कार्यपरिषद् के संकल्प सं०–38/6. दिनांक 17-01-2000 के अधीन विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–31(3) (सी) के प्राविधानान्तर्गत की गयी । विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–31(3) सी मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा आदेश संख्या–ई-576/जी०एस०, दि० 27-01-2001 द्वारा डा० खान की नियुक्ति निरस्त कर दी । डा० खान द्वारा उक्त के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में डिग्री कालेज के सचिव/प्रबन्धकों को संचालन हेतु अकेले नाम से बैंक खाता संचालित करने का अधिकार

76– श्री राज पाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी डिग्री कालेज की प्रबन्ध समिति के सचिव/प्रबन्धकों को कालेज के प्रबन्धन एवं संचालन के लिये उच्च शिक्षा निदेशक एवं विश्वविद्यालय नियमावली के अनुसार मात्र अकेले नाम से बैंक खाता संचालित करने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या लोक राष्ट्रीय डिग्री कालेज के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु अकेले नाम खाते का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कालेज के सचिव/प्रबन्धक के द्वारा बैंक से निकाले जाने वाली धनराशि पर क्या सरकार रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

सचिव/प्रबन्ध समिति को संयुक्त हस्ताक्षर से खाता संचालन के आदेश किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, क्षेत्र तिलहर के खमरिया से खिरिया रतन मार्ग पर कराये गये डामरीकरण की जांच हेतु प्राप्त पत्र

77–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-10-2000 जो जनपद शाहजहांपूर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र के खमरिया से खिरिया रतन मार्ग पर कराये जा रहे डामरीकरण

की जांच कराये जाने के संबंध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग का नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के शिशु शिक्षा सदन जूनियर हाई स्कूल, बिल्सी को मान्यता दिये जाने का प्रकरण

78–श्री विश्वनाथ–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिशु शिक्षा सदन जूनियर हाईस्कूल बिल्सी (बदायूं) को जूनियर हाईस्कूल स्तर की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रार्थना पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं के कार्यालय में दिनांक 7-9–99 को जमा किया गया था ? क्या यह सही है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं द्वारा एस०डी०आई० से निरीक्षण दिनांक 23-12-99 को कराया गया था जिसमें उक्त विद्यालय की छात्र संख्या, अध्यापक संख्या तथा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण पायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

दिनांक 23-12-99 को राजपत्रित अधिकारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं से निरीक्षण कराया गया था ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद, क्षेत्र टूण्डला में राजकीय इण्टर कालेज में विज्ञान वर्ग की मान्यता की मांग

79–श्री शिव सिंह चक–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद–फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र–टूण्डला में राजकीय इण्टर कालेज टूण्डला में विज्ञान वर्ग की मान्यता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार टूण्डला के उक्त इण्टर कालेज में विज्ञान वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था कराने व इसके लिए अध्यापकों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

शिक्षा निदेशक से विज्ञान विषयों के शिक्षण की व्यवस्था का प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण है । पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त कर परिव्यय तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से विचार कर लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में लखनऊ के परीक्षा केन्द्र पर नियत विषय के स्थान पर अन्य विषय के प्रश्नपत्र के वितरण के विरुद्ध कार्यवाही

80–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998 में लोक सेवा आयोग उ०प्र० द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी (ए०पी०ओ०) के पद पर चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के दौरान लखनऊ जनपद के परीक्षा केन्द्र पर उक्त तिथि के लिए नियत विषय के स्थान पर किसी अन्य विषय के प्रश्नपत्र को वितरित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए दोषी-जनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 1997 में लखनऊ नगर के गुरूनानक महिला इण्टर कालेज, परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 26-4-1998 को द्वितीय सत्र में प्रश्न पत्र के शील्ड पैकेट को खोलने पर, उसमें सामान्य हिन्दी के प्रश्न पत्र के स्थान पर विधि प्रथम प्रश्न-पत्र निकला, किन्तु उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षार्थियों में वितरित नहीं कराया गया था । विधि प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा दिनांक 27 अप्रैल, 1998 के स्थान पर कालान्तर में दिनांक 28 जून, 1998 को सम्पन्न करायी गयी ।

परीक्षा प्रश्न-पत्रों की पैकिंग का उत्तरदायित्व संबंधित प्रेस का है । प्रेस द्वारा की गयी त्रुटि के कारण उक्त घटना घटित हुई, एतदर्थ प्रेस से प्राप्त उक्त परीक्षा के बिल में 25 प्रतिशत की कटौती की गयी तथा संबंधित प्रेस को प्रश्न पत्रों के मुद्रण से पृथक कर दिया गया है । उपर्युक्त के अतिरिक्त लखनऊ नगर में तैनात समन्वयी पर्यवेक्षक श्री डी० बी० सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव, वित्त को भविष्य में सतर्कता बरतने हेतु सचेत किया गया है तथा परीक्षा केन्द्र पर तैनात आयोग के प्रवर वर्ग सहायक श्री भईया राम को चेतावनी दी गयी है ।

उपर्युक्तानुसार ।

लखनऊ के राजकीय निर्माण निगम के अतिरिक्त महाप्रबन्धक (विद्युत) के पद पर तैनात अधिकारी की आय से अधिक सम्पत्ति की जांच

81–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय निर्माण निगम लखनऊ में तैनात अतिरिक्त महाप्रबन्धक (विद्युत) जो निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, के ऊपर आय से अधिक सम्पत्ति रखने की सतर्कता जांच चल रही है यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें वहां से हटा कर निष्पक्ष जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अतिरिक्त महाप्रबन्धक (विद्युत) के पद पर तैनात अधिकारी की आय से अधिक सम्पत्ति रखने की सतर्कता जांच कराई जा चुकी है जिसमें उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है ।

लखनऊ राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय के जीर्ण भवन की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

82–श्री प्रदीप कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय 9–बी त्रिलोक नाथ रोड, लखनऊ कार्यालय के जीर्णशीर्ण भवन की मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो इसके लिए धनराशि कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के राजनैतिक दलों के कार्यालयों में विद्युत कार्य मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

83–श्री प्रदीप कुमार–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजनैतिक दलों के प्रदेश कार्यालयों में विद्युत कार्य मरम्मत एवं समय समय पर खराब होने वाले बल्व, ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कितना धन आवंटित किया गया ? 1 जनवरी, 2000 से 15 दिसम्बर, 2000 तक वहां पर क्या क्या कार्य किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । राजनैतिक दलों के प्रदेश कार्यालयों में विद्युत कार्य एवं मरम्मत पर वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए रु० 33,155.00 की धनराशि व्यय की गयी ।

स्वीच, पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट व अन्य विद्युत मरम्मत के कार्य करवाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आबादी वाले ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने के आदेशों के अन्तर्गत जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम बरौनी को मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्रारम्भ कार्य

84–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2500 की आबादी वाले सभी ग्रामों को 1999-2000 के वित्तीय वर्ष मुख्य सड़क से जोड़े जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री के आदेश के क्रम में क्या जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरौनी मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु प्राक्कलन लो०नि०वि० हरदोई द्वारा प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० लखनऊ को भेजा गया था ? यदि हां, तो उक्त प्राक्कलन स्वीकार कर कब तक सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

यू० पी० सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

प्रदेश के सभी ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने अन्तर्गत जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के कतिपय ग्राम पंचायतों को जोड़ने की जानकारी

85–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र जून 1999 के आधार पर 2500 आबादी वाले सभी ग्रामों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 में मुख्य सड़क से जोड़े जाने के क्रम में क्या जनपद हरदोई में 91– मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटरी परसोला (रामेश्वर पुरवा) छिवरामऊ मेंहदीघाट रोड से कटरा परसोला–रामेश्वर पुरवा तक रोड को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त मार्गों को कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की स्थिति देखते कोई समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड माधोगंज के पिपरावां में भवन विहीन विद्यालय के भवन निर्माण की मांग

86–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड माधोगंज जनपद–हरदोई के पिपरावां में क्या कोई प्राथमिक विद्यालय संचालित है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय भवन-विहीन हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत भवन का निर्माण डी० पी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है जो यथासमय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां में माधोगंज से मेंहदीघाट वाली सड़क की मरम्मत हेतु आवश्यक निर्देश

87–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र मल्लावां में माधोगंज से मेंहदीघाट जाने वाली सड़क एवं अन्य 14 सड़कों को मरम्मत कराये जाने विषयक पत्रांक 3637 दिनांक 17-6-2000 जो प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मुख्य अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की शारदा कैनाल के कतिपय रजबहों की सफाई कराने की मांग

88–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा कैनाल, उन्नाव की मेन ब्रान्च पुरवा नहर की सफाई हुई है किन्तु रायपुर, तोरा, क्वीथर रजबहों की सफाई न होने के कारण उनमें पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो इन रजबहों की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, रायपुर रजबहा की सफाई वर्ष 2000-2001 में करायी गयी है । टेल तक पानी पहुंच रहा है । तौरा एवं क्वोथर रजबहा की सफाई सीमित धनावंटन के अभाव में इस वर्ष नही कराई जा सकी जिससे टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है । रायपुर रजबहा की कि०मी० 8.80 में से 5 किमी० की सफाई करायी जा चुकी है ।

तौरा एवं क्वोथर राजबहा की सफाई वर्ष 2001-2002 में धन की उपलब्धता पर कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, सिंचाई विभाग शारदा कैनाल की सफाई का कार्य, निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दरों पर पूर्ण कार्य

89–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग शारदा कैनाल, उन्नाव ब्रांच में जीरो से लेकर 22 कि०मी० तक शारदा कैनाल की सफाई में फर्जी टेण्डर कराकर उसका भुगतान करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त फर्जी बिलों के भुगतान की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । उन्नाव ब्रान्च कि०मी० 0.00 से कि०मी० 22.00 में मध्य भाग में कि०मी० 0.00 से 5.114 कि०मी० तक ही नियमानुसार निविदायें आमत्रिंत करके न्यूनतम प्राप्त दर पर जो विभागीय दरों के अन्तर्गत थी, कार्य कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद, तहसील फूलपुर में मैलहन झील से वरुणा नदी में पानी निकासी हेतु बने नाले की सफाई कराने की मांग

90–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद–इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में मैलहन झील से वरुणा नदी निकली है ? क्या यह सही है कि झील का पूरा पानी वरुणा नदी से निकल न पाने के कारण शासन द्वारा पूरा पानी निकासी हेतु वरुणा नदी के बीच से 40 वर्ष पूर्व 50 फुट चौड़े नाले का निर्माण कराया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त नाले की सफाई न हो पाने के कारण झील के पानी की निकासी अवरुद्ध हो गयी है, जिससे हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो जाती है ? क्या सरकार उक्त नाले की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

यह सही नहीं है कि पानी निकासी हेतु वरुणा नदी के बीच से 40 वर्ष पूर्व 50 फुट चौड़े नाले का निर्माण कराया गया था, बल्कि वर्ष 1981-82 में वरुणा नदी के कि०मी० 195.55 से 190.00 तक तथा कि०मी० 146.00 से 125.00 की बीच में 33 फुट चौड़ी क्यूनेट खोदने का कार्य कराया गया था ।

जल निकासी समुचित न होने का मुख्य कारण नदी की तली में पर्याप्त प्राकृतिक ढाल का उपलब्ध न होना है जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, व्यवहारिक नहीं है ।

जनपद उन्नाव के मौरावां मार्ग पर गड्ढे व साइड कटिंग को ठीक कराने की मांग

91—श्री उदय राज यादव

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, जनपद उन्नाव के मौरावां उन्नाव मार्ग पर जगह-जगह गढ्ढे व साइट कटान के कारण सड़क की दशा अत्यधिक खराब हो

गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को गड्ढा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मार्ग के आबादी वाले भाग को छोड़कर शेष को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है । मार्ग के आबादी वाले भाग को गड्ढा मुक्त किया जाना वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद उन्नाव, क्षेत्र पुरवा ब्रान्च से निकलने वाली कतिपय माइनरों में विगत कई वर्षों से पानी न आने के पश्चात् भी सींच वसूली का प्रकरण

92–श्री उदय राज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र, पुरवा जनपद उन्नाव पुरवा ब्रान्च से निकलने वाली मिर्जासुमारी माइनर, रतौसिया माइनर, तुपरा माइनर में विगत कई वर्षों से पानी न आने के बावजूद किसानों से सींच वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी अन्य संस्था से कराकर प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए किसानों से ली जा रही अवैध सींच वसूली रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

यह सही नहीं है ।

गलत सींच से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों पर जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा करायी जाती है । शिकायत सही पाये जाने पर विभागीय नियमानुसार छूट का प्राविधान किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में राजकीय नलकूपों की स्थिति

93–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत कुल कितने राजकीय नलकूप लगे हैं ? इनमें से कितने चालू हैं और कितने बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उन्हें ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद उन्नाव में कुल 188 राजकीय नलकूप लगे हैं ।

इनमें से 168 नलकूप सिंचाईरत हैं, 07 नलकूप असफल हैं तथा 13 नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित है ।

सिंचाईरत नलकूपों में से 131 नलकूप चालू हालत में हैं तथा दिनांक 8-2-2001 की स्थिति के अनुसार यांत्रिक एवं विद्युत दोष से क्रमशः 6 एवं 31 नलकूप, कुल 37 नलकूप बन्द हैं ।

जी हां, यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है। यांत्रिक दोष से बन्द 06 नलकूपों को दिनांक 20-2-2001 तक सिंचाईरत कर दिये गये हैं एवं विद्युत दोष से बन्द 31 नलकूपों में से 17 नलकूप सिंचाईरत कर दिये गये । 14 विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को चालू कराने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर उन्हें शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

असफल 7 नलकूपों में से एक नलकूप का पुनः छिद्रण हो चुका है तथा विकसन हो रहा है । तथा शेष 6 नलकूपों का पुनः निर्माण वर्ष 2000-2001 में जिला योजना में प्राविधान न होने के कारण

सम्भव न हो सका । वर्ष 2001-2002 तथा उससे आगे के वर्षों में जिला योजना में स्वीकृति प्राप्त होने पर इन नलकूपों का पुनः निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

94–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मिर्जापुर, क्षेत्र चुनार के क्षतिग्रस्त नारायनपुर इमिलिया चट्टी मार्ग हेतु धनराशि का आवंटन

95–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर जनपद के चुनार विधान सभा क्षेत्र में स्थित नरायनपुर इमिलिया चट्टी–मार्ग, लम्बाई–18 कि०मी० एवम् सरदार पटेल मार्ग, पटेलनगर–अदलहाट से कैलेहट वाया परमहंसपुरी–मार्ग, लम्बाई 12 कि०मी० पूरी तरह क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत सड़क का पुनर्निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नारायनपुर इमिलिया चट्टी मार्ग की लम्बाई 16.50 किमी० है । पटेल नगर–अदलहाट से कैलहट वाया परमहंसपुरी मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 11 कि०मी० में 7.40 कि०मी० ही लो० नि० वि० के अन्तर्गत है, जिसमें किमी० 1 से 5 तक का भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा 2.40 कि०मी० पर कार्य प्रगति पर है शेष लगभग 3.50 कि०मी० जिला परिषद् का मार्ग है । इस अंश के मार्ग की वर्तमान दशा संतोषजनक है ।

नारायनपुर इमिलिया चट्टी मार्ग किमी० 1, 3 4, 5, 9 दबक भरते हुए एक कोट पत्थर व लेपन कार्य हेतु 8.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, ब्लाक नरायनपुर के मनिकापुर (अगरसण्ड) मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु स्वीकृत धनराशि

96–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद के नरायनपुर ब्लॉक अन्तर्गत स्थित रूपौधा–मानिकपुर (अगरसण्ड) से श्रीपुर वाया परमहंसपुरी–कोलना मार्ग लम्बाई 12 कि०मी० मार्ग को स्टेट सेक्टर की योजना में सम्मिलित कर चालू वित्तीय वर्ष में लेपन स्तर तक निर्माण कराने के लिए सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

वर्णित मार्ग पर पड़ने वाले गांव रूपौधा, श्रीपुर, परमहंसपुरी एवं कोलना पूर्व में ही किसी न किसी मुख्य मार्ग से जुड़े हैं । मानिकपुर (अगरसण्ड) को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु शासनादेश संख्या–4128ई/23-11-2000, दिनांक 8-1-2001 द्वारा रु० 9.76 लाख की स्वीकृति प्राप्त है जिससे मानिकपुर (अगरसण्ड) भी मुख्य मार्ग से जुड़ जायेगा ।

जनपद सन्त कबीर नगर, विकास खण्ड नाथनगर के मोलनापुर से पिड़ारी तक के सड़क निर्माण में मिट्टी स्तर का पूर्ण कार्य

97–श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर के विकास खण्ड नाथ नगर के अन्तर्गत मोलनापुर से पिड़ारी तक लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण कराये जानें के लिए

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में धन आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

1.5 किमी० लम्बाई में मिट्टी स्तर तक कार्य पूर्ण करा दिया गया है । अवशेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद सन्त कबीरनगर में मैन्सिर मोलनापुर मार्ग का निर्माण

98–श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर में मैन्सिर मोलनापुर मार्ग के ग्राम देवरिया के पास लगभग 500 मीटर अधूरे सड़क निर्माण कार्य को क्या सरकार लेपन स्तर तक पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद संत कबीरनगर में मैन्सिर मोलनपुर मार्ग ग्राम देवरिया के पास 370 मी० लम्बाई में भूमि उपलब्ध न होने के कारण मार्ग निर्माण कार्य बाधित है ।

भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

सचिवालय कालोनी मोतीझील, लखनऊ में सामान्य अनुरक्षण एवं विशेष मरम्मत कार्य

99–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी कालोनियों में निरन्तर बिगड़ती अनुरक्षण व्यवस्था को अध्यासियों के हित में ठीक करने हेतु सघन निरीक्षण अभियान चलाने की नीति के अन्तर्गत मोतीझील सचिवालय कालोनी में अब तक कितनी बार निरीक्षण किया गया है तथा क्या क्या सुझाव प्राप्त हुये है ? प्राप्त सुझावों के परिप्रेक्ष्य में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

विभिन्न अधिकारियों द्वारा 15 बार निरीक्षण किया गया ।

सामान्य अनुरक्षण एवं विशेष मरम्मत के अन्तर्गत विभिन्न कार्य कराने हेतु सुझाव प्राप्त हुए।

सामान्य अनुरक्षण एवं विशेष मरम्मत के कार्य कराये जा रहे हैं ।

जनपद उन्नाव, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

100–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना के अन्तर्गत उन्नाव जनपद हेतु धन अवमुक्त कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8 मई, 2000 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जनपद उन्नाव के कार्य का आगणन प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि० से मांगा गया है। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ

101–श्री राम कृपाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पत्रकारों को पेंशन दिये जाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से मानक/मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? प्रदेश में अब तक कुल कितने पत्रकारों को पेंशन दी जा रही है ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा गठित "दि यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी" के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन धारा पेंशन/सामूहिक बीमा का लाभ दिये जाने का प्राविधान किया गया है। प्रदेश के पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को जो किसी समाचार पत्र समूह में कार्यरत हो, जिनकी सेवायें उ० प्र० में तीन साल पूरी हो चुकी हो तथा जिनका पी० एफ० कटता है तथा उनकी उम्र 25 से 58 वर्ष के बीच की हो, पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। पत्रकारों द्वारा प्रीमियम का 50% स्वयं वहन करना होता है तथा 50% अंशदान सोसाइटी द्वारा दिया जाता है।

प्रदेश में अब तक निम्न 16 पत्रकारों को पेंशन दी जा रही है :–

1–श्री पीयूष कान्तिराय	लखनऊ
2–श्री ईश्वरदेव मिश्र	वाराणसी
3–चौ० मोहम्मद नसीर	लखनऊ
4–श्री शम्भाजी बारोकर	बांदा
5–श्री सोहन लाल महरोत्रा	लखनऊ
6–श्री रविकान्त मिश्र	लखनऊ
7–श्री यतीश चन्द्र शुक्ल	लखनऊ
8–श्री मो० अतीक सिद्दीकी	लखनऊ
9–श्री कृष्ण चन्द्र खन्ना	लखनऊ
10–श्री जगत नारायण शर्मा	वाराणसी
11–श्री रामउग्रह प्रसाद	लखनऊ
12–श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी	लखनऊ
13–श्री गिरधारी लाल पाहवा	लखनऊ
14–श्री पी० एम० दामोदरम	लखनऊ
15–श्री नन्द किशोर श्रीवास्तव	लखनऊ
16–श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी	लखनऊ

जनपद कानपुर देहात के जनतंत्र इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य सहित अनुमोदित कार्यरत अध्यापक

102–श्री विश्वनाथ–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनतंत्र इण्टर कालेज सैंथा जनपद कानपुर देहात में कितने अध्यापक अनुमोदित है और कितने बिना अनुमोदन के कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर देहात के कार्यालय की पत्रावली को गायब कर नई पत्रावली बनाकर बाहर के नये अध्यापकों का फर्जी ढंग से अनुमोदन किया गया है तथा पुराने अध्यापकों को विद्यालय सेवा से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

विद्यालय में हाईस्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य सहित 20 अध्यापक अनुमोदित हैं। विद्यालय में कोई भी अध्यापक बिना अनुमोदन के हाईस्कूल स्तर पर कार्यरत नहीं है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के जनतंत्र इण्टर कालेज सैंथा में अध्यापक/अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने का प्रकरण

103–श्री विश्वनाथ–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23 अगस्त, 1999 को जनतंत्र इण्टर कालेज सैंथा कानपुर देहात में कितने नये अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण कराया गया ? पिछले कई वर्षों से कार्यरत अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? नये अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने का आधार क्या है ? उक्त अनियमित कार्य के लिए कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

दिनांक 23 अगस्त, 1999 को उक्त कालेज में किसी भी अध्यापक/अध्यापकों को कार्य भार नहीं ग्रहण कराया गया।

किसी अध्यापक को कार्यभार ग्रहण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर देहात के जनतंत्र इण्टर कालेज सैंथा में अध्यापकों की फर्जी नियुक्ति का प्रकरण

104–श्री विश्वनाथ–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनतंत्र इण्टर कालेज, सैंथा जनपद कानपुर देहात में 23 अगस्त, 1999 को की गई अध्यापकों की फर्जी नियुक्तियों के विरुद्ध स्थानीय जनता द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 1999 को की गई शान्तिमय सभा में प्रबन्धक द्वारा हमला करवाया गया था जिसकी रपट मु०अ० संख्या–327/99 धारा 147/323/504/506 के अन्तर्गत थाना गजनेर में दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो फर्जी नियुक्तियों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा भूगोल के प्रवक्ता श्री राजधर तिवारी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देश

105–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री राजधर तिवारी पुत्र श्री राम प्यारे तिवारी का चयन प्रवक्ता भूगोल के पद पर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा

5-7-2000 को हुआ है ? यदि हां, तो उन्हें इस चयन के पश्चात किस स्थान पर सेवायोजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

चयन के उपरान्त श्री राजधर तिवारी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु इण्टर कालेज, मैगाधार टिहरी नामक संस्था आवंटित की गयी । कार्यभार ग्रहण कराने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को निदेशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा, क्षेत्र फतेहाबाद में टर्मिनल रजवाहा को चम्बल डाल परियोजना से जोड़े जाने की मांग

106–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में आगरा टर्मिनल राजवाहा की टेल को चम्बल डाल परियोजना से जोड़े जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-11-2000 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त टेल को जोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 8-11-2000 नहीं बल्कि दिनाक 9-11-2000 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं,

टर्मिनल राजवाहे की टेल को चम्बल डाल परियोजना से जोड़ा जाना तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उप बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सेवाएं/पदोन्नति की जानकारी

107–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपा बतायेंगे कि उ०प्र० में कितने उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें एक ही पद पर कार्य करते हुए 15 वर्ष से अधिक हो गये हैं परन्तु उनकी पदोन्नति अभी तक नहीं की गई है ? क्या सरकार एक ही पद पर इतने अधिक समय से कार्यरत बेसिक शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्तमान समय में कोई भी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे नहीं हैं जिनको वर्तमान पद पर मौलिक सेवायें 15 वर्ष हो गयी हो और उन्हें समूह ''ख'' (उच्चतर) में पदोन्नति न दी गयी हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, लालगढ़ी के स्टाफ के वेतन की जांच एवं कृत कार्यवाही

108—श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-11-96 को राजकीय बालिका इण्टर कालेज, लालगढ़ी एटा के स्टाफ का वेतन रुपया 78,881 की लूट की जांच में किसी विभागीय कर्मचारी को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कालेज के स्टाफ के माह अक्टूबर, 1996 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यो ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री चन्द्र किशोर–

पुलिस जांच में कोई विभागीय अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

विस्तृत जांचोपरान्त भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद आगरा में शंकर घाट पर पुल निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

109—श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फतेहाबाद–फिरोजाबाद मार्ग पर यमुना नदी में शंकरपुर घाट पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-11-2000 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, पत्र दिनांक 9-11-2000 प्राप्त हुआ है ।

अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों/सेतुओं के निर्माण की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत प्रश्न में उल्लिखित सेतु के वित्त पोषण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है ।

110—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 24-4-2001 के अता० प्र० सं०–114 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० वन विभाग में मा० उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार श्रमिकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक का पत्र

111—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या ई 2620/10-55 (दैविक) जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9 जनवरी, 1998 के आदेशानुसार दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत वन विभाग के श्रमिकों का नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में था, के आधार पर वन प्रभाग हरदोई में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र संख्या से यह अभिज्ञान नहीं हो पा रहा है कि उक्त पत्र प्रमुख सचिव, वन का है अथवा प्रमुख वन संरक्षक का है, प्रश्न में पत्र की तिथि का उल्लेख भी नहीं है, इससे वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने में विवशता है ।

जनपद इलाहाबाद, कार्यालय शिक्षा अधीक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद् (नगर क्षेत्र) से सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासनादेशानुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान की जानकारी

112—श्री उदय राज यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30-6-87 को कार्यालय शिक्षा अधीक्षण, बेसिक शिक्षा परिषद् (नगर क्षेत्र) इलाहाबाद से सेवा निवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार जुलाई, 1986 से अगस्त, 1993 तक तथा जनवरी, 1996 से नवम्बर, 2000 तक बढ़े हुए मंहगाई राहत के बकाये का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो

किन-किन कर्मचारियों की कितनी-कितनी धनराशि उक्त अवधि की भुगतान हेतु अवशेष है ? अवशेष धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यालय शिक्षा अधीक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद् (नगर क्षेत्र) इलाहाबाद से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री जगनन्दन सेवक सेवानिवृत्त हुए थे । इन्हें समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार जुलाई, 1986 से अगस्त, 1993 तक तथा जनवरी, 1996 से नवम्बर, 2000 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की धनराशि रु० 2,56,312.00 का भुगतान चेक संख्या 40133-39 दिनांक 7-3-2001 द्वारा कर दिया गया है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकर नगर के विरुद्ध जिलाधिकारी के पत्र पर जांच आख्या पर कार्यवाही की जानकारी

113—श्री लालजी वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर ने अपने दिनांक रहित सितम्बर, 2000 के पत्र संख्या–994/एस०टी० द्वारा श्री रा०च० लाल श्रीवास्तव तत्कालीन कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकर नगर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच आख्या उप निदेशक शिक्षा फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को भेजी है ? यदि हां, तो उक्त जांच आख्या के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों

डा० नैपाल सिंह–

श्री रा० च० लाल श्रीवास्तव नाम का कोई व्यक्ति कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं रहे हैं, अपितु श्रीमती पार्वती त्रिपाठी तत्समय प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में कार्यरत रहीं । श्री राम चन्द्र लाल श्रीवास्तव अशासकीय सहायता प्राप्त इ० का० एच० डी० इण्टर कालेज, टांडा, अम्बेडकर नगर में सहायक अध्यापक हैं जिन्होंने जिला अधिकारी अम्बेडकर नगर को तत्कालीन कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती पार्वती त्रिपाठी के विरुद्ध अपने राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्रदान किये जाने विषयक आवेदन पत्र प्रेषण के संबंध में शिकायत की थी । उक्त शिकायत के संदर्भ में जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर के स्तर से जांच कराई गई थी जिसकी जांच आख्या जिलाधिकारी के प्रश्नगत पत्र संख्या–994/एस०टी०, दिनांक 6-9-2000 द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को प्राप्त हुई ।

तत्कालीन प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती पार्वती त्रिपाठी को चेतावनी दे दी गयी तथा सम्बन्धित अध्यापक को अपना आवेदन-पत्र नियमानुसार पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की गतिमान कार्यवाही

114—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्राप्त सूचना के अनुसार उ० प्र० में सहायक अध्यापक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के 32800 पद रिक्त हैं । अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके

अन्तर्गत उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अनुसार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत लगभग 2800 बी० टी० सी० उत्तीर्ण अभ्यर्थी सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध हो जायेंगे जो नियमित नियुक्ति हेतु उपलब्ध होंगे। बढ़ी हुई छात्र संख्या एवं अध्यापकों की कमी देखते हुए शिक्षा मित्र योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत 38000 शिक्षा मित्रों के चयन की कार्यवाही गतिमान है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उन्नाव में ऐरा चौराहे से थाना मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही के निर्देश

115—श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में ऐरा चौराहे से थाना मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07 मई, 2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव में ढाई हजार आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

116—श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दीपक कुमार सांसद, उन्नाव के संसदीय क्षेत्र के ढाई हजार की आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० उ० प्र० लखनऊ को दिनांक 30-5-2000 को प्राप्त हुआ है ? क्या उन्नाव विधान सभा क्षेत्र के उक्त आबादी के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र भी माह जुलाई, 2000 में लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां।

उपरोक्त दोनों पत्रों में 2500 से अधिक आबादी के 24 गांवों का उल्लेख है, जिसमें से 4 गांव जुड़ चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के प्रा० पा० गौरिया नजीरपुर के प्रधानाध्यापक की मृत्योपरान्त उनके आश्रित को नियुक्ति प्रदान करने की मांग

117—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्वर्गीय श्री शिवदयाल, प्रधानाध्यापक, प्रा०पा० गौरिया नजीरपुर, जनपद हरदोई की सेवाकाल में दिनांक 3-7-98 को मृत्यु हो गयी थी ? क्या यह सही है कि मृतक आश्रित के ज्येष्ठ पुत्र नरेन्द्र कुमार द्वारा अपनी नियुक्ति के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा

अधिकारी, हरदोई को दिनांक 11-2-99 व 20-2-99 को प्रार्थना-पत्र दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मृतक आश्रित की नियुक्ति कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । स्व० शिव दयाल, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, बेरिया नजीरपुर , विकास खण्ड मल्लावां, जनपद हरदोई की सेवाकाल में दिनांक 3-7-98 को मृत्यु हुई थी । इनके मृत्यु के उपरान्त उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु दिनांक 11-2-99 एवं 20-2-99 को प्रार्थना-पत्र दिया गया था । श्री नरेन्द्र कुमार की शैक्षिक योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के आदेश दिनांक 30-6-2000 द्वारा उन्हें चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लेकर भुगतान कराने की मांग

118—श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि दिसम्बर, 1998 में 220 असहायतित स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सभी को अनुदान का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्यालयों को कब तक अनुदान का भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

वर्ष 1998 में अनुदानित 220 विद्यालयों में से 205 विद्यालयों का भुगतान हो रहा है । 15 विद्यालयों में पद सृजन एवं नियुक्ति संदिग्ध होने के कारण जांच चल रही है । जांचोपरान्त निर्णय लेकर शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा ।

जांचोपरान्त निर्णय लेकर भुगतान कराया जायेगा ।

प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खोलने के लक्ष्य के अनुसार जनपद मैनपुरी में उक्त की जानकारी

119—श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 में प्रदेश में कितने प्राथमिक एवं कितने पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य है और उनमें से मैनपुरी जनपद में कितने विद्यालय खोले जाने हैं ? उक्त विद्यालयों के खुलवाने के लिए सरकार कब तक धन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्ष 2001-2002 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–II के अन्तर्गत 128 प्राथमिक विद्यालय तथा उ० प्र० जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III में 1057 प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है । इनमें से उ० प्र० जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में 33 विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है ।

केन्द्र पुरोनिधानित डी० पी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर धन उपलब्ध कराया जाता है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा, तहसील मांद के कराहरी नाले के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान की मांग

120–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दलवीर सिंह, राज्य मंत्री गन्ना का पत्र दिनांक 14-8-2000 जो कराहरी नाले तहसील मांद, जनपद मथुरा के निर्माण हेतु वर्ष 1985 में अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दिलाने के संबंध में था पूर्व विधायक श्री कुशल पाल सिंह के पत्र सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा का भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, विकास खण्ड नरायनपुर के ग्राम शिकारपुर, धरवासपुर के श्री मुन्ना लाल सिंह, अध्यक्ष, प्रधान के पत्र पर उपलब्ध धनराशि की जानकारी

121–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–122 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत कार्यों को पूर्ण कराने हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री मुन्ना लाल सिंह, अध्यक्ष, प्रधान संघ, विकास खण्ड नरायनपुर, जनपद–मिर्जापुर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-9-97 में उल्लिखित कार्यों में ग्राम शिकारपुर में धरवासपुर माइनर की नहर की पटरी का निर्माण जो लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है को छोड़कर अन्य सभी कार्यों हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में विगत तीन वर्षों से सिंचाई कर की वसूली की जानकारी

122–डा० वकार अहमद शाह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में पिछले तीन वर्षों में कितनी सिंचाई कर की वसूली की गई तथा कितनी वसूली अभी शेष है ? अवशेष सिंचाई कर की वसूली कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बहराइच में पिछले तीन वर्षों में जिलाधिकारी द्वारा रुपये 1,26,72,562.00 की वसूली की गयी है ।

रु० 10,00,010.00 की वसूली अभी शेष है ।

अवशेष धनराशि की वसूली वर्तमान राजस्व वर्ष की समाप्ति तक (30-9-2001) किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद एटा, क्षेत्र निधौली कला की प्राइमरी पाठशाला धोलेश्वर के श्री राजेन्द्र प्रसाद की नियुक्ति का प्रकरण

123–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री बाबू राम, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, धोलेश्वर, विकास क्षेत्र निधौली कला, जिला एटा नियुक्ति आदेश संख्या–1924, दिनांक 5-5-1964 के अनुसार दिनांक 12-5-64 से क्रमशः प्राइमरी पाठशाला इशरा विकास क्षेत्र सकीट/परिषदीय प्राइमरी पाठशाला धोलेश्वर विकास क्षेत्र निधौली कला, जिला एटा में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के उपरान्त श्री राजेन्द्र प्रसाद की सेवाएं परिषद् को हस्तान्तरित नहीं हुई और न ही श्री राजेन्द्र प्रसाद शिक्षक के पद पर परिषद् में कार्यरत हैं ।

124–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[2रे गुरुवार में अता० प्र० सं०–140 (अ) के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में डी० पी० ए० पी० योजनान्तर्गत विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त धनराशि के व्यय विवरण की जानकारी

125—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–159 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चार करोड़ छियालिस लाख बीस हजार नौ सौ रुपये में से कितनी-कितनी धनराशि बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा किन-किन कार्यों के लिए खर्च की गयी ? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त रु० 4,46,20,900/- की धनराशि में से नवीन प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु रु० 1,00,84,800.00, जर्जर/भवनहीन विद्यालय के निर्माण हेतु रु० 57,30,000.00, शौचालय के निर्माण हेतु 1,01,56,000.00, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण हेतु रु० 1,34,75,000.00, विद्यालय विकास अनुदान हेतु रु० 3,12,000.00, शिक्षक अनुदान हेतु रु० 7,13,100.00 तथा कार्यालय स्टाफ के वेतन भुगतान हेतु रु० 13,40,000.00 की धनराशि व्यय की गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के अतिविशिष्ट अतिथि गृह में कार्यरत बी० आर० इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा किये गये विद्युत कार्यों के भुगतान की जानकारी

126—श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिविशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में कार्यरत बी०आर० इलेक्ट्रिकल्स को अनुबन्ध संख्या–12/एस०ई०/39/97 के अन्तर्गत किये

गये विद्युत अनुरक्षण कार्यों का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद व ब्लाक चन्दौली के कर्मनाशा नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण की मांग

127—ई० सत्य प्रकाश सोनकर –

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली के ब्लाक चन्दौली के अन्तर्गत धरौली-सवैया मार्ग पर ग्राम सवैया के निकट कर्मनाशा नदी पर निर्मित पुल लगभग तीन साल पूर्व पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत पुल का पुनर्निर्माण करायेगी ?. यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद चन्दौली, क्षेत्र चकिया के हेतिमपुर से भीखमपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

128—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली के चकिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित चकिया अहरौरा मार्ग पर हेतिमपुर से भीखमपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण इसी चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

जनपद चन्दौली, क्षेत्र चकिया के भौंका बांध से सम्बद्ध क्षतिग्रस्त नहरों के मरम्मत का प्रस्तावित कार्य

129—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली के चकिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शिकारगंज में स्थित भौंका बांध से सम्बद्ध नहरें क्षतिग्रस्त हैं, इससे क्षेत्रीय ग्रामीणों का सिंचन कार्य बाधित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वर्ष 2000-2001 में खरीफ एवं रबी में भौंका बांध से निकलने वाली समस्त 6 नहरों के टेल तक पानी पहुंचा है । आवश्यकतानुसार मरम्मत प्रस्तावित है ।

जनपद चन्दौली के नेवाजगंज पम्प कैनाल के पम्पों की मरम्मत

130—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली अन्तर्गत नेवाजगंज पम्प कैनाल के पम्पों की स्थिति जर्जर होने के कारण पूरी क्षमता से प्रश्नगत पम्प कैनाल नहीं चलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत पम्प कैनाल की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नेवाजगंज पम्प कैनाल पर 10-10 क्यूसेक के 5 पम्प स्थापित हैं। पम्प पुराने अवश्य हैं, किन्तु जर्जर स्थिति में नहीं हैं। नहर चालू रखी जाती है।

आवश्यकतानुसार टूट-फूट होने पर पम्पों की मरम्मत कराकर उन्हें चालू हालत में रखा जाता है एवं आवश्यकतानुसार संचालन किया जाता है।

उक्तानुसार।

प्रदेश में छटनीशुदा कर्मचारियों के सेवा में समायोजित करने सम्बन्धी शासनादेश को विश्वविद्यालयों में लागू करने की जानकारी

131–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छटनीशुदा कर्मचारी की सेवा में समायोजित करने संबंधी कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश 3-3-391 का–2/93, दिनांक 11 नवम्बर, 1993 तथा आमेलन नियमावली संख्या–3/4/90–कार्मिक–2-91, दिनांक 9 मई, 1991 वर्तमान समय में प्रभावी है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश/नियमावली प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य विश्वविद्यालयों में प्रबन्ध परिषद् द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पदों पर भी लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या–3/3/3/91-का–2/93, दिनांक 11 नवम्बर, 1993 द्वारा आटो ट्रैक्टर्स लि० के छटनीशुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार आमेलन नियमावली, 1991 भी छटनीशुदा कर्मचारियों के सरकारी सेवा में आमेलन हेतु प्रख्यापित की गयी है। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं जिनकी प्रबन्ध परिषद् के द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पद सरकारी सेवा के न होने के कारण शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 1993 तथा आमेलन नियमावली, 1991, दिनांक 9 मई, 1991 से आच्छादित नहीं होते हैं।

जनपद गोण्डा में बहराइच–आजमगढ़ मार्ग हेतु अवमुक्त धनराशि से कार्य पूर्ण कराने की मांग

132—श्री रघुवर दयाल वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 6ठे मंगलवार हेतु निर्धारित श्री राजेश कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–73 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत सड़क हेतु शेष धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य पूरा कब करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद हरदोई के वन प्रभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस भुगतान की जानकारी

133—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन प्रभाग हरदोई के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को इस वर्ष बोनस का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन इस प्रकरण की जांच कराकर उन्हें बोनस दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, वन प्रभाग के दैनिक वन कर्मचारियों के विनियमितीकरण प्रकरण पर मा० उच्चतम न्यायालय की अनुमति के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश

134—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि हरदोई में वन प्रभाग के अधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 27-9-99 का अनुपालन न करने से दैनिक वन कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों के विनियमितीकरण का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

प्रश्न में संदर्भित दिनांक 27-9-99 का आदेश मा० उच्च न्यायालय का नहीं बल्कि मा० उच्चतम न्यायालय का है । सिविल अपील सं०–3634/98 में मा० उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 27-9-99 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सांविधिक नियमों के तहत विनियमित करने की अनुमति प्रदान की गयी है । तद्नुसार शासन की विद्यमान नीति के अन्तर्गत विनियमितीकरण करने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है ।

जनपद हरदोई, वन प्रभाग के हरदोई रेंज में कार्यरत कतिपय दैनिक माली के वेतन का भुगतान

*135—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग हरदोई में मढ़िया, महरी, हरदोई रेन्ज में दैनिक माली के पद पर कार्यरत राजाराम पुत्र छोटई को फरवरी, 98 से दैनिक वेतन कर्मचारी तथा बालक राम पुत्र माखन तथा मनोहर के वेतन का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? क्या शासन उनके वेतन का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी नहीं । श्री राजाराम पुत्र श्री छोटई एवं श्री बालकराम पुत्र श्री माखन ने हरदोई वन प्रभाग के हरदोई रेंज में क्रमशः माह अगस्त, 98 एवं जून, 98 तक तथा श्री मनोहर ने कछौना रेंज में माह

अक्टूबर, 98 तक दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य किया था। इन लोगों के कार्य पर रहने तक की अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है तथा इनका कोई भी भुगतान अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सरजू नहर खण्ड–2 में विगत वर्षों में वितरण प्रणाली हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

136—श्री राम विशुन आजाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के सरजू नहर खण्ड–2 द्वारा वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में किन-किन कार्यों पर कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया है ? क्या स्वीकृत कार्य मानक के अनुसार कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग में खण्ड द्वारा धन स्वीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि मुख्य अभियन्ता द्वारा सरयू नहर खण्ड–2, गोण्डा को वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में गोण्डा शाखा के कि०मी० 72 से 117.4 तथा वितरण प्रणाली एवं टिकरी शाखा के वितरण प्रणाली के लिए क्रमशः रु० 343.00 तथा 223.00 लाख स्वीकृत किया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

137—श्री राम विशुन आजाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद देवरिया के शेरवा बभनौली पोस्ट खुखुन्दू में संचालित फर्जी विद्यालयों की जांच की मांग

138—श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मिश्री बाबा कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय शेरवा बभनौली, पो० खुखुन्दू, जनपद देवरिया व डा० भीमराव अम्बेडकर हरिजन प्रा०पा० शेरवा बभनौली, देवरिया नामक दोनों विद्यालयों में छात्रों की संख्या वर्षवार 1990 से अब तक कितनी है ? क्या यह सही है कि अध्यापकों की फर्जी संख्या दर्शाकर शासन को भेजी गई है जबकि मौके पर विद्यालय संचालित ही नहीं है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर सही पाये जाने पर मान्यता समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

स्थलीय निरीक्षण में विद्यालय संचालित नहीं पाये गये हैं। अतः छात्र संख्या उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

यह सही है कि मौके पर कोई विद्यालय संचालित नहीं है। फर्जी अध्यापकों के विषय में जांच की जा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में असहायिक मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान सूची में लाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्रों का परीक्षण

139—श्री लालजी वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा निदेशक, शिक्षा सामान्य–2 विस्तार अनुभाग, इलाहाबाद का पत्रांक (2) विस्तार/1286-386/96-97, दिनांक 20-8-96 प्रदेश के सभी मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों को इस आशय का जारी किया गया था कि वे असहायिक मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं को प्रारम्भिक अनुदान सूची पर लाये जाने हेतु उक्त पाठशालाओं के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाकर उनसे आवेदन-पत्र प्राप्त कर शिक्षा निदेशक के माध्यम से शासन को भेजा जाय ? यदि हां, तो उक्त के संदर्भ में कितने आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त हुए ? उनमें से कितने संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया ? वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कितने संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

69 आवेदन-पत्र शासन को प्रेषित किये गये ।

कोई नहीं ।

प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद अम्बेडकर नगर में विगत कई वर्षों में अनुरक्षण हेतु मानक के अनुसार व्यय धनराशि

140—श्री लालजी वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में पेड़ों के अनुरक्षण पर वर्ष 1996-97, 1998-99 एवं 1999-2000 में कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या अनुरक्षण के लिए कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या खर्च की गयी धनराशि मानक के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्या मानक के विपरीत धनराशि खर्च करने के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर नगर जनपद में रोपित वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुरक्षण फैजाबाद वन प्रभाग द्वारा किया गया तथा इस पर 6.92 लाख व्यय हुआ । अम्बेडकर नगर वन प्रभाग के गठन के बाद वर्षवार व्यय की गयी धनराशि निम्नवत् है :—

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि
1997-98	रु० 17.79 लाख
1998-99	रु० 25.23 लाख
1999–2000	रु० 14.83 लाख

जी हां । वृक्षारोपण अनुरक्षण के लिए सरयू वृत्त द्वारा अनुमोदित अनुसूचित दरों के आधार पर निर्धारित मानक निम्नवत् हैं :—

वर्ष	प्रथम अनुरक्षण (रु० प्रति हे०)	द्वितीय अनुरक्षण (रु० प्रति हे०)
1996-97	3700	2500
1997-98	3900	3700
1998-99	3900	3700
1999-2000	3900	3700

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सी० पी० एड० प्रशिक्षणार्थियों को परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान करने की मांग

141–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सी०पी०एड० प्रशिक्षणार्थियों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या–3356/15–(13)–95 यू०ओ०–14/1994, दिनांक 23-3-1995 निदेशक (बेसिक) शिक्षा उ० प्र० को निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । शासनादेश संख्या–356/15-(13)–95 यू०ओ० 14/1994, दिनांक 23-3-95 में राज्य सरकार द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सी० पी० एड०, प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को परिषदीय विद्यालयों में अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति करने, उन्हें सेवारत प्रशिक्षण देने तथा उन्हें 1996-97 से सी० पी० एड० प्रशिक्षण समाप्त करने के निर्देश जारी किये गये थे । कालान्तर में शासनादेश सं० 2637/15-5-97-157/97 टी०सी०, दिनांक 11-8-97 द्वारा परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु केवल बी० टी० सी०/एच० टी० सी०/जे० टी० सी० तथा सी० टी० प्रशिक्षण अर्हता विहित की गयी । इस प्रकार शासनादेश दिनांक 11-8-97 के निर्गत होने के पूर्व शासनादेश दिनांक 23-3-95 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से सी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद देवरिया, जनता इण्टर कालेज, बनकटा के प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

142–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को दिया गया पत्र मय संलग्नक उनके कार्यालय के पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–2/32279/मैनपुरी/2000, दिनांक 25-3-2000 के साथ सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है जिसमें जनता इण्टर कालेज, बनकटा, स्टेशन देवरिया, जनपद–देवरिया के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायत थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

लगाये गये आरोपों की स्थलीय जांच के उपरान्त प्रधानाचार्य को दोषी पाया गया था । प्रधानाचार्य के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश, जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को निदेशक (मा०) शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में राजकीय इण्टर कालेज में प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने की मांग

143–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 5वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–27 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज मैनपुरी में प्रवक्ता के रिक्त पांच पदों के सापेक्ष चार पद कब भरे गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस समय कितने पद कब से प्रवक्ता के पद रिक्त चल रहे हैं और उनको भरने का निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री चन्द्र किशोर–

प्रवक्ता (मनोविज्ञान), (रसायन विज्ञान) का पद क्रमशः निदेशालय आदेश दिनांक 11-11-99 तथा 1-4-2000 द्वारा पदोन्नति से एवं प्रवक्ता (भौतिक), प्रवक्ता (अंग्रेजी) का पद दिनांक 1-4-2000 द्वारा स्थानान्तरण से भरने की कार्यवाही की गयी थी किन्तु सम्बन्धित प्रवक्ताओं द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में पुनः निदेशालय के आदेश दिनांक 1-4-2000 द्वारा प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के पद पर किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करते हुए आदेश दिनांक 8-8-2000 द्वारा प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) का पद स्थानान्तरण से भरा गया। प्रवक्ता (रसायन) का पद निदेशालय के आदेश दिनांक 1-4-2000 को संशोधित करते हुए निदेशालय के आदेश दिनांक 23-8-2000 द्वारा स्थानान्तरण से भरने की कार्यवाही की गयी किन्तु संबंधित प्रवक्ता ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

छः पद दिनांक 26-8-95, 25-3-98, 10-7-98, 15-7-98, 30-6-99 एवं 10-7-99 से रिक्त चल रहे हैं।

आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने के उपरान्त अथवा पदोन्नति से जो भी प्रक्रिया पहले होगी, करने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद चन्दौली के मूसाखांड बांध की राइट कर्मनाशा नहर में निरन्तर पानी की मांग

144–ई० लाल प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत स्थित मूसाखांड बांध से निकली राइट कर्मनाशा नहर वर्तमान में क्षतिग्रस्त है और अधूरे मरम्मत कार्य से उक्त नहर प्रति वर्ष टूट जाती है जिससे कृषि उत्पाद प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर में पक्की लाइनिंग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत स्थित लतीफ शाह बीयर से निकली राइट कर्मनाशा नहर वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। परन्तु लोगों की मांग अनुसार निरन्तर चलाया जाता है। यह सही नहीं है कि नहर प्रति वर्ष टूट जाती है।

नहर में पक्की लाइनिंग है, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पक्की लाइनिंग एवं अन्य नहरों हेतु रु० 205.00 लाख की परियोजना बनाकर बिहार राज्य सरकार को भेज दिया गया है। धनराशि प्राप्त होने पर उक्त नहरों की लाईनिंग का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद चन्दौली, चकिया, अहरौरा मार्ग पर मुजफ्फरपुर बियर की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

145–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली के चकिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत स्थित चकिया–अहरौरा मार्ग पर स्थित मुजफ्फरपुर बियर लगभग तीन वर्ष पूर्व से क्षतिग्रस्त है, जिससे

क्षेत्रीय ग्रामीणों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत बियर का तत्काल पूनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद चन्दौली में चकिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित चकिया अहरौरा मार्ग पर स्थित मुजफ्फरपुर बियर की सड़क प्रतिवर्ष वर्षाकाल में बाढ़ तथा अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत प्रतिवर्ष सामान्य बजट से करा दिया जाता है । इस वर्ष आयी बाढ़ तथा अतिवृष्टि से भी बियर की सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसकी मरम्मत करा दिया गया है । इस रास्ते से आवागमन चालू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कराई जा चुकी है ।

जनपद चन्दौली के मूसाखांड एवं चन्द्रप्रभा बांध गेट क्षतिग्रस्त की मरम्मत की मांग

146–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली अन्तर्गत स्थित मूसाखांड एवं चन्द्रप्रभा बांध क्षतिग्रस्त है और उसके गेट खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त गेटों की तत्काल मरम्मत कराने एवं बांध की व्यवस्था तत्काल चुस्त-दुरुस्त करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । मूसाखांड एवं चन्द्रप्रभा बांध अत्यधिक पुराने हैं एवं निरन्तर प्रयोग के कारण डिस्ट्रेस में है । इनकी पिचिंग क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे मुख्य स्पिलवे से पानी का लीकेज रहता है । इन बांधों पर वांछित सुधारात्मक कार्य हेतु परियोजना प्रस्ताव वर्ष 1998 में बनाया गया है जिस पर बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ, सिंचाई विभाग, केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय द्वारा इन बांधों का अध्ययन किया जा रहा है । अध्ययन के उपरान्त यथोचित कार्यवाही कर ली जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चन्दौली, ब्लाक चकिया के बबुरी माइनर के पुल का निर्माण

147—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली के ब्लाक चकिया अन्तर्गत चकिया गौड़ियार मार्ग पर बबुरी माइनर के पुल का शिलान्यास वर्ष 1982–83 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री द्वारा किया गया था, जिसका निर्माण अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत पुल का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद चन्दौली के ब्लाक चकिया अन्तर्गत चकिया गौड़िहार मार्ग पर बबुरी माइनर के पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

जनपद फैजाबाद में विगत कई वर्षों में पेड़ों के अनुरक्षण पर मानक के अनुसार व्यय धनराशि का विवरण

148–श्री लालजी वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में पेड़ों के अनुरक्षण पर वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 में कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या अनुक्षण के

लिये कोई मानक निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या खर्च की गयी धनराशि मानक के अनुसार है ? यदि नहीं, तो मानक के विपरीत धनराशि खर्च करने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जनपद फैजाबाद में वृक्षों के अनुरक्षण पर व्यय की गयी धनराशि निम्नवत् है :––

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि (लाख में)		
	सा० वा०	ज०रो०यो०	सुं० रो० यो०
1996-97	5.60	1.24	0.32
1997-98	3.43	0.92	1.72
1998-99	3.54	—	18.67
1999-2000	2.96	—	18.72

अनुरक्षण के लिए वन संरक्षक सरयू वृत्त द्वारा अनुमोदित अनुसूचित दरों के आधार पर निर्धारित मानक निम्नवत् है :–

वर्ष	निर्धारित मानक प्रति हे० धनराशि (लाख में)	
	प्रथम अनुरक्षण	द्वितीय अनुरक्षण
1996-97	0.037	0.025
1997-98	0.039	0.037
1998-99	0.039	0.037
1999-2000	0.039	0.037

जी हां ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद/अम्बेडकरनगर में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विगत कई वर्षों में वृक्षारोपण हेतु व्यय धनराशि की जानकारी

149–श्री लालजी वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद तथा जनपद अम्बेदकर नगर में वृक्षारोपण हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 में कितना धन प्राप्त हुआ ? उक्त धनराशि से किन-किन भूखण्डों पर वृक्षारोपण किया गया ? क्या उक्त भूखण्डों पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा वर्ष 1996-97 में जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकर नगर में वृक्षारोपण के विभिन्न कार्यों (अ०मृ० कार्य, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण अनुरक्षण) हेतु वर्ष

1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में मात्र जनपद फैजाबाद में वृक्षारोपण हेतु निम्न प्रकार धनराशि उपलब्ध कराई गयी :–

वर्ष	वृक्षारोपण हेतु प्राप्त धनराशि (रु० लाख में)			
	वृक्षारोपण	वृक्षा० अनुरक्षण	अ० मृदा कार्य	योग
1996-97	38.54	14.09	40.43	93.06
97-98	18.389	6.07	53.395	77.854
98-99	35.674	22.21	14.893	72.777
99-2000	31.820	21.68	37.243	90.743

उक्त वर्षों में प्राप्त धनराशि से विभिन्न भूखण्डों पर कराये गये वृक्षारोपण की वर्षवार सूची संलग्न की जा रही है ।

जी हां, उक्त भूखण्डों पर वृक्षारोपण हेतु पूर्ण प्रस्ताव वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा० वा०, सरयू वृत्त, उ० प्र० फैजाबाद के अनुमोदनोपरान्त, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को उपलब्ध कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संलग्नक–यथोपरि ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 156 पर)

150–श्री छोटे लाल गंगवार–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

151—श्री संजय गर्ग––

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद अम्बेडकर नगर क्षेत्र जहांगीरगंज के प्राइमरी पाठशालाओं में टाटपट्टी की व्यवस्था

152–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के सभी प्राइमरी पाठशालाओं में बच्चों के बैठने के लिये टाट पट्टी उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करते हुये तत्काल अपने स्तर से हर प्राइमरी पाठशालाओं में टाट पट्टी उपलब्ध कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रकरण की जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराई जायेगी । टाट-पट्टी की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं ।

जनपद अम्बेडकर नगर में जिला योजना से स्वीकृत सड़कों के निर्माण सम्बन्धी भुगतान

153–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में वर्ष 1995 से अब तक जिला योजना एवं शासन स्तर से स्वीकृत कितनी सड़कें धन के अभाव में अधूरी पड़ी हैं ?

क्या यह सही है कि कुछ सड़कों पर मिट्टी का कुछ कार्य कराकर अधूरे कार्य को ही पूरा दिखाकर भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी टी०ए०सी० जांच कराकर कार्यवाही से सदन को अवगत कराने एवं स्वीकृत सड़कों को धन देकर पूर्ण कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जिला योजनान्तर्गत 49 तथा राज्य योजनान्तर्गत 60 मार्ग अभी अपूर्ण हैं ।

मिट्टी स्तर तथा गिट्टी स्तर तक किये गये कार्य का भुगतान किया गया है, पूरे कार्य का भुगतान नहीं किया गया है ।

जांच का प्रश्न नहीं उठता । स्वीकृत सड़कों का पूरा होना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अम्बेडकर नगर, क्षेत्र जहांगीरगंज के कतिपय मार्गों पर लेपन स्तर तक निर्माण की मांग

154–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार के शासनादेश के बावजूद जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शुक्ल बाजार से मरौचा होते हुये नहर तक औराव से इंडीपिंडी होते हुये नसीरपुर तक, गिरेया नहर से होते हुये बंगालपुर निषाद बस्ती तक अहिरौली रानी मऊ से सरजू नगर तक निकसपुर दुबौलिया से रुकमलपुर होते हुये अतरैल नाले तक के मार्ग को लेपन स्तर तक बनवाया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उन पर निर्माण कार्य शुरू कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद अम्बेडकर नगर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिला योजना की धनराशि के दुरुपयोग की जांच

155–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि पूर्व अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अम्बेडकर नगर श्री गौरी शंकर द्वारा फरवरी, 2000 जिला योजना के धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा भ्रष्टाचार से अपार धन अर्जित करके लखनऊ जैसे शहर में तीन होटल तथा मकान बनवाया गया है क्या सरकार इसकी सर्तकता जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

तथ्यों की जानकारी हेतु विभागीय स्तर से प्राथमिक जांच कराई जायेगी । तदोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद अम्बेडकर नगर के कतिपय विकास खण्डों के विभिन्न मार्गों की मरम्मत

156–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में गड्ढा मुक्त किये गये सड़कों की दी गयी 29-12-2000 की सूची में अंकित सभी सड़कों की मरम्मत कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि विकास खण्ड रामनगर तथा जहांगीरगंज अन्तर्गत बसखारी राजेसुल्तानपुर से पिकिया नदी

तक व जहांगीरगंज से कमरिया होते हुये गढ़वल तथा राजेसुल्तानपुर तक, रामनगर चहोड़ा नया गांव होते हुये मंसूरगंज तक, परसनपुर से बुढनपुर तक मार्ग वर्तमान समय में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं किन्तु उक्त सूची में गड्ढा मुक्त दिखाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

157–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में ग्राम पंचायतों को शिक्षा मित्र की नियुक्ति हेतु अधिकार

158–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायतों को क्या शिक्षा मित्र की नियुक्ति के लिये प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया है ? क्या इसमें निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये राजाज्ञा में कोई प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार राजाज्ञा में इस प्रकार का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद, अवर अभियन्ता (टोंस) पम्प नहर प्रखण्ड के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

159–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री क्षमानाथ दुबे, अवर अभियन्ता (टोंस) पम्प नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार की चल रही जांच के संबंध में उन्हें स्थानान्तरित कर जांच कराये जाने विषयक श्री कृष्ण मोहन लाल, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 24-2-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

श्री क्षमानाथ दुबे, अवर अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता (जांच) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी–460/जांच अनुभाग, दिनांक 16-2-2001 द्वारा निलम्बित कर मुख्य अभियन्ता, सोन, सिंचाई विभाग, वाराणसी से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के वन विभाग की देखरेख में अवैध रूप से शीशम के पेड़ कटवाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र

160–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-2-99 एवं 4-4-99 जो वन विभाग की देख-रेख में जनपद शाहजहांपुर में अवैध रूप से शीशम के पेड़ कटवाने के संबंध में थे, जिला अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला अधिकारी शाहजहांपुर

ने उक्त पत्रों को दिनांक 25-2-99 एवं 5-4-99 को प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग शाहजहांपुर को जांच के लिये भेजा है ? यदि हां, तो क्या प्रभागीय निदेशक द्वारा उक्त जांच कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

प्रश्नकर्ता मा०, विधायक का पत्र संख्या 042066 तथा एक अन्य दिनांक रहित पत्र जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में प्राप्त हुए थे, जो तिलहर में वृक्षों के अवैध कटान के सम्बन्ध में थे। यह दोनों पत्र जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, शाहजहांपुर को जांच करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 6-4-99 को प्रेषित कर दिये गये थे।

उक्त शिकायतों की जांच वन संरक्षक, बरेली क्षेत्र से कराकर यथोचित कार्यवाही करने के निदेश प्रमुख वन संरक्षक, उ० प्र० लखनऊ को दे दिये गये हैं।

जनपद शाहजहांपुर के मिरानपुर कटरा में वन विभाग के बैरियर पर ट्रैक्टर/ट्रक से अवैध धन वसूली

161–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के छठे मंगलवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जांच अधिकारी ने जांच के समय साक्ष्य देने के लिये शिकायत कर्ता/प्रश्नकर्ता को बुलाया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त जांच किसी अन्य उच्च अधिकारी से कराकर प्रश्नकर्ता को साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी नहीं।

प्रश्नगत शिकायत जनपद शाहजहांपुर के मिरानपुर कटरा के बैरियर पर अवैध धन वसूली के संबंध में थी। चूंकि मिरानपुर कटरा में वन विभाग का कोई बैरियर स्थापित नहीं है, अतः जांच के समय साक्ष्य हेतु शिकायतकर्ता को बुलाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष से मा० विधायक जी को पत्र दिनांक 10-5-99 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

जांच वरिष्ठ अधिकारी से पूर्व में ही करायी जा चुकी है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद, बौद्ध पर्यटक स्थल संकिसा में पर्यटकों हेतु आवास गृह की व्यवस्था एवं विकास हेतु संघर्ष समिति का मांग-पत्र

162–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बौद्ध पर्यटक स्थल संकिसा जनपद फर्रुखाबाद में विदेशी पर्यटकों/देशी पर्यटकों को ठहरने/रुकने की कोई सरकारी व्यवस्था है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब से वह सुविधा पर्यटकों को उपलब्ध हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)–

जी हां।

बौद्ध पर्यटक स्थल संकिसा, जनपद फर्रुखाबाद में 16 कक्ष तथा 4 डारमेटरी व रेस्टोरेन्ट युक्त पर्यटक आवास गृह के भवन का निर्माण कराया गया है। उक्त आवास गृह को पर्यटन निगम द्वारा दिनांक 31-1-2001 को ग्रहण कर लिया गया है। उक्त आवास गृह का निगम द्वारा संचालन

व्यावसायिक रूप में हानिप्रद बताया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

163—श्री राम औतार शाक्य–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13-10-2000 को बौद्ध पर्यटक स्थल संकिसा जनपद फर्रुखाबाद में संकिसा नुवित संघर्ष समिति (उ० प्र०), बौद्ध विकास परिषद, उ० प्र० (एटा/फर्रुखाबाद) द्वारा संकिसा की समस्याओं अथवा उसके विकास हेतु कोई मांगपत्र/ज्ञापन उन्हें दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद, बौद्ध पर्यटक स्थल संकिसा में बुद्धागमन समारोह में विकास हेतु कथित घोषणायें

164—श्री राम औतार शाक्य–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13-10-2000 को बौद्ध पर्यटक स्थल, संकिसा जनपद फर्रुखाबाद में बुद्धागमन समारोह के अवसर पर उन्होंने संकिसा के विकास के लिये घोषणायें की थीं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? क्या वहां के विकास हेतु घोषित 25 लाख रुपये की धनराशि की घोषणा की थी ? यदि हां, तो वह धनराशि अब तक किस रूप में और किसे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

उ० प्र० राज्य सेतु निगम में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को बिना आर्थिक लाभ के पद नाम प्रदान करने हेतु गठित समिति

165—श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उ० प्र० राज्य सेतु निगम में अपने मूल पद से हटकर कार्यालय में कार्य करने वाले कार्य प्रभारित अधिष्ठान के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को उनकी वर्तमान श्रेणी नियमित ग्रुप ए/बी तथा वर्तमान वेतन/पारिश्रमिक में ही पदनाम प्रदान करने की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक के पत्रांक 1038 ई०एस०बी०/51 डब्लू०सी०ई०/99 दिनांक 29-9-99 द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सभी आवेदक कार्मिकों को पदनाम दे दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

केवल 110 श्रमिकों को बिना किसी आर्थिक लाभ के पद नाम प्रदान किया गया है।

75 श्रमिकों के आवेदन पत्र 31 दिसम्बर, 99 के बाद प्राप्त हुए थे। इस संबंध में महाप्रबन्धक स्तर पर गठित समिति के परीक्षणोरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

जनपद चन्दौली, विकास खण्ड नौगढ़ के कउबाघाट पर कर्मनाशा नदी पर पुल निर्माण की मांग

166—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद चंदौली अन्तर्गत विकास खण्ड नौगढ़ में कर्मनाशा नदी के कउबाघाट पर पुल निर्माण न होने से क्षेत्रीय ग्रामीणों को लगभग 15 कि०मी० दूरी का चक्कर लगाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत पुल का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

जनपद चन्दौली, ब्लाक शहाबगंज के छित्तमपुर भू-मसाखांड–रोड के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग व वन विभाग द्वारा भूमि विवाद के कारण निर्माण पर रोक की जानकारी

167—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–चंदौली के शहाबगंज ब्लाक अन्तर्गत छित्तमपुर –भू मसाखांड–रोड के निर्माण हेतु विधायक कोटे के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग वाराणसी को वर्ष 1989-90 में कितना धन अवमुक्त किया गया था ? क्या वन विभाग की आपत्ति पर लो०नि०वि० द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका ? यदि हां, तो क्या सरकार अवमुक्त धनराशि व विभाग, जनपद–चंदौली को तत्काल स्थानान्तरित कर प्रश्नगत मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधायक कोटे से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में रु० 4.00 लाख का 4 कि०मी० लम्बाई में खड़ंजा स्तर तक का कार्य स्वीकृत हुआ था तथा इसके सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रु० 3.08 लाख का उपयोग कर लिया गया है।

वन विभाग द्वारा भूमि विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण शेष निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका।

सम्प्रति सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ, राज्य सम्पत्ति विभाग की सचिवालय कालोनी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हटवाने की मांग

168—श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 1ले मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय कालोनी बन्दरियाबाग की भूमि पर किन-किन व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा जुलाई, 2000 तक बरकरार है ? क्या यह सही है कि उक्त अनाधिकृत कब्जा करने वालों द्वारा अवैध निर्माण कराकर सरकार की करोड़ों रुपयों की जमीन हड़प ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को समाप्त कर अनाधिकृत कब्जा करने वालों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जांच के दौरान सचिवालय कालोनी बन्दरियाबाग की भूमि पर अस्थाई प्रकृति के अनाधिकृत टीनशेड/छप्पर के निर्माण पाये गये हैं, जिसकी सूची संलग्न है।

जी नहीं। उक्त अनाधिकृत अस्थाई निर्माण को नियमानुसार हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. 157 पर)

कार्यालय रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण

169–श्री उदय राज यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा वर्ष 1998 में लखनऊ में विभिन्न सेण्टर के माध्यम से करायी गयी थी जिसका परिणाम वर्ष 1999 में निकाला गया है ? यदि हां, तो उक्त परीक्षा मे लखनऊ के कुल कितने छात्र/छात्राएं उत्तीर्ण हुये ? क्या यह सही है कि उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ आज तक नहीं दिया गया है ?, यदि हां, तो क्यो ? इस अनियमितता के लिये दोषी विभिन्न स्कूल के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्र किशोर–

जी हां ।

जनपद लखनऊ के उक्त परीक्षा में 127 छात्र/छात्रायें उत्तीर्ण हुए थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बलरामपुर, क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं में अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के छात्रों की फर्जी छात्रवृत्ति वितरण की जांच

170—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं में अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के छात्रों की फर्जी सूची के माध्यम से छात्रवृत्ति निकाले जाने की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–2/31545 गोण्डा दिनांक 22-2-2000 के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जांच हेतु शिक्षा निदेशक, बेसिक को निर्देश दिये जा चुके हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के कतिपय विकास खण्डों में नालियों के निर्माण में गुणवत्ता की जांच की मांग

171—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड उतरौला श्रीदत्तगंज गैडास बुजुर्ग में नलकूपों की नालियों के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुरूप कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सिंचाई उ० प्र० लखनऊ को प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ख–2/581045 व ख–2/581049 तथा ख–2/581048 दिनांक 12-11-99 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

प्रदेश के विधान सभा सदस्यों हेतु उपलब्ध कराये गये फ्रिज व कूलर तथा ओ० सी० आर० की लिफ्ट खरीद की जांच अपराध अनुसंधान से कराये जाने की मांग

172–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा सदस्यों को आपूर्ति कराये गये फ्रिज व कूलर तथा ओ०सी०आर० की लिफ्ट खरीद की जांच आर्थिक अपराध शाखा से कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/ एम० 31485/गोण्डा/2000 दिनांक 19-2-2000 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

कूलर एवं फ्रिज शासकीय उपक्रम उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से प्रतिष्ठित फर्मों से क्रय किये गये हैं । अतः आर्थिक अपराध शाखा से जांच का आधार नहीं है । ओ० सी० आर० की लिफ्ट की खरीद की जांच सतर्कता विभाग को संदर्भित है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत रविदास नगर भदोही में विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम बलीपुर में प्राथमिक विद्यालय का मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अवरुद्ध निर्माण कार्य

173–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में विश्व बैंक योजना द्वारा वर्ष 1997-98 में वि-खण्ड सुरियावां के ग्राम बलीपुर में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रथम किस्त रु० 1.00 लाख अवमुक्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ होकर छत स्तर तक निर्माण कार्य हो चुका है ? यदि हां, तो विद्यालय के निर्माण कार्य को रोकने का क्या कारण है ? क्या सरकार जांच कराकर जनहित में उक्त भवन निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां । प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त रु० 1.00 लाख तथा द्वितीय किश्त रु० 94,000/- अर्थात कुल रु० 1,94,000/- की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्थगन आदेश दिनांक 26-7-99 के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है । मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप यथासमय कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा व मैनपुरी की बेवर फीडर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य एवं व्यय धनराशि का विवरण

174–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–59 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेवर फीडर परियोजना जनपद एटा व

मैनपुरी कब से कार्यरत हैं और क्या उक्त परियोजना से वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि तकनीकी दृष्टि से यह परियोजना गलत बनी है और मौके पर यह बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बेवर फीडर परियोजना द्वारा माह 7/99 से लगभग 100 से 190 क्यूसेक जल बेवर शाखा को उपलब्ध कराया गया है ।

परियोजना से कुल 350 क्यूसेक जल प्राप्त होना था । मार्जिनल बांध का कुछ कार्य अवशेष होने से अभी पूर्ण मात्रा में जल प्राप्त नहीं हो पाया है ।

जी नहीं । परियोजना में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं है और न ही मौके पर बन्द पड़ी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं है ।

175–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी एवं एटा में बेवर फीडर सिंचाई परियोजना को पूरा कराये जाने का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था ? वांछित लक्ष्य में से कितने प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्त हुई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त परियोजना में अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ? क्या यह परियोजना अब भी निर्माणाधीन है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बेवर फीडर परियोजना के पुनरीक्षित कार्यक्रम अनुसार इसे 3/99 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित किया गया था ।

परियोजना के मुख्य अवयवों पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 7/99 से सिंचाई हेतु बेवर शाखा नहर को लगभग 100 से 190 क्यूसेक तक जल उपलब्ध कराया गया है ।

परियोजना पर दिनांक 31-3-99 तक रु० 42.43 करोड़ व्यय हो चुका है ! इसके बाद इस परियोजना पर कोई धनावंटन नहीं हुआ है ।

केवल मार्जिनल बांध के कुछ भाग का निर्माण एवं इस भूमि तथा डूब क्षेत्र की भूमि का प्रतिकर किया जाना शेष है । यह कार्य धन उपलब्ध होने पर कराया जाना प्रस्तावित है तथा इन बांध के पूर्ण होने पर ही सिंचाई हेतु पूर्ण मात्रा में जल उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम बुधवाना में बहुगुल नदी सेतु निर्माण में अनियमितताओं की जांच में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

176–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-9-98 को या इसके आस-पास जो जिला शाहजहांपुर में मदनापुर–परौर मार्ग पर ग्राम बुधवाना में बहुगुल नदी सेतु निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच किये जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । प्रश्नकर्ता का कोई भी शिकायती पत्र बहुगुल नदी सेतु निर्माण में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ । प्रश्नकर्ता के दो शिकायती-पत्र दिनांक 24-8-98 तथा

8-9-98 अवश्य प्राप्त हुए थे, किन्तु यह शिकायती-पत्र बहुगुल नदी सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण में अनियमितताओं से सम्बन्धित थे।

उक्त शिकायती-पत्रों पर जांच कराई गई तथा दोषी पाये गये सहायक अभियंता को परिनिन्दित करने का दण्ड दिया जा चुका है और दोषी अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड खेसरहा के कतिपय ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य

177–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मेहनुआ ग्राम पंचायत चिऊटहा, विकास खण्ड खेसरहा, जनपद सिद्धार्थ नगर में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि की द्वितीय किश्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा न जारी करने के कारण भवन निर्माण कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा देगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय मेहनुआ, विकास खण्ड खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर के भवन निर्माण हेतु अवशेष 60% धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है और कार्य प्रगति पर है।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड ऐलिया के खराब नलकूपों को ठीक कराने की मांग

178–श्री रमेश राही–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया स्थित नलकूप सं० 72 लगभग दो वर्षों से खराब पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नलकूप ठीक कराये जाने का आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप का निर्कास अत्यधिक कम हो जाने के कारण नलकूप संख्या–72 सी को माह अगस्त, 2000 में बन्द कर दिये जाने की सूचना प्राप्त हुई।

नलकूप में गिरे पम्पसेट को प्रयास कर निकाल लिया गया है। तदोपरान्त जांच करने पर नलकूप का निकास बढ़कर सन्तोषजनक हो गया है। वर्तमान में नलकूप विद्युत लाइन के तार चोरी होने के कारण बन्द है।

विद्युत दोष दूर होने पर नलकूप को चालू करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत रविदास नगर के विकास खण्ड भदोही के कतिपय मार्गों हेतु अवमुक्त धनराशि से निर्माण कार्य कराने की मांग

179–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के वि० खं० भदोही मे अम्बेडकर ग्राम अहमदपुर फुलवरिया सम्पर्क मार्ग वाराणसी भदोही मार्ग से अहमदपुर फुलवरिया हेतु वर्ष 1997-98 में जिला योजना द्वारा 1.5 कि०मी० सड़क निर्माण हेतु 8.84 लाख तथा 0.5 कि०मी० सड़क निर्माण हेतु 2.04 लाख रुपया लो०नि०वि० को अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1997-98 में 1.50 कि०मी० "शून्य से लेपन" तथा 0.5 कि०मी० में सोलिंग से लेपन अर्थात् कुल 2.00 कि०मी० लम्बाई में 1.58 लाख की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जी हां ! वर्ष 1998-99 में उक्त कार्य पर आवंटित धनराशि से कार्य प्रारम्भ किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर के कतिपय राजस्व ग्रामों में सींच कर की जानकारी

180– श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील बीघापुर, जिला उन्नाव के राजस्व ग्राम सारू खेड़ा, रग्घूखेड़ा, टेढ़ा, बारा, पाटन, खरझारा, पनहन, तेवरिया, धीनाखेड़ा, अढौली आदि ग्रामों में खरीफ 1406 फसली की सींच अवैधानिक रूप से लगायी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में शारदा नहर का पानी सींच के लिये गया ही नहीं ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों के काश्तकारों की सींच माफ की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, यह तथ्य सही नहीं है।

खरीफ 1406 फसली में खरझारा, अढौली एवं धीनाखेड़ा ग्रामों को छोड़कर अन्य ग्रामों में पानी गया है।

जी नहीं, जिन ग्रामों में सींच हुई है उन्हीं का ही सींच कर लगाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर की भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० II तुलसीपुर द्वारा सिद्धार्थनगर में चकरोड निर्माण का प्रकरण

181– श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कार्यरत भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० II तुलसीपुर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1997-98 में तिलांग परियोजना विकास खण्ड मिढवल जनपद सिद्धार्थनगर में चकरोड का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या वह कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप कराया गया है ? क्या सरकार इसकी स्थलीय जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० II तुलसीपुर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के ग्रामखुपसिहवा में कराये गये भूमि सुधार कार्य

182–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कार्यरत भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० II तुलसीपुर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में ग्राम खुपसिहवा भूमि सुधार 1350 हेक्टेयर विकास खण्ड बढ़नी तथा

सिहोरवा भूमि सुधार 106.90 हेक्टेयर विकास खण्ड बढ़नी व डिवली भूमि सुधार व मधवापुर भूमि सुधार तथा शोहरवा भूमि सुधार विकास खण्ड इटवा का कार्य स्थल पर मानक व गुणवत्ता के अनुरूप कराया गया है ? क्या सरकार उक्त की स्थलीय जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

कार्य नहीं कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर, भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी०-II तुलसीपुर द्वारा ग्राम लेसा के कतिपय विकास खण्डों में भूमि सुधार के कार्य

183–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कार्यरत भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० 11 तुलसीपुर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में ग्राम लेसा भूमि सुधार 288.70 हेक्टेयर विकास खण्ड सोहरतगढ़ व ग्राम कगहिया भूमि सुधार 215.14 हेक्टेयर विकास खण्ड सोहरतगढ़ तथा ग्राम मधवापुर भूमि सुधार 112.50 हेक्टेयर विकास खण्ड सोहरतगढ़ का कार्य स्थल पर मानक व गुणवत्ता के आधार पर कराया गया है ? क्या सरकार उक्त कार्यों की टी०ए०सी० से जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

कार्य नहीं कराया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर, भूमि संरक्षण इकाई, डी० पी० ए० पी० II द्वारा कतिपय ग्राम विकास खण्डों के विभिन्न ग्रामों में भूमि सुधार के कराये गये कार्यों की जांच

184–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कार्यरत भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० II तुलसीपुर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में ग्राम बीरपुर जाता भूमि सुधार विकास खण्ड भनवापुर तथा ग्राम भालूकोनी भूमि सुधार विकास खण्ड डुमरिया गंज तथा ग्राम अमौना तिवारी भूमि सुधार विकास खण्ड डुमरियागंज का कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप कराया गया है ? क्या निर्माण कार्य में धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इसकी स्थलीय जांच टी०ए०सी द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

भूमि संरक्षण इकाई, डी० पी० ए० पी० गोण्डा–2, स्थित तुलसीपुर जनपद बलरामपुर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में संबंधित ग्रामों की संबंधित परियोजनाओं पर कोई कार्य नहीं कराया गया है । वर्ष 97-98 में बीरपुरजोत ग्राम के अन्तर्गत एम० बी०/सी० आर० का निर्माण किया गया है, जिस पर रु० 159894.00 तथा ग्राम भालूकोनीजप्ती विकास खण्ड डुमरियागंज में एम० बी/सी० आर० का निर्माण कराया गया तथा जिस पर मानक के अनुरूप रुपया 199844.00 का व्यय हुआ है । ग्राम अमौनी तिवारी विकास खण्ड डुमरियागंज में भी एम० बी/सी० आर० का निर्माण कराकर मानक के अनुरूप रु० 244964.00 का व्यय किया गया है । उक्त समस्त कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० II द्वारा विगत वर्षों में कतिपय ग्रामों में भूमि सुधार हेतु गुणवत्ता व मानक के अनुसार कराये गये कार्य

185–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कार्यरत भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० 11 तुलसीपुर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में ग्राम विशुनपुर भूमि सुधार विकास खण्ड इटवा तथा जोगीमुण्डा भूमि सुधार विकास खण्ड इटवा व ग्राम–बुडियापार भूमि सुधार विकास खण्ड भनवापुर का कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस कार्य में धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त की स्थलीय जांच टी०ए०सी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० गोण्डा–2 स्थित तुलसीपुर जनपद बलरामपुर द्वारा वर्ष 1996-97 में जनपद सिद्धार्थनगर में कोई कार्य नहीं कराया गया है । वर्ष 1997-98 में ग्राम विशुनपुर विकास खण्ड इटवा में एम० बी०/सी०आर० का निर्माण कराया गया है । जिस पर मानक के अनुरूप रु० 179916/- तथा ग्राम जोगीकण्ड विकास खण्ड इटवा एवं ग्राम बुढ़ियाटायर, विकास खण्ड भनवापुर में भी एम० बी०सी०आर० का निर्माण कराकर क्रमशः 74824.00 एवं 162150.00 का व्यय किया गया है । उक्त कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० II तुलसीपुर द्वारा विगत वर्ष समस्त चक मार्गों का मानक व गुणवत्ता के अनुसार निर्माण कार्य

186–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कार्यरत भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० II तुलसीपुर द्वारा वर्ष 2000-2001 में कराये गये समस्त चक मार्ग का कार्य क्या मानक व गुणवत्ता के आधार पर कराये गये हैं ? क्या निर्माण कार्यों की स्थलीय जांच टी०ए०सी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० II तुलसीपुर द्वारा कराये गये कार्यों/उसमें व्यय धनराशि की जानकारी

187– श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० 11 तुलसीपुर द्वारा वर्ष 1999-2000 से कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये हैं तथा किस परियोजना पर कितना धन व्यय किया गया है ? क्या निर्माण कार्यों में किये गये धन के दुरुपयोग की स्थलीय जांच टी०ए०सी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० द्वितीय तुलसीपुर द्वारा वर्ष 1999-2000 में सूखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०), सुनिश्चित रोजगार योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना तथा दस लाख कूप परियोजना में क्रमशः रु० 23.896 लाख, रु० 2.31 लाख, रु० 15.80 लाख तथा रु० 24.299 लाख का व्यय कंटूर बांध, मार्जिनल बांध, चकरोड, तालाब, पक्की संरचना, जल निकास नाला आदि कार्य कराये गये हैं।

धन का सदुपयोग किया गया है अतः टी० ए० सी० द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० द्वारा ग्राम बायभीट चक मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग की जानकारी

188– श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० 2 तुलसीपुर द्वारा ग्राम बायभीट चक मार्ग पर पुलिया का निर्माण व सहदेइया 2 तथा नन्द महरा 2 पर वर्ष 1998-99 में स्वीकृत पुलियों का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि निर्माण कार्य कराये बिना फर्जी ढंग से धन निकाल कर निर्माण के धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दुरुपयोग किये गये धन की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

बायभीट और नन्दमहरा–2 में पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है परन्तु सहदेइया–2 में पुलिया का निर्माण कराया गया है।

बायभीट में स्वीकृति के अभाव में तथा नन्दमहरा–2 में धन के अभाव में पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा सका है।

धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत, शारदा नहर प्रणाली कमाण्ड इकाई बिलसण्डा में भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध जीप इंजन चोरी/बिक्री कर देने की जांच पर कार्यवाही

189– श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत शारदा नहर प्रणाली कमाण्ड इकाई बिलसण्डा में तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध वर्ष 1995 से वर्ष 1998-99 के मध्य विभागीय जीप के इन्जन को चोरी से बिक्री कर देने की जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी हां।

प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया श्री जनार्दन दुबे, भूमि संरक्षण अधिकारी दोषी पाये गये, इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

190–श्री उबैदुर्रहमान–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 1 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई। पहली सूचना श्री गोमती यादव की है, वह उपस्थित नहीं हैं, दूसरी सूचना डा० वकार अहमद शाह की है, वह उपस्थित नही हैं, तीसरी सूचना श्री रामकुमार एडवोकेट की है वह पढ़ी हुई मानी गयी, चौथी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की है जो पढ़ी हुई मानी गयी, पांचवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है जो पढ़ी हुई मानी गयी, छठी सूचना श्री दीप लाल भारती की है जो पढ़ी हुई मानी गयी, सातवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की है वह उपस्थित नहीं हैं, प्रतीक्षा सूची में दो सूचनाएं हैं पहली सूचना श्री आर्य राम करन की है जो पढ़ी हुई मानी गयी, दूसरी सूचना श्री शिव सिंह चक की है इनकी सूचना अस्वीकृत की गई।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद उन्नाव के सभी प्रमुख स्थानों पर गेहूं-क्रय केन्द्र खोले जाने तथा भुगतान में विलम्ब करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम कुमार एडवोकेट–

[मान्यवर, प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के प्रत्येक जनपद के सभी प्रमुख स्थानों पर खाद्य विभाग, राज्य भण्डारागार निगम व पी० सी० एफ० द्वारा गेहूं क्रय केन्द्र संचालित किये जाते हैं। इस वर्ष सरकार द्वारा गेहूं खरीद दर 610/- रुपया प्रति कुन्तल निर्धारित की गयी है। परन्तु उन्नाव जनपद में अभी तक कुछ ही स्थानों पर क्रय केन्द्र खुले हैं और कुछ क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद केन्द्र के बैनर तो लगे हैं, परन्तु वहां ताले लटक रहे हैं जिससे किसान अपनी जरूरतों शादी ब्याह आदि के खर्च हेतु बाजार में औने-पौने दामों में अपना गेहूं बेचने को मजबूर हैं, जो किसान समीप के क्रय केन्द्र पर गेहूं बेच रहे हैं, उनको वहां की स्थानीय बैंक का चेक न देकर दूर-दराज पर स्थित जिला मुख्यालय के बैंक की चेक दी जाती है, जहां किसानों से बिना कमीशन लिये भुगतान नहीं किया जाता है, जैसे ईश्वरदीन पुत्र गया प्रसाद निवासी प्यारेपुर, ब्लाक सिकन्दरपुर उरोसी, जिला उन्नाव ने अपना गेहूं साधन सहकारी समिति लि० प्यारेपुर, सिहुरा क्रय केन्द्र पर दि० 25-4-2000 को बेचा। उसे जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव, मु० 13054 रु० की चेक नं०–026467, दिनांक 25-4-2001 को दी गयी, परन्तु बैंक में कमीशन न देने पर उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ है। इसी प्रकार प्रदेश के सैकड़ों किसान बैंक से भुगतान पाने को दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं जिससे किसानों में व्यापक असंतोष और आक्रोश व्याप्त है।-

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्नाव जनपद के सभी प्रमुख स्थानों पर शीघ्र क्रय केन्द्र खोले जाने तथा भुगतान में विलम्ब होने और बिना कमीशन लिये भुगतान न किये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्रान्तर्गत अग्निकाण्ड से प्रभावित गांववासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव–

[महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद–फैजाबाद, तहसील–मिल्कीपुर क्षेत्र में माह फरवरी, 2001 से अब तक 12 गांव में ग्राम विरौसीग्राम, कटघरा, उमरहर, चौधरीपुर, पूरे लाल मजरे कुदवा, अदिलपुर, घोड़वल, अमावा सूखी, जिगनाही, भवन नगर सरौली, दर्शन में भयंकर अग्निकाण्ड हो जाने के कारण क्रमशः पांच घर, 11 घर, 10 घर, 40 घर, 20 घर, 30 घर, 30 घर, 29 घर, 25 घर, 24 घर, 10 घर, व 15 घर जल कर पूरी तरह नष्ट हो गये हैं। उस गांव में तत्काल सहायता पहुंचाये जाने के नाम पर कई दिन बाद बैंक के चेक द्वारा सहायता दी गई। पूरी तरह नष्ट घरों के स्वामियों को अहेतुक सहायता राशि क्रमशः 600 व 1000 रुपया तक ही दी गयी है। जबकि शासनादेश के अनुसार रुपया 1500 दी जानी चाहिए। पुरी तरह नष्ट घरों को गृह अनुदान के रूप में रुपया 5000 से अधिक सहायता दी जानी चाहिए। परन्तु गांव छोड़कर अन्य सभी गांवों को 2100 की अधिकतम सहायता दी गयी है। उल्लेखनीय है कि तहसील रुदौली में अग्निकाण्ड की सहायता नगद दी गयी है परन्तु तहसील मिल्कीपुर में चेक के माध्यम से दी गयी है। जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है और वे भुखमरी के कगार पर हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस गम्भीर एवं लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराई जाय।]

जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट के निवारण हेतु हैण्डपम्पों के रिबोर कराने एवं नये हैण्ड पम्प लगवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[मान्यवर, माननीय सदन के समक्ष अविलम्बनीय लोक महत्व एवं अति संवेदनशील समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करता हूं कि फिरोजाबाद जनपद में भू-गर्भ जल स्तर के निरन्तर नीचे गिरते जाने पर पेयजल का घोर संकट पैदा हो गया है जिससे फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचल में त्राहि-त्राहि मची हुई है। तालाब पोखरा हैण्ड पम्प सूखे पड़े हैं, जंगली पशु-पक्षी पानी के अभाव में तड़पते हुए दो बूंद पानी की तलाश में दर्जनों की संख्या में मरे पड़ते देखे गये हैं। मोर पक्षी भी इस प्यास का शिकार होने लगा है।

मेरे क्षेत्र फिरोजाबाद में करीब 350 हैण्ड पम्प सूखे में खड़े पानी देना बन्द कर गये हैं जिससे पेयजल का घोर संकट पैदा हो गया है। ग्राम समूह पेयजल योजना को निर्मित उसमानपुर और अलहदानपुर भी पेयजल योजना पेयजल आपूर्ति नलकूपों के बन्द पड़े रहने तथा पाइप लाइनों के टूट जाने पर पेयजल आपूर्ति नहीं कर पा रही है जिससे पेयजल का घोर संकट व्याप्त हो गया है। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती।

अस्तु अनुरोध है कि तत्काल युद्ध स्तर पर सुखे खड़े हैण्ड पम्प रिबोर कराये जायें और नये हैण्ड पम्प के लगाने का काम युद्ध स्तर पर हो तथा तालाब, पोखर को भराने के आदेश दें। ताकि जनजीवन की रक्षा हो सके।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर कमिश्नरी में गैर अनुसूचित जाति के लोगों को फर्जी अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र देने पर रोक लगाने एवं धोखे से जारी कराये गये प्रमाण-पत्रों को निरस्त करके वास्तविक अनुसूचित जाति के वर्ग को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दीप लाल भारती–

[महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए आरक्षण लागू किया है जिसके तहत शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की फीस माफ रहती है तथा छात्रवृत्ति भी मिलती है और शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने पर नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाता है, इससे उक्त आरक्षित वर्ग का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा हो रहा है । गांव सभाओं में सदस्य/ग्राम प्रधान/बी० डी० सी० प्रमुख पद भी आरक्षित रहते हैं, ठीक इसी प्रकार विधान सभा/लोक सभा में भी आरक्षण लागू है । अनुसूचित जाति के आरक्षण होने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को उच्च वर्ग के साथ सामान्जस्य बनता जा रहा है और उनका स्तर शनैः-शनैः ऊंचा हो रहा है । अभी भी अनुसूचित जाति/दलित वर्ग काफी पीछे है ।

प्रदेश में अस्पृश्यता/छुआछूत का आधार मानकर ही अनुसूचित जनजाति को आरक्षण व्यवस्था लागू है किन्तु उ० प्र० के ही गोरखपुर कमिश्नरी में गैर अनुसूचित जाति के सपृश्य लोग जो भूजा-भूजने तथा कहारी करने और उच्च घरानों सवर्णों के यहां चौका बरतन धोने व भोजन बनाने वाली कहार गोड भड़भूजा जाति के कतिपय व्यक्ति मिर्जापुर जनपद के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गोंड जाति के सूकर पालने वाले अस्पृश्य जातियों की भांति अपने को अ० जा० का फर्जी जाति प्रमाण-पत्र राजस्व विभाग से निर्गत कराकर धोखाधड़ी करके वास्तविक अ० जा० के चमार, डोम, धोबी, दुसाव, पासी इत्यादि जाति के लोगों के हकों पर शोषण कर रहे तथा सरकार को गुमराह कर रहे हैं । पिछड़ी जाति तथा अ० जाति दोनों का लाभ ले रहे हैं । प्रदेश में अ० जा०/जनजाति के आरक्षण पर राजनैतिक डकैती डालने वालों का फर्जी अन० जाति प्रमाण-पत्र मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट सं० 9091/2001 बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेडकर अनुसूचित जाति संघर्ष समिति गोरखपुर यूनिट बूढ़नपुर कुशीनगर आदि बनाम उ० प्र० सरकार में दिनांक 17-3-2001 को पारित आदेश पालन करते हुए तत्काल खारिज करके दोषियों को कठोर दण्ड दिया जाना जनहित में होगा ।

अस्तु ऐसे लोक महत्व के प्रकरण को उठाकर उ० प्र० सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वी उ० प्र० में स्पृश्य (सपूता) (गोंड़) कहार जाति के अस्पृश्य (अछूत) अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने से रुका है तो रोका जाये तथा धोखे से जो प्रमाण-पत्र का लाभ दिया गया है, उसे समाप्त कर वास्तविक अनुसूचित जाति वर्ग को तत्काल न्याय दिलाया जाय ।]

जनपद हाथरस के सादाबाद विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर्य रामकरन–

[मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूं । जनपद हाथरस के सादाबाद विधान सभा क्षेत्र में कोई महाविद्यालय छात्र-छात्राओं के लिये नहीं है जिससे क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है । इसके अलावा अधिकांश लोग महाविद्यालय दूर होने के कारण जैसे आगरा, हाथरस अपने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लड़कियों को बाहर भेजने से हिचकिचाते हैं और इसी कारण की वजह से वहां की अधिकांश लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

सादाबाद विधान सभा छोड़कर नजदीक की ऐसी कोई विधान सभा नहीं है जहां लड़कियों की शिक्षा हेतु महाविद्यालय की व्यवस्था न हो चाहे जलेसर, एटा, सिकन्दरराऊ, हाथरस, खेर, अलीगढ़ क्यों न हो। इस समस्या को लेकर सादाबाद विधान सभा क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है। स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक बनी हुई है जो किसी भी समय विस्फोटक रूप धारण कर सकती है। इस समस्या को लेकर धरना, प्रदर्शन आदि किये जा रहे हैं।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सादाबाद विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय बनाये जाने हेतु सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जिला योजना की स्वीकृतियां अभी तक जारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 1 मई, 2001 को नियम–300 के अन्तर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह और डा० अशोक बाजपेयी की है। यह नियम–300 में तो आती नहीं है वैसे भी इस पर काफी कुछ कहा जा चुका है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसमें काफी हो गया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियम 300 में इसलिये आती है क्योंकि 1982-83 में इसी विधान सभा के द्वारा जिला योजनाओं का गठन किया गया था और मान्यवर, इसे विधान सभा ने इसलिये गठित किया था, उसका मूल उद्देश्य यह था कि जिला योजना का जो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है और जो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है वह इसलिये कि जनप्रतिनिधियों की उस योजना में कोई सहभागिता नहीं होती इसलिये इसको प्रारम्भ किया यही इसका उद्देश्य था कि पूरे जिले का समग्र विकास हो सके। लेकिन मान्यवर, अगर आप देखें कि सरकार ने बिना बताये बिना किसी कारण के इस जिला योजना को समाप्त करने का काम किया है। मान्यवर, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं यह केवल एक पी० डब्लू० डी० की सड़कों के बारे में था यह केवल एक पी०डब्लू०डी० की सड़क के बारे में नहीं है। पूरे हर विभाग की जिला योजनाएं वहीं बनती थी और एक क्षेत्रीय मंडलीय मंत्री उसकी अध्यक्षता करता था और सभी प्रतिनिधि उसमें भाग लेते थे और उसके बिना पर वह योजना तैयार की जाती थी एकाएक उस योजना को सरकार ने समाप्त कर दिया। मान्यवर, इतना ही नहीं पी० डब्लू० डी० वाले में आपने मुझे समय नहीं दिया। प्रधान मंत्री योजना केन्द्र सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना जिला योजना के द्वारा ही जनप्रतिनिधियों को मिलती है वह योजना ही इन्होंने समाप्त कर दिया और मंत्री जी ने जवाब दिया कि इसकी व्यवस्था की जायेगी। बजट में कहां प्राविधान है बजट में प्राविधान होगा तभी तो वह धन देंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा यह सरकार रोज नये-नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हुकुम सिंह जी आपसे आग्रह है कि एक परम्परा जो बनी है उसको समाप्त मत करिये। समाप्त करना आसान है लेकिन उसको फिर से चलाना मुश्किल होगा। इन परम्पराओं को जो स्वस्थ परम्परायें हैं उनको कायम रखिये। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप संरक्षण दें और सरकार को हिदायत दें कि जिला योजना को समाप्त करने का काम न करे।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इसलिये इसकी आवश्यकता पड़ी कि वर्ष 1981-82 में जिला योजना का निर्णय विधान सभा द्वारा लिया गया था, इसलिये लिया गया था कि जो असंतुलित विकास हो रहा है, उसको

समाप्त किया जाय और क्षेत्रीय विषमता दूर हो और जिला स्तर पर विकास की योजनायें तैयार हों। इस रूपरेखा के साथ पिछले दो दशकों से जिला योजना का कार्य विधिवत् रूप से चल रहा था और विकास को दिशा मिल रही थी। यह पहली बार [× × ×] असंवैधानिक ढंग से इसको समाप्त कर दिया गया जबकि वर्ष 2000-2001 में इस सरकार ने बजट प्रस्तुत किया, जिला योजना की स्वीकृतियां जनपदवार निर्धारित की गयीं, उसके अनुसार बजट पारित हुआ, लेकिन पहली बार कार्यपालिका ने विधान सभा में लिये गये निर्णयों, पारित प्रस्तावों को नजर अंदाज करके मनमाने ढंग से इसको समाप्त कर दिया, इससे एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। जो निर्णय विधान सभा द्वारा लिये गये थे, जो बजट बनाये गये थे, जो स्वीकृतियां हुई थीं, उनका धन सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष में नहीं दिया। इस समय सारे विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं और एक अनिश्चितता की स्थिति व्याप्त हो गयी है। जिस पैसे का बजट में प्राविधान था, वह पता नहीं, कहां चला गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी। क्या कार्यपालिका को अधिकार है कि विधान सभा में स्वीकृत अनुदानों को मनमाने ढंग से परिवर्तित कर दे। आज इस बात पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि कार्यपालिका इसी तरह मनमाने ढंग से सब चीजों का दुरुपयोग करती रहेगी तो फिर विधान सभा का औचित्य क्या रह जायेगा। हम यहां डेढ़-दो महीने बैठकर निर्णय लेंगे, बजट अनुदानों को पास करेंगे और मंत्रिपरिषद् मनमाने ढंग से निर्णय करेगी तो गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी, इससे ज्यादा समीचीन और कोई औचित्य का विषय हो नहीं सकता, आप इस पर अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें। शासन ने भी निर्दिष्ट किया है–

"द स्टेट गवर्नमेन्ट आर कमिटेड टू रिड्यूस इन्टररीजनल डिसपैरिटीज थ्रू इट्स पालिसीज आफ रीजनल प्लानिंग एण्ड मेकिंग एडीक्वेट रिसोर्सेज अवेलेबुल फार बैकवर्ड रीजन्स। द गवर्नमेन्ट हैव देयर फोर नाऊ डिसेन्ट्रलाइज्ड द एरिस्टिंग प्लानिंग प्रोसेस। द प्लान स्कीम्स हैव बीन क्लासीफाइड इन टू द फालोविगं टू कैटेगरीज।

(ए) डिस्ट्रिक्ट सेक्टर स्कीम्स एण्ड

(बी) स्टेट सेक्टर स्कीम्स.।

आन द बेसिस आफ दिस क्लासीफिकेशन 30 परसेन्ट आफ टोटल प्लान आउटले हैज बीन इयरमार्कड फार डिस्ट्रिक्ट सेक्टर स्कीम्स एण्ड द रेस्ट 70 परसेन्ट हैज बीन सेट अपार्ट फार द स्टेट सेक्टर स्कीम्स। इन आर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिवीजीबुल डिस्ट्रिक्ट सेक्टर आउटले एमंग्स्ट द बैरियस डिस्ट्रिक्ट आफ द स्टेट, ए फारमूला वेज्ड आन द पापुलेशन एण्ड लेवेल आफ डेवलपमेन्ट वाज एडाप्टेड विद द फालोविंग इण्डीकेटर्स.

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कैसे आ जायेगा ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, स्टेट गवर्नमेन्ट का स्वयं निर्णय है कि जो डिसपेरीटीज हैं, उनको समाप्त करने के लिए राज्य योजना और जिला योजना बनाई जायेगी। इस पर आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद कुमार जी, यह नियम 300 में कैसे आयेगा ?

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह ऐसा औचित्य का विषय है, इसके लिये जो भी कारण हो सकते हैं, जो भी तथ्य हो सकते हैं, वह सब इसमें मौजूद हैं । यह विधान सभा मान्यवर, गठित है । विधान सभा में निर्णय लिया गया, विधान सभा से पारित हुआ, विधान सभा से पारित होने के बाद एक परम्परा भी बन गई, यह कोई आज की बात नहीं है, बल्कि इसका निर्णय 82-83 में लिया गया था, उस समय कांग्रेस सरकार थी । उसके बाद से यह लगातार चलता रहा, इसके परिणाम भी अच्छे आये । जो विधायक कुछ भी नहीं करा पा रहा था, सत्तारूढ़ दल का न होने के नाते या मंत्री न होने के वजह से, उनके क्षेत्र में भी विकास होता रहा । धीरे-धीरे पिछले 2 साल से यह परम्परा समाप्त कर दी गयी । जो जिला बैठकों में हम लोगों ने निर्णय लिये थे, जो वहां स्वीकृत किया था, जनपद की रूपरेखा बनाई थी, वह समाप्त कर दी गयी । अब आपने कहा कि यह नियम 300 में कैसे आता है, यह मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न है, यह ऐसा विषय है जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है, बजट हम पारित करते हैं, इससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है, सदन में जो निर्णय लेते हैं, उससे कार्यवाही विनियमित होती है, अब यह अलग बात है कि वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा या नहीं । इस प्रकार एक निर्णय लिया गया, आपकी पीठ से वोटिंग कराई गई, मतदान हुआ और मतदान करने के बाद बजट में पारित होता है तो जो बजट में पास हो गया, तो क्या मंत्री परिषद् को यह अधिकार है कि वह इस सदन में हुए निर्णय को पलट दे और अपने निर्णय को लागू कर दे । मान्यवर, यह अवमानना का प्रश्न है । मान्यवर, यह आपकी अवमानना का प्रश्न है । आपने निर्णय लिया, आपके निर्देश से यहां एक निर्णय लिया गया और आपके निर्णय को ये लोग अस्वीकार कर दें ? मान्यवर, आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें और सरकार को निर्देश दें कि जो जिला योजना के लिए धनराशि स्वीकृत है, उसके लिए आप कड़ा निर्देश दें । मान्यवर, इसको केवल प्रश्न के रूप में ही न सुनें, निर्णय भी दें । कोई कुर्सी स्थाई नहीं होती ये आज मंत्री हैं, कल सन्तरी हो जायेंगे । हम लोग इधर हैं उधर पहुंच जायेंगे । लेकिन मान्यवर, हम एक आश्वासन देना चाहते हैं हम चाहे इधर रहें या उधर रहें, आप वहीं रहेंगे ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, इस पर सुविचारित निर्णय दें ।

*श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न उठाया गया है, जहां तक मुझे जानकारी है जिला योजना में कोई प्राविधान इस प्रकार का नहीं है कि ये कहां रहेंगे । सपना देख रहे हैं, सपना ही रहेगा । मान्यवर, जिला योजना जो शुरू में बनी थी वह अपनी जगह कायम है और विस्तार से इस बारे में चर्चा प्रश्न प्रहर में हो चुकी है । विस्तार से लोक निर्माण मंत्री ने इस बात पर प्रकाश भी डाला है । यह बात सही है कि 2000-2001 में जो प्रावधान किया था उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हो पाई है, अमल नहीं हो पाया और मंत्री जी ने यह भी बताया कि अमल क्यों नहीं हो पाया और उन्होंने आश्वासन भी दिया । एक वर्ष कठिनाई का दौर रहा लेकिन कठिनाई के रहते हुए जिला योजना के प्रावधानों के अनुरूप फैसले किये गये थे कि पैसा जिला योजना में चला जाय । सड़कों के निर्माण के बारे में भ्रान्तियां भी रही हैं, इस पर स्पष्ट आश्वासन यहां आ चुका है । मान्यवर, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं । इस सदन में एक बहुत ही स्वस्थ व्यवस्था बनी हुई है, बजट के प्राविधानों के बारे में । जितनी स्वस्थ और अच्छी व्यवस्था यहां पर बनी हुई है, शायद बहुत से स्थानों पर नहीं होगी । मान्यवर, एकाउन्टेंट जनरल परीक्षण करते हैं कि बजट के प्रावधानों के अनुरूप खर्च हुआ कि नहीं हुआ, यदि नहीं हुआ है तो उसमें सम्बन्धित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकारियों को एकाउन्टेबिलिटी फिक्स होती है, सम्बन्धित अधिकारियों का दोष निर्धारित होती है। इसके लिये विधान सभा की एक सबसे सशक्त समिति लोक लेखा समिति है, उसमें यह बात जाती है वहां अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि जो प्रावधान थे बजट में उनके अनुरूप कार्यवाही हुई या नहीं हुई। मान्यवर, जो सदस्य बोल रहे थे वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं उनके सामने सारे प्रकरण आते हैं। मान्यवर, सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जब हम प्रावधानों का पालन खुद नहीं कर पाते तो ऐसा प्रश्न उठाकर, जो समिति बनी हुई है, जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था को स्वयं समाप्त कर रहे हैं। यह प्रश्न आज का नहीं है। हमारा प्रयास होगा कि हम इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें। केवल औचित्य के रूप में इस प्रश्न को उठाकर सारी व्यवस्था को डाइलूट कर देना उचित नहीं होगा। दोनों बातों को मैंने कह दिया, कोई भी इस व्यवस्था में संशोधन और परिवर्तन नहीं है। जो स्वरूप जिला योजना का है वह बरकरार है।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्तुत सूचना पर कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अशोक बाजपेयी, श्री प्रमोद कुमार एवं श्री अखिलेश सिंह को तथा मा० संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत आती नहीं है। अतः मैं इसको निरस्त करता हूं।

आज से वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ हो रही है। माननीय सदस्यों को जिला योजना सहित अन्य विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने का समुचित अवसर प्राप्त होगा। वह चाहेंगे तो सामान्य चर्चा में इस विषय को पुनः उठा सकेंगे।

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या 4 ले रहा हूं।

उ० प्र० तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2000-2001) का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति 2000-2001 का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5 एवं 6 में कुछ नहीं है।

तृतीय सत्र 1998 दि० 14 जुलाई को श्री राम औतार शाक्य के अतारांकित प्रश्न संख्या–39 के उत्तर के संबंध में निदेश सं० 166 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना (शोधन वक्तव्य)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 1998 को श्री राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश सं०–166 के अन्तर्गत सदन को देता हूं।

(सदन की सहमति से सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत श्री राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे मंगलवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–39 के संबंध में, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 को अभिसूचित सूचना के संबंध में शोधन वक्तव्य

---

† छापा नहीं गया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ाअ हुआ माना गया।

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	शोधित उत्तर
39—क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी जनपद के संबंध में अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अनुभाग–1 के अर्द्धशा० पत्रांक सं०–3802/23-197-17 सी(2) 91, दिनांक 18-10-97 के क्रम में कतिपय पेन्टिंग स्तर तक पक्की सड़कें बनवाये जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी का पत्रांक–2220/19एम०जी०, दिनांक 17-12-97 का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ?	जी हां ।	जी हां ।
यदि हां, तो उसमें अब तक कौन-कौन सी सड़कें किस योजना में स्वीकृत हो चुकी हैं ?	जिला योजना 1997-98 के अन्तर्गत निम्न तीन मार्ग स्वीकृत हो गये :– 1–हन्नूखेड़ा से लेहर वाया मरहरीनगला हिम्मतसहपुरी तक मार्ग । 2–जी० टी० रोड मार्ग से अम्हेरा तक मार्ग । 3–भानपुर हारी मार्ग से बागपुर वाया बिल्सडा मार्ग।	जिला योजना 1997-98 के अन्तर्गत निम्न तीन मार्ग स्वीकृत हो गये हैं :– 1–हन्नूखेड़ा से लेहरा वाया मरहरीनगला हिम्मत सहपुरा तक मार्ग (2.30 कि०मी० लम्बाई हेतु) । 2–जी० टी० मार्ग से अम्हेरा तक मार्ग । 3–भानपुर हारी मार्ग से बागपुर वाया बिल्सडा मार्ग ।
क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में प्रस्ताव के क्रम सं०–2, 4, 5 व 7 की पूरी सड़कें राज्य योजना अथवा किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत करेगी ?	संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।	संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।
यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार ।	उपरोक्तानुसार ।

निदेश संख्या–166(2) के अन्तर्गत दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण

माननीय सदस्य पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–39 त्रुटिपूर्ण उत्तर प्रेषित किये जाने के संबंध में दोषी अधिशासी अभियन्ता (श्री विनेन्द्र कुमार जैन) को भविष्य में सावधानी रखने हेतु दिनांक 6 मार्च, 2001 को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।]

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 1 मई, 2001 को नियम 56 में 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं एवं नियम–311 में प्राप्त 1 सूचना को नियम–56 में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं :–

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अखिलेश सिंह एवं डा० अशोक बाजपेयी तथा श्री जगदम्बिका पाल एवं श्री लालजी वर्मा की प्रदेश में नियमित विद्युत आपूर्ति न होने से जनमानस को हो रही भीषण कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

यह घटना बार-बार मा० जगदम्बिका पाल ही के साथ क्यों हो रही है कि उनके फर्जी दस्तखत होते हैं। इस सूचना को निरस्त क्यों न कर दिया जाए ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, हमारी सूचना अलग से है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर,ऐसा मत करिये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सूचना पर मैंने स्वयं हस्ताक्षर किया है।

श्री अध्यक्ष–

कुंवर साहब मैं आपके हस्ताक्षर को पहचानता हूं, लेकिन अगर बार-बार यह घटना होगी तो ठीक नहीं है। विधान सभा की कार्यवाही को हल्के ढंग से लिया जा रहा है यह उचित नहीं है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पेंशन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

फर्जी काम काफी हो रहे हैं। मान्यवर, एक बार तो जांच हो जाये, क्योंकि ऐसा मामला है अगर किसी सदस्य के हस्ताक्षर फर्जी होते हैं तो सदन की अवमानना का प्रश्न बनता है इसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, ऋतु परिवर्तन के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है जिसका सामना करने के लिए यह सरकार बिल्कुल भी तैयार नज़र नहीं आती। मौसम चेंज हुआ है और जो परिस्थितियां बनती हैं यह सदैव अप्रल के महीने में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। 41–44 तथा 45 तक तापमान पहुंच गया है और सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वह नहीं उठा पा रही है। मान्यवर, यह गम्भीर समस्या है। एक जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है इस पर मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय। आज मान्यवर, जो भी कारण हो ओबरा या आनपारा में विद्युत संयंत्रों की गड़बड़ी के कारण पूरा प्रदेश विद्युत संकट से प्रभावित हुआ है। कल यह भी पढ़ने को मिला है कि कोयला समय से नहीं मंगाया गया उसके कारण भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। नहरों में पानी नहीं, पोखरों में पानी नहीं, आज जो भी लोग कहीं भी जा रहे हों अगर वो प्यासे हों तो उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कहीं भी सरकार ने पानी की व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, निःसन्देह यह परिस्थितियां जो आज हैं, यह 15 मई के बाद बनती थी। कुछ परिवर्तनों के कारण 25 दिन पहले बन गया है। यह सरकार उसके लिए क्या कर रही है, पूरे प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है। कहीं भी यह सरकार नजर

नहीं आ रही है। यहीं में जब तापमान 40 से ऊपर चला जाता है तो सभी डैकेशन की जाती है, बच्चों की छुट्टी की जाती है, अब स्कूलों में छुट्टी 14 मई या 20 मई के बाद होगी जबकि तापमान 43-44 डिग्री सेंटिग्रेड से ऊपर पहुंच गया है और इस तापमान में बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। जब बच्चे 12-1 बजे इस तिपतिपाती धूप में लौट रहे हैं तो उसका प्रभाव उन पर पड़ रहा है और कई बच्चे अस्पताल में पड़े हैं। मान्यवर, इस समय शादी-ब्याह का भी सीजन है, संक्रामक बीमारियां बुरी तरह से फैल रही हैं और सरकार कहीं भी इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार की आदत है कि विपक्ष जो कहता है उसका उल्टा सरकार कहता है। अब जबकि तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है सरकार कहेगी कि सर्दी लग रही है। मौजूदा जो हालत है सरकार की पैदा की हुई नहीं है और प्राकृतिक कारणों से भी सरकार से जानना चाहता हूं कि मौजूदा परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार की क्या योजना है ? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चों के स्कूल बन्द नहीं हुए हैं। सरकार की क्या क्या योजना है ? मैं कार्य-स्थगन के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा कि यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है, ज्वलन्त है और सामान्य जनजीवन से जुड़ा हुआ है, पूरा प्रदेश इससे प्रभावित है। अतः इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह :

मान्यवर अध्यक्ष जी, कल जब इस गम्भीर विषय पर मैंने प्रश्न उठाया था तो आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि वह जब जवाब दें तो इसका भी जवाब दे देंगे लेकिन कदाचित माननीय मुख्य मंत्री जी भूल गये और जवाब भी दिया तो शायद कोई समुचित जवाब नहीं दिया। कल ऊर्जा मंत्री जी ने इसका क्यों नहीं जवाब दिया मैं नहीं जानता ? आज प्रदेश में विद्युत संकट है ओबरा और अनपारा की इकाई बन्द है सोनिया जी सबसे बड़ी बात सामने आयी है वह यह की कोयला न मिलने के कारण संकट पैदा हुआ है ओबरा और अनपारा में मैकेनिकल स्लैक के कारण। ओबरा में कोयला न मिलने के कारण संकट पैदा हुआ है और इस संकट से पूरा प्रदेश प्रभावित है। ऊर्जा मंत्री जी गांव से सम्बन्ध रखते हैं, लगाई जोरों पर है ग्रामीण अंचलों में बिजली नहीं मिल रही है। इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, मेरठ, लखनऊ आदि शहरों में भी बिजली कटौती हो रही है। मान्यवर, यह स्थिति है, आज बड़ी ही विषम स्थिति पैदा हो गयी है और आज तक सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है और न ही सरकार ने इस बात का खुलासा किया है कि यह स्थिति कब तक खत्म होगी। मान्यवर, यह जन सामान्य से जुड़ा बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है, यह सामान्य जीवन से जुड़ा प्रश्न है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल गर्मी, गर्मी चार, पांच गुना बढ़ गयी है लेकिन मान्यवर, इसमें सरकार का कहीं कोई दोष नहीं है लेकिन यह सरकार का दायित्व है कि जो विषम स्थिति पैदा हो गयी है आज नहरों में, कुओं में, पोखरों में पानी सूख गया है वहां पानी नहीं रह गया है आज गांवों में जानवर पानी के बिना प्यासे मर रहे हैं उनके लिए कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गयी। आज ग्लोबल वार्निंग अप के कारण गर्मी बहुत बढ़ गयी है ग्रामीण अंचलों की हालत तो और भी बदतर हो रही है आज इतनी गर्मी हो रही है कि स्कूल और कालेज बन्द हो जाने चाहिए। आज पानी और बिजली की भारी किल्लत है आज इस सरकार को इस विषम स्थिति को दूर करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए लेकिन मान्यवर, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से इस बात का जवाब आना चाहिए, मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

* श्री अखिलेश कुमार सिंह

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज अप्रैल माह में जो गर्मी देखने को मिली है इतनी गर्मी पिछले 50 सालों में कभी नहीं पड़ी आज प्रदेश एक तरफ प्राकृतिक [illegible] की गलत नीतियों के कारण भी जनता परेशान है। [illegible] संवेदनशील नहीं है अभी तक बिजली सस्ती में [illegible] जितनी की आज अप्रैल में पड़ रही है आज गांवों में जानवरों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, शहरों में पानी नहीं [illegible] सूख गये हैं, कहीं पर भी जानवरों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, शहरों में कहीं पर भी इन्सानों के पीने के लिए पानी के नल की व्यवस्था नहीं [illegible] है। [illegible] में जानवर प्यासे मर रहे हैं बोरिंग और आगरा की इकाइयां तकनीकी दिक्कतों [illegible] व्यवस्था न होने के कारण बन्द पड़ी हैं। सरकार यह घोषणा करती है कि गांवों में भी बिजली पहुंचा [illegible] लेकिन [illegible] मैं समझता हूं कि गांवों में 3-4 घण्टे से अधिक बिजली नहीं दी जा रही है [illegible] बिल्कुल ही नहीं पहुंच रही है। मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है [illegible] पानी की व्यवस्था न होने के कारण गांवों में तरह-तरह की संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर भी सरकार [illegible] है इसलिए [illegible] अध्यक्ष महोदय मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करें।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्थगन प्रस्ताव पर हमारे [illegible] बिजली पर चर्चा की है जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में [illegible] 50 वर्षों में अप्रैल के महीने में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी है। आज गर्मी के [illegible] में [illegible] संकट पैदा हो गया है। आज ऐसा लगता है कि किसान अपने फसल की सिंचाई [illegible] लेकिन बिजली की आपूर्ति न होने के कारण किसान के [illegible] में बाधा पहुंच रही है। नदियों में पानी नहीं है तालाबों में पानी नहीं है और जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। सरकार ने [illegible] भरने के लिए ट्यूबवेल नहीं चलाये न ही नहरों से तालाबों को भरा जिससे और भी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। प्रदेश के लाखों विद्युतपम्प खराब हैं। प्रदेश में भीषण [illegible] मरम्मत की व्यवस्था नहीं की गयी है केवल [illegible] की गयी है सरकारी क्षेत्र के जो नलकूप हैं वह सरकार की तुगलकी नीति के कारण खराब पड़े हैं बिजली की आपूर्ति न होने के कारण [illegible] से निपटने के लिए सरकार को कोई त्वरित कार्य योजना बनानी चाहिए। [illegible] स्कूल जाते हैं उनके लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और स्कूलों को बन्द करना चाहिए लेकिन स्कूल अभी तक बन्द नहीं किये गये हैं। इसलिए इस गम्भीर विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा गया है निश्चित रूप से यह स्वीकार करने योग्य है। आज किसानों को गेहूं की मड़ाई करनी है लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। पिछली बार 30 प्रतिशत किसानों का गेहूं उनके घरों में नहीं जा पाया था आज भी मौसम का जो रुख है उससे लगता है कि समय पर मड़ाई नहीं हो पायेगी। सदन 3-4 दिन बन्द रहा और उस बीच मैंने गांव में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाकर देखा है कि बिजली की आपूर्ति की दशा बहुत खराब है। [illegible] में पूरे 14-15 घंटे बिजली की आपूर्ति ठप रहती है। मैंने कंट्रोल रूम से बात की तो बताया गया कि कल 6-7 बजे से पहले बिजली नहीं आयेगी। जब दो-तीन घंटे बिजली मिलने से किसान कैसे अपनी सिंचाई कर सकेगा। बिजली न आने से नायद की फसलों को कैसे उगाया जा सकेगा। आज परीक्षायें हो रही हैं विद्यार्थी बिजली न मिलने से कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। पूरे प्रदेश में बिजली की [illegible] हाहाकार मचा है। यह बहुत ही तात्कालिक और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मैं सदन के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 10-20 वर्षों में इतनी खराब विद्युत की आपूर्ति कभी नहीं रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें ताकि हम इस समस्या के निदान के लिए कोई सार्थक सुझाव दे सकें। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न को आज कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करके चर्चा कराने का कष्ट करें।

* ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)–

श्रीमन्, यह कहना तो सत्य नहीं है कि विद्युत समस्या के लिए सरकार गम्भीर नहीं है। मैंने स्वयं दिल्ली में रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय से सम्पर्क किया। मैंने आज ही एक कमेटी गठित किया है। ओबरा बिजली घर में जो कोयले की समस्या है, आनपरा में जो 500 मेगावाट की मशीन रोजाना बन्द हो रही है इसको गम्भीरता से लिया है और एक कमेटी गठित किया है जिसमें ऊर्जा सचिव और मुख्य मंत्री जी के तकनीकी सलाहकार सदस्य बनाये गये हैं।

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए)

ऊर्जा सचिव अशोक खुराना और मुख्य मंत्री के तकनीकी सलाहकार श्री जी० पी० सिंह दो लोगों की एक समिति गठित कर दी है उनसे कहा गया है कि एक सप्ताह में वह अपनी रिपोर्ट दें कि क्या कारण था कि ओबरा में कोयला नहीं पहुंचा। कल मुख्य मंत्री जी ने भी इस संबंध में सदन को अवगत कराया था मैं भी आज घोषणा कर रहा हूं कि इस संबंध में जो भी दोषी पाया जायेगा उसको दण्ड जरूर दिया जायेगा। जैसा कि प्रमोद जी ने भी कहा कि यह सही है कि इस वर्ष अप्रैल में जितनी गर्मी पड़ रही वह रिकार्ड है। यह भी सही है कि बिजली की मांग हर वर्ष बढ़ रही है और उत्पादन बढ़ नहीं रहा। 1992 से उत्तर प्रदेश में कोई नया पावर स्टेशन नहीं लगा आज भी हम बिजली इम्पोर्ट कर रहे हैं। 2400 मेगावाट बिजली इम्पोर्ट कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

बिजली शाम को आती ही नहीं है कटौती की बात अलग है।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, आज की जो स्थिति है उसके अनुसार हमारा उत्पादन 2,013 मेगावाट तापीय, जलीय 511 मेगावाट हम इम्पोर्ट कर रहे हैं 2,402 मेगावाट कुल उपलब्धता 4,926 मेगावाट है मांग 5,776 मेगावाट यह 9 बजे तक की स्थिति है। कटौती 850 मेगावाट की कर रहे हैं। यह सही है कि जितनी बिजली हमें देनी चाहिए उतनी बिजली हम नहीं दे पा रहे हैं। हमने सी० एम० डी० से बात की उन्होंने बताया कि ओबरा आनपारा में 4 तारीख तक 500 मेगावाट की यूनिट चालू हो जाएगी 4 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में इतनी बिजली की कटौती नहीं रहेगी स्थिति लगभग सामान्य हो जाएगी। यह सही है कि मांग और उत्पादन में अन्तर बढ़ता जा रहा है लेकिन जो रूटीन कटौती रहती है वही 4 तारीख के बाद रहेगी। इस बीच हम जिलाधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं कि वह शाम को दुकानें जल्दी बन्द करा दें तथा जो शो रूम में ए० सी० लगे हैं उनको न चलाया जाए। इससे स्थिति में कुछ सुधार होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा–

शाम को बिजली रह ही नहीं रही है । विशेषकर अम्बेडकर नगर में तो शाम को बिजली जाती है और सुबह 5 बजे के पहले बिजली नहीं आती है । 12-12 घंटे बिजली नहीं रह रही है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

हमने 4 तारीख को ओबरा के नवीनीकरण के सम्बन्ध में एक बैठक बुलाई है क्योंकि हमारे सामने यह समस्या है कि ओबरा इतना बड़ा बिजलीघर है वहां पी० एल० एफ० बहुत कम है ओबरा के नवीनीकरण का निर्णय 4 तारीख को ले लेंगे जिससे वहां का प्लांट लोड फैक्टर नेशनल प्लांट लोड फैक्टर के बराबर हो जाए । ओबरा में कोयले की कमी को दूर किया है । आनपारा से डब्लू०सी०एल० से कुछ कोयला ओबरा पहुंचा दिया है, आज शाम तक ओबरा में दो मशीनें और चालू हो जाएंगी जिससे 200 मेगावाट बिजली और ज्यादा उत्पादित होने लगेगी । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि 4 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में इस तरह का बिजली संकट नहीं रह जाएगा । मेरा अनुरोध है कि इसे कार्य-स्थगन के रूप में न स्वीकार किया जाए तथा इसे अस्वीकृत किया जाए ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अम्बेडकर नगर में क्या इसलिए बिजली की कटौती की जा रही है कि वहां के लोगों ने बहन मायावती को जिताया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मायावती जी को एक ही क्षेत्र की नेता माना जा रहा है आप यह बता दें कि मायावती किस श्रेणी की नेता हैं मैं उत्तर दे दूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने इस बात को माना है कि आनपारा और ओबरा में इनकी लापरवाही से खराबी आई है यह दोष सरकार का है इस अक्षमता के लिए और अपूर्ण जवाब देने के लिए मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संबंधित कार्य-स्थगन मेरा कुंवर रेवती रमण सिंह जी, डा० अशोक जी, श्री अखिलेश जी, श्री लालजी वर्मा इन सभी का है और इनके कार्य-स्थगन में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जवाब दे दिया । हमने एक बिन्दु उठाया था सिंचाई पेयजल आदि के सम्बन्ध में । इसमें सरकार का दोष नहीं है कि इस बार अप्रैल में सबसे ज्यादा गर्मी रही है । तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है । मैं सरकार को दो सुझाव देना चाहता हूं कि जो पेयजल का संकट है उससे निपटने के लिए खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाय और प्रत्येक विधायक को 100-100 हैण्डपम्प देकर उन्हें युद्धस्तर पर लगाने का कार्य किया जाय तभी इस समस्या से निबटा जा सकता है । आज बुन्देलखण्ड में यह समस्या सबसे ज्यादा है । कृपया सरकार से इस बात का उत्तर तो दिला दीजिए कि वह यह आश्वासन देगी कि प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर कम से कम 100 हैण्डपम्प लगाये जायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी ने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम–56 के अन्तर्गत पहली सूचना पर श्री प्रमोद कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह, लालजी वर्मा को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती अतः मैं इसे निरस्त करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर न आने तथा इस सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण मैं अपने दल के साथ इस सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पानी का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है और मान्यवर, विद्युत का तो यह आलम है कि 12-12 घंटे बिजली नहीं आती है ऊपर से तपतपाती धूप। किसान क्या करे। यदि बिजली नहीं आयेगी तो सिंचाई कैसे होगी पेयजल संकट कैसे दूर होगा।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री समरपाल सिंह के बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने दूसरी सूचना ले ली है। आप कृपया बैठ जाय।

श्री समरपाल सिंह–

पूरे प्रदेश में बिजली का संकट है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली न आने के कारण किसान अपनी फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आप जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जा रहा है। मैंने अगली सूचना बुला ली है।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, बिजली न आने के कारण ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। किसानों की फसल तबाह हो रही है। इस मसले पर सरकार उदासीन है और कोई उपाय नहीं कर रही है। सरकार के इस उदासीन रवैये के चलते मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री समरपाल सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

*श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आज पूरे देश में श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। हमारे प्रदेश में इस सरकार के द्वारा जिस तरीके से बाल श्रमिक और श्रमिकों का शोषण किया गया किसी भी सरकार ने इस तरह से इनका शोषण नहीं किया। आज पूरे देश की आबादी का 1/4 भाग वह लोग हैं जो मजदूरी करके किसी तरीके से अपना पेट पालते हैं। अगर देखा जाय तो सरकार ने श्रमिकों के उत्थान और विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। यदि कोई योजना इन श्रमिकों और बाल श्रमिकों के लिए बनी है तो वह सिर्फ कागजों पर ही रह गयी है। आप देखिये मान्यवर, आज जिस तरीके से श्रमिक ढाबे, चाय की दुकान, होटल, इमारतों और जहां पर खेतिहर भूमिहीन मजदूर हैं वहां पर उनका शोषण किया जा रहा है। इस तरह का शोषण श्रमिकों का आज तक की किसी सरकार में नहीं हुआ जितना इस सरकार में हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम विशुन आजाद--

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में सबसे ज्यादा त श्रमिक हैं और वहां पर उनका शोषण किया जा रहा है। चाहे फिरोजाबाद हो, अलीगढ़ हो, मिर्जापुर हो या लखनऊ हो आज जो उम्र उनके पढ़ने लिखने की है 10-12 साल के 8 साल के उनको बन्धुआ श्रमिक बनाकर उनका चारित्रिक हनन किया जा रहा है यह इस सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है। मान्यवर, आप लखनऊ के अन्दर ही देख लें सरकार की नाक के नीचे दारुलशफा, रायल होटल आप जायं वहां पर सामने जो चाय की दुकानें हैं वहां पर बाल श्रमिकों का दोहन और शोषण किया जा रहा है। आज श्रमिक दिवस है, सरकार को चिन्ता होनी चाहिए श्रमिकों के लिए अच्छी से अच्छी योजना बनायें ताकि उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके। मान्यवर, 1881 में एक कानून बनाया गया कि कारखाना अधिनियम के तहत पहली बार बाल मजदूरों के लिए विशेष उपबन्ध को रखा गया कि बाल मजदूरों का शोषण न किया जाय न बेगार लिया जाय। भारत सरकार ने भी कारखाना अधिनियम, 1948 बनाया कि इनका शोषण न किया जाय। इसके बावजूद भी श्रमिकों का शोषण हो रहा है। यदि इस कानून का कठोरता से पालन किया जाय तो समझ लीजिये कि श्रमिकों का उत्थान हो सकता है। मान्यवर, ईंट भट्ठों पर जो बाल श्रमिक हैं उनको 10–15 रुपये देकर बेगारी ली जाती है। खेतों पर 10–15 रुपये देकर काम कराया जा रहा है। इसी तरह से मान्यवर, श्रमिकों का, बाल श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न के माध्यम से सारे सदन का ध्यान इस ओर लाते हुए कि आज श्रमिक दिवस है सरकार को चाहिए कि इस पर एक घंटे की चर्चा करवाये तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न द्वारा चर्चा की मांग करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में दो-तीन बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं। किसी भी सरकारी संस्थान गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने के घंटे आठ होते हैं। 12-14 घंटे नहीं होते हैं इस सरकार में फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़ जहां कांच, चूड़ी के कारखाने हैं जहां लोहे की ढलाई होती है, ताले का कारखाना अलीगढ में है। यहां आठ घंटे के स्थान पर 12 घंटे काम लिया जा रहा है। मैं इस तथ्य को इसलिये आपके सामने रखना चाहता हूं कि उच्च तापमान की भट्टियों पर लोग काम करते हैं, आगरा में उच्च तापमान की भट्टियों पर लोग काम करते हैं यह लोग आठ घंटे काम करते हैं आठ घंटे में बीच में आधा घंटा रेस्ट होना चाहिए। श्रम कानून में यह नियम है कि कार्यदिवस आठ घंटे का होगा तो उसमें आधा घंटा रेस्ट का होगा इसलिये मैं ग्राह्यता पर जोर देता हूं और कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में लोग 12 घंटे काम करते हैं, उनसे 12 घंटे काम लिया जा रहा है,रेस्ट न मिलने के कारण उनको डी-हाइड्रेशन हो जाता है और पसीना आना बन्द हो जाता है, जिसके कारण वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक-एक घंटे तक बेहोशी छायी रहती है, होश नहीं आता है और उनके प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी वहां पर नहीं है चाहे वह आगरे के ढलाई कारखाने हों चाहे अलीगढ़ के ताले के कारखाने हों चाहे वह फिरोजाबाद की कांच की चूड़ी के कारखाने हों कहीं फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है, यह लोग शहर से बाहर जाकर दवा लेते हैं सुई लगवाते हैं और फिर लौटकर आकर फिर काम करते हैं। श्रीमन्, श्रमिक कानून में व्यवस्था है कि आठ घंटे से ज्यादा काम लिया जायेगा तो ओवर टाइम का भुगतान किया जायेगा, जिस अनुपात में ओवर टाइम किया जाएगा उसी अनुपात में भुगतान किया जाएगा। ऐसी नीति श्रमिक कानून में है जो लोग आपत्ति करते हैं कि आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे तो उन लोगों को काम नहीं दिया जाता है। उनको काम से अलग कर देते हैं। कारखानों में रेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। ओवर टाइम भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है आठ घंटे के बदले 12 घंटे काम लिया जाता है उसके दुष्परिणाम हो रहे हैं। पांव बेलन से अधिक काम लिया जा

रहा है। जिसके कारण गैर सरकारी संस्थाओं ने छटनी की नीति अपना ली है। दो बेलन बन्द करके तीन बेलन पर काम पांच बेलन से अधिक ले रहे हैं। मजदूरों का शोषण हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि छटनी की नीति जो चला रहे हैं बिना लाभ दिए छटनी की नीति अपना रहे हैं और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। कार्यदिवस अगर आठ घंटे का है तो उसमें आधे घंटे का अवकाश नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर उन कर्मचारियों के लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है और यदि काम अधिक चलता है तो ओवर टाइम की भुगतान होना चाहिए। यह एक ऐसी ज्वलन्त समस्या है और लाखों श्रमिक छटनी की कगार पर पहुंच गये हैं और इससे बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो गयी है। इस पर कार्य रोककर चर्चा कराई जाय। यह लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। जो उच्च तापमान की भट्टियों पर काम करते हैं। उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है और आंखों में रतौंधी बीमारी हो जाती है तो इस भयावह स्थिति पर कार्यवाही रोककर चर्चा होना आवश्यक है। मान्यवर, 12, 14 घंटे काम वह लोग कर रहे हैं अगर नहीं करते हैं तो मुश्किल में पड़ जायेंगे। मान्यवर, यह जी० ओ० है कि अगर बाल श्रमिक पाया जायेगा उस कारखाने में जुर्माना होगा और सरकार पर भी उसी अनुपात में जुर्माना होगा। तो सरकार इस जुर्माने से बचने के लिए इसका सर्वेक्षण नहीं करा रही है। यह दोनों प्रश्न अत्यन्त ही ज्वलनशील हैं और अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न हैं इस पर चर्चा कराया जाना अवश्यम्भावी है।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, आपने मुझे श्रमिक अधिकारों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है उस पर बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश के इस रवैये के रहते हुए बाल श्रमिकों का उत्पीड़न हो रहा है और जो मानसिकता बनी है और लगातार उद्योगों और व्यापारियों द्वारा जिस तरह से श्रमिक कानूनों का हनन हो रहा है, जो खुले तौर पर धज्जियां उड़ायी जा रही हैं उससे एक व्याकुलता छायी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज का दिन इस मुद्दे के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज 1 मई है और हम लोग इसे मई दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई, 1880 में 8 घंटे कार्यदिवस का अधिकार लेने का काम किया था। जो हमारा मूल्य सूचकांक है वह कहां जा रहा है, महंगाई कहां जा रही है उस हिसाब से जो न्यूनतम वेजेज है वह समय से लागू हो रहे हैं या नहीं इन दो चीजों के लिए कानून बने हैं वे श्रमिक विभाग द्वारा लागू नहीं किये जा रहे हैं। तो न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की संस्तुतियों के आधार पर दरें दें। मान्यवर, जितनी भी फैक्टरीज हैं, उनके प्रतिष्ठान हैं उसका कभी भी निरीक्षण करने के लिए उनको बन्द करने के लिए सेवायोजकों को शासन से अनुमति लेनी आवश्यक थी। उसमें श्रमिकों की न्यूनतम संख्या 100 थी। अब जिस तरह से उस संख्या को बढ़ाकर 999 किया गया है इससे तो सेवायोजकों को खुली छूट दी जा रही है। किसी भी प्रतिष्ठान की शिकायत मिलने पर निरीक्षण का अधिकार डिप्टी लेबर कमिश्नर और श्रम अधिकारी को दिया गया था लेकिन अब इस अधिकार को जिलाधिकारी एवं आयुक्त को दे दिया गया है। जिनसे अनुमति लेने में अनावश्यक देरी होती है अथवा प्रभावशाली लोग अनुमति नहीं होने देते।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, बरेली में आई० टी० ओर० फैक्टरी का मामला है, बंद पड़ी रबर फैक्टरी का मामला है, एन० टी० सी० की मिलों का मामला है। 60 हजार कर्मचारियों की बेराजगारी की बात है उनके बन्द होने की वजह से तमाम तरह के जो कानून हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। वे ठेकेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं और संविदा कानून के तहत भी श्रमिकों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, मिनिमम वेजेज ऐक्ट के हिसाब से जो पुरुषों और महिलाओं को दैनिक वेतन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा

रहा है वह दैनिक मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, खेतिहर मजदूरों का और दूसरे मजदूरों का– उनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्रदेश में लगभग 78 लाख खेतिहर मजदूर हैं पहले उन्हें 47 रुपये दैनिक मजदूरी देय थी आज वह बढ़ाकर 58 रुपये कर दी गयी है। मान्यवर, इस कटाई के मौसम में भी हम किस तरह से मेल और फीमेल मजदूरों को बराबर संरक्षण देंगे यह देखने की बात है। पश्चिम के कुछ जनपदों को छोड़कर कहीं भी दैनिक मजदूरों को न्यूनतम दैनिक मजदूरी नहीं मिल रही है।

मान्यवर, मूल्य सूचकांक और महंगाई बढ़ने के बावजूद भी सरकार श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने में अक्षम महसूस कर रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, बीड़ी मजदूरों के लिए मजदूरी 30.50 रुपये प्रति हजार बीड़ी से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति हजार कर दी गयी है लेकिन यह कितनें बीड़ी मजदूरों को मिल रही है उस बारे में क्या कार्य योजना सरकार बना रही है ? मान्यवर, प्रदेश में 21,948 कारखाने हैं जिनमें 11 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इसी तरह से 342 लाख लघु औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें 14.20 लाख श्रमिक हैं। मान्यवर, असंगठित क्षेत्र में 3.50 करोड़ श्रमिक लगे हुऐ हैं। मान्यवर, आज इन श्रमिकों के साथ खुलेआम इंसानियत और मानवता का उल्लंघन हो रहा है।

मान्यवर, बाल श्रमिकों की जो बात है रघुवर दयाल वर्मा जी ने अभी कहा वो ठीक कहा। हमारी सरकार केवल अधिकारियों के घरों में अगर सर्वेक्षण करा लें तो आई० ए० एस० और पी० सी० एस० लोगों के घरों में 14 साल से कम उम्र तक के तमाम बच्चों को काम करते हुए पाया जायेगा। इसी तरीके से होटलों में बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है। मान्यवर, सर्वोच्च नयायालय का 10 सितम्बर, 1996 का जो निर्णय है उसके अनुपालन में बाल श्रमिकों का जो खतरनाक उद्योगों में लगे हुए हैं उनकी संख्या–27,028 है और कुल बाल श्रमिक जो चिन्हित हैं वह 61,614 है। इसी तरीके से गैर खतरनाक उद्योगों में 28,487 बाल श्रमिक चिन्हित हैं। मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, जहां तक वाद दायर करने की बात है 6244 सेवायोजकों में से 6.005 के विरुद्ध वाद दायर करके 2772.29 लाख रुपये का जुर्माना किया गया जिसमें केवल 54.37 लाख रुपये वसूले जा सके अब आप इस तरह से बाल श्रमिकों को बढ़ावा दे रहे हैं या किसी तरह से सेवायोजकों को हतोत्साहित कर रहे हैं। मान्यवर, मिर्जापुर में कार्पेट उद्योग में 2 लाख श्रमिक हैं जिसमें से डेढ़ लाख बाल श्रमिक हैं इसी तरह से फिरोजाबाद के कांच उद्योग में 2 लाख श्रमिक हैं तो 50 हजार बाल श्रमिक हैं मुरादाबाद के पीतल/तांबा उद्योग में डेढ़ लाख श्रमिक हैं तो 40,000 बाल श्रमिक हैं। अलीगढ़ के ताला उद्योग में 80,000 श्रमिक हैं तो 7,000 बाल श्रमिक हैं। खुर्जा के मिट्टी के बर्तन के उद्योग में 20,000 श्रमिक हैं तो 5,000 बाल श्रमिक हैं। मान्यवर, इस तरीके से ठेकेदारी प्रथा की जो स्थिति हैं उसमें खुलेआम नियमों का उल्लंघन हो रहा है जो संविदा श्रम अधिनियम–1970 पूरे देश में लागू है उसकी धारा 35 की धारा -1 में प्रदत्त सुविधाओं के तहत प्रदेश में उ० प्र० संविदा श्रमिक नियमावली भी बनी है जिसमें 20 अथवा उससे अधिक संविदा श्रमिक कार्यरत हों या 12 महीनों से कार्यरत हों। मान्यवर, ठेका श्रम के तहत कुल पंजीकृत प्रतिष्ठान 1117 हैं। मान्यवर, 17 करोड़ की आबादी में जिस तरह से श्रम कानूनों का हनन हो रहा है उनका संरक्षण श्रमिकों के लिए बने नियमों में होते हुए भी पालन नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग–

सहारनपुर में श्रमिक बेंच की स्थापना होनी चाहिए देहरादून में श्रमिकों के तमाम मुकदमें (उत्तरांचल में चले जाने से) उसके क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण पड़े हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें नहीं तो मुझे न लिखने के लिए कहना पड़ेगा।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, आज सरकार इस बात की घोषणा करे आज मई दिवस मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिक बेंच की स्थापना की जायेगी इसकी घोषणा सरकार करे तो उससे लोगों को राहत मिलेगी। यह अविलम्बनीय और अतिलोकमहत्व का प्रश्न है। आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें।

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बहुत ही बुलन्द आवाज में इस प्रश्न को यहां पर रखा गया और आंकड़ों का काफी लम्बा सिलसिला चला। मान्यवर, एक सांख्यिकी जारी होती है उसमें सारे आंकड़े होते हैं आम तौर पर सरकार समय-समय पर उसका सहारा लेती है। मान्यवर, दो भागों में यह प्रश्न आता है एक तो बाल श्रमिक के रूप में और दूसरा श्रमिक दिवस आज है। हम लोग बड़े संवेदनशील हैं क्या-क्या उस दिशा में कदम उठाये जा सकते हैं ताकि श्रमिकों का शोषण न हो, उनके वेलफेयर की स्कीम चलायी जाय लेकिन इसका एक मानवीय दृष्टिकोण यह भी देखें आज बेरोजगारी की हालत क्या है। हम उनकी बात तो करते हैं जिन्हें कहीं न कहीं रोजगार मिल गया कम या ज्यादा वेतन मिल रहा है लेकिन कितनी बड़ी संख्या उनकी है जिनको इतना भी नहीं मिला। बार-बार यह भी विषय उठाया जाता रहा है कि सरकार इनकी जिम्मेदारी ले, सरकार इनको पेंशन देने की बात करे। जिला योजना के बारे में चिन्तन चल रहा था तो माननीय लोक निर्माण मंत्री जी स्वयं यह कह रहे थे कि संसाधन के अभाव में हम इन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाये हैं तो सारे प्रकरण पर जब हम विचार करके देखते हैं तो हमें उस मानवीय दृष्टिकोण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए आज उत्तर प्रदेश में बने कालीनों की मार्केट सारे विश्व में फैलती चली जा रही है। तो किस प्रकार का षड्यंत्र किया गया कि विदेशों से एन जी ओ को यहां लाकर यह प्रचार किया गया कि बाल श्रमिकों का शोषण हो रहा है और सारे मार्केट पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य किया गया। हमारे जिम्मेदार लोग अनावश्यक रूप से उसका प्रचार करते हैं कि कालीन उद्योग में बाल श्रमिक लगे हुए हैं। बाल श्रमिक लगे हुए हैं, आपने कभी देखा ? सरकार ने बाल श्रमिकों को बचाने के लिए कार्यवाही की है। हम शिकार हो जाते हैं विदेशी प्रचार के। फिरोजाबाद का कांच उद्योग है उससे वहां का विकास हुआ वहां पर जिस प्रकार कांच उद्योग ने अच्छे-अच्छे उत्पाद बनाये अब वहां यह प्रचार कि बाल श्रमिक लगे हुए हैं ठीक नहीं है। माननीय रघुवर दयाल वर्मा विधायक हैं वह कुछ संवेदनशीलता पैदा किये हैं। 25–30 साल से यह काम कर रहे हैं मैं तो खुद गया उनके साथ जाकर मैंने कई उद्योगों के बारे में देखा इन्होंने, अच्छा होता कि एक उद्योग में खड़े होकर कह देते कि यहां बाल श्रमिक का शोषण हो रहा है बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि इतना अच्छा काम होता है इतना अच्छा उत्पादन होता है इनका ग्लास ले लें यह दिखा रहे थे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह सवाल उठाते हैं तो उसमें कुछ नहीं रहता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, 12 घंटे काम 8 घंटे की जगह इसका उत्तर दे दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य था जब आप विधायक थे और मैं प्रदेश सरकार में मंत्री था मैं आपके साथ इन कारखानों में गया था। एक जगह बैठकर कह दिया होता कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा है तो हम निराकरण करते। इतनी प्रशंसा उद्योगपतियों की इन्होंने किया, एक श्रमिक की तरफ भी ध्यान नहीं दिलाया। मान्यवर, आपसे तो बहुत कुछ सीखने की बात है आपका संघर्ष रहा है लेकिन साथ ही साथ इस बात पर विचार करें केवल प्रश्न उठा दिया। समस्या तो हमने रख दिया, प्रभावी तरीके से रख दिया, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार के माध्यम से, नियमों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। कानून तो बना हुआ है कि बाल श्रमिक नहीं रखेंगे, उनसे ज्यादा काम नहीं लेंगे। कानून का पालन कराने वाले इंस्पेक्टर भी हैं, लेकिन जब इंस्पेक्टर जायेगा तो नारा लगेगा कि इंस्पेक्टर राज चल रहा है, इससे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और संवेदनशीलता जागृति पैदा करने से बढ़ेगी। जब समाज में चेतना पैदा होगी, इसके लिये संजय गर्ग जैसे व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ें तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। यह कोई कार्य-स्थगन का प्रस्ताव बनता नहीं है, इसलिये इसे निरस्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री संजय गर्ग तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती, अतः मैं इसे निरस्त कर रहा हूं।

श्री राम विशुन आजाद–

अधिष्ठाता महोदय, बाल श्रमिकों का शोषण हो रहा है, श्रमिकों को उचित पैसा नहीं दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, चर्चा नहीं हो रही है।

तीसरी सूचना श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना की है।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, यह सरकार श्रमिक कानूनों के प्रति गम्भीर नहीं है, बाल श्रमिकों के प्रति गम्भीर नहीं है, मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री संजय गर्ग ने सदन का त्याग किया)

* श्री कौकब हमीद–

पूर्वी यमुना नहर इस प्रदेश की ही नहीं, इस देश की बड़ी और पुरानी नहर है। मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। इस नहर का निर्माण 1718 में शुरू हुआ था और यह 5-7 साल में बनाकर तैयार हुई थी, यह नहर 204 किमी० लम्बी है और इसमें 935 रजबहे हैं और तकरीबन ढाई लाख हेक्टर जमीन की सिंचाई होती है। मगर अफसोस की बात है कि पिछले कई साल से इस नहर में पानी नहीं आया और पानी न तो इसके हेड पर पहुंचा और न टेल पर ही पहुंचा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहूंगा कि जब यह बात सरकार के संज्ञान में लाई गई, पिछले साल, तो कहा गया कि हम इसे खुदवाने/सफाई करवाने जा रहे हैं, लेकिन जब सफाई कराने का समय आया तो एक रुपया ऐसा भी सिंचाई विभाग ने इसके लिये नहीं दिया, तब माननीय अजीत सिंह जी ने 11 लाख और माननीय समरपाल जी, मुन्ना जी और मैंने 3-3 लाख रुपये देकर करीब 20-21 लाख में इस नहर की सफाई करवाई। जब सफाई की गई तो इस बात की उम्मीद थी कि नहर में पानी आयेगा, लेकिन पानी नहर का टेल तो दूर हेड तक भी नहीं आया। इस बात से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पानी न आने से सरकारी और प्राइवेट ट्यूबवेलों का जलस्तर बिल्कुल नीचे चला गया और उनमें भी पानी आना बन्द हो गया क्योंकि जब नहरें चलेंगी नहीं तो जल स्तर गिरता चला जायेगा। यह पूरा 205 कि०मी० है। यह हालत है। मान्यवर, इस पूर्वी यमुना नहर से 11.833 बिलियन क्यू० मीटर पानी निकलना है। हरियाणा का हिस्सा 5.730 बिलि० क्यू० मीटर, और उत्तर प्रदेश के लिए 4.032, राजस्थान के लिए 1.119, हिमाचल प्रदेश का है 0.378 और दिल्ली का है 0.124 बिलि० क्यू० मीटर। मान्यवर, यह सरकार इस चीज की बहुत चर्चा करती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। मान्यवर, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप दिल्ली को पीने का पानी देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं मैं सुना देता हूं अगर उसमें कहीं यू० पी० का जिक्र हो।

"सो फार एज वाटर सप्लाई फ्राम रिवर जमुना टू डेल्ही इज कनसर्न्ड, दी आर्डर एण्ड डाइरेक्ट [illegible] कन्टीन्यू टू गेट एज मच वाटर फार [illegible] डोमेस्टिक यूज फ्राम हरियाना थ्रू रिवर जमुना बिथ [illegible] कन्ज्यूम एण्ड फिल्ड इन द टू वाटर रिजरवायर्स एण्ड ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स एट बवीराबाद एण्ड [illegible] बवीराबाद एण्ड हैदरपुर रिजरवायर [illegible] फ्रम टू रिवर कैपेसिटी फ्राम द वाटर [illegible] हरियाना थ्रू रिवर जमुना।"

मान्यवर, इस पूरे आर्डर में यह जिक्र नहीं है कि सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश को पूर्वी जमुना नहर से पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वह दिल्ली के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मान्यवर, इसकी दिक्कत यह है कि सोनीपत में, यह निकलता है वहां पूरे का पूरा कस्बा हरियाणा की तरफ हो रहा है लेकिन इनकी शक्ति इस गवर्नमेन्ट में नहीं है कि वह सेन्टर गवर्नमेन्ट और हरियाणा गवर्नमेन्ट के साथ मिलकर इस मामले को निपटायें। मान्यवर, यहां 2-3 जिलों का जो किसान है परेशान है। मेरा सुझाव है कि जो फासलापास है वहां पर ओपेन कनाल बनाया जाए। मान्यवर, यह सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है कि हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली को पानी दे इसमें यू० पी० कहीं नहीं आता लेकिन जो 4 बिलि० क्यू० मीटर पानी मिलना है वह तो मिले। मैं चाहूंगा कि आप इस पर बैठ कर चर्चा करें।

* महेन्द्र कुमार मुन्ना:

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। यह पूर्वी जमुना नहर मान्यवर, उस क्षेत्र की इतनी बड़ी नहर है कि इसी से वहां के सारे किसान खेती का काम करते हैं। पिछले कई वर्षों से ऐसी स्थिति हो गयी है वहां किसी भी नहर से किसानों को पानी नहीं मिलता और इसकी वजह से वहां का वाटर लेबिल भी नीचे चला गया है। मान्यवर, किसानों के ऊपर इसका आबपासी का भार बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसान को पानी नहीं मिल रहा है। मान्यवर, पिछले दिनों रजबहों की सफाई का मामला आया था। सरकार के पास पैसा नहीं था जिससे कि नहर की सफाई हो जाती। शायद ही किसान को पानी मिलेगा। किसान को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। किसी रजबहों में, ये टेल की बात करते हैं, कही पर पानी नहीं गया। कल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री यहां चर्चा कर रहे थे कि हमने इतनी हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए नहरें बनायीं लेकिन मान्यवर, जो पुरानी नहर मुगल काल के जमाने में बनी थी, ब्रिटिश काल के जमाने में बनी थी समाप्त हो गयी है। इस सरकार ने ऐसा कौन-सा काम किया जिससे कि यहां के किसान को कोई फायदा होगा। नहर में पानी नहीं है जिसकी वजह से किसान की कोई भी फसल होने की उम्मीद नहीं है। फसलों का रेशियो घटता जा रहा है और यही हालत चलती रही तो दीमक का प्रकोप बढ़ने से कोई फसल नहीं होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, यमुना नहर में पानी की व्यवस्था करें। मान्यवर, एक महीने में तीन सप्ताह नहर चलती थी और उसके बाद महीने में दो सप्ताह और आज स्थिति यह है कि तीन महीने में एक सप्ताह पानी की गारन्टी नहीं दे रखा है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं क्या सरकार कोई ऐसा बीज उपलब्ध करायेगी जो 3 महीने तक बिना पानी दिये फसल पैदा हो जाये। जब सरकार ने ऐसा कोई बीज उपलब्ध नहीं कराया है, तो पानी की उपलब्धता को पूरा करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर,मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, इस सरकार की सारी घोषणायें निरर्थक है, किसान के प्रति किसान पंचायत की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता इस प्रदेश के किसानों को इस सरकार ने कोई चीज मुहैया कराया हो जो कि किसान की भूख को मिटाने के लिए कारगर सिद्ध हो रही हो।

श्री समरपाल सिंह–

मा० अधिष्ठाता महोदय, हमारे साथियों ने काफी बातें बतायी जो महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक तथा लोक महत्व की हैं। मान्यवर, सिंचाई की समस्या से सभी लोग प्रभावित हैं जिनके खेतों को पानी नहीं मिल रहा है। दो राज्यों में यमुना के पानी का बंटवारा का मामला है, सरकार की उदासीनता के कारण यह समस्या इतनी विकराल हो गयी है। 1994 में एक समझौता यमुना के जल बंटवारे को लेकर 5 राज्यों में हिमांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में हुआ था। मान्यवर, 1994 में जो समझौता हुआ था इस समझौते में वार्षिक आवंटन किया गया था, लेकिन वार्षिक आवंटन जो हुआ था उसके अनुरूप पानी नहीं मिल रहा है और उसके तहत उत्तर प्रदेश को 4032 डी० सी० पानी प्रतिवर्ष मिलना था। जुलाई से अक्टूबर तक 3216, नवम्बर से फरवरी तक 343 और मार्च से जून तक 473 डी० सी० एम० पानी मिलना चाहिए। 1994 के समझौते के तहत ताजेवाला हेड ट्रंक का रख रखाव और रेगुलेशन का कार्य हरियाणा सरकार के अन्तर्गत है। इसलिए हरियाणा पूर्वी यमुना नहर में पानी न छोड़कर पश्चिमी यमुना नहर में पानी छोड़ रहा है। पानी दिल्ली को मिल रहा है। सरकार का दायित्व है कि वह हमें पानी दिलाये, सरकार वहां जाकर प्रोटेस्ट करे, समझौता करे या केन्द्र सरकार से दखल करने का अनुरोध करे और अपने हिस्से का पानी ले। इस नहर से 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। कई वर्षों से पानी न आने के कारण एक तरफ किसान की भूमि सिंचित नहीं हो रही है दूसरी तरफ भू-गर्भ जल का संकट भी पैदा हो गया है। हरियाणा सरकार 1954 के समझौते के तहत चल रही है। 1994 से पहले 1954 में एक समझौता हुआ था जब पंजाब सरकार थी और उस पंजाब राज्य में हिमाचल, हरियाणा और पंजाब राज्य थे। उसमें यह तय हुआ था कि एक फोसिंग बांध बनाया जायेगा। उसके बाद यह हरियाणा सरकार के जिम्मे आ गया। यह भी तय हुआ था कि जब यह टूट जायेगा या इसका पुनर्निर्माण होगा उस दौरान पूर्वी यमुना नहर में पानी नहीं दिया जायेगा और मुझे लग रहा है कि हथिनी कुण्ड बैराज का निर्माण नहीं हो जाता और यही हालत रहे तो हरियाणा सरकार हमें एक बूंद पानी नहीं देगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यमुना नदी के पानी के बंटवारे का जो

समझौता हुआ है उस पर अमल करने के लिए हमारी प्रदेश सरकार हरियाणा सरकार पर दबाव बनाये और हमारे हिस्से का पानी मिले। यह अविलम्बनीय, लोक महत्व का एवं तात्कालिक प्रश्न है। यह 204 किमी० लम्बी नहर है और 2.5 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन की सिंचाई होती है। सिंचाई के अभाव में किसान पूरी फसल नहीं ले पा रहा है निजी या सरकारी ट्यूबवेल से भी सिंचाई कर लेते थे उस क्षेत्र का भू-गर्भ जल स्तर नीचे चले जाने के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है और कई बीमारियां फैलने लगी हैं। मान्यवर, रजबहे और माइनरें सूखे पड़े हैं अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस लोक महत्व के तात्कालिक और सुनिश्चित प्रश्न पर आज सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, लगभग 4 जनपद पूर्वी यमुना नहर से प्रभावित हैं। यह वह क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का दोआबा क्षेत्र कहलाता है, गंगा और यमुना का क्षेत्र। पूर्वी यमुना नहर पर यहां के किसान निर्भर करते थे। यह सही है कि स्थिति भयावह है हम इससे इन्कार नहीं करते, हम इसे स्वीकार करते हैं। इस प्रकरण पर उच्चतम स्तर पर कम से कम एक दर्जन बार विचार हो चुका है। मान्यवर, बार-बार इस बारे में चिन्तन किया जा चुका है कि इसका निराकरण क्या हो। मैं आज भी आश्वस्त करता हूं कि मैं सदन की भावनाओं से और अपनी भावनाओं से माननीय मुख्य मंत्री जी को अवगत कराऊंगा और आग्रह करूंगा कि वह अपने स्तर से इस प्रकरण का समाधान निकालने का प्रयास करें। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि केवल राजनीति के लिए प्रश्न न उठाया जाय। वास्तविकता यह है कि इस वर्ष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यमुना नदी में जो सामान्य पानी आता था उसका 40 प्रतिशत ही पानी आया। बरफ पिघलने से यमुना में पानी आता है जो केवल 40 प्रतिशत आया। माननीय कौकब हमीद और माननीय समरपाल सिंह जी ने जैसा कहा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का यह विवाद हल होना चाहिए। इस सम्मानित सदन के सदस्य के रूप में पिछले 25-26 वर्षों से मैं स्वयं किसी न किसी रूप में इस प्रकरण को उठाता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उच्चतम स्तर पर बैठक होकर इसका निराकरण हो जाय ताकि किसानों को यह जानकारी हो जाय कि पूर्वी यमुना नहर के अभाव में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत तो नहीं पड़ जायगी क्योंकि पूर्वी यमुना नहर में इस बार पानी नहीं आया। मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जैसा मैंने आश्वासन दिया कि जिस स्तर पर सम्भव होगा इसका समाधान निकालने का प्रयास होगा।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, किसानों को परेशानी हो रही है क्या सरकार ओपेन चैनल बनायेगी। आपका डेलीगेशन जायगा, मुख्य मंत्री बात करेंगे, गवर्नमेंट आफ इंडिया और हरियाणा से बात की जायगी तो इसमें तो सालों लग जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

सरकार की ओर से आश्वासन आ गया है। इस प्रकरण पर सरकार संवेदनशील है। माननीय सदस्यों को सुनने के बाद और संसदीय कार्य मंत्री जी का आश्वासन आ जाने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है। इसको मै निरस्त करता हूं।

श्री कौकब हमीद–

मुख्य मंत्री जी से कब कहेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मैं आज ही मुख्य मंत्री जी को अवगत कराऊंगा।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना स्वामी ओमवेश जी की, माननीय परवेज हलीम और माननीय वीरेन्द्र सिंह की है।

(श्री स्वामी ओमवेश, श्री परवेज हलीम और श्री वीरेन्द्र सिंह को पुकारे जाने और उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अगली सूचना लेता हूं। अगली सूचना आर्य राम सरन की है।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मुझे 2 मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

नियम यह है कि एक सदस्य केवल एक सूचना दे सकता है, कृपया बैठें।

श्री आर्य रामसरन–

महोदय, यह अविलम्बनीय एवं अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस महकमें में सुधार के लिए किये गये तमाम प्रयासों के बावजूद पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं में कोई कमी नहीं आयी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में वर्ष 2000-2001 में पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारियों की संख्या 1840 हो गई, जो पिछले वर्ष 1157 थी और इसमें उत्तर प्रदेश की संख्या 1421 है, जो पूरी घटनाओं का 60 फीसदी है, जबकि पिछले वर्ष 956 अवैध गिरफ्तारियों की सूचना आयी थी। मानवाधिकार हनन के दूसरे क्षेत्रों में पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में मौत, बलात्कार, अल्पसंख्यकों पर हमले, फर्जी मुठभेड़ आदि घटनाओं में भी अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 9 जनवरी, 2001 के कड़े निर्देशों की दो महीने के अन्दर-अन्दर पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में होने वाली मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियोग्राफ और न्यायिक जांच की रिपोर्ट भेजी जाये। लगभग चार महीने बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन की घटनाओं के प्रति उदासीन रवैये के कारण जनता में भारी आक्रोश है तथा इस तरह की घटनाओं के खिलाफ जनता आन्दोलित है।

जबकि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के कई बार राज्य सरकार को निर्देशित किये जाने के पश्चात् भी उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के गठन की घोषणा नहीं कर रहा है इससे दोषियों के हौसले बढ़ रहे हैं।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि अत्यन्त लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की अनुमति देने का कष्ट करें।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, इस गम्भीर प्रकरण पर 2 मिनट का समय दे दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि नियमों में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं है, किसी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक नोटिस एक सदस्य दे सकता है लेकिन कहीं पर यह बंदिश नहीं है कि एक सदस्य दूसरी सूचना पर बोल नहीं सकता। कार्य-स्थगन की ग्राह्यता पर पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को बोलने का अधिकार है। आप नियमावली को देख लें आप किसी को भी ग्राह्यता पर सुन सकते हैं।

श्री समरपाल सिंह–

इस पर 4 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। एक माननीय सदस्य बोले हैं। दूसरे सदस्य 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। आप अपने विवेक से अनुमति दे सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

नयी परम्परा चालू न करें।

श्री संजय गर्ग–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायगा।

श्री संजय गर्ग–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जा रहा है। यह संसदीय परम्परा के प्रतिकूल है, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। श्री संजय गर्ग जी जो बात कह रहे हैं वह लिखी नहीं जा रही है। न ही यह सदन की कार्यवाही का अंग बनेगी, न प्रेस में छपेगा।

श्री संजय गर्ग–

[× × ×]

(विरोध स्वरूप श्री संजय गर्ग सदन त्याग कर चले गये)

श्री हुकुम सिंह–

मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रश्न पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जो सरकार ने अभी तक कदम उठाये हैं वे संक्षेप में उल्लेख कर देना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि किसी आयोग के गठन मात्र से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हमें पूरी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए न जाने कितने क्षेत्रों में आयोग बने हैं। इसमें पूरी व्यवस्था पर विचार करने के बाद जो कदम उठाये हैं उसका संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं।

1—जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो बराबर इस बात की समीक्षा करती है कि जिले में किसी मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

2—अभी तक पुलिस अभिरक्षा में मौत हो जाती थी लेकिन अब सरकार ने अपने आप निदेश दिया है कि कहीं पर पुलिस अभिरक्षा में मौत हो जाएगी तो स्वयं सरकार की ओर से संघीय मानवाधिकार आयोग को इसकी सूचना दी जाएगी और पोस्टमार्टम की पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। ताकि कहीं कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। सरकार ने मानवाधिकार आयोग के गठन को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है कुछ औपचारिकताएं हैं क्या वेतन होगा, क्या अर्हताएं होंगी सारी बातों पर विचार कर रहे हैं उसके बाद बाकी कार्यवाही की जाएगी। आजकल प्रचार प्रसार करने का फैशन हो गया है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारी सरकार के आने के बाद मानवाधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। हम बराबर प्रयास करते हैं जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायत होगी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। लेकिन प्रचार प्रसार करके प्रदेश की प्रतिष्ठा को बरबाद करने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि कार्य-स्थगन की इस सूचना को निरस्त किया जाए।

नोट :– [× × ×] यह अंश माननीय अधिष्ठाता महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसे मैं निरस्त कर रहा हूं। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयी हैं अतः यह अस्वीकृत हुई — 1-श्री विनोद मालवि, श्री राम अचल राजभर, श्री लालजी वर्मा।

(श्री राम अचल राजभर को दो मिनट सुनने के लिए अध्यक्ष जी कह गये थे)

श्री राम अचल राजभर–

माननीय अधिष्ठाता जी; आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मान्यवर, 29-4-2001 की सायंकाल लगभग साढ़े सात बजे थानाध्यक्ष सम्मनपुर जब वाहन चेकिंग बठिया वन चौराहे पर लगाये थे उसी समय मेरा छोटा लड़का जो कि नाबालिग है अजय कुमार जिला पंचायत सदस्य जगदीश प्रसाद राजभर के साथ मोटरसाइकिल से एक बारात में शामिल होने जा रहे थे। उनको थानाध्यक्ष ने रोककर कहा कि गाड़ी के कागज दिखाओ। गाड़ी के कागज दिखाने पर भी थानाध्यक्ष ने पैसे की मांग की जो कि अन्य लोगों के साथ भी कर रहा था। फिर मेरे लड़के ने जब मेरा परिचय दिया कि मैं उनका लड़का हूं तो उसने बहुत ही अपमान किया तथा कहने लगा कि विधायक हो तो क्या तोप हैं क्या पुलिस कप्तान हैं। यही विधायक लोग तो चोरी करवाते हैं और यही विधायक लोग पूरे प्रदेश को निगले जा रहे हैं तमाम अपमान जनक शब्दों का प्रयोग हमारे लोगों के बीच में किया। जब वहां की आवाम को पता चला कि मेरा लड़का है तो भीड़ और भी एकत्र हो गई जिसके दबाव में करीब दो घंटा मेरे लड़के को बिठाने और अपमान करने के बाद छोड़ा। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे पुलिसकर्मियों को वहां से हटायेगी क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? हमारे अम्बेडकर नगर में विधायकों का नाम सुनते ही पुलिसकर्मी आगबबूला हो जाते हैं और अपमानित करते हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण सवाल है पूरे सम्मानित विधायकों के अपमान का मामला है कृपया इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब मांग लीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि यह व्यक्तिगत मामला है अतः संसदीय कार्य मंत्री जी व्यक्तिगत रुचि लेकर इसे देख लें।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा में जिन नेताओं को बोलना है कृपया अपनी सूची दे दें जिससे आसानी हो जायेगी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण इश्यू है। सामान्य बजट पर चर्चा प्रारम्भ करने के अवसर पर नेता विरोधी दल अनुपस्थित हैं यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दोनों पार्टियों के बीच कोई न कोई बात तय हो गयी है कोई समझौता हो गया हैं। यदि नेता विरोधी दल नहीं हैं तो हमारी पार्टी को अवसर दे दिया जाय।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जिनसे समझौता था छः महीने तक जिनको कंधे पर बैठाये रहे जब वही छोड़ कर चले गये तो फिर क्या ?

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा दिनांक 1 मई, 2001 से प्रारम्भ हुई।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है वह प्रदेश के किसानों, मजदूरों, नवजवानों, छात्रों और अल्पसंख्यकों के लिये किसी तरह से विकासशील नहीं हो सकता है। यह बजट पूरी तरह से खोखला है और प्रदेश को पीछे ले जाने वाला है। इस प्रदेश का इस बजट में कहीं भी विकास नहीं हो सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है कि हम प्रदेश के किसानों के लिए विकास की बात करेंगे, उनके धान, गेहूं के उत्पादन के लिए बात करेंगे, यह पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इस प्रदेश में 80% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़े हुए हैं। सरकार बार-बार कह रही है कि हम किसानों के विकास के लिए अच्छी से अच्छी योजना चलायेंगे। यह सरकार पूरी तरह से किसानों का शोषण कर रही है। चाहे गेहूं क्रय केन्द्र हो या धान क्रय केन्द्र का मामला हो.....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस चर्चा को जारी मानते हुए आगे के आइटम ले लीजिये। कई महत्वपूर्ण चर्चाएं लगी हुई हैं।

प्रदेश में अलाभकारी काश्तकारी जोतों पर नियंत्रण लगाये जाने विषयक डा० सरजीत सिंह डंग के संकल्प का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, चर्चा जारी रखते हैं और आगे की मद लेते हैं।

(मद संख्या–10 पुकारे जाने पर डा० सरजीत सिंह डंग के उपस्थित न रहने पर मद संख्या–11 पुकारी गई)

(मद संख्या–11 पुकारे जाने पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के उपस्थित न होने पर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। माननीय सदस्य ने सोचा होगा 5 बजे से पहले नहीं आयेगी इसलिए वे इस समय उपस्थित नहीं हैं। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है यदि आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं रख देता हूं। इसको निरस्त न करिये स्थगित कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रस्ताव को मैं स्थगित कर रहा हूं।

(मद संख्या–12 पुकारे जाने पर माननीय बाल चन्द्र मिश्र के उपस्थित न रहने पर)

मैं इसको निरस्त कर रहा हूं।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाने तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किये जाने विषयक नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–13 पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी उपस्थित नहीं हैं। इस प्रस्ताव को मैं स्थगित कर रहा हूं। मद संख्या–14 ले रहा हूं।

सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित किये जाने का अनुरोध

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं और यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आप थोड़ी देर के लिए सदन स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं मद संख्या–14 पर आ गया हूं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री भी चाह रहे हैं कि सदन थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया जाय। आप एक घंटे के लिए सदन स्थगित कर दें।

इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है हम लोग भी भाग लेना चाहते हैं इसलिए तैयारी करके आये हैं आप कृपा पूर्वक एक घंटे के लिए सदन स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

साढ़े तीन बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी, 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की बैठक अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

पोलीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मण्डराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन एवं प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगायी जाय विषयक नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी व अन्य सदस्यगण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

मैं मद संख्या–14 ले रहा हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कुछ संकल्पों पर चर्चा होनी थी अगर आप अनुमति दें, जैसे कि मद संख्या–10 और उसके बाद भी सूचनाएं हैं।

श्री अधिष्ठाता–

पहले मद संख्या–14 ले लेते हैं उसके बाद फिर ले लेंगे।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बहुत दिनों से लम्बित इस चर्चा पर जो "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मण्डराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन एवं प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगायी जाय" से संबंधित है, चर्चा करने का मौका दिया। मान्यवर, पोलीथीन अपने आप में एक राष्ट्रीय समस्या एवं त्रासदी के रूप में हमारे सामने आ गयी है। मान्यवर, पोलीथीन पर समाज की जागरुकता व प्रयोग के प्रति प्रतिबन्ध लगाने की मानसिकता जब तक तैयार नहीं कर पायेंगे तब तक पोलीथीन पर प्रतिबन्ध लगाना सार्थक नहीं होगा। मान्यवर, जन आन्दोलन पोलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना एक मात्र हल है। भारत सरकार ने जो प्रदूषण सूची जारी की है उसमें सरकार का कहना है कि वैसे तो सरकार का कहना है कि पोलीथीन निर्माताओं के आगे झुकेंगे नहीं

लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं है जो प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक विधेयक पास किया जो अधिनियम बन गया यह "उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जैव अनपचित कूड़ा कचरा (उपयोग) का नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2000" इस अधिनियम में देखें तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार ने अपने पक्ष से प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लगाने की अपनी मंशा जाहिर की है। सरकार ने 20 माइक्रोन [illegible] प्रयोग करने की छूट दी है। मैं सदन को बताना इस बात की [illegible] कि 20 माइक्रोन का पालीथीन है इसका निर्णय कौन करेगा। सरकार ने कहा है कि पालीथीन का पहली बार प्रयोग करने वाले के लिये जो प्रविधान होगा उसमें सरकार ने यह कहा है कि जुर्माना की राशि 1000/- रुपया और दूसरी बार प्रयोग करने पर इतना और तीसरी बार करने पर इतना दण्ड दिया जायेगा।

इस अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है इससे जाहिर होता है इस पर सरकार की मंशा इस राष्ट्रीय समस्या पर, पालीथीन के प्रयोग से जनमानस के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे से मुकाबला करने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर है। पालीथीन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना है तो सबसे पहले इसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। पालीथीन का उत्पादन जारी रहा तब फिर उसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाना किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं होगा। उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार की ओर से यह कहा गया है कि भारत सरकार के मंत्रालय से अनुमति पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स भारत सरकार की सूची में आते हैं। सूची में आने के बाद भारत सरकार से अप्रूव कर सकते हैं जैसे जो प्रायोजना की सूची है उसमें पालीथीन का [illegible] जिक्र किया गया है। पालीथीन का प्रयोग राष्ट्रीय दृष्टि से जनमानस के स्वास्थ्य [illegible] मुकाबिल है। [illegible] गायों के पेट चीरे जा रहे हैं। पशुपालन मंत्रालय के बाबा हरदेव ने [illegible] बछड़ों, बछियों, गायों के पेटों को चीरा तो 28 किलो से लेकर 80 किलो तक पालीथीन निकली है केवल लखनऊ में ही नहीं प्रदेश के कई जनपदों में निरीक्षक ने जानवर द्वारा प्रयोग का किया है और साथ ही साथ [illegible] बैल और गायों के पेट [illegible] पालीथीन की मात्रा [illegible] सकता है। उनके सेवन से पालीथीन [illegible] रही है वह किसान अमानवीय है मृत [illegible] खत्म होती जा रही है। [illegible] पशु पालीथीन खाने से मर गये [illegible] में 20 किलो पालीथीन निकली और [illegible] यह दीर्घकालिक है। यह भी कहा गया है कि पालीथीन के प्रयोग करने वाला पशु का दूध जनमानस [illegible] जो [illegible] है जो वह दूध लोग [illegible] का प्रयोग करते हैं इस पर यदि [illegible] जाये और उसका प्रयोग कर लिया जाय तो यह स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर खतरा है। [illegible] अस्पताल में इसके आपरेशन की सुविधा होनी चाहिए। मान्यवर, [illegible] बाग, [illegible], लखनऊ में सुन्दर लाल यादव की गाय के पेट से 60 किलोग्राम पालीथीन निकला [illegible] के 2.5 मीटर के आपरेशन में कुन्टलों पालीथीन निकली। जानकीपुरम् गोशाला में [illegible] किलोग्राम [illegible] गायों के पेट से निकली।

मान्यवर, जो यह हम शैम्पू, पान-मसाला, पाउच, कैरी बैग्स, लेमिनेटेड, दूध पैकेट जो लेते हैं उसमें पालीथीन का प्रयोग हो रहा है और उनको हम सड़कों पर फेंक देते हैं और फिर यह मूक जानवर उन्हें खा लेते हैं। मान्यवर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश ने भी इसके सीमित इस्तेमाल व डिस्पोजल के नियम बनाये लेकिन वह भी भारत सरकार में लम्बित हो गये। मान्यवर, यह मुम्बई के नगर निगम द्वारा प्रकाशित किया गया कि जुहू, चौपाटी में रात्रि के बाद सफाई कर्मचारी 10 ट्रक पालीथीन प्रतिदिन उठाकर उनको कूड़े के स्थान पर ले जा रहे हैं हम इससे अंदाजा लगा लें कि कितना पालीथीन का प्रयोग हमारे जीवन का अंग बन गया है ? सरकार का कहना है कि रीसाइक्लिंग पालीथीन पर प्रतिबन्ध लगा

रहे हैं इसके कोई देख-रेख की व्यवस्था नहीं है। शासन इस पर प्रतिबन्ध की प्रक्रिया चला रहा है कलक्टर गति से शासन इसमें प्रयास कर रहा है। इसमें विधेयक बनाया और उसको 20 माइक्रोन तक [illegible] इसकी जिम्मेदारी स्थानीय निकाय पर डाली। इसमें प्रथम बार उल्लंघन पर 100 रुपये का जुर्माना दूसरी बार उल्लंघन करने पर 250 रुपया और तीसरी बार उल्लंघन पर जुर्माना न्यूनतम 500 रुपया [illegible] 1000 रुपया तथा कारावास जो एक माह का हो या दोनों। तो मान्यवर, हम [illegible] मोड़ रहे हैं। पर्यावरण इंजीनियर टी० एन० चतुर्वेदी ने कहा था कि हमारे घर पर 90% [illegible] थैलियों मे आता है और इससे इन्सान व जानवरों दोनों को खतरा है। औद्योगिक विष विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा० अशोक अग्रवाल का मानना है कि इसका कचरा समस्या बन गया है। [illegible] विघटन नहीं होती है। इसका हल जला देना इससे नहीं है। नदी प्रदूषित होती है, [illegible] प्रत्यक्ष अगर इसको जला दिया जाय तो शासन को स्थानीय निकाय को इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रत्यक्ष जलाने से जो जहरीली गैस निकलती है वह आसपास के जनस्वास्थ्य के लिए खतरा है। मान्यवर, प्लास्टिक से जेन्डर/चेन्डर (लिंग बदलने वाला) एक विषैला रसायन बिसफिनाल ए० बी० पी० ए० रिस कर खाद्य पदार्थों में मिलता है इसका प्रयोग पौलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में होता है और जब इसका प्रवेश शरीर में हो जाता है तो वह शरीर में अंतःस्रावी ग्रन्थि को बाधित करता है इससे मानसिक व शारीरिक विकास बाधित होता है। स्पष्ट है कि सड़कों से कूड़ा बीनने वाले संक्रमित कूड़ा बीनने वाले लोगों के स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना सदन को कर लेनी चाहिए क्योंकि इन्हीं संक्रमित प्लास्टिक से फिर थैले बनते हैं। इसमें भारत सरकार ने एक प्लास्टिक मैनेजमेन्ट टास्कफोर्स बनाया था उसकी रिपोर्ट आ गयी और उसकी रिपोर्ट धूल फांक रही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाशिंगटन के नेशनल एन्वायरनमेन्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष फिलिपडक्लैप, मिसौरी विश्वविद्यालय बीपीए पर शोध पर रहे वैज्ञानिक फैडरिक वोमसाल ने गर्भवती चूहों में इसका प्रयोग किया। इसका परिणाम आया शारीरिक विकास से कमजोर बच्चे पैदा हुए लेकिन जो नर बच्चे पैदा हुए उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावी हुई। जापानी शोधकर्ता कोजी अरीजनों प्रीफैक्चुरल यूनिवर्सिटी [illegible] तथा बगासा की यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि प्लास्टिक टेबिल क्लाथ से भी [illegible] गर्म पदार्थों में घुलता है। आज बच्चों के टिफिन प्लास्टिक के होते हैं गरम गरम खाना बनाकर उनके टिफिन में रख दिया जाता है। इससे पूरा का पूरा उनके जीवन में धीमा जहर इस प्लास्टिक के माध्यम से जा रहा है और उनके भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है। याकोहामा में बच्चों के स्कूल में प्लास्टिक प्रयोग पर प्रतिबन्ध है। अमेरिका उपभोक्ता संघ 1999 तथा खाद्य औषधि प्रशासन ने 1997 में अध्ययन में यह पाया था कि 60 डिग्री सेल्सियस पर प्लास्टिक का रिसाव होता है। हम जानते हैं कि प्लास्टिक के गिलास में 60 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग किया जायेगा तो उसमें एक रसायन का रिसाव होता है वह जनस्वास्थ्य के प्रति गम्भीर खतरा है। आज हमारे प्रत्येक क्षेत्र में पालीथीन का प्रयोग है। आधी अधूरी मंशा से पालीथीन पर प्रतिबन्ध लगाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर इसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते जो भारत सरकार के हाथ में है तो हम इस प्रकार के पालीथीन पर प्रतिबन्ध लगा दें तो उत्पादनकर्ता पूरा-पूरा सामान समेट कर बाहर चले जायेंगे। मान्यवर, यह कहना कि उद्योगों का क्या होगा तो दिल्ली में उद्योगों को निकलकर बाहर आना पड़ा और उनको दिल्ली प्रदेश से बाहर जाना जरूरी है और अंततः उनको बाहर जाना पड़ा, हम उन इकाइयों का अपने प्रदेश में बड़ा स्वागत कर रहे हैं और हमने उनको मेरठ, नोएडा आदि में जमीनें दी हैं। जिस वजह से उनको इस समय दिल्ली प्रदेश से निकाला गया, अब से 10–20 साल बाद हमारे प्रदेश में भी पर्यावरण प्रदूषण की वही स्थिति उत्पन्न होगी और तब फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में इसी प्रकार का निर्णय करेगा। इसलिये पालीथीन के प्रयोग पर पाबन्दी लगाकर सरकार द्वारा इसका कड़ाई से पालन कराने की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के कारण गोमुख का ग्लेशियर 3 कि०मी० नीचे खिसका है। उत्तरांचल में प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर पाबन्दी लगा दी

गयी है, हिमांचल प्रदेश में भी इस पर रोक लगा दी गयी है, नैनीताल में भी प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गयी है। पहाड़ के लोगों ने इस चीज की संवेदनशीलता को समझ कर इस पर रोक लगाई है,लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग अभी इसके प्रति उतने गम्भीर नहीं हैं। मान्यवर, इस संदंध में एक विधेयक सरकार ने प्रस्तुत किया है, मेरी तो इस चर्चा के माध्यम से समूचे सदन और सरकार से माग है, चाहे इस पक्ष के लोग हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों, यह सबकी चिन्ता का विषय होना चाहिए। पालीथीन के प्रयोग से जहां हम मानव जाति को खतरा है, बिना जाति, धर्म, राजनैतिक दल के भेदभाव के खतरा है, वहीं हमारे ऊपर आश्रित मूक जानवरों के जीवन को भी खतरा है, जो हमें दूध देते हैं और जिससे हम अपने बच्चों का लालन-पालन करते हैं, ऐसे मूक जानवरों और मानव जाति दोनों को इससे खतरा है। सरकार का दायित्व जहां मानव जाति के प्रति है, वहीं इस लोक कल्याणकारी मूक जानवरों के प्रति भी है, इस खतरे को देखते हुए इसके प्रयोग पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। मेरी इस विधेयक के संबंध में मांग है कि यदि पालीथीन के उत्पादन पर हम प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते तो कम से कम इसके प्रयोग को तत्काल प्रतिबन्धित कर देना चाहिए। अब हमें इसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि 20 माइक्रोन की प्रतिबन्धित होगी या इस तरह की होगा, बल्कि सभी तरह की पालीथीन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित कर देना चाहिए। साथ ही इसमें दण्ड की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जिससे व्यक्ति एक बार प्रयोग करने के बाद यदि दुबारा गलती करे तो उसे यह पता चले कि हमें इसका दण्ड अवश्य मिल सकता है। मान्यवर, हमें इसके लिए जनजागरण करके मानसिकता तैयार करनी चाहिए कि इसका प्रयोग करके हम अपने लिये, अपने बच्चों के लिए और दूध देने वाले जानवरों के साथ उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि यह मानसिकता हम तैयार कर लें तो मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण मानव जाति के साथ उन मूक जानवरों को भी बचा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया है, उस अधिनियम को इस आशय तक संशोधित कर लें कि अगर हम उसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते तो कम से कम उत्तर प्रदेश की सीमा में चाहें वह किसी भी प्रकार की पालीथीन हो, उस पर उसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दें। मैं बताना चाहूंगा कि एक काली पालीथीन होती, इसे मांस बेचने वाले इस्तेमाल करते हैं, जब इसमें मांस लेकर व्यक्ति चलता है तो यह बात वैज्ञानिक शोध में आयी है कि इस काली पालीथीन में रखकर एक किमी० तक चलने के बाद मांस विषाक्त हो जाता है और उसको खाकर परिवार को जरूर कोई न कोई कठिनाई पैदा होती है, उसका पता नहीं चलता, क्योंकि यह धीरे-धीरे पैदा होती है। मैं इन सारे तथ्यों के आलोक में आपसे यही आग्रह करता हूं कि इस पर प्रतिबन्ध लगाकर सरकार मेरे आशय को समझकर इसे स्वीकार करेगी, धन्यवाद।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने जैसा संकल्प यहां प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि अत्यन्त सामयिक और जन सामान्य के हित के लिए है। वास्तविकता यह है कि हम आधुनिकीकरण के लालच में आ करके मनुष्य और प्रकृति का जो परस्पर सम्बन्ध हैं उससे दूर होते जा रहे हैं। मनुष्य प्रकृति का ही प्रसार है, एक्सटेंशन आफ नेचर है और जब भी हम प्रकृति के विपरीत चलने की चेष्टा करेंगे, निश्चित रूप से कष्ट उठायेंगे। हमारे देश भारत की संस्कृति अरण्य संस्कृति कही गयी है, और यह भारतीय संस्कृति है। प्रकृति से प्राप्त चीजें प्रकृति में लौट जायें और इसी लिए हमारे यहां जो पुरानी परम्परा थी कि हम अपना भोजन डिस्पोजलेबुल बर्तन, हमारा भोजन सामान्य रूप से पत्तलों में हुआ करता था, जल ग्रहण करने के लिए कुल्हड़ या मिट्टी के पात्र होते थे, जल को एकत्र करने के लिए बड़े-बड़े घड़े हुआ करते थे, बर्तन जो खाना बनाने के काम आते थे, जो प्रकृति के अनुकूल होते थे उन्हीं का प्रयोग किया जाता था। जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, स्वास्थ्य शब्द, मैं समझता हूं कि किसी अन्य

भाषा में इसका पर्यायवाची उपलब्ध नहीं है । स्वस्थ अर्थात जो अपने में स्थित हो और स्वयं में स्थित वही होगा जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर चलेगा । आधुनिकता के कारण केवल पालीथीन ही नहीं हमारे शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्र केमिकल के बनने लगे हैं और यह वैज्ञानिक सत्यापित तथ्य है, विज्ञान सम्मत है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वह भी प्राकृतिक नहीं हैं और अनेक प्रकार के रोगों की जनक हैं । मान्यवर, डा० बाजपेयी ने पर्याप्त अध्ययन के बाद जो बातें सामने रखी हैं उनमें किसी प्रकार की शंका किसी को नहीं हो सकती । यह वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर पालीथीन जलायी जाए तो उससे विषैली गैस निकलेंगी, दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और विश्व के कई देशों में इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है । फ्रांस में समुद्र के किनारे जो पालीथीन का प्रयोग होता था उसके कारण समुद्र की जो मछलियां थी और अन्य जन्तु जो थे वह मर कर तट पर आ लगे ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं । भारत में भी घटनाएं हुई हैं । यहां पर कई बच्चों की मृत्यु पालीथीन को सिर पर चढ़ाने से हुई है इससे उनकी दम घुट गयी । पालीथीन हमारे लिए अभिशाप है । मान्यवर, प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा में हम बैठकर इस पर विचार करें और करना चाहिए, यह समीचीन है कि कठोरता के साथ इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाए । जिस अधिनियम की चर्चा श्री बाजपेयी जी ने की है, मुझे लगता है कि वह केवल इस दृष्टि से रखा गया है कि सामान्य जनता को लगे कि सरकार इसके प्रति गम्भीर है। मगर वास्तविकता यह है कि गम्भीरता का कोई भी लक्षण उस अधिनियम में नहीं है । अब प्रयोगकर्ता की परिभाषा की बात है, प्रयोगकर्ता कौन है, एक व्यक्ति जो बनिए की दुकान से सामान खरीदता है, वह भी प्रयोग करता है । जो पैकिंग करता है सामान की वह भी सामान को पालीथीन में डालकर पैकिंग करता है । प्रयोगकर्ता की अपनी कोई परिभाषा नहीं है और उस तथा-कथित प्रयोगकर्ता जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है । उसके लिए कोई एजेंसी तय नहीं है जो उसको पकड़ेगा और कौन जुर्माना करेगा, कौन वसूलेगा और जुर्माने की राशि कहां जायगी । इसका मतलब यह हुआ कि कि केवल खानापूरी करने के लिए यह अधिनियम लाया गया । श्रीमन् मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस नीति की गम्भीरता को आज नहीं समझा गया तो 10 वर्ष [illegible] बहुत देर हो चुकी होगी और मेरा आपसे यह निवेदन है कि प्रयोगकर्ता पर नहीं बल्कि उत्पादनकर्ता पर ही प्रतिबन्ध लगाना चाहिए "न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी" । जब उत्पादन नहीं होगा तो उसका उपयोग भी नहीं होगा । जब हम यह देख रहे हैं स्पष्ट समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक कितनी हानिकारक है तो उसके उपयोग पर प्रतिबन्ध न लगाना कठोर वास्तविकता की अनदेखी है । इसलिए मैं बाजपेयी जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं । श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा सदन इसको एक संकल्प के साथ स्वीकार करें और प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि शासन स्तर पर कठोर अधिनियम लाकर पालीथीन के उत्पादन पर ही प्रतिबन्ध लगाया जाये, जिससे आने वाले वर्षों में जनता के लिए, समाज के लिए लाभदायक बन सके ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, बाजपेयी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । यहां पर प्लास्टिक के उत्पादन और उसके प्रचलन और उसके प्रयोग की हानियों के प्रति प्रचार-प्रसार किया जाय तथा इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । श्रीमन्, इस संबंध में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि प्लास्टिक के बैग्स बनते हैं और उससे सीवर सिस्टम चोक हो जाता है प्लास्टिक नालियों में तथा नालों में जाकर रुका पड़ा होता है जिससे सफाई की समस्या पैदा हो गई है । स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है । खेतों में खाद के रूप में पहुंच जाता है । बाजार से खेत में पहुंच रहा है जिससे बीज के उगने में मुश्किल हो रही है और जमीन में गड़कर कभी खत्म नहीं होता है । इसका प्रचार-प्रसार कर तत्काल प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । कृषि उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा व सफाई व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति एक प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दे रहा है । जब प्लास्टिक पोलीथीन बैग को

गायें खा लेती हैं तो उनके मृत हो जाने के समाचार अनेक बार निकलते हैं और बड़े लोग इकट्ठा होकर प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन करते हैं और भोजन करके छोड़ देते है उसको गायें खा लेती हैं और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रीमन्, आज पॉलीथीन प्लास्टिक के बैग्स अभिशाप बन चुके हैं। किस तरह से उत्पादन पर रोक लगायी जाय यह आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध है, अभी माननीय हुकुम सिंह इसका उत्तर देंगे कि प्लास्टिक से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, फैक्ट्रियां उत्पादन नहीं कर रही हैं, एक मिनट भी देर नहीं लगेगी। हम उनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हर चीज के महत्व को आपको आंकलन करना होगा। पालीथीन का प्रयोग हमारी सभ्यता के लिए, मानव संस्कृति के लिए, आचार विचार के लिए तथा पशुओं के जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। माननीय डा० बाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको सरकार स्वीकार करे और संसदीय कार्य मंत्री जी सदन के साथ अपने कर्तव्य निर्वहन में अग्रणी भूमिका अदा करते आये हैं और अच्छी से अच्छी बात को सरकारी पक्ष में रखते-रखते नकारने का काम करते हैं। मान्यवर, पॉलीथीन को कितने भी नीचे दबा दो लेकिन वह सड़ता नहीं है। खाद के साथ पॉलीथीन खेतों में पहुंच रहा है जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अगर किसान पॉलीथीन खेत से उठाकर मेड़ पर रख देता है और वह पॉलीथीन उड़कर दूसरे के खेत में पहुंच जाती है तो आपस में झगड़े की नौबत आ जाती है। आप जहां जायेंगे आपको पॉलीथीन मिलेगा। कपड़े की दुकान, हलवाई की दुकान, डाक्टर की दुकान पर भी दवा पॉलीथीन में मिलती है। यहां तक की तेल, घी लेने जायें तो आपको पॉलीथीन में मिलेगी। माननीय हुकुम सिंह जी, इस पर आप गम्भीरता से विचार करें, अगर इस पर विचार नहीं करेंगे तो हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पॉलीथीन के उत्पादन, प्रचार-प्रसार और उसके उपयोग इन तीनों पर पाबन्दी लगा दी जानी चाहिए। डा० डंग जी ने कहा कि इसके उत्पादन पर रोक लगायी जाये, यह उचित नहीं है। तीनों पर पाबन्दी लगे और सही मायने में इसका पालन होना चाहिए, पालन नहीं होगा तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अगर मात्र समाचार-पत्रों में यह छप जाये कि अमुक जगह सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया इससे इसकी मंशा पूरी नहीं होगी। इसके साथ मान्यवर, मैं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप निर्देशित करें कि इसे शासन गम्भीरता से ले। पॉलीथीन के प्रचार-प्रसार, उत्पादन और उपयोग इन तीनों पर प्रतिबन्ध लगाने की कृपा करें।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० डंग एवं श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की कि पॉलीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मण्डराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगाई जाय। वास्तव में मानव जाति के लिए और उसके संरक्षण और आगे आने वाले जीवन को खुशहाल रखने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल और प्लास्टिक का इस्तेमाल है। माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे अपने आपको जोड़ते हुए इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मानव का शरीर 5 तत्वों में मिलकर बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके अलग-अलग गुण हैं। आज मानव जाति अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया है। पॉलीथीन व प्लास्टिक के प्रयोग से जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उस पर अगर सतत् चिन्तन नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में इस खतरे को रोकने में हम सक्षम नहीं हो पायेंगे। मानव जाति तमाम वैज्ञानिक अविष्कारों के जरिए अपने को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें प्रदान करने के लिए जिस तरह से इन पांच तत्वों के अनुपात को बिगाड़ने का खेल शुरू किया है उससे स्थिति भयावह हो रही है। जो प्राकृतिक प्रदूषण होता है धरती के प्रदूषण को जल स्वच्छ करती है, जल के प्रदूषण को अग्नि स्वच्छ करती है।

माननीय अधिष्ठाता जी अग्नि के प्रदूषण को वायु स्वच्छ करती है और वायु के प्रदूषण को आकाश स्वच्छ करता है उनको चुनौती देने का काम इस मानव ने प्लास्टिक के अविष्कार के जरिये किया है। आज दुधारू पशुओं की जान को सबसे ज़्यादा खतरा प्लास्टिक से हो गया है, उनके पेट से कई-कई किलोग्राम प्लास्टिक निकला है और लखनऊ के जू में हिरन, चीतल, ब्लैक-बक और अन्य दर्जनों पशुओं की मौत प्लास्टिक के कारण हुई है लोग वहां पर पर वेस्ट मटीरियल को फेंकने का काम करते हैं जिससे जू के पशुओं को खतरा पैदा हो गया है आज किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जायें खेतों में रंगीन प्लास्टिक के बैग दिखाई देंगे ये प्लास्टिक बैग धरती को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। यह नान डिग्रेडेबिल मटेरियल जमीन के नीचे गलते नहीं हैं और सैकड़ो सालों तक वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं जहां पर जमीन में यह दबे होते हैं वहां की ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पाती है जिससे अवशेष सड़ नहीं पाते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचता है इस तरह से प्लास्टिक आने वाली सभ्यता के लिए एक खतरे का रूप ले चुकी है। पॉलीथीन और प्लास्टिक से मीथेन गैस बनती है जो कि कार्बन डाइ-आक्साइड से ज्यादा गर्मी को सोखकर वातावरण गर्म करती है। जिससे ग्रीन हाऊस इफेक्ट पड़ रहा है और धरती गर्म हो रही है और धरती की प्रोडक्टीविटी घट रही है और मानव जाति को एक खतरा उत्पन्न हो गया है। अधिष्ठाता महोदय, अगर नियत साफ है तो जो कूड़े-कचरे के निस्तारण का अधिनियम जारी हुआ है जिसकी जानकारी आम जनता को नहीं है उसकी जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। हम 404 सदस्य हैं हमें अपने-अपने क्षेत्रों में जन-सेवक बनकर जागरुकता लानी चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग हम सीमित करेंगे। मान्यवर, आपकी पीठ से निर्देश यह होना चाहिए कि कम से कम जो हमारी कैंटीन है वहां पर जो प्लास्टिक के गिलास में पानी दिया जा रहा है, आइसक्रीम खाने के लिए जो प्लास्टिक का चम्मच दिया जाता है ऐसी वस्तुओं पर वहां प्रतिबन्ध लगाने का निर्देश आपकी पीठ से हो जिससे एक नया उद्घोष समाज में जाएगा कि हम जन प्रतिनिधियों की समस्या के लिए जागरूक हैं। प्लास्टिक और पॉलीथीन को रोकने के लिए कानून को कठोरता से लागू करना चाहिए ताकि आगे आने वाली मानव सभ्यता को खतरे से बचाया जा सके। मान्यवर, डा० बाजपेयी और डा० डंग ने विस्तार सहित अपनी बातों को यहां पर बताया है निश्चित रूप से री-साईकिल की गयी प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बन्द होना चाहिए क्योंकि इससे खतरनाक रसायन निकलते हैं। इन खतरनाक रसायनों से जनता नावाकिफ है इसलिए जनता को सचेत करने के लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि वह जनता को प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले खतरों के बारे में जानकारी दें। अगर हम कानून को शक्ति से लागू नहीं करा पायेंगे तो इससे ज्यादा दुःखद बात और कोई नहीं हो सकती है। जैसा कि माननीय बाजपेई जी ने कहा, सवाल इस बात का नहीं है कि प्लास्टिक बनाने पर रोक लगाने से कितने लोग बेरोजगार होंगे सवाल इस बात का है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन इण्डस्ट्री लगाने से कितने दस्तकार बेरोजगार हो गये हैं और अनेक कुटीर उद्योग और कुम्हार, बांस बनाने वाले रस्सी बनाने वाले, प्लास्टिक के उपयोग के कारण बेरोजगार हो गये हैं और उनके व्यवसाय खत्म हो गये हैं। दस्तकारी में लगे हुए हाथों को हमें भूलना नहीं चाहिए और मानवीय सभ्यता को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) इसकी गम्भीरता को अहसास करते हुए मेरा निश्चित मत है कि प्लास्टिक पॉलीथीन के प्रयोग उत्पादन और प्रचलन पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। पान मसाला, गुटखा, कैरी बैग और अन्य प्रकार से जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और कम से कम आपकी पीठ से यह निर्देश होना चाहिए कि इस विधान सभा के परिसर में जो कैंटीन है उसमें उपयोग में आने वाली चीजों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जायेगा। अगर आपकी पीठ से ऐसे निर्देश होंगे तो एक नया संदेश उत्तर प्रदेश के जनमानस और समाज में जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने की अनुमति दी उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता–

सदन में 405 सदस्य नहीं हैं । 403 निर्वाचित सदस्य हैं और एक मनोनीत सदस्य है इस प्रकार 404 सदस्य हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं डा० बाजपेई को बधाई दूंगा कि आज उन्होंने सदन में एक ऐसा सवाल प्रस्तुत किया जो न केवल इस सदन के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए चिन्ता का विषय है । मान्यवर, मानव ने तमाम अविष्कार किये हैं और हानिकारक पदार्थ बनाये हैं, केमिकल्स बनाये हैं लेकिन पॉलीथीन किसी हानिकारक केमिकल्स से कम नहीं है । मैं आपको आज से 25 साल पहले ले जाना चाहता हूं, 25 साल पहले जीवन में उपयोग में आने वाली अधिकांश वस्तुएं प्लास्टिक से संबंध नहीं रखती थीं लेकिन आज दूध से लेकर जितने भी तरल अथवा ठोस पदार्थ हैं, कपड़ा है, यहां तक किसान की खाद की बोरी भी प्लास्टिक की ही बनती है । आज सब्जी भी यदि ग्रहणी खरीदने जाती है तो वह पॉलीथीन का ही उपयोग करती है आज लगता है कि इससे अच्छी दूसरी उपयोगी वस्तु नहीं रह गयी है । पहले शादी विवाह के अवसर पर कुम्हार द्वारा बनाये गये कुल्हड़ का इस्तेमाल होता था आज प्लास्टिक के गिलास का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, कुम्हार के कुल्हड़ को कोई पूछता नहीं है । स्टेशन पर जो पानी पीते हैं वह प्लास्टिक के गिलास में मिलता है पानी पीकर गिलास तोड़ते नहीं हैं तो उसी जूठे गिलास में पानी दुबारा सर्व होता है । हाईजीन की दृष्टि से यह उचित नहीं है । गंगोत्री भी जो पर्यटक जाते हैं वह वहां पॉलीथीन बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं उसे वैसा ही वहां छोड़कर चले आते हैं । आज सदन में चिन्ता व्यक्त की जा रही थी कि वार्मिंग अप पूरी दुनियां में हो रहा है । पूरे उत्तर भारत में इस समय गर्मी का इतना बड़ा प्रकोप हो गया है कि पिछले साल जो तापमान रहता था आजकल अप्रैल मई में वह 4 से 5 डिग्री ज्यादा बढ़ गया है । क्यों यह बढ़ गया है यह एकाएक नहीं बढ़ गया है हमने इसे बढ़ाया है । मानव के कुकृत्यों से इस तापमान में वृद्धि हुई है अगर हम अभी भी नहीं चेते तो गंगोत्री से लेकर समुद्र की तलहटी तक नदियों तक खेतों तक यह पॉलीथीन और प्लास्टिक फैल जाएगी । ट्रैक्टर इससे जुताई नहीं कर पाते हैं वह नीचे जाकर सतह में बैठ जाती है जो पानी जमीन में जाता है उसको यह रोक देती है यह बहुत ही विनाशकारी है इस पर तमाम सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की मैं सरकार से चाहता हूं इसको गम्भीरता से लिया जाए इसकी गम्भीरता को देखते हुए सरकार ने मन भी बनाया था लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों से फिर सरकार ने इसमें ढिलाई कर दी आज फिर इसका बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है । यह जलाने से भी नहीं जलती है और अगर जलती है तो इससे इतनी विषैली गैसें निकलती हैं कि उससे ओजोन लेयर प्रभावित होती है पूरी दुनियां में देखा जाए तो ओजोन लेयर का क्षरण हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा भारत के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसका क्षरण हुआ है । मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी कानून आपने बनाया है यह बहुत ही लचीला कानून है इस कानून का कोई मतलब नहीं है । मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला प्रदेश बने तो यह कानून बनाए एक ऐसा कानून बनाए कि हम प्रदेश में कहीं भी कोई पॉलीथीन, प्लास्टिक का उत्पादन करेगा उसके लिए दण्ड का प्राविधान किया जाए । दण्ड भी ऐसा होना चाहिए जो डिटरेंट हो जो इसका प्रयोग करने से रोके । यह मैं जरूर चाहूंगा मैं इन्हीं शब्दों के साथ डा० बाजपेयी साहब, वर्मा जी, डा० डंग व संजय गर्ग ने जो बात रखी उनका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें कहना चाहती हूं । यह पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसके बारे में हमारे माननीय बाजपेयी जी, डा० डंग साहब, श्री वर्मा जी, श्री संजय गर्ग, कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने सारी बातें करीब-करीब बता दी हैं । सभी लोग इसकी गम्भीरता से

परिचित हैं केवल एक बात मैं इसके बारे में आग्रह करना चाहती हूं कुछ दिन पहले पिछले वर्ष ही हमारी केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की थी, नियम बनाया था कि प्लास्टिक का उत्पादन बन्द किया जायगा। केवल 20 माइक्रोन का प्लास्टिक ही बाजार में आयेगा और इसके तहत महाराष्ट्र की सरकार ने इस पर अनुपालन करने का प्रयास किया। वहां पर यह आदेश निकाल दिया गया कि कोई भी व्यापारी 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा। इस आदेश के कारण कई व्यापारियों के यहां छापे पड़े काफी धन इकट्ठा किया गया। 500 रुपये का जुर्माना हर दोषी व्यापारियों पर लगाया गया था लेकिन यह अभियान केवल एक महीने चला उसके बाद बन्द कर दिया गया। अगर हमारी सरकार की नियत ठीक है और वास्तव में प्रदूषण जो प्लास्टिक के कारण फैल रहा है जिससे बीमारियां फैल रही हैं, वातावरण खराब हो रहा है, हमारे पशु मर रहे हैं खेती की उपज कम हो रही है सभी तरह से हानि हो रही है इसको खत्म करने के लिए वास्तव में प्रयास करे तो उन्हें इसका प्रयोग समाप्त न करने के लिए उत्पादन ही समाप्त करना पड़ेगा तभी उसका ठीक संदेश जा सकेगा। यह मैं आपके द्वारा प्रान्तीय और केन्द्र सरकार को अपनी बात कहना चाहती हूं कि इसका उत्पादन ही समाप्त करने का कानून बनाया जाय।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी यह विषय बहुत गम्भीर है और सम्यक् भी है। जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं हमारे सम्मानित विधायक डा० बाजपेयी, डा० डंग, माननीय वर्मा जी, गर्ग जी और रेवती रमण जी ने मैं और उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णतया इन भावनाओं से जुड़ी हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। मानव जीवन को आज जो खतरा पैदा हो गया है उसको कितने और दिन तक हम टालते रहेंगे। यह कहना संभव नहीं है। वैसे तो बहुत खुशी हुई होगी जब किसी वैज्ञानिक ने इसे इजाद किया होगा ख्याति प्राप्त हुई होगी उसे लेकिन वह इस बात से बेखबर होगा कि इससे सारे जनजीवन के लिए कितना खतरा उत्पन्न हो जायगा। जिसको आज हम अपनी प्रगति कहते हैं वैज्ञानिक युग का नाम देकर प्रसन्नता प्राप्त करते हैं यह हमारे जीवन में जहर घोल रहे हैं। गंगा का आचमन करके सारी दुनिया के लोग संतुष्ट होते हैं स्नान करके संतुष्ट होते हैं आज गजरौला में जाते हैं और वहां देखते हैं जहर सा घोला जा रहा है। वहां पर हमारा खड़ा होना असम्भव हो जाता है और वही पदार्थ नदी में प्रवाहित होता है। आज उत्तर प्रदेश में कोई नदी ऐसी नहीं है जिसका पानी पीकर आदमी तो क्या पशु ही जीवित रह सके। ऐसी स्थिति आज विज्ञान ने पैदा कर दी है जिसकी दुहाई हम लोग देते हैं। पॉलीथीन उनमें से एक है। कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता और न ही इन्कार करना चाहिए। कठिनाई यह आ गई कि बीमारी चलती है, उलझते हैं हम उसमें और उलझकर रह जाते हैं। निराकरण और निस्तारण कोई उसका सम्भव नहीं हो पाता है। मान्यवर,मैं आज से 30 साल पहले एक लेख पढ़ रहा था जब तमाम प्रदेशों में इनडक्शन फर्नीचर आर्क फर्नीचर, इस तरह के छोटे-छोटे उद्योग लग रहे थे। लकड़ी की कटाई बड़े जोर से हो रही थी। उस समय मैंने जो लेख पढ़ा था वह था कि लोहे का युग समाप्त, लकड़ी का युग समाप्त प्लास्टिक का युग आ रहा है। हम कल्पना नहीं करते थे कि ऐसी भयावह स्थिति यह प्लास्टिक युग पैदा करेगा। आपका प्रस्ताव ठीक है। आपका संकल्प है कि पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की स्थिति में हम हैं कि नहीं, इस पर भी चिन्ता कर लेनी चाहिए। उस युग की बात याद आती है जब गांधी जी ने कहा था कि इस आडम्बर को छोड़ो घर में बैठकर सूत की कताई करें। छोटे-छोटे घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग लगायें। अगर उस समय इस देश ने इस बात को एक संस्कृति के रूप में स्वीकार कर लिया होता तो वास्तव में आज एक अलग स्थिति होती। हम भी उस होड़ में चले गये हर देश से आगे निकलने की होड़ में और आज इस स्थिति में फंस गये। आज इस पर जो आप पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की बात कर रहे हैं। आज जो गाड़ियां चल रही हैं, कार, ट्रक, जिसमें 70 से 80 प्रतिशत सिन्थेटिक मैटीरियल का इस्तेमाल होता है, रबर का प्रयोग भी नहीं रह गया

है। यह सब चीजें बन्द हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य चीजें बन्द हो जायेंगी। मैं आश्वासन देता हूं कि एक बार सभी माननीय नेतागण और जिनकी रुचि है इस विषय पर बैठकर गहराई के साथ [illegible] चिन्तन करेंगे और राज्य सरकार चिन्तन करने के बाद जो सम्भव कानून होगा, बनायेगी। हम [illegible] नहीं हैं। मैं आश्वासन देता हूं हमारी भावनाएं भी इससे जुड़ी हैं। जो तर्क यहां पर दिये गये हैं, उनसे भी सहमत हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस आश्वासन के बाद इसको वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

[illegible], सदन [illegible] में धन्यवाद दूंगा उन सभी माननीय सदस्यों को, डा० डंग जी का, रघुवर दयाल [illegible] जी का, [illegible] गर्ग जी का, रवती रमण सिंह जी का और स्वयं सरकार की ओर से अपनी एक विनम्र सलाह सदस्य का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, श्रीमती ज्ञानवती जी का और संसदीय कार्य मंत्री जी का। इन सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस चर्चा में भाग लेकर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है और सरकार ने इसके उद्देश्य से सहमति व्यक्त की है और इसकी गम्भीरता को समझते हुए कहा है कि इस सदन के विभिन्न दलों के माननीय नेताओं से और इसके विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करके वर्तमान कानून को आगे कुछ बढ़ाने की बात कही है। दो तीन बातें कहने के बाद अपने मन्तव्य को स्पष्ट करूंगा। श्रीमन्, संजय गर्ग जी ने दो बातें कही हैं। एक तो उन्होंने सरकार से निवेदन किया था कि कहीं से तो शुरुआत करें। आज सदन में इस चर्चा के बाद आपका इस निर्णय को करने में हमको कोई कठिनाई नहीं होगी। हम विधान परिषद् के भीतर अपनी कैन्टीन के भीतर हम पालीथीन का प्रयोग प्रतिबन्धित कर दें। आज पालीथीन की जो परिस्थिति उभरी रहा है किसी के जन्म से लेकर श्मशान तक घी और हवन सामग्री पालीथीन में आती है। हलवाई के यहां गरम-गरम जलेबी रंगीन पालीथीन में मिलती है। रसायनों का उत्सर्जन और जन स्वास्थ्य को खतरा है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने इससे सहमति व्यक्त की है लेकिन मेरा इतना कहना है कि प्लास्टिक के प्रतिबन्ध से तो मैं मान सकता हूं कि अभी एकदम से कठिनाई पैदा हो जायेगी लेकिन पालीथीन थैली के प्रतिबन्ध जिसमें हम खाद्य पदार्थों को लेते हैं। इनके उत्पादन और प्रयोग पर सरकार प्राथमिकता से प्रतिबन्ध करेंगे। तो क्रमशः हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते नजर आयेंगे। जनमत का सहयोग लगेगा। क्योंकि बिल्ली को आगे बढ़ते देख कबूतर की तरह आंखें मूद लें इससे समस्या तो हल नहीं होती है। श्रीमन्, छावनी परिषद् लखनऊ ने न भारत सरकार की चिन्ता की और न उत्तर प्रदेश सरकार की चिन्ता की। श्रीमन्, 12 अप्रैल, 2000 से छावनी परिषद् ने अपनी सीमा के अन्दर पालीथीन का प्रयोग बन्द कर दिया। लखनऊ कैन्ट क्षेत्र में चले जाएं ज्यादा दूर नहीं है, कोई कैन्ट क्षेत्र में पालीथीन में सामान नहीं देता है। अब कितनी कड़ाई है कितना प्रतिबन्ध है यह अपनी जगह है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत धारा–5 में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गयी है। राज्य सरकार चाहे तो धारा–5 के अधीन उस शक्ति को किसी अधिकारी को देकर इसका प्रयोग [illegible] प्रतिबन्ध लगा सकती है। कैरीबैग पर प्रतिबन्ध लगा सकती है, इसमें कुछ सुविधा दी गयी है कि किस तरह की प्लास्टिक होगी। किसको अनुमन्य किया जा सकता है। मेरा कहना है कि इस तरह की पालीथीन का प्रयोग किया जा रहा है जो बहुत ही हानिकारक है इससे निकली गैस ओजोन की परत का [illegible] सबसे ज्यादा कर रही है ओजोन की परत का क्षरण जहां सबसे ज्यादा है वह भारत की छत पर है। इसमें एक मात्र कारण पालीथीन नहीं लेकिन एक कारण यह भी है। माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हैं और उन्होंने इसका संज्ञान भी लिया है और इस बात का आश्वासन दिया है कि इन दलों के साथ बैठकर वर्तमान कानून को प्रभावी बनाने पर जो राय मिलेगी उसमें सरकार झुकेगी नहीं। मंत्री जी से निवेदन है कि इस चर्चा के फलस्वरूप इतना तो कर ही दें कि विधान सभा परिसर में विधान सभा कैन्टीन में जो रंगीन पोलीथीन हैं जो सीधे जनस्वास्थ्य से जुड़ी हैं इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए मंत्री जी प्रयास करेंगे। अगर मंत्री जी इतना आश्वासन दे दें तो अच्छा हो।

श्री अधिष्ठाता–

आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मैं तो कह चुका हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप वापस ले रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह–

यह मेरे हाथ में नहीं है। स्पीकर साहब से बात करूंगा।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मैं इस संज्ञान से संतुष्ट होकर इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का प्रस्ताव है कि "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जन स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगाई जाय।" को वापस लेने के लिए सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"प्रदेश में काश्तकारों की अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाया जाय" विषयक डा० सरजीत सिंह डंग का संकल्प

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मद संख्या–10 पर आपने अनुमति दी थी कि इस मद के बाद ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

डा० डंग उपस्थित नहीं थे जिस समय यह मद पुकारी गयी थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको कोई आपत्ति तो नहीं है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके जो निर्देश होंगे मैं उसका पालन करूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है मैं डा० डंग को अनुमति दे रहा हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह संकल्प मैं इस सम्मानित सदन में केवल चर्चा की दृष्टि से नहीं लाया हूं यह मैं इसलिए लाया हूं कि अगर इसमें गम्भीरता से विचार नहीं किया गया तो कालान्तर में आने वाले भविष्य में प्रदेश की कृषि व्यवस्था ही नहीं चौपट होगी बल्कि प्रदेश के नागरिकों की मानसिकता भी इस प्रकार की हो जायेगी कि इस प्रदेश के विकास की सारी सम्भावनाएं बन्द हो जाएगी। मान्यवर, किसानों के संदर्भ में स्वतंत्रता के पश्चात् जिन मनीषियों ने पूरी गम्भीरता से विचार किया है वह हैं डा० राम मनोहर लोहिया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, चौधरी चरण सिंह, आचार्य नरेन्द्र देव। इन्होंने इस प्रदेश के कृषकों, गरीबों और किसानों के बारे में चिन्ता किया है। समस्याओं का हल अलग-अलग निकला हो मगर इतना जरूर है कि पूरी गम्भीरता के साथ इन्होंने इनके बारे में अध्ययन किया और विचार रखे हैं। चौधरी चरण सिंह का यह कहना था कि तीन सही एक बटा आठ एकड़ के नीचे की जो जमीन है तो

वह जमीन किसी भी परिवार के लिए अलाभकारी होती है । इसका मतलब यह है कि कृषि पर आधारित रहकर उस जमीन में खेती करके चला नहीं जा सकता, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं उसे अन्य कोई उद्योग करना पड़ेगा अन्यथा परिवार वालों को नौकरी पर जाना पड़ेगा । यह चिन्ता 30, 35 वर्ष पहले हुई थी । मगर दुर्भाग्य का विषय है कि किसी ने गम्भीरता से इसमें चिन्ता नहीं व्यक्त की कि जोत अलाभकारी न बनने पाये । कुछ व्यावहारिक कारण हैं । मान लीजिये कि एक परिवार में 50 एकड़ जमीन थी । दो पुत्र उसके हुए और वह 25-25 एकड़ में बट गयी । उसके बाद उन लोगों को चार पुत्र हुए और इस तरह से होते-होते वह अलाभकारी होती गयी । आज प्रदेश के आंकड़े यह कहते हैं कि प्रदेश में 14 प्रतिशत जोत लाभकारी है और 86 प्रतिशत अलाभकारी है । आर्थिक दृष्टि से केवल कृषि पर आधारित होकर हम अपने परिवार को नहीं चला सकते हैं । अब जो अर्थशास्त्रियों ने नया मापदण्ड बनाया है सवा छह एकड़ के नीचे जमीन अलाभकारी हो गयी है । केवल बंटवारे के कारण नहीं राजनीतिक हित साधन के लिए विभिन्न सरकारों ने विभिन्न समयों पर विभिन्न वर्गों के लोगों को जमीन बांटने के लिए एक बीघा, दो बीघा, कुछ बिस्वा जमीन विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति के भाइयों को बांटने की चेष्टा की है और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को बांटने की चेष्टा की है । यह गरीब, दलित अनुसूचित जाति के व्यक्ति एक बीघा की जमीन को लेकर अपने परिवार को पाल नहीं सकते चाहे जितना उन्हें सरकारी सहयोग मिले और अपना पूरा पुरुषार्थ लगा दें । मान्यवर, वह जमीन वे बेंच भी नहीं सकते और न उसको छोड़ सकते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति कहां सुधरेगी । मतों के लालच में पार्टियों ने अपने-अपने घोषणा-पत्र में कहा कि जमीन बाटी जायेगी गरीबों में मगर वे जमीन उनके लिये अभिशाप बन गई है । अलाभकारी जोत जो है चाहे पारिवारिक बंटवारे के कारण या सरकारी नीतियों के कारण मगर वास्तविकता तो यह है कि सारी की सारी जमीनें उन लोगों के लिये गले की हड्डी बन चुकी है । इसलिये मान्यवर यह आवश्यक है कि अब जो 14 % लाभकारी जोते बंची हैं उनके अनुपात को बढ़ाया जाये । जिनके पास जमीन कम है, अलाभकारी है तो वह बंधा हुआ है ।

मान्यवर, जब तक हम किसी की जमीन के ऊपर से भार कम नहीं करेंगे मानसिकता नहीं बदलेंगे केवल इस जमीन से काम नहीं चलने वाला है । यह हो कि जमीन एक व्यक्ति देखेगा बाकी लोग दूसरे कामों को देखेंगे । न खुदा मिला न मिसाले सनम, "न इधर के रहे और न उधर के रहे" मान्यवर, इसलिये अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है मैं सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि उनकी गम्भीरता का आकलन करें । नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं जो दो पीढ़ियां आयेंगी उसमें यह 14 प्रतिशत से घटकर 7-8 प्रतिशत रह जायेंगी । मान्यवर, प्रदेश में कृषि के कारण ही कुछ सम्भावनायें विकास की बनती हैं । चाहे कृषि पर आधारित उद्योग हो गन्ना किसान हो आलू किसान पैदा करने वाले किसान हों मान्यवर, भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इनमें सारा का सारा विकास कृषि पर आधारित है आने वाले भविष्य में सचेत करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि सरकार विशेषज्ञों की समिति बिठाये जो यह तय करे कि अलाभकारी जोत वास्तव में कितनी है और लाभकारी जोत क्या है और अलाभकारी जोत पर किस तरह से नियंत्रण लाया जा सकता है । मान्यवर, भले ही काश्तकारों की संख्या कम हो कृषक अपनी आय से परिवार चला सकें और खेती कर सकें मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं और निवेदन करता हूं कि अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाने के लिये प्रभावी कानून बनाये जायें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय डंग साहब ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है अलाभकारी जोतों के ऊपर नियंत्रण लगाया जाय मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है हमारी सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है । हमारी कृषि नीति क्या हो, हमारे कृषि का लाभ, जोतों को लाभकर कैसे बनाया

जाय, यह गहन चिन्तन का विषय है। आर्थिक उदारीकरण के बाद जिस तरह से कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई है उससे प्रदेश के सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न होने वाला है। हमारे प्रदेश में जहां सब प्रकार का खाद्यान्न उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है लेकिन गत 5 वर्षों में खेती के मामले में जैसी उपेक्षा शासन स्तर से बरती गई है वह गम्भीर चिन्ता का विषय है। समय से नहरों की सफाई नहीं होती और उस पर होने वाला व्यय सरकार निरन्तर कम करती चली जा रही है। 28 हजार ट्यूबवेल आज बन्दी की कगार पर आ गये हैं या बन्द हो गये हैं। किसान को जो सब्सिडी दी जाती थी उर्वरकों की उसमें विश्वबैंक के दबाव में निरन्तर कटौती की जा रही है। आज हम पाश्चात्य देशों की नकल कर रहे हैं जहां बड़ी-बड़ी जोतें हैं खेती उनकी अर्थनीति का कोई आधार नहीं है और उन देशों में भी खेती के ऊपर अनुदान दिया जा रहा है लेकिन उनकी दादागीरी में विश्वबैंक से हमारे ऊपर यह दबाव बनाया जाता है कि खेती पर सब्सिडी बन्द करें! इससे स्थिति यह होगी कि हमारी खेती मर जायेगी हमको खाद्यान्न के लिये बड़े-बड़े देशों के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर आश्रित होना पड़ेगा। अफ्रीकन कंट्री को देखें। जिन देशों ने विश्व बैंक के दबाव में, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में खेती के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज वह खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर आश्रित हो गये जिसके चलते आज उनको अपना सम्मान की रक्षा करना मुश्किल पड़ रहा है। मान्यवर, जब पेट के लिए कोई देश दूसरे देश का मोहताज हो जाता है तो वह उसका कहना मानने को बाध्य हो जाता है। इसलिए कृषि नीति पर उसके बारे में गम्भीरता से विचार करना होगा। आज 70 फीसदी से ज्यादा लोगों की जीविका कृषि है हमारी खेती का कोई विकल्प नहीं है। हमारे उद्योग कृषि पर आधारित हैं इसलिए कृषि नीति का सफल होना नितान्त आवश्यक है। माननीय डंग साहब ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है इसमें एक गहन अध्ययन हो, हमारे प्रान्त में लाभकारी जोतों का क्या मानक हो, अलाभकारी जोतों पर कैसे नियंत्रण लगाया जाय क्योंकि निरन्तर अलाभकारी जोतों की संख्या बढ़ती जा रही है। परिवार विघटित होते हैं जोतों की संख्या अलाभकारी होती जा रही है। परिवार बढ़ेगा तो खेती का बंटवारा होगा तो जो जोत लाभकारी थी वह अलाभकारी हो जायेगी। इसलिए वैज्ञानिक ढंग से इसका अध्ययन कराया जाय, पूरे प्रदेश की कृषि नीति बने इस पर गम्भीर चिन्तन होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपनी समस्याओं का निराकरण कैसे करें। आज स्थिति यह है कि आज तमाम खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, आर्थिक उत्पादन हो जाता है तो हम उसका निर्यात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा गेहूं विश्व बाजार में नहीं खरीदा जाता क्योंकि वह मानक के अनुरूप नहीं है, विश्व मानक के अनुरूप नहीं है, आलू नहीं खरीदा जाता है क्योंकि वह विश्व मानक के अनुरूप नहीं इसी तरह से अन्य चीजें हैं उनकी क्वालिटी नहीं जिससे उसके निर्यात करने में कठिनाई होती है इसलिए जरूरी है कि अच्छे वैज्ञानिक ढंग से बीज तैयार करें जिससे जो कृषि उत्पादन हो हम उसका निर्यात कर सकें। मान्यवर, जो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, वह कहीं दिखाई नहीं पड़ती, कैसे उर्वरकों की सब्सिडी समाप्त कर दी जाय, सिंचाई के ऊपर ज्यादा व्यय हो रहा है, कैसे उसको कम कर दिया जाय, मान्यवर, यह कोई पैमाना नहीं होता। एक कल्याणकारी राज्य के अन्दर कृषकों को सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए, पानी, सिंचाई, अच्छे बीज दिलाना, यह कोई सब्सिडी नहीं है, बल्कि यह सुविधा देना नितान्त आवश्यक है। लेकिन इस सरकार द्वारा लगातार इस संबंध में उदासीनता बरती जा रही है, जिससे हमारे यहां की कृषि उपज कम होती जा रही है और कृषि का स्तर गिरता जा रहा है और कृषकों के सामने तमाम तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। मान्यवर, हमारे कृषि उत्पादन का मूल्य क्या है, इसका अध्ययन होना चाहिए, चाहे धान हो, गेहूं हो, आलू हो, हम कृषकों को कम से कम उसका लाभकारी मूल्य तो दिला सकें; इस बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिए, इसका अध्ययन कराया जाय। माननीय डंग साहब ने इस संबंध में जो संकल्प आज प्रस्तुत किया है, उस पर केवल चर्चा ही नहीं होनी चाहिए बल्कि सरकार को इसमें आगे बढ़ कर इस संकल्प को पारित कराना चाहिए और अपनी एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी

चाहिए कि हम एक कृषि नीति बनायेंगे और किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलायेंगे तथा अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाने का काम करेंगे साथ ही कृषि उत्पादों की क्वालिटी को किस तरह अच्छा कर सकेंगे वरना कहीं हमारी कृषि मर न जाये, कृषक कमजोर न हो जाय जिससे उसे कृषि से पलायन न करना पड़ जाय। इसलिए मैं इस सकंल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस संकल्प को अवश्य पास करायेगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय डंग साहब ने जो संकल्प आज प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है कि हमारी जोतें अलाभकारी होती चली जा रही हैं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की लगभग 80 प्रतिशत जनता गांव में निवास करती है और हमारे गांव की आबादी तो कृषि पर निर्भर है ही, साथ ही अन्य लोग भी किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर पूरी की पूरी व्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, उनका आशय यही था कि जब तक गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं होगा, खेत, खलिहान का विकास नहीं होगा, तब तक देश और प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। किसान जब खुशहाल होगा, उसको उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा तो वह उस पैसे को खर्च करेगा, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े बनायेगा, इससे कपड़े के व्यापारियों को फायदा होगा। यदि उसकी अच्छी फसल होगी तो वह सोचेगा कि पक्का मकान बनवा लूं और इससे भवन निर्माण की सामग्री बनाने तथा बेचने वाले जो लोग हैं, उनको फायदा होगा, इस प्रकार यदि किसान खुशहाल होगा तो पूरा देश और प्रदेश खुशहाल होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो भी सरकार इस प्रदेश और देश में आई, उसने किसानों की उपेक्षा ही की और अभी तक कोई नीति बनाने में सफल नहीं हो सकें जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। किसान के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, जैसे डीजल, फर्टीलाइजर, कीटनाशक दवाइयां अथवा बीज हों, चाहे किसान के बच्चों की पढ़ाई कापी-किताब, बच्चों की फीस हो, सबके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यह सरकार किसानों को खेती का लाभकारी मूल्य दिलाने में असफल है। एक तरफ दूसरी तरफ उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ उनकी फसल सड़ रही है। किसान साल भर मेहनत करके अपनी फसल तैयार करता है और जब फसल तैयार होती है तो वह उसे अपने सामने सड़ते हुए देखता है, सरकार उसको लाभकारी मूल्य दिलाने तक में सफल नहीं है इसलिए मान्यवर, इस संकल्प के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए एक स्थायी नीति बने जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। मान्यवर, अभी बात आयी सब्सिडी की, कि किसानों को सब्सिडी दी जाय, खाद पर सब्सिडी दी जाय, बिजली पर सब्सिडी दी जाय, यह सब्सिडी किसानों को नहीं दी जा रही है यह तो मान्यवर, व्यापारियों को दी जा रही है। लेकिन मान्यवर, मेरा कहना है कि यदि आप किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दे दें। यदि एहसास करने का प्रयास किया जाएं कि गेहूं पर कितना खर्च आता है और धान के उत्पादन पर कितना खर्च आता है, गन्ने की उपज पर कितनी लागत आती है, कितना केमिकल डालना पड़ा, कितनी खाद डाली और यदि उसको इन सब चीजों को देखते हुए उसे सही मूल्य, लाभकारी मूल्य दे दिया जाए तो किसान को एक नये पैसे की सब्सिडी की जरूरत नहीं है, वह कोई भिखारी नहीं है। यह तो सरकार की मजबूरी है कि वह किसानों को सब्सिडी दे रही है। मान्यवर, यहां रिकार्ड उत्पादन हो रहा है, गेहूं और धान का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है लेकिन उसका आयात किया जा रहा है। हम टेलीविजन में देखते हैं गोदाम के अन्दर अनाज सड़ रहा है। यह सरकार की नीति है कि गेहूं का दाम न बढ़े, धान का दाम न बढ़े, गन्ने का दाम न बढ़े। चीनी पिछले साल आयात की

गयी, एक साल पहले आयात की गयी केवल इसलिए कि उसका दाम न बढ़े । मान्यवर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच केवल एक यमुना नदी है । इस ओर हम हैं और उस ओर हरियाणा है । हरियाणा में गन्ने का दाम 125 रुपये प्रति कुन्तल है और उत्तर प्रदेश में 95 रुपये के हिसाब से गन्ने का दाम दिया जा रहा है और सरकार कहती है कि हमने 5 रुपये प्रति कुन्तल दाम बढ़ा दिए । यदि किसान की भलाई करना चाहते थे तो कम से कम हरियाणा के बराबर तो दाम दिला देते। आज हमारे गन्ने की उत्पादन लागत हरियाणा से ज्यादा आ रही है, हमारी रिकवरी हरियाणा से ज्यादा है लेकिन दाम 30 रुपये वहां से कम है । मान्यवर, यह बहुत बड़े चिन्ता का विषय है, सरकार की उदासीनता की, किसान विरोधी नीति इससे ज्यादा क्या होगी । आप अन्दाज लगा लीजिए हमारे यहां गवर्नमेंट फार्म है वहां पर गेहूं और धान की उत्पादन लागत क्या आती है.....

श्री अधिष्ठाता–

विषय वस्तु क्या है ?

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण किया जाए, यही विषय है कि किसान को लाभकारी बनाना है, किसान को सुविधा दी जाए, जब उसकी फसल तैयार हो तो उसे इसका लाभकारी दाम मिले, यह विषय है । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो सरकारी फार्म हैं, हम देखें कि वहां पर गेहूं पैदा करने में कितनी लागत आती है, धान के उत्पादन पर कितनी लागत आती है लेकिन उस हिसाब से किसान को अपनी फसल का दाम नहीं मिलता । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहता हूं कि यह संकल्प बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप कह रहे हैं कि विषय है कि अलाभकारी जोतों पर कैसे नियंत्रण किया जाए, बहुत ही चिन्ता का विषय है कि 80 प्रतिशत जनता प्रदेश की जिस काम में लगी हुई है, वह अलाभकारी काम है । मान्यवर, धन्धों में नुकसान हो रहा है । किसानों के उपयोग की वस्तुएं हैं वह सही दाम पर मिले, किसानों को खेती में सुविधा मिले । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में 10–12 घंटे बिजली नहीं आती है तो सिंचाई कैसे कृषक करें । आज नहरों के अन्दर पानी की सुविधा मिले । फसल तैयार है तो हिसाब लगाकर जितनी लागत आये उसका मूल्य निर्धारित किया जाये । बीज से लेकर खाद तक उसका हिसाब लगाया जाये । जितना लागत आता है उसी के हिसाब से उसको लाभकारी मूल्य दिया जाये । अगर किसान की जोत लाभकारी होगी तो किसानों की पैदावार भी अधिक होगी और निश्चित रूप से किसान खुशहाल होगा । इस संकल्प पर मैं बल देता हूं अगर ऐसी स्थिति बन जाये तो किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा ।

श्री बनवारी लाल दोहरे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय डंग साहब द्वारा जो अलाभकारी जोत पर नियंत्रण लगाने का यहां संकल्प लाया गया है डा० डंग साहब मुझे तो शंका हो रही है कि इस संकल्प के माध्यम से क्या कहने की यहां पर आवश्यकता समझी है और क्या कारण है । मान्यवर, जो $3\frac{1}{8}$ एकड़ भूमि जो लक्ष्य सीमान्त कृषक का स्व० चौधरी चरण सिंह के द्वारा किया गया था । कुछ ऐसे काश्तकार हैं जिनको बेचने की अनुमति नहीं मिली है । यदि बेचने की अनुमति सरकार कर देगी तो वह छोटे-छोटे कृषक अनुसूचित जाति के हैं आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त जमीन को बेच सकते हैं । उनके नाम से कोई भूमि नहीं रह जायेगी और निश्चित रूप से वे बिना जमीन के हो जायेंगे । अगर इस प्रकार का कानून बना देंगे तो किसी के पास जमीन नहीं रह जायेगी । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संकल्प जो लाया गया है डा० डंग साहब इसको समझने का काम करें । मेरी समझ में नहीं आता कि श्री समरपाल सिंह और डा० अशोक बाजपेयी अलाभकारी जोतों की जगह अलाभकारी फसलों पर बहस कर रहे थे । माननीय सदस्यगण इस पर विचार करेंगे कि $3\frac{1}{8}$ एकड़ भूमि कम है और उनको बेचने की अनुमति नहीं

है क्या अनुमति दिलाना चाहते हैं या बड़ी जोतें बनाना चाहते हैं और भूमि कम जोतवालों के पास तिलभर भी नहीं रह जायेगी । छोटे-छोटे काश्तकार बिना भूमि के ही रह जायेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय डंग साहब बहुत ही विद्वान हैं । बड़ी होशियारी से और बहुत होशियारी के साथ यह संकल्प प्रस्तुत किया है। काश्तकारों को अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाया जाये। हिन्दुस्तान में भूमि व्यवस्था जो है किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद जमीन पर वंशानुक्रम का कानून है एक प्रक्रिया बनी हुई है और जिस तरह आबादी बढ़ेगी उसी तरह से जमीन भी घटेगी यह रबर नहीं कि बढ़ा कर बड़ी कर दी जायेगी या जमीन का आकार छोटा कर दिया जायेगा । मान्यवर, श्री डंग ने जमीन क्रय करने की शिकायत के मामले में बहुराष्ट्रीय कम्पनी का मार्ग प्रशस्त करने का विचार प्रस्तुत किया है तो क्या अलाभकारी कहा जायेगा । विदेशी कम्पनी इसी मंशा के साथ जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनकी जमीन को खरीदना चाहती है, अभी खरीद नहीं सकते हैं । डंग साहब इसमें संशोधन कराना चाहते हैं । तो वह कम्पनियां हमारी जमीन को लेने में सक्षम हो जायेंगी और वह दिन हमारे देश के लिए बहुत बुरा होगा । माननीय डंग साहब इस पर गम्भीरता से विचार करें, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे-जैसे आबादी बढ़ेगी, वंश बढ़ेगा, जमीन छोटी होती जायेगी, जोतों का आकार छोटा होता जायेगा । छोटी जोत का गरीब जिस पर पूरे परिवार का जीवन निर्भर है, उसके आमदनी का स्रोत खेती होती है । आप कहते हो कि वह खेती उससे हटाकर उस सरदार को दे दो जो 50-60 एकड़ का काश्तकार है । जब वह जमीन उस सरदार के पास चली जायेगी तो वह हगने-मूतने को भी गरीबों को जगह नहीं देंगे । जब खेती बड़े लोगों के पास चली जायेगी तो आधुनिक स्रोतों से खेती करेंगे । वह बुआई, भी मशीन से करेगा और फसल की कटाई भी मशीन से करेगा और वह खेती सस्ती पड़ेगी लेकिन परम्परागत खेती महंगी है । जब यह स्थिति होगी तो जो 5 एकड़, 7 एकड़ 10 एकड़ वाला किसान है वह उस सरदार को, बड़े काश्तकार को खेती देकर भाग जायेगा । मैं डंग साहब से अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार करें और माननीय राजस्व मंत्री जी इसे अग्राह्य कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राजस्व मंत्री जी विचार रखें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय अधिष्ठाता जी, कुछ माननीय सदस्यों की शंकायें हैं, उनका निराकरण हो जाये ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गयी ।)

* श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, विषय बहुत गम्भीर है, इस विषय में मात्र दो मिनट चाहूंगा । डंग साहब ने महत्वपूर्ण विषय रखा है । अलाभकारी खेती को कैसे लाभकारी बनाया जाये । मैं डंग साहब से पूछना चाहता हूं कि किस देश में खेती लाभकारी है । खेती लाभकारी होती ही नहीं है । अमेरिका में भी खेती होती है, वहां पर भी खेती अलाभकारी है । वहां पर दस-दस हजार एकड़ के किसान हैं, वहां पर कृषि के ऊपर सब्सिडी दी जाती है । 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी दी जाती है । हमारे देश के किसानों को बरबाद करने के लिए यहां पर सब्सिडी समाप्त कर दी गयी है । जबरदस्ती विश्व-बैंक की पॉलिसी लाद दी गयी है । अगर अमेरिका में लाभकारी खेती है तो फिर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी क्यों दी जा रही है ? दुनिया के किसी देश में कृषि लाभकारी नहीं है, सब्सिडी देकर लाभकारी बनाया जाता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । छोटे-छोटे उद्योग धन्धे और कारखाने लगाकर देश को खुशहाल बनाया जा सकता है । कृषि लाभकारी नहीं है । कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसान को सब्सिडी दी जाये ।

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, यह विषय महत्वपूर्ण है लेकिन किसी की भी सरकार हो, समस्यायें होती हैं । विशिष्ट रूप से जो जोतों के छोटे होने की समस्या है उसका कारण प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, मान्यवर, जनसंख्या बढ़ी है लेकिन जमीन नहीं बढ़ी है । आज परिवारों में फूटन हो रही है और संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपना खाता अलग-अलग रखना चाहता है । वरासत के मामले बढ़े हैं चकबन्दी में जितने खातेदार हैं वह अपना चक अलग बनवाते हैं तो कई कारण हैं जिनसे जोतें छोटी होती चली गयीं यह विषय महत्वपूर्ण है और प्रदेश के जन-जन से जुड़ा हुआ है । सरकार किसी की भी रही हो या किसी की भी हो उसके सामने मजबूरी रही है कि गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में, दलितों के हित में, अनुसूचित जाति के लोगों के हितों का किस प्रकार संरक्षण किया जाय और उनको कैसे जमीन दी जाय । जब देश आजाद हुआ तो प्रदेश की जनसंख्या 6 करोड़ थी और आज 16 करोड़ हो गयी है । जो शहरों के आस-पास के जमीनें थीं वह अर्जित होती जा रही हैं, शहरी आवासों के लिए और जोतें छोटी हो रही हैं । जब समस्या के समाधान की बात आती है तो मैं सभी दलों के लोगों से अनुरोध करूंगा कि सभी दलों के लोग बैठकर इस पर गम्भीरता पूर्वक चिन्तन करें और सर्वसम्मति से ऐसी व्यवस्था करें कि जो जोतें अलाभकारी होती जा रही हैं उनको कैसे लाभकारी बनाया जाये वरना सरकार किसी की भी हो, या रही हो, जोतें छोटी होती चली गयीं । यह ठीक है कि 72 परसेन्ट लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं और आज जमीन से आय कम होती चली जा रही है । छोटी जोतों का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है । इस प्रदेश में करीब-करीब 74 परसेन्ट के आस-पास कृषक ऐसे हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है । करीब 14.5 परसेन्ट ऐसे लोग हैं जिनके पास एक से दो हेक्टेयर जमीन है, और करीब 8.9 परसेन्ट ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है । लाभकारी जोत 3.125 एकड़ नियत की गयी थी जिस समय यह नीयत की गयी थी उस समय उद्देश्य था कि एक परिवार में 5 लोग होंगे जिनमें 2 वयस्क खेती करेंगे और 3 मजदूरी करेंगे लेकिन स्थिति बदलती चली गयी और धीरे-धीरे घटते-घटते 75.4 परसेन्ट लोगों के पास आज एक हेक्टेयर से भी कम जमीन रह गयी है । इसके तीन कारण हैं, वरासत, चकबन्दी और आवंटन । इस सम्बन्ध में मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सारे दल मिलकर एक निश्चित मत बनायें । जिससे समस्या का समाधान हो सके, अलाभकारी जोतें ठीक नहीं हैं । मैं श्री डंग साहब से अनुरोध करूंगा कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें और हम सब लोग बैठकर इस संबंध में एक कार्यक्रम बनाकर समस्या का समाधान करें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि कई माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और विचारोपरान्त दृष्टिकोण आये । डा० अशोक बाजपेयी, श्री समरपाल सिंह, श्री रघुवर दयाल वर्मा और मा० राजस्व मंत्री जी ने और हमारे बहुत वयोवृद्ध मित्र जिन्होंने बड़े उत्तेजना पूर्ण ढंग से अपने विचार प्रकट किये, मैं उन सबका कृतज्ञ हूं मुझे लगता है कि शायद विषय की गम्भीरता को समझने की चेष्टा नहीं की गई, मैंने इस बात को प्रारम्भ में कहा कि राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से भी हमने इस प्रकार के आवंटन किये हैं जिनका उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाया । मैंने जो भी नियंत्रण की बात कही है वह जोतों के बारे में कही है, आवासीय सुविधा के बारे में नियत्रण लगाने की बात नहीं कही है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए । मा० रघुवर दयाल वर्मा जी ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आक्रमण और प्रकारान्तर में उन्होंने यह बात कहने की चेष्टा की कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को न्यौता दिया जा रहा है वह हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, विद्वान हैं, अनुभवी होने के नाते मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं मगर लगता है कि कही समझने में उन्हें भूल हुई है । मैं कृतज्ञ हूं कि मा० राजस्व मंत्री जी ने इस विषय की गम्भीरता को बहुत

गहराई से समझा, क्योंकि आज इस विधान सभा में जो हम निर्णय करेंगे उसका आने वाली पीढ़ियों पर असर पड़ेगा और तब हमारा मूल्यांकन होगा कि उस समय जो लोग यहां पर बैठे थे उन्होंने चिन्तन क्यों नहीं किया। मैं राजस्व मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि सब लोगों को, विभिन्न दलों के लोगों को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम लोग राजनीतिक प्राणी हैं, जैसा वर्मा जी ने कहा कि किस जोत को लाभकर मानेंगे और किस जोत को अलाभकर मानेंगे, इसका फैसला हम नहीं कर पायेंगे। पहले 3½ एकड़ की जोत को लाभकर माना जाता था लेकिन अब विशेषज्ञों की रिपोर्ट आई है सवा छः एकड़ की होनी चाहिए। आज जो परिस्थिति है और जिस प्रकार के उपादान हमारी खेती को बढ़ा सकते हैं उनको देखते हुए खेती की सीमा कितनी होनी चाहिए यह तय करने के लिए हम राजनीतिक प्राणी सक्षम नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि विशेषज्ञों की एक समिति बना दें जिसमें सामाजिक, आर्थिक और कृषि से सम्बन्धित वैज्ञानिक हों और विशेषज्ञ हों और इस सदन के सम्मानित सदस्य जो इसमें रुचि रखते हैं वह भी इसमें हों और गम्भीरता से इसमें चिन्तन हो क्योंकि हम प्रदेश के भविष्य के बारे में निर्णय ले रहे हैं। यदि इस प्रकार की समिति की घोषणा हो जाती तो मैं संतुष्ट होता। अगर माननीय मंत्री जी किसी ऐसी समिति की घोषणा करें तो मैं अपने संकल्प को वापस ले लूंगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जिस समिति के संबंध में डंग साहब ने कहा, हम शीघ्र ही समिति बनाकर गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार करेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा रखे गये संकल्प "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में काश्तकारों की अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाया जाय, को वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

एक चर्चा मैंने मद सं०–11 पर जो है उसको स्थगित किया था। डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की चर्चा जो मद संख्या–13 पर है वह जारी है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, संकल्प तो प्रस्तुत करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

हमने मद–11 निरस्त कर दी है, मद–13 पर चर्चा जारी है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका संकल्प प्रस्तुत हो चुका है। इसमें लिखा है चर्चा जारी।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं मद संख्या–11 की बात कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

यह मैंने निरस्त किया था उस समय आप अनुपस्थित थे।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय विषयक नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी का प्रस्ताव

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा 4 मई, 2000 से जारी है । "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।

मान्यवर, प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या और उस बढ़ती हुई जनसंख्या में विभिन्न धर्मों के अनुयाइयों का बढ़ता हुआ प्रतिशत एक चिन्ताजनक पहलू के रूप में प्रदेश की जनता के सामने आ रहा है । जनसंख्या नियंत्रण पर इस सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी नीति प्रकाशित की लेकिन उस नीति को प्रकाशित करने पर कहीं भी सरकार की या भारत सरकार की मंशा जाहिर नहीं है कि हम वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर विस्फोट का रूप लेती हुई इस भयावह समस्या पर नियंत्रण करने के लिए बिना धर्म और राजनीतिक्र के भेदभाव के सभी धर्मों के अनुयाइयों पर इस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए नीति को समान रूप से और कड़ाई से लागू करेंगे । जनसंख्या नीति में यह परिलक्षित होता तो शायद मुझे सदन में इसकी चर्चा करने की आवश्यकता महसूस न होती । वर्ष 1991 और वर्ष 2001 की जनसंख्या को हम देखें तो उन आंकड़ों को देखने के बाद तमाम शंकाओं का जन्म होता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अन्य राज्यों के मुकाबले में तीव्रता के साथ बढ़ रही है यदि इस जनसंख्या को नहीं रोका गया तो अगले 50 वर्ष में यह जनसंख्या 17 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ हो जाएगी । अगर 44 करोड़ जनसंख्या हो गई तो अभी हमारे पूर्व वक्ता श्री डंग जी ने जो एक संकल्प के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर रहे थे जैसी कि उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि कृषि प्रधान प्रदेश में जोतों की स्थिति क्या होगी । किसानों की स्थिति क्या होगी । दुकानों की स्थिति क्या होगी कितना-कितना भाग पड़ेगा । तथा यह लाभकारी होंगी या अलाभकारी होंगी । यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा होगा । जनसंख्या वृद्धि से जीवन के अनिवार्य साधनों में कमी हो जाती है । रोजगार के साधनों में कमी हो जाती है, सारी सुविधाओं का अभाव हो जाता है खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी हो जाती है । मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े यहां पर रखना चाहता हूं जो शंका पैदा कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के अनुपात को लेकर । पापुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिलीजनवाइज । मान्यवर, वर्ष 1951 में हिन्दू का प्रतिशत था 84.84, मुस्लिम वर्ग का 10.43 प्रतिशत, इसाई धर्म का 2.33 प्रतिशत और सिख वर्ग का 1.74 तथा अदर थे 1.10 । यह प्रतिशत 61 में क्रमानुसार 83.49, 10.69, 2.45, 1.79 और 1.58 यह प्रतिशत 71 में क्रमानुसार 82.72, 11.20, 2.59, 1.89 और 1.60 यही प्रतिशत 81 में क्रमानुसार 82.30, 11.75, 2.44, 1.92 और 1.59 वर्ष 91 में यही प्रतिशत हुआ 81.53, 12.60, 2.32, 1.95 और 1.60 वर्ष 2001 में यह प्रतिशत आया 80.96, 13.03, 2.42, 2.09 और 1.98 इन आंकड़ों से मान्यवर, प्रश्नचिह्न पैदा हो रहा है इस जनसंख्या नीति पर इस सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने की मंशा पर । बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी जातीय भेदभाव के जनसंख्या नियंत्रण को आज कड़ाई से पालन करना चाहिए जिससे भविष्य में विकास के संसाधनों की कमी न हो। यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में खेती कम हो जायगी । रोजगार के अवसर कम होंगे, न्यूनतम सुविधायें जो हम आज मुहइया करा पा रहे हैं नहीं करा पायेंगे, खाद्यान्नों की कमी आ जायगी । यह बात सच सिद्ध होगी यह मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं । मैं आपके सामने कुछ बातें तर्क के आधार पर रखना चाहता हूं । जिस समाज में महिलाओं का शिक्षा प्रतिशत बढ़ा है वहां पर जनसंख्या पर नियंत्रण आया है । केरल का उदाहरण ले लीजिये वहां पर महिलाएं शिक्षित हैं तो जन्मदर और जनसंख्या पर नियंत्रण है । उत्तर प्रदेश में महिलायें शिक्षित नहीं तो जनसंख्या सुरसा की तरह बढ़ती

चली जा रही है । सरकार अपना सारा बजट गर्भनिरोध पर खर्च कर रही है यदि शिक्षा पर खर्च करे तो इससे बड़ा परिवार नियोजन और कोई नहीं हो सकता । दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं । जनसंख्या नियंत्रण के लिए केवल महिलाओं को ही जिम्मेदार माना जाता है केवल औरतों के लिए ही गर्भनिरोधक गोलियां बनाई जाती हैं । जितने भी गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग सरकार द्वारा कराया जाता है उनमें अधिकांश औरतों के कोख के लिए ही होता है । परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से मां की कोख को ही निशाना बनाया जाता है आखिर ऐसा क्यों ? इस पर विचार किया जाना चाहिए । हमें सावधान हो जाना चाहिए । स्वयं हमारे प्रधान मंत्री जी ने माना है और कहा है कि हमारी जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में खामी है । इस कारण से हम जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हम जनसंख्या नियंत्रण के जितने भी कार्यक्रम बनायेंगे उनको हर जनपद, जिला वार्ड में लागू करने की एकतरफा योजना बनायेंगे तो वह सही रूप से कार्यान्वित नहीं हो पायेगी । हमको विभिन्न क्षेत्र के हिसाब से, वहां की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, वहां की आबादी से किस प्रकार के कार्यक्रम बनाये जायं, यह सोच विचार कर कार्यक्रम बनायेंगे तो वह ज्यादा प्रभावी होंगे । अच्छा होता यदि सरकार इस बात का सर्वे करवाती कि किस महानगर, किस जनपद, किस मोहल्ले में जनसंख्या की स्थिति क्या है उस हिसाब से अपनी जनसंख्या नियंत्रण नीति को बनाते और लागू करते तो यह जनसंख्या नियंत्रण नीति कारगर होती। आज समाज की क्या स्थिति है ? घरों में नियंत्रण नहीं है जनसंख्या की दर पर क्या नियंत्रण करेंगे । हमारा प्रदेश प्रजनन दर में भी सर्वाधिक आगे है । बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी प्रजनन दर में हमसे पीछे हैं । हम लोग लगे थे कि 16 साल में जनसंख्या दर हम आधी कर देंगे । यह सरकार ने सिर्फ कहा है लेकिन यह नहीं सोचा कि हम 16 साल में जो जनसंख्या दर को आधे पर लाने की बात कह रहे हैं तब तक आबादी किस अनुपात में बढ़ चुकी होगी और विकास के जो संसाधन हमारे कर्जे के होंगे उससे हम उत्तर प्रदेश की बढ़ी हुई जनसंख्या को कहां तक विकास के रास्ते पर ला सकेंगे । यह जनसंख्या की दर जो आधा करने का हम 16 साल का टारगेट लेकर क्यों चल रहे हैं क्यों नहीं उसका सख्ती के साथ कड़ाई के साथ अनुपालन कराया गया कि आज की तारीख में जिसके जितने बच्चे हैं वहीं से नियंत्रण लगे । इसके बाद यदि दो से अधिक बच्चे होंगे तो उसको सरकार से मिलने वाली सुविधाएं, या विभिन्न योजनाओं का जो लाभ मिलता है वह उनको नहीं मिलेगा । यदि हम इस निश्चय के साथ इसको लागू करें तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल हो सकते थे । 16 साल में जनसंख्या दर आधी करने की बात जो लेकर हम चले हैं वह आगे आने वाला समय हमको माफ नहीं करेगा । मुझे यह कहने में संकोच नहीं है । मान्यवर, अगर हम भविष्य पर नजर डालना चाहें तो हम घर परिवार, निजी जीवन की दृष्टि से देखें शादी की दर प्रति हजार पर 1995 में 4 और 2025 में 5, तलाक की दर प्रति हजार पर 1995 में .04 और 2025 में 1., स्त्री जन्म दर 1995 में 3.17 और 2025 में यह 2.36 होगी, घर का आकार, लोग 1995 में 4.3 और 2025 में यह 4.0 होगी । आज 2001 में हैं 24 साल बाद हम मात्र वृद्धि ही कर पायेंगे । जनसंख्या नियंत्रण की नीति थोथा सपना साबित हो रही है और हम एक भंवर में फंस गये हैं । बाल मृत्यु दर 1995 में 5.9 प्रतिवर्ष और 2025 में 3.1 होगी । अगर हम गरीबी की दृष्टि से विचार करेंगे तो गरीबी में रहने वाले लोग 1995 में 2,400 मिलियन और 2025 में 3,300 मिलियन । कुपोषण के शिकार 1,800 1995 में और 2025 में 500। भूख से होने वाली मौतें 1995 में 20 और 2025 में 10। इसी तरह से प्रदूषित पानी से होने वाली मौतें 1995 में 9.1 और 2025 में 3.7 । अन्य में आप देखें वयस्कों में साक्षरता दर 1995 में 55 फीसदी और 2025 में 89 फीसदी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पाए वयस्क 1995 में 1.2 बिलियन और 2025 में 3.3 बिलियन क्या होगा अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी । स्कूल तक के वंचित मिलियन में 1995 में 1,000 और 2025 में 500, सार्वजनिक लाइब्रेरी हजार में 1995 में 270 और 2025 में 500, श्रम शक्ति मिलियन में 1995 में, 1,900 और 2025 में 2,500, बेरोजगार मिलियन में 100 और 2025 में 200 इसी तरह से स्वास्थ्य को भी ले लें बीमारी और रोग का

क्या प्रतिशत है । डाक्टर प्रति व्यक्ति 1995 में 3,780 और 2025 में 2,500, फार्मेसिस्ट प्रति व्यक्ति 11,154 और 2025 में 8,500, अस्पतालों में बेड मिलियन में 18.2 और 2025 में 23 स्वास्थ्य पर खर्चा बिलियन डालर में 1995 में 2,500 और 2025 में 4,000 एड्स से मृत्यु मिलियन में 1995 में 0.5 और 2025 में 10 इसी तरह से आत्महत्यायें हजार में 1995 में 410 और 2025 में 500 ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

श्रीमन्, 2050 में भारत जनसंख्या में नम्बर एक पर होगा । विश्व की आबादी होगी नौ अरब जो चीन से दस करोड़ ज्यादा होगी । एक-एक घर में चार-चार पीढ़ियां रहेंगी । यह विशेषज्ञों का अनुमान है । सरकार इसको जाति-पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर राजनीति से उठकर, धर्म से ऊपर उठकर इसको लागू करे जो संकल्प है उसे लागू करे । जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जनजागरण की बहुत आवश्यकता है मैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा–क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में प्रदेश का 294 है और भारत का 3166 है, जनसंख्या करोड़ों में, 1991 में हुए सेंसस के अनुसार 13.91 भारत में 84.66, जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 473, भारत में 274, ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश में 80.16 प्रतिशत और भारत में 74.3 प्रतिशत, शहरी आबादी 19.04 प्रतिशत और भारत में 25.7 प्रतिशत, जन्म वृद्धि दर प्रदेश में 31.9 और भारत में 24.1 मृत्यु दर प्रदेश में 10.8 और भारत में 9.0, साक्षरता दर 41.6 भारत में 52.2 औसत शादी की उम्र लड़कियों की 17.2 प्रतिशत प्रदेश में और भारत में 19.0 है । श्रीमन्, मैं इस चर्चा के माध्यम से 103 के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार करें । इस पर पुनर्विचार करते समय सही मायने में जनसंख्या नीति को लागू करने में सक्षम लोग अधिकृत हैं उनके साथ बैठकर विचार-विमर्श करके इतना संशोधन अवश्य करें जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए 15–20 साल की योजनाएं बनाई हैं तत्काल आप कोई योजना बनाकर सख्ती के साथ राजनीति और दलगत भावना से ऊपर उठकर धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर आप सर्वे करायें और जहां सामान्य से अधिक प्रतिशत है उनका ध्यान करके ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता पर लेकर योजना लागू करेंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण कर पायेंगे और यह इसलिए आवश्यक है कि पोलियो नियंत्रण का जो कार्यक्रम था उसमें हमें शाही इमाम और केन्द्र के मंत्री के पोस्टर लगाने पड़े थे । लोगों ने भ्रम फैला दिया था कि इससे नपुंसकता फैल जायेगी और यह सब शिक्षा का अभाव था । तो शिक्षा का भी प्रसार होना चाहिए। जब तक हम जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करेंगे यह लागू नहीं हो पायेगी । इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाय यही मैं इस चर्चा के माध्यम से कहना चाहता हूं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया । यह विषय आज उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का है जिस पर माननीय बाजपेयी जी ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराया है । दुर्भाग्य यह है कि आज तक इस प्रदेश की कोई जनसंख्या नीति बनी ही नहीं । एक कार्यक्रम चला है । कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है यह अभी तक तय नहीं है । जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा कि परिवार की मान्यता क्या है, हमारा दृष्टिकोण परिवार का क्या है–पति-पत्नी और तीन बच्चे, पति-पत्नी और दो बच्चे या फिर पति-पत्नी और एक बच्चा ? कोई नीति नहीं बनी है । मुझे भी यह सौभाग्य मिला 9 वर्षों तक इस प्रदेश में इस कार्यक्रम को चला रहा था और कभी-कभी इस सदन में इसका मजाक उड़ाया जाता था, माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी बैठे हैं वह जानते हैं । आज हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य जनसंख्या है । बादशाह अकबर के जमाने में मद्दूम शूमारी हुई आबादी 6 करोड़ थी । सन् 1800 में फिर हुई और आबादी थी 16 करोड़ की और आज सन् 2000 में हम 100 वर्षों के अन्दर

16 करोड़ से 101 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं । हमारे पास कोई कार्य नहीं है । हमारे पास कोई कार्य नहीं है कि देश को सम्पन्न बनाए, हमारे पास कोई कार्य नहीं है कि देश की संस्कृति की रक्षा करें, देश को दुनिया के मुकाबले में आगे बढ़ायें । हमारे पास कार्य यह है कि पशुओं की तरह हर वर्ष सन्तान पैदा करें । यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जो संतान पैदा हो रही है उसकी रक्षा कैसे करें, उसके रहने का, उसके खाने का, उसकी शिक्षा का, उसकी चिकित्सा का, उसके पेयजल का कैसे प्रबन्ध करें । दुर्भाग्य यह है कि आज हम चेते नहीं हैं । आज भी हम कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का जो सत्र चल रहा है वह स्थगित कर दिया जाय कि गांवों में, शहरों में शादी ब्याह है प्राथमिकता आज़ शादी-ब्याह की है और शादी का परिणाम क्या है जनसंख्या बढ़ोत्तरी । एक स्पष्ट नीति बननी चाहिए । सन् 1970 में मैं इस सदन का सदस्य चुना गया उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सवा छह करोड़ थी आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़ है 30 वर्षों में तीन गुना बढ़ गयी । अब अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो कैसे चलेगा । बाजपेयी जी ने कहा है कि सन् 2050 में प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को सोने की जगह नहीं रहेगी सब बैठे रहेंगे इतना अगर जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा उचित यह है कि प्रदेश के हित में जनकल्याण के लिए देश के हित में आप एक नीति बनायें स्पष्ट नीति होनी चाहिए क्या कारण है कि चीन में 20 वर्षों में 20 करोड़ जनसंख्या घटायी और हमने अपनी जनसंख्या 30 वर्षों में 30 करोड़ बढ़ाई यह कोई राष्ट्रीयता है । यह कोई वोट का महत्व है देश को कंगाल कर देंगे यहां रहेगा क्या । मान्यवर, गर्मी की आज चर्चा हो रही थी बच्चे स्कूल में 12 बजे लौटते हैं अप्रैल महीने में 45 डिग्री टैम्प्रेचर कभी नहीं रहा । यह क्यों न हो गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कोई वनस्पति रह गयी है कोई पेड़-पौधे रह गये हैं, कोई जंगल बचा हुआ है, कहां गये सब चूल्हे में चले गये और हमारे पेट में हम जिम्मेदार हैं । मौसम जो खराब हो रहा है जिम्मेदार शासक है । बाजपेयी जी के प्रस्ताव पर एक स्पष्ट नीति बने "एक परिवार एक औलाद" अगर यह नहीं बनायी जायेगी यह मान्य नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा और उसका पालन न हो तो नागरिकता का अधिकार उन बच्चों को नहीं रहेगा, न भोजन की जिम्मेदारी आपकी है आपको शासन को कठोरता से इस नियम को लाना चाहिए और सबको इसको स्वीकार करना चाहिए । मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यह बड़ी चिन्ता का विषय है न केवल इस प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए । मान्यवर, यह चिन्ता सबके लिए इसलिये हैं कि आज जो गरीबी रेखा के नीचे जो गुरूवत की जिन्दगी गुजर बसर कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है आबादी । मान्यवर, आज आबादी इन्हीं लोगों में ज्यादा बढ़ रही है जिनमें शिक्षा का नितान्त अभाव है । मान्यवर, हमने बात किया खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूरों से उनका कहना है कि एक बच्चा है और हो जायेगा तो खेती में काम करेगा, कुछ पैदा कर लेगा मजदूरी करके तो यह प्रवृत्ति बढ़ी है । हमने उनको समझाया कि क्या ठेका ले रखा है कि आप हम जोतेंगे तो आपका बच्चा भी हल जोतेगा । आज इस प्रवृत्ति को रोकने में अरबों खरबों रुपये खर्च हो गये लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला । आज हमारे प्रदेश की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है । औसत यह है कि एक परिवार में 5 बच्चे और यहीं हमारे देश में केरल में चले जायं तो केरल में 1.8 हैं दो बच्चे भी नहीं हैं जितने हमारे साउथ के स्टेट्स हैं दक्षिण भारत में कर्नाटक है, तमिलनाडु है इन सब प्रदेशों ने आबादी पर नियंत्रण कर लिया है । हम जो हिन्दी भाषी राष्ट्र हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश पूरे देश का संतुलन हम बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उसमें नम्बर एक पर है उत्तर प्रदेश और उसका नतीजा यह है कि आज सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अगर कहीं लोग निवास करते हैं तो वह स्थान है उत्तर प्रदेश । मान्यवर, सबसे ज्यादा निरक्षर अगर कहीं हैं तो हमारे प्रदेश में हैं । मान्यवर, सबसे ज्यादा तपेदिक के मरीज पूरे देश में कहीं है तो उत्तर प्रदेश में हैं । केरल में तो प्राइमरी स्कूल बन्द हो गये क्या कारण है, इतने बच्चे ही

नहीं हैं। हमारे यहां शिक्षक नहीं हैं प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं शिक्षक की कमी है और हम सबको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उसका कारण हमारी आबादी है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो जनसंख्या की वृद्धि है और जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए कोई देश सबसे कम प्रयत्नशील है तो वह भारत है उसमें उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है यहां उसके विषय में कोई चिन्ता नहीं है न कोई नीति है। मंत्री जी और सरकार भी कभी कभार कह देगी कि सरकार चिन्तित है लेकिन अब वह लक्ष्मण रेखा आ गयी है अगर वह पार हो गयी तो हर साल एक आष्ट्रेलिया महाद्वीप हम पैदा कर लेंगे एक कनाडा तीन साल में, 10 साल में एक यूरोप महाद्वीप बना देंगे तो सोचिये आने वाले 10 साल में उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ हो जायेगी। मान्यवर, आज से 25 साल के बाद हम लोगों के पास इतनी जमीन नहीं होगी कि हम अन्न का उत्पादन कर सकें। अगर सामान्य तरीके से देखें तो लोगों ने बड़े पैमाने पर खेतों में घर बनाना आरम्भ कर दिया है, जहां निर्जन खेत थे वहां भी लोग मकान बनाने लगे हैं, गांव में स्थान नहीं है कोई तालाब नहीं बचा है जिस तालाब पर आबादी न हो गयी हो आपके तालाब भी पटते जा रहे हैं, बस्तियां बसती जा रही हैं उसका नतीजा यह है कि पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है। जब से सभ्यता बनी है तब से तालाब है वह समय आ रहा है माननीय मंत्री जी हड़प्पा और मोहन जोदड़ो इन सभ्यताओं का जो विनाश हुआ उसका कारण था वृक्ष कट गये चारों तरफ भट्ठे लग रहे हैं भट्ठे लग रहे हैं बेतहाशा, पेड़-पौधे सब खत्म होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। एक चीज में हमारे प्रदेश ने तरक्की की है और इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेवार हैं, कभी, कहीं कोई जिम्मेदारी फिक्स होगी ? मैं मलेशिया गया हूं, इंडोनेशिया तो नहीं गया हूं, वहां पर मुसलमान लोगों ने भी इसका पालन किया है, जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, उन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है। यदि हम अपने देश और प्रदेश में जागृति पैदा करें तो हमारे मुसलमान भाई भी इसको अपनायेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा का होना है, अज्ञानता का होना है, कोई भी धर्म नहीं कहता है कि बच्चे बढ़ाते चले जाओ। माननीय मंत्री जी जब आप जवाब देंगे तो बताने की कृपा कीजियेगा कि नदियां क्यों सूखती चली जा रही हैं। जिस तरह सरस्वती लुप्त हो गई, उसी तरह कुछ दिन के अन्दर गंगा, यमुना, गोदावरी भी समाप्त हो जायेंगी, उसका कारण क्या है, यही आबादी। इससे बड़ी चिन्ता का दूसरा कोई विषय आज इस प्रदेश और देश के लिए नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी जब आप जवाब दें तो आज सबसे पहले यही घोषणा कर दीजिये कि जिस राजनेता के दो से ज्यादा बच्चे होंगे, वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा, जिनके हो चुके हैं, उनको छोड़ दीजिये, हम नहीं हैं, आप लोग हंसिये मत। मैंने तो पहले से ही उसका ख्याल रखा है, लेकिन इसे लागू कर दीजिये कम से कम आज ही से लागू कर दीजिये, ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसको एक बच्चा होगा, उसको नौकरी में प्राथमिकता देंगे, या जिसके दो बच्चे होंगे उसके बच्चों की फीस माफ करेंगे, अथवा जमीन के एलाटमेंट में प्राथमिकता देंगे। जो भी सरकारी स्कीम हैं, उसमें आप इन्सेन्टिव दें तो आप देखेंगे कि उसके अच्छे रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। आप एक इस बात की वीडियो फिल्म बनवा दीजिये और उसका प्रदर्शन उन मलिन बस्तियों में, ऐसे इलाकों में करवाइये, जहां अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा हो, जिससे लोगों को मालूम हो कि आबादी का मतलब क्या है ? वह जानते ही नहीं कि आबादी का मतलब क्या है ? कहीं कहते हैं भगवान की देन है, या तो खुदा की देन है। आज यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और तमाम पश्चिमी देशों ने और एशिया के भी कई देशों ने, जिन्होंने इसको समझ लिया है, वह अपनी आबादी को नियंत्रित कर रहे हैं। मैं ईरान के फर्स्ट सेक्रेट्री से मिला, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने देश में मौलवियों को तैयार किया है जो जाकर लोगों को समझायेंगे कि बढ़ती आबादी के क्या नुकसान हैं और इस प्रकार ईरान ने अपनी जनसंख्या को कन्ट्रोल कर लिया है। केवल भारत, पाकिस्तान और बांगलादेश तीन ऐसे देश हैं, जो दुनिया में आबादी में लगातार बड़ी तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं और अपने देश में उत्तर प्रदेश को सर्वप्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। आजादी के समय उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से वह तीसरे-चौथे नम्बर पर हुआ करता था, लेकिन आज इस बढ़ती

आबादी के कारण वह नीचे से तीसरे-चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, चाहे किसी की भी सरकार आये, उसके लिये फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि हम आबादी को इस तरह बढ़ने से नहीं राकेंगे। जैसा माननीय लोकपति त्रिपाठी ने कहा, कि चीन ने अपनी आबादी को रोक दिया, चीन में आज जितनी बहबूदी है,उसके मुकाबले हमारा भारत देश बहुत गरीब है चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिये, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज आप स्पष्ट घोषणा कर सकें तो आज करें,न कर सकें तो मंत्रि-परिषद् में राय-मशविरा कर लीजिए, राय-मशविरा करके इस सदन के दौरान पहली जून तक, जब तक यह सदन चल रहा है, तब तक घोषणा कर दें, इस पर एक स्पष्ट नीति आनी चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

मान्यवर, मैं आभारी हूं माननीय बाजपेयी जी का, लोकपति जी का, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी का जिन्होंने बढ़ती आबादी की भयावहता से सदन को अवगत कराया और सरकार की चिन्ता भी उनके साथ है कि बढ़ती हुई आबादी पर यदि नियंत्रण न किया गया तो जो प्राकृतिक संसाधन बहुत कम पड़ जायेंगे। जिसका बाजपेयी जी ने और माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने उल्लेख किया है। मान्यवर, यह सही बात है और जैसा माननीय लोकपति जी ने कहा कि इस पर कोई नीति नहीं बनी, जितनी भी सरकारें आयीं उन्होंने इसको गम्भीरता से नहीं लिया और अगर लिया भी तो उसमें पात्रता और अपात्रता का बिना ध्यान दिये एकदम अंधी-आंधी चलायी इमरजेंसी में जो हुआ उसके परिणामस्वरूप यह आबादी और बढ़ती चली गयी और जो 70 में आबादी थी वह बढ़ती चली गयी। यह पहली सरकार है जिसने बढ़ती हुई आबादी के जो खतरे हैं उनको समझा है और विश्व आबादी दिवस पर 11 जुलाई, 2000 को तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा हमारी जो जनसंख्या नीति है उसकी घोषणा की। इसको जारी किया गया। इससे पहले मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने मार्च, 2000 में भारत की जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसकी घोषणा की और उसी आधार पर हमने अपनी आबादी नीति बनायी है। मान्यवर, चाइना का जिक्र किया गया जिसने बहुत तेजी से बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगायी है लेकिन वहां जो सरकार है वह साम्यवादी सरकार है जो कड़ाई वह कर सकती है हम नहीं कर सकते। इमरजेंसी में कड़ाई हुई लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ और वैसा नतीजा अब कोई भी भोगने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो जनसंख्या नीति है वह भारतीय संविधान को आधार मानते हुए, भारत सरकार की जो जनसंख्या नीति है उसको देखते हुए लागू की गयी है जो सभी नागरिकों पर सभी जाति के लोगों पर, सभी धर्मों पर एक ही प्रकार से लागू की जायेगी। लेकिन जहां तक कड़ाई की बात कही गयी है, जहां मानवाधिकार हो, जहां हम सभ्य समाज में रह रहे वहां बहुत कड़ाई करना, उत्पीड़न करना यह मानवीयता एवं सभ्यता के जो आधुनिक मापदण्ड हैं उसके विपरीत है इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिस वर्ग की तरफ या जिस धर्म की तरफ माननीय बाजपेयी जी ने इशारा किया है, हमें अच्छी तरह से सोचना होगा कि उसका कारण क्या है। माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि अशिक्षा और अन्धविश्वास इसका बहुत बड़ा कारण है। मान्यवर, इसके पहले की सरकारों ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, इन वर्गों की पढ़ाई पर जोर नहीं दिया गया और वोट बढ़ाना उनका उद्देश्य रहा, उसका नतीजा हम सब भोग रहे हैं। मान्यवर, जो शिक्षित है चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी सम्प्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उसने परिवार कल्याण को अपना लिया है और जो अशिक्षित हैं, गरीब हैं, अंधविश्वासी हैं, जिनके पास मनोरंजन के साधन नहीं हैं, विकास जहां पहुंचा नहीं है वह चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वहां आबादी बढ़ रही है। मान्यवर, इस सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। हम बच्चों को शिक्षा देंगे, कोई भी बच्चा और बच्ची बिना पढ़े नहीं रहेगा। महिलाओं को सशक्त बनायेंगे। हमने नौकरियों में उनका प्रतिशत बढ़ा दिया है जैसा आरक्षण 27 प्रतिशत पिछड़े वर्ग का है। मान्यवर, 27 में 20% उच्च वर्ग की महिला

होंगी । पंचायती राज को सशक्त कर दिया गया, उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है । पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है महिला का भी उस जमीन में नाम होगा । महिलाओं को शिक्षित करके उनकी सहभागिता बहुत जरूरी है । मान्यवर, नीति का मुख्य उद्देश जैसे बाजपेयी जी ने कहा 2016 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 लाना है नियंत्रित करने का है । क्यों नहीं पूरा करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, भारत सरकार की 2010 तक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की नीति 2016 तक । इसमें क्यों नहीं आप समानता कर रहे हैं । जो लक्ष्य भारत सरकार ने 2010 तक रखा है उसको आप 2016 तक क्यों रख रहे हैं ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जैसा कि आपने केरल का जिक्र किया और इसी तरह हिमांचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश ने आबादी को नियंत्रण पहले ही कर लिया है । उनकी कुल प्रजनन दर कम हो गयी है । भारत सरकार इस दर को 2010 तक कर लेगी और हमको समय लगेगा, क्योंकि हमारा बड़ा प्रदेश है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश बड़ा है, लेकिन भारत के भीतर है और हम इस भयावहता को समझ रहे हैं और केरल, हिमांचल प्रदेश, पंजाब के मुकाबले विकास और प्रगति में उत्तर प्रदेश पीछे है । मान्यवर, रेस में हमें चलना है तो कुछ आगे से दौड़ें यदि आगे से दौड़े तो ज्यादा ताकत से दौड़ें । अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो रेस में पीछे नहीं रह जायेंगे । मान्यवर, इच्छाशक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनसंख्या नीति में सामुदायिक सहभागिता आये, अकेले नियंत्रण सरकार नहीं कर सकती है । प्रजातंत्र में जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, कार्य में सफलता नहीं मिलेगी सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, महिला संगठन, पंचायत, चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे जो संगठित क्षेत्र के लोग हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, डाक्टर, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और सभी को साथ ले करके इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे । एक राष्ट्रीय आन्दोलन बनायेंगे । मान्यवर, जो आपकी चिन्ता है तेजी की, उसके लिए भारत की जनसंख्या नीति के अनुरूप हमारे यहां भी प्राविधान है । आपकी जो चिन्ता है सन् 2016 क्यों रखा गया है, क्यों नहीं जल्दी कर रहे हैं ? हमारी जनसंख्या नीति लचीली है । इसकी समीक्षा करने के लिए समय-समय पर और कम से कम साल में दो बार माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में "राज्य जनसंख्या एवं विकास आयोग" का गठन कर दिया है, की दो बैठक होंगी । इसमें हमारे नेता विरोधी दल और मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, शिक्षाविद और परिवार कल्याण क्षेत्र के विशेषज्ञ आदि रहेंगे । इसकी संख्या 50 होगी । समय-समय पर माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठकें होंगी । इसमें जो सुझाव आयेंगे उस पर अमल करेंगे । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "जनसंख्या स्थायित्व समिति" का गठन कर दिया गया है । वह समय-समय पर जल्दी मीटिंगें बुलायेंगे, समीक्षा करेंगे कि जनसंख्या नीति का अनुपालन हो रहा है या नहीं । शिथिलता होगी तो कार्यवाही होगी । इस नीति को आगे बढ़ाते चलेंगे । जो शीघ्रता चाह रहे हैं और आपने यह कहा कि 2016 क्यों रखा ? सरकार की भी इच्छा जल्दी करने की है । इसमें आयोग में जैसे-जैसे सुझाव आते रहेंगे, संशोधन होते रहेंगे और हम शीघ्रता करते रहेंगे । जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गयी है और कैबिनेट के विचाराधीन है उसे जल्दी से जल्दी पास कराकर अपना कार्यक्रम और अधिक तेजी से शुरू करने जा रहे हैं । आपकी जानकारी में होगा इसका

प्रचार-प्रसार करने के लिए, जन-जन तक इसे पहुंचाने के लिए हमने 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक "जनसंख्या पखवाड़ा" मनाया गया जिसके अन्तर्गत रैलियां निकाली गयीं, गांवों और शहरों में। अखबारों में ऐड लिये गये और इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए इस सरकार ने प्रयास किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप एक मिनट सुनें। यहां पर आपकी और माननीय बाजपेयी जी की बात नहीं हो रही है।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे खेद है, मुझे आपके माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए थी। मान्यवर, जिलों में आर० सी० एच० के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जगह-जगह कैम्प लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात माननीय प्रधान मंत्री जी बहुत चिन्तित हैं और 15 अगस्त, 2000 को लाल किले से घोषणा भी की जनसंख्या को नियमित किया जाय।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी, कुंवारों की चिन्ता से जनसंख्या नियंत्रण करा रहे हैं। शादी-शुदा से कराते तो बात समझ में आती।

श्री सरदार सिंह–

माननीय प्रधान मंत्री जी ने 22 जुलाई, 2000 को पूरे देश के मुख्य मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव सभी की बैठक बुलायी। उसमें जितने विरोधी दल के राष्ट्रीय नेता थे सभी उपस्थित थे। सभी से सुझाव मांगे गये और गहनता से विचार किया गया। मान्यवर, मथुरा और लखनऊ में बहुत विशाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेलों का आयोजन हुआ। केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार ने मथुरा में और माननीय प्रधान मंत्री जी ने लखनऊ में उस मेले का उद्घाटन किया। उसमें जिस तरह से परिवार कल्याण के केस हुए, उससे एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। बिना चीरा-टांका के परिवार नियंत्रण की नई तकनीक निकली है उसका सफल प्रयोग हुआ। हमारे जितने अधिकारी/कर्मचारी हैं उन्हें नई टेकनीक से ट्रेंड कर रहे हैं। मान्यवर, मुझे इण्डोनेशिया जाने का मौका मिला वह मुस्लिम कन्ट्री है वहां मुझे जानकारी मिली कि वहां की मुस्लिम महिला इसकी प्रमोटर हैं वहां पर नसबन्दी और एबार्सन वर्जित है। इस्लाम में नसबन्दी और एबार्सन वर्जित है लेकिन इस्लाम में यह कहा गया है कि परिवार सुखी हो, सुन्दर हो, शिक्षित हो, सम्पन्न हो, स्वस्थ हो इसके लिए जरूरी है कि परिवार छोटा हो। वहां पर एक गोली होती है जिसको यदि महिला अपने हाथ में स्थापित कर लेती है तो 5 साल तक गर्भ नहीं ठहरता। वहां के जो सबसे बड़े धर्म गुरू हैं वह वहां के प्रेसीडेन्ट हैं उनकी एक रिश्तेदार, महिला सशक्तीकरण विभाग की मिनिस्टर थी वह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। हमसे पहले बांगलादेश का प्रतिनिधि मण्डल गया था और हमारे बाद पाकिस्तान का प्रतिनिधिमण्डल आने वाला था। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वह वहां आकर सीख रहे हैं, परिवार नियोजन के बारे में और आबादी नियंत्रण के बारे में। वहां पर इम्प्लांट और इन्जेक्टिबिल के माध्यम से और जो हमारे यहां प्रचलित विधियां हैं जैसे कान्डोम और कॉपर टी, इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। मान्यवर, मुझे भरोसा है कि जिस भयावह स्थिति का जिक्र मा० डा० बाजपेयी जी ने किया है, वह स्थिति यहां नहीं आएगी सरकार सजग है और प्रयास कर रही है इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस लें और सरकार के प्रयासों में अपने को भागीदार बनायें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मुझे अपने संकल्प की भेंट प्रस्तुत करते समय मालूम थी, मुझे खेद है कि मंत्री जी ने इमरजेंसी में जो परिणाम भुगतना पड़ा था उसकी चिन्ता शायद इनको है। अन्त में मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि वह इण्डोनेशिया गये थे और वहां धर्म गुरू से मिले थे। जब वहां पर,मुस्लिम देश में

परिवार नियोजन किया जा रहा है और एक विशेष प्रकार की इंजेक्टेबिल दवा विकसित की गयी है जिसके प्रयोग से 5 वर्ष तक गर्भ ठहरने की सम्भावना नहीं है तो मुझे अफसोस है कि वहां से आने के बाद मंत्री जी अपनी यात्रा का विवरण उस समाज तक क्यों नहीं पहुंचाया जिस समाज में इसका प्रचार और प्रसार ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और जिस समाज की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हनुमान संजीवनी बूटी तो लेकर आये लेकिन लक्ष्मण तक न पहुंचाकर अपने पास ही रख लिया। मान्यवर, संयुक्त राष्ट्र संघ के परिवार कल्याण के जो प्रभारी हैं नफीसुल हसन वह पाकिस्तानी मूल के हैं मैंने इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त की है। 13 मुस्लिम देशों में पिछले 5 वर्ष में जनसंख्या नियंत्रण के बजट पर साढ़े छः गुना बजट का प्राविधान किया गया है। अगर वहां का मुस्लिम समाज इसको स्वीकार कर रहा है और इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है या शरीयत में अनुमति न होती तो आखिर 13 मुस्लिम देशों में उनका बजट पिछले 5 वर्षों में क्रमशः साढ़े छः गुना क्यों किया गया यह मैं जानना चाहता हूं। मेरा कहना है कि यह देश किसी एक समुदाय का नहीं है यह देश सम्पूर्ण भारतीयों जो भारत की धरती पर पैदा हुआ है उनका है, भले ही उनकी कोई जाति हो, कोई धर्म हो। हमें उनकी चिन्ता करना सर्वोपरि है। किसी एक समुदाय के किये गये कार्यों के परिणाम को सबको बराबर-बराबर भुगतान पड़ता है इसलिए परिवार कल्याण कार्यक्रम किसी एक समुदाय का न होकर सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए और सरकार को समय रहते इस पर कार्यवाही करनी चाहिए सरकार सबकी हितैषी सरकार है उसकी नजर में सभी धर्म और सम्प्रदाय बराबर हैं। मैं नहीं कहता हूं कि इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए जोर-जबरदस्ती की जाय। सरकार, शहरों, गांवों, बस्तियों का सर्वेक्षण कराये और जहां पर प्रजनन दर ज्यादा है उन बस्तियों के हिसाब से कार्यक्रम बनाकर प्रभावी नियंत्रण करने की कार्यवाही करे, यह मेरा आग्रह था। लेकिन मुझे अपने प्रस्ताव की पहले से फेट मालूम थी कि एक बात कहकर माननीय मंत्री जी समाप्त कर देंगे कि एक आयोग का गठन माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है और एक स्थायी समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित है। मान्यवर,मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गयी है और जो सदस्य नामित किये गये हैं क्या उनको इसकी जानकारी हो गयी है और उस आयोग की कोई बैठक हुई है या नहीं। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो स्थायी समिति का गठन किया गया है क्या उस समिति की कोई बैठक हुई है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनसंख्या नीति से सम्बन्धित पुस्तिका माननीय राम प्रकाश गुप्त जी द्वारा जुलाई, 2000 में जारी की गयी है लेकिन मेरे संज्ञान में है कि यह पुस्तिका जून, 2000 में जारी की गयी है। यह मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं। मैंने जो जानकारी चाही है यदि माननीय मंत्री जी उसे मुझे बता दें तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, आपने जो चिन्ता व्यक्त की, जो हमारे विदेश के अनुभव थे वह हमने केन्द्रीय मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भारत सरकार को अवगत करा दिया है। उनसे अपेक्षा की है कि इसको लागू किया जाय। जैसे ही भारत सरकार अपनी स्वीकृति देती है हम इस काम को शुरू करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य जनसंख्या एवं विकास आयोग के संबंध में नोटीफिकेशन हो गया है। सभी सदस्य अभी नामित नहीं किये गये हैं लेकिन बहुत जल्दी नामित हो जायेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उसकी बैठक होगी। इसी प्रकार से जनसंख्या स्थायी समिति का गठन हो गया है। उसकी कार्य योजना कैबिनेट के विचारोपरान्त जल्दी ही स्वीकार की जायेगी। उसके बाद यह दोनों काम शुरू हो जायेंगे।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरी चिन्ता में अपनी सहभागिता व्यक्त की है और जनसंख्या नीति जिसका टारगेट 2016 को लेकर चले हैं उसमें तत्परता से कार्यवाही करने की बात कही है। मेरा

उद्देश्य था कि इस भयावह समस्या के प्रति सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय जिसमें मुझे सफलता मिली है इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के प्रस्ताव "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाई जाए तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाए" को वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(सर्वसम्मति से अनुज्ञा दी गयी)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 1-5-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं :–

पहली सूचना श्री संजय गर्ग की है जो प्रदेश में अन्य राज्यों से परिवहन के पारस्परिक समझौतों का 1983-84 से अब तक पुनरीक्षित न किये जाने से जनता को हो रही असुविधाओं तथा प्रदेश के राजस्व को हो रही भारी क्षति के संबंध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री उदयराज यादव की है जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतनमान के शिक्षकों का स्थानान्तरण सम्बन्धित रिक्त विषय के स्थान पर न करके अन्य विषय में किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय की है जो जनपद संत रविदास नगर भदोही में ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सीमामढ़ी से गंगा नदी पर पीपे के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है जो उत्तरांचल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की उत्तर प्रदेश वापसी के संबंध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवीं सूचना श्री रामविशुन आजाद की है जो प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते राजकीय शिक्षकों की न्यायोचित मांगों को शीघ्र पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठी सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की है जो आगरा में ताजमहल को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु ताजमहल के उत्तर पूर्व में बसे निकटवर्ती ग्रामों के निवासियों के वाहनों का चलना बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है जो कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा में सचिव एवं व्यापारियों की सांठगांठ से किसानों का शोषण किये जाने के सम्बनध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की नियम 56 में प्राप्त नियम 51 में स्वीकृत सुदूर संवेदनशील केन्द्र में पूर्णकालिक निदेशक का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की है जो राजकीय बालिका इण्टर कालेज कुर्की बाजार, अकबरपुर अम्बेदकर नगर के भवन निर्माण के सम्बन्ध में है यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है जो गौतम बुद्ध नगर के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में गोल्फ कोर्स का हस्तान्तरण जे० पी० ग्रुप को किये जाने के फलस्वरूप गोल्फ कोर्स में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बनध में है यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

ग्यारहवीं सूचना श्री अकबर हुसैन की है जो जनपद मुरादाबाद में कुन्दरकी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज की अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को एक वर्ष से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

बारहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है जो औपचारिक शिक्षा योजना समाप्त किये जाने के फलस्वरूप प्रभावित हुए वरिष्ठ लिपिकों को अन्यत्र समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

तेरहवीं सूचना श्री ज्वाला प्रसाद यादव की है जो प्रदेश में शासकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में सैकड़ों पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

जो सूचनाएं अस्वीकृत हुई वह है 1–श्री गोमती यादव, 2–श्री राम तेज यादव, 3–श्री प्रदीप कुमार, 4–श्री शिव सिंह चक, 5–श्री सुधाकर सिंह, 6–श्री आर्य राम सरन 7–श्री बिन्दु लाल, 8–श्री दीपलाल भारती।

प्रदेश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (श्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, पाकिस्तान द्वारा भारत में.....

श्री अधिष्ठाता–

यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[अस्थिरता/आतंक फैलाने के उद्देश्य से छद्मयुद्ध (प्राक्सीवार) का तरीका अपनाया गया है। जिसमें पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई० एस० आई० (इण्टर सर्विसेज इंटेलीजेंस) का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1999 में कारगिल क्षेत्र में मिली पराजय के बाद पाकिस्तान द्वारा इस छद्मयुद्ध में तेजी लाये जाने के संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में आई० एस० आई० द्वारा भारत में सक्रिय अलगाववादी तत्वों में समन्वय स्थापित करके उन्हें बढ़ावा देने, शस्त्रों तथा विस्फोटक पदार्थों आदि की तस्करी बढ़ाने, जाली मुद्रा का प्रचलन कराने तथा नैपाल व अन्य देशों में भारत विरोधी प्रचार का अभियान चलाने के उद्देश्य प्रकाश में आये हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोट करने तथा साम्प्रदायिक/जातिगत विद्वेष फैलाने वाली घटनाओं को अंजाम देने की गतिविधियां संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश में पहली बार आई० एस० आई० गतिविधियों की पुष्टि वर्ष 1992 में अलीगढ़ में जावेद यूसुफ (जे० के० एल० एफ०) नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी से हुई है । जावेद यूसुफ की पूछताछ से यह प्रकाश में आया कि वह आई० एस० आई०, तथा पंजाब/कश्मीर के कट्टरपंथी तत्वों के लिए अलीगढ़ सहित कई स्थानों पर केन्द्र बनाने हेतु प्रयास कर रहा था । आई० एस० आई० द्वारा देश एवं प्रदेश के अंदर विघटनकारी/विध्वंसक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कतिपय संगठनों की सहायता ली जाती है जिसमें प्रमुख हरकत-उल-अंसार, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा तथा जस-ए-मोहम्मद आदि संगठन है । इनके अतिरिक्त आई० एस० आई० स्थानीय स्तर पर कुछ आपराधिक गैंगों तथा उनके सहयोगियों की भी सहायता प्राप्त करती है ।

प्रदेश में वर्ष, 1999 से अब तक आई० एस० आई० तथा उसके समर्थित संगठनों द्वारा बम विस्फोट की 8 घटनायें किया जाना प्रकाश में आया है । इस अवधि में 33 संदिग्ध आतंकवादियों/समर्थकों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई । आई० एस० आई० समर्थित तत्वों की लगातार कड़ी निगरानी के फलस्वरूप लखनऊ में दिनांक 18 अप्रैल, 2001 को स्पेशल टास्क फोर्स की टीम के साथ मुठभेड़ में जस-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादी सलीम उर्फ बाबर, राशिद उर्फ पप्पू तथा सज्जाद उर्फ तलहा (सभी पाक राष्ट्रिक) मारे गये जिनके कब्जे से घातक हथियार बरामद हुए तथा इनके तीन शरणदाताओं उबैदुल्ला, वसीउल्ला तथा वलीउल्ला निवासी इलाहाबाद को गिरफ्तार किया गया ।

आतंकवादी गतिविधियों के अतिरिक्त आई० एस० आई० द्वारा उत्तर प्रदेश–नेपाल की खुली सीमा का उपयोग करते हुए अपने एजेण्टों के माध्यम से जाली मुद्रा प्रदेश में लाने का प्रयास भी करने की जानकारी हुई है ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये गये उपाय–

शासन द्वारा प्रदेश में 22 जनपद आई० एस० आई गतिविधियों के दृष्टिकोण से चिंहित किये गये हैं । जो निम्नवत् हैं :–

1. मेरठ	6. बुलन्दशहर	11. वाराणसी	16. श्रावस्ती	21. आजमगढ़
2. सहारनपुर	7. गाजियाबाद	12. खीरी	17. महराजगंज	22. बस्ती
3. आगरा	8. मुजफ्फरनगर	13. गोरखपुर	18. सिद्धार्थनगर	
4. अलीगढ़	9. मथुरा	14. बहराइच	19. कानपुर	
5. बरेली	10. फिरोजाबाद	15. बलरामपुर	20. लखनऊ	

1. उपरोक्त संवेदनशील जनपदों में आतंकवादी गतिविधियों की समीक्षा जिला स्तर पर प्रतिमाह तथा मण्डल स्तर पर दो माह में एक बार करने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को दिये गये है ।

2. अभिसूचना विभाग के अन्तर्गत विशेष कोष्ठक का गठन आई० एस० आई० समर्थित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों तथा अन्य आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में अभिसूचना संकलन हेतु, अभिसूचना मुख्यालय पर तथा संवेदनशील जनपदों में किया गया है ।

3. उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पुलिस का गठन वर्ष, 1997 में शस्त्र-अस्त्र, विस्फोटक सामग्री, मादक द्रव्यों आदि की तस्करी रोकने एवं आई० एस० आई० समर्थित तत्वों की भारतीय सीमा में घुसपैठ एवं जाली मुद्रा के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से किया गया है ।

4. स्पेशल टास्क फोर्स का गठन वर्ष, 1998 में माफिया, संगठित आपराधिक गैंगों तथा आई० एस० आई० समर्थित राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही के उद्देश्य से किया गया है ।

5. विशेष जाँच प्रकोष्ठ (जाली नोट/सिक्के) का गठन वर्ष 2000 में जाली भारतीय मुद्रा से संबंधित मामलों की छानबीन हेतु आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई०ओ०डब्लू) के अन्तर्गत किया गया है ।

इस प्रकार प्रदेश शासन आई० एस० आई० के उद्देश्यों को प्रदेश में पूरा न होने देने के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में पूरी सतर्कता बरती जा रही है ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों की समीक्षा जिला स्तर पर प्रतिमाह तथा मण्डल स्तर पर दो माह में एक बार करने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को दिये गये हैं । मैं एक जानकारी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा का गठन 97 में हुआ था उसमें जो पुलिसबल भेजा गया है वह योग्यता के आधार पर भेजा गया या सजा के तौर पर दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों के स्तर से अभी तक कोई आख्या शासन को प्राप्त हुई है यदि हुई है तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री पटेल राम कुमार वर्मा–

शासन की मंशा बतौर सजायाफ्ता व्यक्ति को सीमा पर भेजने की नहीं है । जिलाधिकारियों और मण्डलायुक्तों को समीक्षा करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं । शासन सुदृढ़ता के साथ कार्य कर रहा है । सीमा पर शांति बनी हुई है यदि ऐसा न होता तो अभी लखनऊ में जो दो आतंकवादी को मारा गया है वह इसी का परिणाम है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि जिलाधिकारी स्तर पर एक माह और मण्डल स्तर पर दो माह में एक बार समीक्षा बैठक करने के निर्देश के बाद कोई आख्या अभी तक प्राप्त हुई है ? मेरठ की क्या स्थिति है ।

श्री पटेल रामकुमार वर्मा–

मान्यवर, निर्देश दिये ही जा चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी डा० बाजपेयी का प्रश्न केवल इतना है कि जो समीक्षा मण्डल व जिला स्तर पर होती है उसकी रिपोर्ट आयी है ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, रिपोर्टें तो आती ही रहती है कई रिपोर्टें आई हैं और कार्यवाही भी की गयी हैं ।

प्रदेश में नदियों पर बने पुराने एवं छोटे पुलों पर लगने वाले पथकर की अब तक की वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

मा० सदस्य विधान सभा द्वारा प्रदेश की नदियों.....

श्री अधिष्ठाता–

यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राम प्रसाद कमल–

[पर 15–20 वर्षों से बने हुए पुलों पर अब तक पथकर समाप्त न किये जाने से जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, से अवगत कराते हुए इसे समाप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने की सूचना दी गयी है ।

मा० सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में सर्वप्रथम यह अवगत कराना है कि पुलों पर पथकर लगाया जाना इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जो व्यक्ति इन सेतुओं पर उपलब्ध आवागमन की सुविधा या लाभ लेते हैं उनसे कुछ धनराशि वसूल की जानी चाहिए जिससे सम्बन्धित सेतु की निर्माण लागत, अनुरक्षण व्यय और ब्याज की धनराशि वसूल हो सके एवं प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में अभिवृद्धि हो सके ।

प्रदेश के समस्त स्थायी पुलों जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हैं, पर पथकर वसूली शासकीय अधिसूचना संख्या–5662/23-2-94-92/89, दिनांक 29 दिसम्बर, 94 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत की जाती है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

1–किसी पुल पर पथकर का उद्ग्रहण उस समय तक, जब तक कि उसके निर्माण की कुल लागत पूर्ण रूप से वसूल न हो जाय या उस पुल पर पथकर लगाने से प्रथम दिनांक से 50 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो, किया जायेगा ।

2–21 जुलाई, 1956 को या इसके पूर्व निर्मित और यातायात के लिए खोले गये समस्त स्थायी पुल पथकर के उद्ग्रहण से मुक्त हैं, तथा

3—1 अप्रैल, 1994 के पश्चात् निर्मित समस्त स्थायी पुल जिनके निर्माण की लागत एक करोड़ रुपये से अधिक न हो, वे पथकर के उद्ग्रहण से मुक्त हैं ।

स्पष्टीकरण–यदि किसी विद्यमान सड़क पर पुल बनाया जाय तो पुल के पहुंच मार्गों के निर्माण पर हुए वास्तविक व्यय को भी पुल की लागत में सम्मिलित किया जायेगा । यदि किसी नई सड़क पर पुल का निर्माण किया जायेगा तो पुल से प्रत्येक ओर 200 मीटर तक पहुंच मार्गों के निर्माण के व्यय को पुल की लागत में सम्मिलित किया जायेगा ।

उक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि 01 अप्रैल, 1994 से पूर्व एक करोड़ से कम लागत के बने स्थायी पुलों पर पथकर लिया जा रहा है । एतदर्थ दिनांक 21 जुलाई, 1956 के पश्चात् तथा 01 अप्रैल, 1994 से पूर्व एक करोड़ से कम की लागत वाले समस्त स्थायी पुलों का भी पथकर से मुक्त करने अथवा न करने की कार्यवाही शासन स्तर पर सम्प्रति परीक्षणाधीन/विचाराधीन है ।]

डा० पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि एक अप्रैल, 1994 के पश्चात् निर्मित समस्त स्थायी पुल जिनके निर्माण की लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो वे पथकर के उद्ग्रहण से मुक्त है । तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनी नदी पर 28 लाख की लागत से एक पुल बनाया गया था संभवतः उसकी लागत भी अब तक निकल चुकी होगी तो क्या माननीय मंत्री जी उस पर से पथकर हटायेंगे ?

श्री राम प्रसाद कमल–

मैं जानकारी हासिल करके कार्यवाही करूंगा ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण फर्जी तरीके से किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)-

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अवर....

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है यह वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं ।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राम प्रसाद कमल–

[अभियन्ता के स्थानान्तरण हेतु मुख्य अभियन्ता (भवन) सक्षम हैं । उनके द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2000 में जुलाई, 2000 से सितम्बर, 2000 तक कुल 662 स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये, जिनमें से 210 आदेश स्थानान्तरण आदेशों के संशोधन विषयक हैं । इस प्रकार वास्तव में कुल 452 अवर अभियन्ताओं के ही स्थानान्तरण किये गये, जो तत्समय संवर्ग की स्वीकृत संख्या 5350 के सापेक्ष 8.45 प्रतिशत है । उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, जिसमें किसी आरोपित अवर अभियन्ता को अकार्यकारी खण्ड में तैनात किये जाने के निर्देश दिये गये हों और उनका अनुपालन न किया गया हो । सामान्यतया आरोपित अवर अभियन्ता को संवेदनशील पद पर नहीं रखा जाता है ।

अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व में शासन में प्राप्त शिकायतों पर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त आख्या के अनुसार शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई है । मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं की जांच हेतु अलग से आदेश भी दिये गये हैं । जहां तक क्रमांक 48 से 71 तक सूची में स्थानान्तरणों में तथाकथित अनियमितता का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने किसी आदेश विशेष या दिनांकित सूची विशेष का उल्लेख सूचना में नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि मा० सदस्य का आशय किस सूची के क्रम सं० 48 से 71 तक के बारे में है । इस प्रकार यह बिन्दु अस्पष्ट है ।

जहां तक लोक निर्माण मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों के नामों पर विचार करने का प्रश्न है, सूचना में उल्लिखित दो अधिकारियों के नाम पर विचार नहीं हुआ है एवं श्री डी० के० सिंह के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।]

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के दस हजार पदों को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

प्रदेश में संचालित बस, टैम्पों आदि से वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे कुप्रभावों के संबंध में श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–19 और मद संख्या–20 को स्थगित करने के लिए कहा गया था । अतः यह दोनों स्थगित की जाती है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 1 मई, 2001 की अपनी बैठक में विधान सभा के दिनांक 2 मई से 1 जून 2001 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

(1) दिनांक 9 मई, 2001 को वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा हो ।

(2) सदन के दिनांक 2 मई से 1 जून, 2001 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप से निर्धारित किया जाय :–

मई , 2001

2 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । (2) 5 बजे अपराह्न विधायी कार्य ।	
3 गुरुवार **4 शुक्रवार**	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।	
5 शनिवार **6 रविवार** **7 सोमवार** **8 मंगलवार**	(बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश) (हनुमान जी का मेला अवकाश)	बैठक नहीं होगी ।
9 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।	
10 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।	
11 शुक्रवार	असरकारी दिवस (आधा दिन–आधा दिन दिनांक 4 मई, 2001 के स्थान पर)	
12 शनिवार **13 रविवार**	बैठक नहीं होगी ।	
14 सोमवार **15 मंगलवार** **16 बुधवार** **17 गुरुवार** **18 शुक्रवार**	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।	
19 शनिवार **20 रविवार**	बैठक नहीं होगी ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

21 सोमवार 22 मंगलवार 23 बुधवार 24 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
25 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन–आधा दिन 18 मई, 2201 के स्थान पर) (2) 5.00 अपराह्न विधायी कार्य
26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
28 सोमवार 29 मंगलवार 30 बुधवार 31 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

जून, 2001

1 शुक्रवार (1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 4.00 अपराह्न से

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं पारण ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव रखता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता ने सदन में दी है, से सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं । कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 1 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–41 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 39 पर)

जनपद मैनपुरी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें हैण्डपम्प खराब है की सूची है ।

क्रम सं०	विकास खण्ड	प्राथमिक विद्यालय	पूर्व माध्यमिक विद्यालय
1	सुल्तानगंज	प्राथमिक वि० रसूलाबाद	पूर्व माध्यमिक वि० लहरा
2	,,	,, ,, नरेशनपुर	,, ,, फुलीपुर कैलई
3	,,	,, ,, इन्नीखेड़ा	,, ,, हाता
4	,,	,, ,, भवऊ	
5	,,	,, ,, शाहआलमपुर	
6	किशनी	,, ,, सभापुर	,, ,, कुसमरा
7	,,	,, ,, मोहम्मदपुर	,, ,, किशनी
8	,,	,, ,, दुदौली	,, ,, ऊंचाइस्लामाबाद
9	बेबर	,, ,, खजुरिया	,, ,, खजुरिया (कम्या)
10	,,	,, ,, पूरनपुर	
11	,,	,, ,, बासमई	
12	,,	,, ,, मुढउं	
13	,,	,, ,, श्यामपुर भटपुरा	
14	,,	,, ,, चन्दीपुर	
15	,,	,, ,, पिलही	
16	,,	,, ,, बहरामपुर	
17	,,	,, ,, उमेहहरा	
18	करहल	,, ,, मानिकपुर	,, ,, सहन
19	,,	,, ,, ममूटी	,, ,, मरुआभांति
20	,,	,, ,, विनायकपुर	
21	,,	,, ,, दौस्तपुर	
22	,,	,, ,, कमलपुर	
23	,,	,, ,, देवकली	
24	,,	,, ,, जोशी	
25	,,	,, ,, नगला बौते	
26	,,	,, ,, गदमपुर	
27	,,	,, ,, पनारा	
28	,,	,, ,, रानीपुर हरेर	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

संलग्नक–क

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–42 के उत्तर का संलग्नक

क्र०सं०	जनपद	मार्ग का नाम	स्तर	लम्बाई (कि०मी० में)	लागत
1	2	3	4	5	6
1	मैनपुरी	सिरसागंज किशनी मार्ग से अहमदपुर मार्ग	शून्य से लेपन	1.00	8.00
2	–तदैव–	एन० एच०–2 से गोटपुर मार्ग	–तदैव–	1.50	12.00
3	–तदैव–	नगलामीर से बरनाहाल मार्ग से मान्सरपुर	–तदैव–	2.00	16.00
4	–तदैव–	सिरसागंज किशनी मार्ग से करहल टाउन मार्ग	–तदैव–	0.65	5.20
5	–तदैव–	ढंढीस मुडौसी मार्ग से सिगनी मार्ग	–तदैव–	1.00	8.00
6	–तदैव–	किशनी छिबरामऊ मार्ग से अलीपुर केशोपुर मार्ग	–तदैव–	1.50	12.00
7	–तदैव–	शिकोहाबाद–भोगांव मार्ग से बिघरई मार्ग।	–तदैव–	1.00	8.00
8	–तदैव–	लहरा मड़वन से बुरी मार्ग	–तदैव–	1.20	9.60
9	–तदैव–	भोगांव रजवाना मार्ग से देवीपुर मार्ग	–तदैव–	2.00	16.00
10	–तदैव–	लिलाछापार छिरोर जसराना मार्ग इसनई मधुपुरी	मिट्टी से लेपन	2.00	14.00
11	–तदैव–	सादैतपुर पहदपुर मार्ग से गिगन नंदी	–तदैव–	1.60	11.20
12	–तदैव–	सहतपुर गिगननंदी से मिधावली कलां	–तदैव–	1.70	11.90
13	–तदैव–	हन्नू खेड़ा–नगला मितकर मार्ग	–तदैव–	2.00	14.00

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–149 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–149 के उत्तर का संलग्नक

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक उपलब्ध धनराशि से कराये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	योजना का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	भूखण्डों की संख्या
1996-97	सु० रोज० यो०	506	95
	ज० रोज० यो०	105	17
1997-98	सु० रोज० यो०	249	45
1998-99	सु० रोज० यो०	426.7	84
1999-2000	सु० रोज० यो०	392	59

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–168 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित चौ० रवीन्द्र प्रताप द्वारा **पूछे गये** अतारांकित प्रश्न संख्या–168 के उत्तर का संलग्नक

सर्वश्री

1–मुन्ना पुत्र श्री शबी अहमद
2–धन प्रकाश पुत्र श्री छोटे लाल
3–आर० एस० कश्यप पुत्र श्री बिहारी लाल
4–विधान सभा सचिवालय समिति द्वारा शिव मंदिर
5–छेदी लाल पुत्र श्री बिहारी लाल
6–संगम लाल पुत्र श्री बाबू लाल
7–बसंत बल्लभ जोशी
8–श्री राम लखन
9–पंडित जी
10–मोहन सिंह पुत्र श्री धन सिंह
11–आर० पी० सिंह
12–रामफेर पुत्र दुखी
13–मटरू पुत्र श्री सूरज
14–गुड्डन पुत्र श्री एल० जेम्स
15–श्रीराम यादव पुत्र श्री रघुबर दयाल
16–मटरू पुत्र सूरज
17–डा० मिश्रा (क्लीनिक)
18–सुरेश यादव (परचून)
19–मुन्ना यादव (दुकान)
20–कृष्ण मोहन (दुकान)
21–शिव कुमार सिंह भदौरिया
22–सुन्दर लाल पुत्र श्री पीताम्बर धोबी
23–विजय नारायण पाण्डेय पुत्र श्री शिव शंकर पाण्डेय
24–राम आसरे
25–प्यारे लाल
26–प्यारे लाल
27–बीरेन्द्र पाल
28–बीरेन्द्र पाल
29–मथुरा प्रसाद
30–सुरेश पुत्र सन्जू प्रसाद
31–निजामुद्दीन
32–मोहन लाल मौर्या
33–राजाराम पुत्र श्री राम किशन
34–शम्भू प्रसाद पुत्र श्री राम किशन
35–बृज मोहन
36–शिव शंकर
37–शिव प्रसाद पुत्र श्री राम किशन
38–राम सरन

उत्तर प्रदेश विधान सभा